राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृतान्त

अंक ६] तृतीय विधान सभा के नवम् सत्र, १९६६ का २६ वां दिवस [संख्या २१

बुधवार,

दिनांक २३ मार्च, १९६६

विधान सभा की बैठक म. पू. ११-४ बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

[राव श्री नारायणसिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन]

तारांकित प्रश्नोत्तर

[वन, उद्योग, सहकारी, पंचायत विद्युत, यातायात, श्रम, राजकीय उद्योग, सार्वजनिक निर्माण, स्वास्थ्य विभाग]

प्रश्न संख्या ४३४

श्री उपाध्यक्ष : श्री हीराभाई।

(अनुपस्थित–कृपया आगे देखिये)

श्री अब्दुल जब्बार !

बाट व तराजू पर सील

४३५. **श्री अब्दुल जब्बार** (निम्बाहेड़ा) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(१) राज्य की ओर से वेट्स एण्ड मेजर्स नियमों के अन्तर्गत अब तक कुल कितनी धन राशि सील लगाने से प्राप्त की गई है?

(२) हर साल सील आवश्यक रूप से लगाने का क्या कारण है?

(३) क्या बाट और तराजू इस किस्म के बने हुए हैं कि एक दो साल में ही खराब हो जाते हैं? क्या सरकार ने कभी इसकी छानबीन की है?

(४) क्या सरकार के ध्यान में है कि उसकी लगाई सील बाटों में से निकल जाती है और इस नियम से जनता परेशान रहती है? क्या सरकार इस ओर कोई परिवर्तन करने का विचार रखती है?

उप मंत्री, उद्योग (श्री चन्दनमल वद) : (१) राजस्थान बाट और माप अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त राशि का विवरण निम्न है-:

१९५७-५८	२,०००-०० रु०
१९५८-५९	४४ ७४६-०० रु०
१९५९-६०	२८,३७७-०० रु०
१९६०-६१	१,७८,०००-०० रु०
१९६१-६२	१,४६,०००-०० रु०
१९६२-६३	३,३५,३०६-०० रु०
१९६३-६४	२,९६,६७१-०० रु०
१९६४-६५	२ ८६,०३२-०० रु०
अप्रैल ६५ से दिसम्बर ६५	१,९८,१३१-०० रु०

(२) हर साल सील केवल सोना, चाँदी, जवाहरात आदि तोलने के उपकरणों तथा बांटों पर रेलवे तथा फेक्ट्रियों में प्रयोग में

(श्री चन्दनमल वैद)

आने वाले बांटों और मशीनों पर ही लगाना अनिवार्य है।

सोना, चांदी, जवाहरात आदि के व्यापार में आने वाले बांटो और उपकरणों की प्रत्येक साल जांच आवश्यक है, जिससे देखा जा सके कि बांट आदि सही है।

इसी तरह रेलवेज और फेक्ट्रियों में काम में आने वाली मशीनों का प्रयोग बहुत अधिक होता है और निरन्तर प्रयोग से बांट कम होने संभव है और तोलने के उपकरणों की एरर कुछ बढ़ जाती है और सेन्सिटिविटी कम हो जाती है।

अन्य बांटों, मापों एवं उपकरणों पर जो आम तौर पर व्यापार में काम में आते है दो साल में एक दफा सील लगाना आवश्यक है।

(३) जी हां। २ वर्ष के निरन्तर प्रयोग से बाट और तराजू में अन्तर आ जाना संभव है। बाट और माप प्रयोग-शालाओं में जो बाट, कांटें आदि २ साल बाद सील लगाने के लिए आते हैं उनमे साधारणतया अन्तर पाया जाता है, इसलिए उसकी छानबीन करने की कोई आवश्यक्ता नहीं है।

(४) जी हां, कभी-कभी अत्यधिक प्रयोग, लापरवाही से किन्हीं बांटों आदि में से लेड निकल जाता है। यह लेड की खराब क्वालिटी के भी कारण संभव है। यदि बाट आदि में से सील निकल जाती है तो नियमानुसार निर्धारित समय में बिना फीस लिए ही सील लगाई जाती है।

श्री अब्दुल जब्बार : यह जो आपने फर्माया है कि सील लगाना अनिवार्य इसलिए है कि सील निकल जाती है तो क्या सरकार इस डिफिकल्टी को महसूस करेगी कि सील ऐसी लगाई जाय कि वह पर्मानेन्टली बाट पर लगी रहे और निकले नहीं।

श्री चन्दनमल वैद : सील नहीं घिसती है। बाट और उपकरण घिस जाते हैं और उनकी सेन्सिटिविटी में फर्क आ जाता है इस वास्ते दो साल बाद टेस्ट किये जाते हैं कि खराबी कहीं हो तो ठीक कर दिये जायं। केवल सील ही नहीं घिस जाती है बल्कि दूसरे उपकरण हैं उनकी सेन्सिटिविटी में अन्तर पड़ जाता है।

श्री अब्दुलजब्बार : जो सील लीड की लगाई जाती है वह लेड निकल जाता है, सरकार इस चीज को जानती है तो यह पता होते हुए कि सील निकल जाती है उसके सम्बन्ध में क्या विचार रखती है?

श्री चन्दनमल वैद : हमेशा नहीं निकलती है। कभी लापरवाही या अधिक प्रयोग के कारण निकल जाती है तो दुबारा लगाई जाती है। समय से पहले निकल जाती है तो फ्री लगा दी जाती है। कभी कभी ऐसा भी सम्भव हो सकता है कि केवल सील के कारण से ही नहीं बल्कि जो उपकरण हैं तराजू, बाट वह बराबर प्रयोग में लाने से घिस जाते हैं तो उन्हें दो साल के बाद टैस्ट करना जरूरी होता है। मानलें कि एक कीलो का बाट है वह बराबर उपयोग में आता है तो वह घिस गया, और दो साल में ज्यादा घिस जाये तो ग्राहक को नुकसान होगा। इस वास्ते यह देखना जरूरी होता है दो साल बाद टैस्ट कराये और टैस्ट

(श्री चन्दनमल वैद)

कराने के बाद सील लगवाई जाये और जितना वह घिस गया है उतना ही लेड उसमें भर देते हैं।

श्री अब्दुल जब्बार : जैसा कि आप मानते हैं कि बाट घिस जाते हैं और उनमें कमी आ जाती है और उससे कम तोलता है तो वह पैनल आफेन्स में आता है। उसके लिए पीनल क्लॉज़ है और उसकी सज़ा है। अगर कम तोलता है तो आई० पी० सी० में चालान हो जाता है तो क्या कारण है कि सील लगाना अनिवार्य रखा है ?

श्री चन्दनमल वैद : पैनल क्लॉज़ है इस वास्ते ही तो सील लगाये हुए बाट उपयोग में लाता है, लेकिन दूसरे बाटों के लिए नियम बना दिये गये हैं। हमने यह माना है कि दो साल में इतनी कमी हो जायेगी या इस तरह की कमी हो सकती है। इस वास्ते २ साल बाद बाट लाये जायें और उन पर सील लगाई जाये। इस तरह का नियम बना दिया गया है। व्यापारियों के किसी तरह के माप व बाट घिस सकते हैं लेकिन उनके पास इस तरह के कांटे या मशीनें नहीं हैं जो कि लेबोरेट्री में मौजूद हैं। इस वास्ते बाट नियमानुसार दो साल बाद मंगाये जाते हैं और जितने कम हो जाते हैं उतना लेड लगाकर उनको पूरा कर दिया जाता है और सील लगा दी जाती है जिससे व्यापारी और ग्राहक को नुकसान न हो।

श्री अब्दुल जब्बार : उसकी फीस क्या है ?

श्री चन्दनमल वैद : अलग अलग बाट और तराज़ू के लिए अलग अलग फीस निर्धारित है।

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : क्या यह सही है कि जब कांटा और बाट अधिकारी चैक करने के लिए जाता है तो उसके साथ में ठेकेदार भी जाता है और उनसे लिमिटेड फीस दिलवाता है तो क्या यह फीस सरकार द्वारा तय शुदा है ?

श्री चन्दनमल वैद : हर बाट और कांटे की मरम्मत करवाना होता है। मरम्मत करने वाले सरकार से लाइसेन्स लिये हुये हैं और लाइसेन्स शुदा आदमी ही मरम्मत करता है और हमारे यहां पर सत्यापन करवाता है कि मरम्मत हो गई है। जितने आदमियों को लाइसेन्स दिये हुये हैं उनमें से किसी से भी मरम्मत करवा कर ला सकते हैं।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : आपने क्या रेट निर्धारित कर रखी है। कांटा बाट अधिकारी कहता है कि जितनी फीस हमारी है उतनी ही रिपेयर की होगी तो यह तय शुदा रेट है क्या ?

श्री चन्दनमल वैद : हमारे पास ऐसी कई शिकायतें आई थी कि मरम्मत करने वाले जिनको कि लाइसेन्स दिये गये हैं वे मनमाने ढंग से फीस वसूल करते हैं इस वास्ते हमने मरम्मत की शिड्यूल्ड रेट तय कर दी है कि इस चीज की मरम्मत के लिए इतनी फीस होगी। इससे ज्यादा मरम्मत के चार्जेज़ वसूल करते हैं तो उनके खिलाफ एक्शन लेते हैं और उनका लाइसेन्स कैन्सिल कर देते हैं।

श्री अब्दुल जब्बार : उपाध्यक्ष महोदय, यह मसला बड़ा खतरनाक है। एक ठेकेदार

(श्री अब्दुल जब्बार)

जाता है और तराजू बाट उठा लाता है बगैर नोटिस में लाये और व्यापारियों को परेशान किया जाता है और मनमाने पैसे चार्ज किये जाते हैं। मन्त्री महोदय ने बतलाया कि रेट लिखी हुई होती है लेकिन वह खुदा हो जाता है और बाट उठा ले जाता है।

श्री चन्दनमल वैद : यह हमारा अनुभव है और सारे हिन्दुस्तान में नियम प्रचलित है कि जो बाट, कांटा तोलने और मापने के उपकरण हैं उनका दो साल में सत्यापन किया जाय ताकि आम जनता को तकलीफ न हो। सरकार इसको मानना चाहती है और अडिग रहना चाहती है कि तोलने और मापने के उपकरण हैं उनकी जांच करेंगे।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : कौन से बांट की क्या फीस है यह क्यों नहीं बताते ?

श्री चन्दनमल वैद : यह टेक्निकल बात है आप पूछिये मैं बताऊंगा। अभी मेरे पास सूचना मौजूद नहीं है १ के० जी० का बांट सोनार के यहां कितना घट जाता है, लोहार के यहां कितना घट जाता है, सब्जी वाले के यहां कितना घटता है, यह सब उपयोग पर निर्भर करता है। ज्यादा उपयोग में आने पर ज्यादा घटता है यह आम बात है ज्यादा उपयोग में आने पर ज्यादा घटेगा।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : मुहर लगाने की क्या फीस है ?

श्री चन्दनमल वैद : अलग अलग उपकरणों की अलग अलग फीस है आप पूछिये मैं बताऊंगा।

श्री अब्दुल जब्बार : आप २५० ग्राम की क्या फीस लेते है, ५०० ग्राम की क्या फीस लेते हैं ?

श्री चन्दनमल वैद : यह सूचना मैं अभी लेकर नहीं आया हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री चन्द्रसिंह बर्फा।

श्री अब्दुल जब्बार : उपाध्यक्ष महोदय, मसला खतरनाक है १२) और १५) रु० लेते हैं, डाका डालते हैं। They are picking these weights without notice. Under what rules and regulations they are charging fees ?

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। श्री चन्द्रसिंह बर्फा।

श्री अब्दुल जब्बार : कम से कम इस बात को तो सोचिये...

श्री उपाध्यक्ष : Order please. I have called another name.

श्री सांवलियाराम (रूपवास-सु०) : जब से बाट और माप का प्रचलन हुआ है....

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री अब्दुल जब्बार : मैं एक प्रश्न और पूछूंगा....

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। दूसरा प्रश्न कॉल कर लिया गया है। यह अव्यवस्था है।

प्रश्न संख्या ४३६

श्री चन्द्रसिंह बर्फा।

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ४३७

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

(अनुपस्थितक्र–पया-आगे देखिए)

श्री देवेन्द्रकुमार।

जयसमन्द के जंगलों में गेम सेंचुरी

४३८. **श्री देवेन्द्रकुमार मीणा** (सहाड़ा सु०) : क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि उदयपुर जिले में जयसमन्द के जंगलों में एक गेम सेन्चुरी का निर्माण किया था? यदि हां, तो इस पर अब तक कुल कितना व्यय हो चुका है?

(२) क्या यह सही है कि इस गेम सेन्चुरी के जंगल की लकड़ी का ठेकेदार जंगल में कोयला बनाता है जब कि गेम सेन्चुरी में आग लगाना निषिद्ध है?

(३) क्या यह सही है कि ठेकेदार ने और उसके मजदूरों ने इस सेन्चुरी के सैंकडों जानवरों को मार दिया है?

(४) क्या यह सही है कि वन मन्त्री ने इस जंगल की नीलामी के बाद इस जंगल की कटाई को रोकने के आदेश दिए थे?

(५) क्या यह सही है कि इस जंगल की कटाई एवं कोयला बनाने की स्वीकृति पुनः दे दी गई है? यदि हां, तो क्या सरकार पुनः रोकने का विचार रखती है?

उप मन्त्री वन (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) इस गेम सेन्चुरी पर जनवरी १९६६ तक २,३७,४५०) रु. खर्च हो चुका है।

(२) ठेकेदार करमकरण योजना के अनुसार बनाए हुए कूप में राज्य सरकार की स्वीकृति से विक्रय नियम तथा शर्तायत-नामे के अनुसार कार्य कर रहा है। ठेकेदार उक्त कूप में सिर्फ निर्दिष्ट स्थानों पर ही कोयला बना रहा है जो नियम के विरुद्ध नहीं है।

(३) जी नहीं।

(४) जी नहीं, नीलाम के बाद कटाई रोकने की बाबत कोई आदेश नहीं दिया गया।

(५) जी नहीं। स्वीकृति होने के बाद कटाई रोकने के आदेश नहीं हुए अतः पुनः स्वीकृति देने अथवा काम रोकने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

श्री देवेन्द्रकुमार मीणा : क्या यह सच है कि ठेकेदार गेम सेंचुरी में कोयला नहीं बनाता है?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह इन्कार कब किया गया।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत (भीम) : गेम सेंचुरी में जंगल काट कर कोयला बनाना कहां तक वाजिब है?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : वर्किंग प्लान के हिसाब से जितना एरिया रिजर्व छोड़ा जाता है उसके अन्दर यह काम किया जाता है। वर्किङ्ग प्लान जिस साल का जिक्र है उस साल २०० एकड़ भूमि में धोकड़ा वगैरा के पेड़ इतने गहरे थे कि वाइल्ड लाइफ के

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

बैठने के लिए जगह नहीं थी इसलिये उनको बैठने के लिये जगह सुविधाजनक मिल जाय इस दृष्टि से वर्किङ्ग प्लान के हिसाब से २०० एकड़ जमीन थी उसमें से १६८ एकड़ में यह काम किया गया।

श्री उपाध्यक्ष : श्री दयाचन्द सोन।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : इस बारे में मैं एक दो सवाल और करना चाहूँगी।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। श्री दयाचन्द सोन।

बारां क्षेत्र की सहकारी समितियों में हुये गबन की जांच

४३६. **श्री दयानन्द सोन** (बारां मु.) : क्या सहकारी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि बारां क्षेत्र की लसाडिया, मेलखडी एवं बराना गाँवों में सहकारी समितियों में हजारों रुपयों का गबन हुआ है और इसमें उस क्षेत्र के सहकारी निरीक्षक का भी हाथ है? यदि हां, तो वहां के सहकारी निरीक्षक कौन हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही हुई है?

उपमन्त्री सहकार (श्री भीमसिंह) : **बज**-किशोर सहकारी समिति बारां में ६०) ६० का गबन हुआ है। इस गबन में सहकारी निरीक्षक का भी हाथ होने का सन्देह है। उनके विरुद्ध विभागीय जांच की जा रही है।

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : यह गबन कब हुआ और जांच कब हुई?

श्री भीमसिंह : ऑडिट होने पर मालूम हुआ। आपने पूछा था किस किस का हाथ है, मैंने उत्तर दिया। मेरे पास डेट इस समय मौजूद नहीं है।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : आपने मंजूर किया कि गबन हुआ है तो यह गबन कब हुआ है कौनसी तारीख को हुआ, कितने जांच की, क्या कार्यवाही हुई?

श्री भीमसिंह : जब ऑडिट हुआ तो अलग रिपोर्ट आई अलग, अलग समिति वालों की। जैसे जैसे शिकायत आई जांच कर रहे हैं।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : आडिट कब हुआ? आपके इन्सपेक्टर वहाँ रहते हैं, जानकारी करते हैं जानकारी बता दीजिए, तारीख बता दीजिए।

श्री भीमसिंह : सन् ६५ में।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : इतने दिनों में आपने क्या कार्यवाही की?

श्री भीमसिंह : ६५ के बाद अब ६६ है।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : एक साल को आप साधारण समझते हैं, कुछ तो जानकारी की होगी, कुछ तो आगे बढ़े होंगे?

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती सुमित्रा।

श्री अब्दुल जब्बार (निम्बाहेड़ा) : इस प्रकार का जहां गबन होता है वहां उनको हटाना चाहिए, कटघरे में डालना चाहिये तभी न्याय होगा, तभी भ्रष्टाचार खत्म होगा चार्जशीट वगैरा देकर लम्बी छूट देने से कुछ भी नहीं होने वाला है।

झुंझुनूं जिले के ग्रामों को कृषि कार्य हेतु बिजली

४४०. **श्रीमती सुमित्रा** (झुंझुनूं) : क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) चौथी पंचवर्षीय योजना में झुंझुनूं जिले में किन किन गांवों को बिजली देने की योजना है? इन गांवों में बिजली दिए जाने का कोई आधार नियत किया गया है क्या?

(२) किसानों को कृषि के लिए बिजली किन किन शर्तों पर दी जा रही है और क्या इन शर्तों में राज्य सरकार कोई परिवर्तन अधिक अन्न उपजाओ योजना को ध्यान में रखते हुए करने का विचार रखती है?

उप-मन्त्री, विद्युत (श्री चन्दनमल वैद) : (१) बिजली देने की योजना अभी विचाराधीन है।

(२) यदि योजना लाभप्रद हो तो १० हार्स पावर तक २००) रु. १० से २५ हार्स पावर तक ३२०) रु. और इससे ऊपर ५००) सर्विस लाइन कनेक्शन का देना होता है। बिजली १२ नये पैसे प्रति यूनिट दर से दी जाती है। अवधि समाप्ति पर १ पैसा प्रति यूनिट अधिक लिया जाता है एवं कम से कम ४२ रु. प्रति वर्ष प्रति हार्स पावर लिया जाता है इनमें परिवर्तन का कोई विचार नहीं है।

श्रीमती सुमित्रा : यह योजना विचाराधीन कब तक रहेगी?

श्री चन्दनमल वैद : जब तक यह नहीं मालूम हो जाय कि चौथी योजना में कितनी धन राशि प्राप्त होने वाली है तब तक निर्णय लेना सम्भव नहीं है।

श्रीमती सुमित्रा : यह कब तक मालूम हो जायगा।

श्री चन्दनमल वैद : प्लानिंग कमीशन बतायेगा तभी बता सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री दिग्विजय सिंह।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : इसका उत्तर दे दिया जाय, मेरे पास अथोरिटी है।

(अथोरिटी प्रस्तुत करना)

भूतपूर्व सरपंच चोरू के विरुद्ध गबन के आरोप

४४१. **श्री दिग्विजयसिंह** (उनियारा) [द्वारा पूछा गया]

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई): क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सत्य है कि कल्याणमल भूतपूर्व सरपंच चोरू तहसील उनियारा

Page No. 8

(श्री जयनारायण सालोदिया)

जिला टोंक के विरुद्ध गबन के आरोप थे ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

(२) क्या यह सच है कि उक्त सरपंच से धन के दुरुपयोग में १७४०.४४ न. पै. वसूल किये गये हैं ? यदि हां, तो कब ?

(३) क्या सरकार ने उक्त भूतपूर्व सरपंच को सब आरोपों से निर्दोष कर दिया है ? यदि हां, तो कब, यदि नहीं तो उस पर क्या कार्यवाही हो रही है ?

(४) क्या लोकल फंड आडिट ने भी उक्त सरपंच पर गबन के आरोप साबित किए हैं, पर सरकार ने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया ?

(५) क्या यह सत्य है कि उप जिला विकास अधिकारी टोंक ने भी अपनी रिपोर्ट में यह सिफारिश की थी कि दफा ४०६ ता० हिन्द के तहत मुकदमा दायर करने की स्वीकृति दी जावे ? यदि हां, तो फिर स्वीकृति क्यों नहीं दी गई ?

(६) क्या उक्त रिपोर्ट में ४२०६ रु. काबिल वसूल जाँच द्वारा साबित किये हैं, पर सरकार ने उस पर कोई ध्यान नहीं देते हुए उक्त सरपंच को निर्दोष करार दे दिया है ? यदि हां, तो ऐसा करना कहां तक उचित था ?

पंचायत मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (१) जी हां। नियमानुसार जांच कराई जाने पर कोई गबन प्रमाणित नहीं हुआ।

(२) अनुचित उपयोग के कारण वसूली दिनांक २६—८—६३ को की गई।

(३) जी हां, दिनांक १६-२-६५ को।

(४) जी नहीं। ऑडिट रिपोर्ट में गबन नहीं बताया केवल हिसाब रोकड़ में क्रमवार नहीं होने का ऐतराज किया है।

(५) जी हां, गबन प्रमाणित नहीं होने से चालान की अनुमति नहीं दी गई।

(६) उप जिला विकास अधिकारी ने जांच रिपोर्ट में ४२०६) रुपयों की वसूली की सिफारिश की थी किन्तु पूर्ण जांच के बाद जो रकम वसूल करने योग्य समझी गई उसे वसूल कर जांच समाप्त की गई।

श्री जयनारायण सालोदिया : भाग (६) का उत्तर क्या फरमाया ? जिला अधिकारी ने वसूल काबिल बताया था उसके बारे में क्या फरमाया ?

श्री दामोदरलाल व्यास : उप जिला विकास अधिकारी ने जांच रिपोर्ट में ४२०६ रुपयों की वसूली की सिफारिश की थी किन्तु पूर्ण जांच के बाद जो रकम वसूल करने योग्य समझी गई उसे वसूल कर जांच समाप्त की गई।

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : आपने बताया कि अनुचित उपयोग किया, अनुचित उपयोग किस प्रकार किया, बैंक में नहीं रख कर पैसा अपने पास रखा या क्या किया ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जो कूआ सार्वजनिक नहीं था उस पर सरकारी पैसा लगा दिया गया।

Page No. 9

श्री अब्दुल जब्बार (निम्बाहेडा) : उसका फायदा किसको पहुँचा ?

श्री दामोदरलाल व्यास : उस समय तो जो कूए का मालिक था उसको पहुँचा लेकिन बाद में बिकते-बिकते उस सरपंच के पास आ गया।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : सरपंच ने मनमानी की और पंचायत का रुपया मनमाने ढंग से लगा दिया।

श्री दामोदरलाल व्यास : मनमानी करने का सवाल नहीं है, सार्वजनिक था उस पर लगा दिया।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : अकेले लगा दिया या पंचायत को पूछ कर लगाया ?

श्री जयनारायण सालोदिया : जो आपने फरमाया भाग (६) के उत्तर में, दुबारा जांच किससे करवाई और ४ हजार के बदले में कितना रुपया वसूल हुआ ?

श्री दामोदरलाल व्यास : में आपको अर्ज करूं, जब मैंने अन्तिम जांच शब्द कहा है तो आपको कायदे-कानून से वाकिफ होना चाहिए कि अन्तिम जांच कौन करता है, कब करता है ?

श्री जयनारायण सालोदिया : कितना रुपया वसूल हुआ चार हजार रुपयों की बजाय ?

श्री दामोदरलाल व्यास : कूए के लिए १४१४.४४ न. पै. और ३२६ रुपये श्रमदान के इस प्रकार १७४०.४४ नये पैसे वसूल किये।

प्रश्न संख्या ४४२

श्री उपाध्यक्ष : श्री जोधसिंह चौहान !

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिए)

प्रश्न संख्या ४४३

श्री विजयपाल कटारा !

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिए)

श्री मोहनराज !

अफीम खाने वालों की संख्या

४४४.**श्री मोहन राज** (बाली) : क्या **आबकारी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि पिछले १० वर्षों में राजस्थान में आदतन अफीम खाने वालों की संख्या में काफी कमी हुई है ?

(२) आजकल आदतन अफीम खाने वालों की राजस्थान में कुल संख्या क्या है ? और इस प्रकार काम में लाई जाने वाली अफीम की मिकदार क्या है ?

आबकारी मंत्री (श्रीदामोदर लाल व्यास) : (१) जी हां।

(२) कुल संख्या १०४८ है। अफीम की मिकदार १४२ किलो २२६ग्राम ७३१ मिलीग्राम है।

श्री मोहन राज : क्या सरकार ने अफीम खाने वालों की संख्या में कमी करने के लिए कोई उपाय किये हैं ? और किये हैं तो क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

Page No. 10

श्री दामोदर लाल व्यास : जी हां।

श्री मोहन राज : क्या उपाय है ?

श्री दामोदर लाल व्यास : १६५६-६० से लगातार अफीम खाने वालों की संख्या और उनके द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली अफीम की मिकदार में, मात्रा में कमी होती जा रही है। मेडीकल सर्टीफिकेट जिनको मिलता है, जिनको अफीम एडिक्टेड डिक्लेयर किया जाता है, उनको जो मात्रा मिलती है उसमें तीसरे महीने १/८ हिस्सा कम किया जाता है। इससे इस अफीम की मिकदार कम होती है और अफीम खाने वालों की संख्या कम होती है।

श्री अब्दुल जब्बार (निम्बाहेड़ा) : यह क्या भाव दी जाती है !

श्री दामोदर लाल व्यास : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भाव तो मुझे मालूम नहीं है।

श्री अब्दुल जब्बार : सप्लीमेन्ट्री पूछने का मेरा मतलब यह है ....

श्री दामोदर लाल व्यास : आप पूछ लीजिये अलग से सवाल, अभी मेरे पास भाव नहीं है।

श्री अब्दुल जब्बार : सरकार इसके भाव को निश्चित कर देती है तो जो ब्लेक होता है अफीम का और जो स्मगलिंग होता है उस पर भी अफेक्ट पड़ेगा और आपने जो बाजार में अफीम का बिकना बन्द किया है उससे आपका राजस्व भी घाटे में जा रहा है और सरकार की आमदनी कम होती है। इस पर आप विचार करके देखें कि भाव प्रिवेलिंग मार्केट से लो हैं या हाई हैं। और हाई हो तो लो करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री कृष्ण कुमार !

श्री भैरोंसिंह : अफीम का भाव मालूम नहीं है तो भांग का तो मालूम है।

श्री दामोदर लाल व्यास : वह आपके लिये छोड़ रखी है।

श्री मथुरा दास माथुर : वह आपके लिये छोड़ रखी है।

श्री राधाकृष्ण गोयल : फिर शराब का बता दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री कृष्ण कुमार गोयल !

देहली क्लाथ मिल्स, कोटा की यूनियन का डिमान्ड चार्ट

४४५. **श्री कृष्ण कुमार गोयल** (कोटा): क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि देहली क्लाथ मिल्स, कोटा की यूनियन ने डिमान्ड चार्ट भेज दिया है ?

(२) अगर हां, तो कब व उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री भोखा भाई (श्रम मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, इसके पोस्टपोनमेंट के लिये लिखा था। अगर माननीय सदस्य ज्यादा आग्रह करते हों तो थोड़ा बहुत बता सकता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : मैं समझता हूं कि Postponed को Postponed ही रहने दीजिये।

(विराम)

श्री जयनारायण सालोदिया !

जयपुर–कोटा बस मार्ग पर यात्रियों की सुविधायें

४४६. **श्री जयनारायण सालोदिया** (निवाई): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) जयपुर से कोटा तक के मार्ग में स्टेट रोडवेज के कहां कहां बस स्टैंड बने हुए है और कहां कहां इस वर्ष बनाने का विचार है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) इस रूट पर कहां कहां सवारियों के लिए पीने के पानी व सर्दी गर्मी व वर्षा से बचने के साधन उपलब्ध हैं ? और कहां पर निकट भविष्य में उपलब्ध कराए जाने वाले हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उप-मंत्री, यातायात (श्री भीमसिंह) : (१) जयपुर–कोटा मार्ग पर चाकसू-देवली व टोंक में बस स्टैण्ड बने हुए हैं, तथा कोटा व निवाई में निर्माण का कार्य चालू है।

(२) जयपुर-कोटा मार्ग पर पीने के पानी, सर्दी गर्मी व वर्षा से बचने के साधनों की व्यवस्था व भविष्य में इन्तजाम किये जाने वाले स्थानों की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(कृपा परिशिष्ट १ देखिये)

श्री जयनारायण सालोदिया : आपने कहा कि निवाई स्टैण्ड का काम चालू है, कब से चालू है ?

श्री भीमसिंह : तारीख तो मेरे पास मौजूद नहीं है लेकिन कार्य चालू है।

श्री जयनारायण सालोदिया : नहीं। मैं कह रहा हूं नहीं है।

श्री भीमसिंह : अगर आप कह रहे हैं कि नहीं है तो मैं जानकारी करके कह दूंगा।

श्री जयनारायण सालोदिया : दो साल पहले यह प्रश्न पूछा था तब भी आपने यही उत्तर दिया था, छोटे छोटे स्टैन्ड आप इस साल बना रहे हैं।

यातायात मंत्री (श्री मथुरादास माथुर) : काम चालू है।

श्री जयनारायण सालोदिया : नहीं, नहीं। मैंने कहा है कि नहीं चल रहा है। आपने वहां देखा नहीं है कि काम चल रहा है या नहीं। मैंने देखा है।

श्री मथुरादास माथुर : क्या देखा है ?

श्री जयनारायण सालोदिया : चल नहीं रहा है।

श्री मथुरादास माथुर : काम चालू है का मतलब है, मेटिरियल इकट्ठा हो रहा है, जमीन एक्वायर कर रहे हैं। काम चालू है।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : आपके दिमाग में यही बात है तो आप चालू समझेंगे। वैसे यह चालू नहीं हुआ है।

श्री मथुरादास माथुर : हो जायगा।

Page No. 12

श्री राधाकृष्ण गोयल : एक बात बता दीजिये, टोंक में बस स्टैण्ड है वह आपका है नहीं, नगरपालिका का है और वहां एक आना प्रति आदमी एक्स्ट्रा टैक्स लिया जाता है वह क्या जायज लिया जाता है ?

श्री मथुरादास माथुर : आपका जो प्रश्न है, उसके बारे में आपसे गुफ्तगू हो चुकी है। अब जो नगरपालिका टैक्स लेती है वह जायज है या नहीं-यह लॉ डिपार्टमेंट से पूछ रहे हैं। वैसे यह जयपुर स्टेट से चला आ रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री उमरावसिंह ढाबरिया !

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : आपने कोटा से जयपुर तक के लिए बताया है कि वहां बस स्टैण्ड बने हुए हैं। आप बूंदी के लिए बताएं कि वहां बस स्टैंड बनाने का प्रश्न है वह कब तक पूरा हो जायगा ?

श्री मथुरादास माथुर : यह सवाल में तो नहीं था लेकिन क्योंकि आप पूछ रहे हैं इसलिए मैं बता देता हूं। बूंदी के बस स्टैण्ड के लिए जो एक जगह मुकर्रर की गई थी वह बहुत दूर पड़ती है और लोगों की इच्छा है कि सेन्टर में ही बनाया जाय। शहर के पास में जो पुराना बस स्टैण्ड था इलेक्ट्रिसिटी कम्पनी वालों का, उसको खरीद लें उसके लिए कोर्पोरेशन की तरफ से कार्यवाही की जा रही है कि वह उन्हें बेच दिया जाय। उसके लिए बातचीत चालू है। उसके बाद वह बन जायगा। अभी जहां ठहरती है उसके लिए आपने कहा था कि पेशाब घर होना चाहिए। उसके लिए हुक्म दे दिया है।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : क्या यह सही है··

श्री उपाध्यक्ष : आप अलग से प्रश्न करें।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, वहां बुकिंग की भी व्यवस्था नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : दूसरे प्रश्न भी हैं। उनको पूछने की इजाजत देनी है मुझे।

प्रश्न संख्या ४४७

श्री उमरावसिंह ढाबरिया।

(पूछा नहीं गया)

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत !

४४८. **श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत** (भीम) : क्या राजकीय उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) क्या यह सही है कि डीडवाना में स्थित सोडियम सल्फेट के कारखाने को खरीदने के लिए प्राइवेट सेक्टर से सरकार के पास आफर आये हैं ?

(२) यदि हां, तो ये आफर किस व्यवसायिक पार्टी के हैं ?

(३) सरकार का क्या इरादा है ?

राजकीय उद्योग मंत्री (श्री मथुरादास माथुर) : (१) सोडियम सल्फेट के खरीदने के लिए कोई आफर नहीं आया था अपितु वह आफर जोइन्ट वेन्चर के लिए था।

(२) उपरोक्त जोइन्ट वेन्चर का आफर श्री जी. डी. सोमानी का था।

Page No. 13

(श्री मथुरादास माथुर)

(३) सरकार का फिलहाल ऐसे किसी प्राफर पर विचार करने का इरादा नहीं है।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत : किसी के शामलात में करने का इरादा नहीं है-पक्की बात है न ?

श्री मथुरादास माथुर : जी हां, मैं उत्तर दे चुका हूं।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : कितने पर्सेन्ट पक्की है साहब ?

प्रश्न संख्या ४४६

श्री उपाध्यक्ष : श्री मथुरेश बिहारी माथुर !

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

श्री हरिराम धारू !

समदड़ी में पावर हाउस

४५० **श्री हरिराम धारू** (सिवाना-सु०): क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि समदड़ी (जिला बाड़मेर) में पावर हाउस लगाने की योजना थी ? यदि हां, तो यह योजना का कार्य कब तक पूरा हो जावेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उपमन्त्री, **विद्युत** (श्री चन्दनमल वैद) : समदड़ी में पॉवर हाउस लगाने की तो कोई योजना नहीं है। (क) जोधपुरसे लाइन खींच कर इसके विद्युतिकरण का प्रश्न अवश्य विचाराधीन है। (ख) १९६६—६७ के अन्त तक इस योजना के कार्यान्वित होने की आशा है।

श्री रावतराम (सादूलपुर) : माननीय सदस्य के बिजली कहीं नहीं लगाई ?

श्री चन्दनमल वैद : १९६७ तक बिजली लग जायगी।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : माननीय सदस्य के बिजली कहीं नहीं लगाई जा सकती।

श्री हरिराम धारू : सरकार में मुझे विश्वास है। मेरा काम हो रहा है।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : माननीय सदस्य के एक बल्ब लटका दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मोहरसिंह !

सरदार शहर-बनडाऊ सड़क निर्माण में आई भूमि का मुआवजा

४५१ **श्री मोहरसिंह राठौड़** (चूरू): क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

क्या सरदार शहर से बनडाऊ तक को सड़क के लिये ली गई भूमि का कोई मुआवजा सम्बन्धित किसानों को दिया गया ? यदि हां, तो कब और कितना ? यदि नहीं, तो अब कब तक मुआवजा चुकाया जायगा और उसकी धनराशि क्या होगी ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री हरिश्चन्द्र): जी नही अवार्ड प्राप्त होने पर।

Page No. 14

श्री उपाध्यक्ष : श्री अब्दुल जब्बार खां ।

इन्डस्ट्रियल एस्टेट, अजमेर

४५२. **श्री अब्दुल जब्बार खां** (निम्बाहेड़ा) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) इन्डस्ट्रियल एस्टेट अजमेर ख़ास में कुल कितने शेड्स हैं ?

(२) उनमें से कितने शेड्स एलॉट हो चुके हैं ?

(३) एलाटेड शेड्स में कितनों में मशीनें फिट हैं ?

(४) ऐसे मशीन फिटेड शेड्स कितने हैं जिनमें कार्य चालू हो गया है ?

(५) ऐसे मशीन फिटेड शेड्स कितने हैं जिनमें अभी तक कार्य चालू नहीं हुआ है ?

(६) कार्य चालू न करने का कारण क्या उन्हें कच्चा माल सप्लाई न किया जाना ही है या इसके अलावा कोई और भी कारण हैं ?

उप मन्त्री, उद्योग (श्री चन्दनमल वैद)-
(१) ३० शेड्स हैं ।

(२) २८ शैड्स एलॉट हो चुके हैं ।

(३) २६ शैड्स में मशीनें फिट हैं ।

(४) २५ शैड्स में कार्य चालू हो हो गया है ।

(५) एक में ।

(६) काम चालू न करने के कारण बिजली और कच्चे माल का अभाव है ।

श्री अब्दुलजब्बार : यह इन्डस्ट्रियल एस्टेट कायम किया, आपने बताया कि इतनी मशीनें फिट हो चुकी हैं । तो जब इन्डस्ट्रियल एस्टेट कायम किया है तो कच्चे माल के अभाव को पूरा करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

श्री चन्दन मल वैद : सरकार बराबर भारत सरकार से प्रार्थना करती है कि कच्चे माल का अभाव है वह पूरा करे । चूंकि देश की स्थिति है उसमें उन चीजों का अभाव पूरा नहीं किया जा सकता है ।

श्री अब्दुल जब्बार : क्या यह सही है कि मशीनें फिट करवा दीं सरकार ने लेकिन कच्चे माल के अभाव के कारण वह नहीं चलती हैं तो क्या सरकार किराया वसूल करती है ?

श्री चन्दन मल वैद : जी हां ।

श्री अब्दुल जब्बार : क्या यह उचित समझते हैं ?

श्री चन्दनमल वैद : वह किसी तरह का धन्धा कर सकते हैं और अपनी मशीनें वहां से हटा कर शैड खाली कर सकते हैं ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल जयपुर) : क्या इन्डिस्ट्रियल एस्टेट अजमेर की राज्य सरकार ने डाइरेक्टर आफ स्टेटिसटिक्स एण्ड इकोनामिक्स से कोई सेम्पल सर्वे करवाई है ?

श्री चन्दनमल वैद : यह प्रश्न दूसरा है । यहां मैं सब प्रश्नों की जानकारी लेकर नहीं आया ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि डाइरेक्टर ग्राफ स्टेटिसटिक्स एण्ड इकानामिक्स ने जो रिपोर्ट दी है उसमें कितने कच्चे माल की कमी है, क्या दिक्कतें हैं, किस प्रकार से दुरुपयोग होता है–इन सब बातों का उसमें उल्लेख किया गया है ?

श्री चन्दनमल वैद : मुझे इस समय जानकारी नहीं है । आप अलग से प्रश्न पूछें ।

श्री भैरोंसिंह : जब अजमेर इन्डस्ट्रियल एस्टेट का प्रश्न सामने है तो उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए ।

श्री चन्दनमल वैद : इसका मतलब यह नहीं है कि उसके साथ जो प्राबलम हैं और भी सारी चीजें हैं उनका जवाब मैं दूं ।

श्री भैरोंसिंह : प्राबलम्स का सवाल नहीं है । जिन प्रश्नों को लेकर यह प्रश्न पूछा गया है उससे सम्बन्धित यह प्रश्न है । वैसे इन्डस्ट्रियल एस्टेट की सेम्पल सर्वे कराई गई है, उसकी उपमंत्री महोदय को जानकारी नहीं हो–फिर इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशियेन्सी क्या होगी, यह मालूम हो सकता है ।

श्री चन्दनमल वैद : जो माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा है उसके बारे में पूरी जानकारी है । इसके बारे में सप्लीमेन्ट्री पूछें, मैं जवाब देने को तैयार हूं, इस तरह के प्रश्न का जवाब देने को तैयार नहीं हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : जो प्रश्न पूछा है, शेड्स के बारे में है, उसके अन्तर्गत क्या व्यवस्था है-इसके बारे में पूछा गया है । यह मान्यता मेरी है कि यह जरूरी जानकारी है लेकिन अलग से प्रश्न का जवाब दें यह आवश्यक नहीं ।

श्री भैरोंसिंह : आवश्यकता का प्रश्न नहीं है । मंत्री महोदय एक विशेष सब्जेक्ट के ऊपर जवाब दे रहे हैं तो मैं उनकी जानकारी को टेस्ट करना चाहता हूं । वह भले ही डिटेल्स में न जायं, उसके कन्टेन्ट्स में न जायं । वह यह बता दें, अजमेर के बारे में जवाब दे रहे हैं तो उनको यह जानकारी है कि उसके सम्बन्ध में डाइरेक्टर स्टेटिसटिक्स एण्ड इकानामिक्स ने कोई सेम्पल सर्वे की है ?

श्री रावतराम (सादुलपुर) : आप मास्टर नहीं हैं ।

श्री भैरोंसिंह : मंत्री महोदय बता दें । यदि उप मंत्री को जानकारी नहीं है तो मंत्री जी बता दें ।

उद्योग मंत्री : श्री हरिश्चन्द्र मुझे जानकारी नहीं है ।

श्री चंदनमल वैद : यह क्वेश्चन आवर है । यह बहस का समय नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह : मैं आपको यह जानकारी दे रहा हूं । आपको मालूम है या नहीं कि डाइरेक्टर स्टेटिसटिक्स एण्ड इकानामिक्स के के द्वारा सरकार ने सेम्पल सर्वे कराई है ?

श्री चन्दनमल वैद : आपको क्या मालूम है, क्या नहीं है । मैं इन बातों में नहीं जाना चाहता ।

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत बड़ा गम्भीर मामला है। अजमेर इन्डस्ट्रियल एस्टेट की इस तरह सेम्पल सर्वे हुई-इसके बारे में मंत्रीजी और उप मंत्री जी जवाब दे रहे हैं कि उनको जानकारी नहीं है। जब कि इस एस्टेट की डाइरेक्टर स्टेटिसटिक्स एण्ड इकानामिकस से सेम्पल सर्वे करवाई है, उसने राज्य सरकार को रिपोर्ट दी है और उसकी कमियों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया है।

श्री चन्दनमल बैद : और यह भी दुर्भाग्य पूर्ण है कि माननीय सदस्य इस प्रकार के इल्लीगल प्रश्न पूछते हैं।

श्री भैरोंसिंह : आपकी जानकारी का पर्दाफाश हो गया।

श्री उपाध्यक्ष : Next।

सरदार शहर रावतसर सड़क निर्माण में आई भूमि का मुआवजा

४५३. **श्री मोहरसिंह राठौड़** (चूरू) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) सरदार शहर से रावतसर सड़क का निर्माण कार्य कब शुरू किया गया और उस पर अब तक क्या क्या कार्य हो चुका है तथा कितना कार्य शेष है ?

(२) इस सड़क के निर्माण पर अब तक कितनी धन राशि खर्च की गई है ? इस सड़क की लम्बाई क्या है ?

(३) क्या यह वाहनों के आवागमन के काम आने लायक हो गई है ?

(४) क्या इस सड़क निर्माण हेतु ली गई भूमि का मुआवजा सम्बन्धित किसानों को चुकाया जा चुका है ? यदि नहीं तो क्यों ? अब कब तक चुकाया जावेगा ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री हरिश्चन्द्र) : (१) अकाल राहत कार्य वर्ष १६५४ में तथा स्टेट प्लान कार्य १६६० में आरम्भ हुआ है। सड़क पूर्ण हो चुकी है केवल ५ मील में डामर कार्य प्रगति पर है।

(२) यह सड़क ६७ मील लम्बी है इस पर ३२, ६३, ६६८) रु० जनवरी १६६६ तक व्यय हुआ है।

(३) जी हां।

(४) जी नहीं, प्लान खसरा बनाये जा रहे हैं। अवार्ड प्राप्त होने पर मुआवजा दे दिया जावेगा।

श्री रावतराम (सादूलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, इसमें काफी समय हो गया है।

श्री उपाध्यक्ष : Next।

डी० एम० एन्ड एच० ओ० कार्यालय प्रतापगढ़ का रोगी वाहन

४५४. **श्री हरलाल मीणा** (प्रतापगढ़) : क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि हर जिले में डी० एम० एन्ड एच० ओ० के ऑफिस पर रोगी वाहन होती है ? अगर हां तो क्या प्रतापगढ़ डी० एम० एन्ड एच० ओ० ऑफिस पर यह गाड़ी है ?

(श्री हरलाल मीणा)

(२) क्या यह भी सत्य है कि प्रताप गढ़ डो० एम० एण्ड एच० ओ० ऑफिस की गाड़ी भी एम० ओ० आफिस उदयपुर में पड़ी हुई है और इसका बजट प्रतापगढ़ ऑफिस के बजट में है? यदि हां, तो यह गाड़ी प्रतापगढ़ को क्यों नहीं दी जा रही है?

(३) क्या इस गाड़ी के नाम पर ड्राइवर भी रखा हुआ है और वह वेतन भी उठा रहा है? अगर हां, तो कहां से?

(४) क्या यह सही है कि प्रतापगढ़ का पूरा आदिवासी और पहाड़ी एरिया है? यदि हां, तो क्या इस एरिये के लिए यह गाड़ी जरूरी नहीं है?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (१) जी नहीं, रोगी वाहन जिले के बड़े अस्पताल में होते हैं।

(२) उदयपुर से एक रोगी वाहन प्रताप गढ़ देने के आदेश हो चुके थे परन्तु वह खराब हो जाने के कारण नहीं भेजी जा सकी।

(३) जी नहीं।

(४) जी हां।

श्री रघुनाथ विश्नोई : बड़े अस्पताल से आपका क्या मतलब है?

श्री हरलाल मीणा : प्रतापगढ़ में रोगी-वाहन कब तक भेज दी जावेगी?

श्री दामोदरलाल व्यास : उदयपुर से एक रोगी वाहन प्रताप गढ़ देने के आदेश हो चुके थे। परन्तु वह खराब हो जाने के कारण नहीं पहुंची है। ठीक कराकर भेज दी जावेगी।

एक माननीय सदस्य : यह कब तक ठीक हो जावेगी?

श्री दामोदर लाल व्यास : ठीक कराने की कोशिश की जा रही है।

श्री उपाध्यक्ष : Next.

पंचायत समितियों के अधीन अध्यापकों को सिलेक्शन ग्रेड

४५५. **श्री जगनारायण सालोदिया** (निवाई) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) क्या यह सही है कि पंचायत समितियों के अधीन अध्यापकों को तृतीय श्रेणी की वेतन श्रृंखला के अनुसार सिलेक्शन ग्रेड नहीं मिलता है जब कि इसी स्तर के सभी अध्यापकों को, जो शिक्षा विभाग के अधीन हैं, यह ग्रेड दे दिया गया है? यदि हां, तो यह एक ही तरह की योग्यता वाले अध्यापकों के साथ भेद क्यों किया जाता है?

(२) क्या यह भी सच है कि टोंक जिले के अध्यापकों ने प्रार्थना-पत्र शिक्षा निरीक्षक करौली को ग्रेड देने के लिये लिखा था लेकिन शिक्षा निरीक्षक ने यह लिखा है कि यह ग्रेड पंचायत समितियां ही देंगी? यदि हां, तो इसका फैसला कब तक हो जावेगा कि ग्रेड शिक्षा विभाग देगा या पंचायत समितियां?

पंचायत मन्त्री (श्री दामोदर लाल व्यास) (१) पंचायत समिति सेवा के कर्म-

Page No. 18

(श्री दामोदर लाल व्यास)

चारियों को सिलेक्शन ग्रेड देने का मामला राज्य सरकार के विचराधीन है ।

(२) सिलेक्शन ग्रेड की जिला स्तर पर जिला परिषद द्वारा स्वीकृति दी जावेगी ।

श्री जय नारायण सालोदिया : अध्यापकों का मामला भी इसी में शामिल है ?

श्री दामोदर लाल व्यास : अध्यापकों के लिए ही तो मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ ।

श्री जयनारायण सालोदिया : यह कब तक हो जाएगा ?

श्री दामोदर लाल व्यास : फाइनेन्स डिपार्टमेंट को भेज दिया गया है, वहां से स्वीकृति आते ही आॅर्डर जारी हो जावेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हीराभाई !

प्रश्न संख्या ४५६

(अनुपस्थित:कृपया आगे देखिए)

श्री जोधसिंह !

उदयपुर कॉटन मिल्स के मजदूरों को बोनस

४५७ **श्री जोधसिंह चौहान** (गिरवा) : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) उदयपुर कॉटन मिल्स के मजदूरों को क्या नियमानुसार बोनस दिया जा रहा है ?

(२) गत पांच वर्षों में उदयपुर कॉटन मिल्स को कितना लाभ हुआ है और किस हिसाब से कितना चुकाया जाना चाहिए था ?

श्रम मंत्री (श्री भीखाभाई) : (१) जी हां ।

(२) उदयपुर कॉटन मिल्स उदयपुर स्वदेशी कॉटन मिल्स कानपुर की शाखा होने के कारण उनकी पृथक बेलेन्स शीट नहीं बनाई गई है । ऐसी परिस्थिति में उक्त मिल को कितना लाभ हुआ, बताना कठिन है ।

बोनस १९६३ व १९६४ वर्षों में दिया गया है जो मूल वेतन पर ५.२४ व पूर्ण वेतन पर १२॥ % पर्सेन्ट के हिसाब से आता है तथा जिसका ८०,००० व ९५,००० रु० का चुकारा हुआ है । सन् १९६३ में ५५५ तथा १९५४ में ५७५ मजदूरों को इसमें लाभ हुआ है । उन्हें वितरण दिनांक २५.२.६४ एवं ८.४.६५ को किया गया ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, एक बार फिर उत्तर रिपीट करवाया जावे, कुछ समझ में नही आया ।

योजना मंत्री (श्री मथुरादास माथुर) : कुछ जरूरत नहीं है समझने की ।

उप-मंत्री, उद्योग (श्री चन्दन मल वेद): ये सबके प्रिय हैं ।

श्री भैरोंसिह : आपके भी प्रिय हैं और मुझे भी प्रिय हैं ।

श्री भैरोंसिह : आपने बोनस जिस बेसिस पर कन्ट्रीब्यूट किया है, उससे आपको मालूम होगा कि उनको कितना फायदा हुआ है ।

श्री भीखाभाई : बोनस मजदूर और मालिकों के एग्रीमेंट के आधार पर दिया

(श्री भीखाभाई)

गया है उसमें न आप कह सकते हैं और न मैं कह सकता हूं ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि पिछले चार वर्षों में उन्होंने प्रॉफिट एण्ड लॉस अकाउन्ट्स मेन्टेन नहीं किये हैं ?

श्री भीखाभाई : अगर कोई डिस्ट्रीब्यूशन की बात मजदूरों की तरफ से आती तो सरकार को कोई दिक्कत नहीं होगी । मगर जो बोनस बांटा गया है..........

श्री भैरोंसिंह : आपने मेरे प्रश्न को नहीं समझा है ।

श्री भीखाभाई : आप क्या चाहते हैं ?

श्री भैरोंसिंह : मैं यह पूछना चाहता हूं कि पिछले ४ वर्षों में, प्रॉफिट एन्ड लोस अकान्ट में बेलेन्स शीट ड्रॉ नहीं की गई ?

श्री भीखाभाई : मैंने कहा कि उदयपुर कॉटन मिल्स, उदयपुर स्वदेशी कॉटन मिल्स कानपुर से जुड़ी हुई है, इसलिये बेलेन्स शीट अलग नहीं है । यह दोनों के बेलेन्स शीट के आधार पर किया गया है, अलग अलग नहीं । कानूनन बोनस देने के लिए लाजमी नहीं है क्योंकि बोनस एक्ट की धारा में स्पष्ट लिखा हुआ है कि यह जरूरी नहीं है । बाकी कोई बात हो तो माननीय सदस्य मुझे बतावें, उसके बारे में जाँच कराई जा सकती हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : Next.

सिगाणे-बलावा सड़क

४५८, **श्री जयनारायण सोलोदिया** निवाई : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या सरकार का सिगाणे से बलावा पंजाब वाया बड़ी पचेरी होकर पक्की सड़क बनाने का विचार है ? यदि हां, तो कब तक ?

(२) क्या यह सच है कि पंजाब सरकार ने अपने क्षेत्र का हिस्सा बनवा दिया है ? यदि हां, तो राजस्थान क्यों नहीं बना रहा है ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र) : (१) सड़क कार्य छोटी पचेरी होकर चालू है ।

(२) जी हां । कार्य प्रगति पर है ।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे तीन कटौती प्रस्ताव हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : अभी प्रश्न चल रहे हैं ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, ४३६ प्रश्न का उत्तर दिलवा दिया जाये ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री चन्द्रसिंह !

अवसायन में आई सहकारी समितियों में बकाया ऋण,

जिला जोधपुर

४३६. **श्री चन्द्रसिंह बर्फा** (बिलाड़ा) : क्या सहकारी मन्त्री यह बताने की कृपा करें । :—

Page No. 20

श्री चन्द्रसिंह बर्फा)

(१) जोधपुर जिले में सभी प्रकार की कुल कितनी सहकारी समितियां हैं ?

(२) इनमें से कितनी सहकारी समितियां अवसायन (लिक्वीडेशन) में कब कब आई ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(३) अवसायन (लिक्वीडेशन) से आई समितियों में अवसायन की तारीख को कितना ऋण बकाया था और आज कितना ऋण बाकी है ?

(४) ऐसा बकाया ऋण कब तक वसूल हो जायेगा ?

(५) इस प्रकार एक्ट में निश्चित अवधि होते हुए भी ऋण की वसूली में विलम्ब क्यों हुआ ? इसका दायित्व किस पर है ?

(६) क्या इस प्रकार की शिथिलता बैंक के अवधि-पार ऋण की वृद्धि में सहायक नहीं है ? यदि हां, तो इसके लिये क्या उपाय प्रयोग में लिये जा रहे हैं ?

उप मन्त्री सहकारिता (श्री भीमसिंह) : (१) जोधपुर जिले में सभी प्रकार की कुल १०६८ सहकारी समितियां हैं।

(२) इनमें से ६५ सहकारी समितियां अवसायन में हैं। सूची परिशिष्ट 'क' सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(३) अवसायन के समय इन समितियों में ७०३४७)रु० बाकी थे और अब ४९६८२)२७ पैसे हैं।

(४) बकाया वसूली के प्रयास किये जा रहे हैं और अवसायन की अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत होने से पूर्व सम्पूर्ण वसूली कर ली जायेगी। ये मामले तहसील में जेर तजवीज हैं।

(५) ऋण वसूली के लिये एक्ट में कोई निश्चित अवधि नहीं है। इसलिये दायित्व किसी पर नहीं है। यदि दायित्व है तो जिस व्यक्ती ने ऋण नहीं चुकाया उसका दायित्व उस पर अवश्य है।

(६) समितियों से समय पर ऋण वसूल नहीं होने पर भी ऋण अवधि-पार हो जाये। बैंक द्वारा स्वीकार किये गये ऋण की वसूली का दायित्व स्वयं बैंक का है। इसलिये बैंक को प्रयास करने चाहिये। बैंक द्वारा समय पर ऋण वसूल हो जाय इसके लिये बैंक में एक एक्जीक्यूटिव आफिसर, २ लोन इन्सपेक्टर, सहायक निरीक्षक भी बैंक को ऋण वसूली में सहायता देने के लिये रखे हुए हैं तथा अब ऋण की वसूली के लिये २ निरीक्षक रेकार्ड भी गत १ वर्ष से जिले में लगे हुए हैं।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : जो सहकारी समितियां लिक्विडेशन में जाती है उनकी संख्या कितनी है और जो असेंट्स हैं उससे आपकी बकाया वसूल हो जावेगी ?

श्री भीमसिंह : अगर इसके आंकड़े मांगे जाते तो अलग से देता मगर मांगे नहीं गये। फिर भी मैं बता सकता हूं कि जो आंकड़े मैंने दिये हैं उससे यह स्पष्ट है कि पहले ७० हजार की रकम बकाया थी और अब ४९

Page No. 21

(श्री भीमसिंह)

हजार रही है। इससे तो स्पष्ट है कि इतनी वसूली तो हुई है। और जो रही है उसको भी हम पर्स्यू कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : Next, श्री सतीशचंद्र !

तृतीय पंचवर्षीय योजना के चतुर्थ वर्ष में पंचायत समितियों द्वारा खर्च न होने वाली धनराशि

४३७. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) तृतीय पंच वर्षीय योजना के चौथे वर्ष में कितना रुपया इस विभाग का बिना खर्च हुए रह गया और उसके मूल क्या कारण हैं ?

(२) क्या यह सही है कि पंचायत एवं विकास विभाग के मूल्यांकन संगठन द्वारा इस सम्बन्ध में सर्वेक्षण किया गया जिससे यह पाया गया कि लगभग ५० करोड़ रुपया इस वर्ष खर्च नहीं हो सका ?

(३) क्या उक्त अध्ययन रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि इस स्थिति की जिम्मेदारी मुख्यतः विकास अधिकारियों की है तथा पंचायत समितियों को दी जानेवाली धनराशि की शीघ्र सूचना न दिया जाना भी एक कारण है ?

(४) राज्य सरकार ने इस स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या विशेष कदम उठाये हैं ?

पंचायत मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (१) विभाग के कुल तीन करोड़ चौबीस लाख के बजट में से करीब ६ लाख रुपया खर्च नहीं हुआ। मूल कारण ऋण की रकम पंचायत समितियों द्वारा समय पर नहीं उठाने का है।

(२) जी नहीं।

(३) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

(४) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या ३ करोड़ रुपये का ही था, पंचायत समितियों का प्रावधान ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने अर्ज किया न कि कुल सीमा २८६.८० थी, उसमें से २७३.० खर्च किया ५.८० माइनस रह गया। पब्लिक कोऑपरेशन पर ७३ था ६६ खर्च हुआ और माइनस .०४ रहा माइनस, ग्राम सेवकों पर ७६६० खर्चा हुआ .१० माइनस रहा। इस तरह से कुल ५ लाख ६३ हजार रुपया माइनस रहा बाकी रकम पूरी खर्च कर दी गई।

गांव लखावली (त. गिरवा) के चरणोट की भूमि को जंगलात की सीमा से छुड़ाना

४४२. **श्री जोधसिंह चौहान** (गिरवा) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि गिरवा तहसील में लखावली गांव के पास एक नई जंगलात की पैमाइश की गई है और उसमें ग्रामवासियों के चरणोट की भूमि भी रिजर्व

(श्री जोधसिंह चौहान)

फोरेस्ट में ले ली गई है और उसके चारों ओर दीवार भी बना दी गई है ?

(२) क्या यह सही है कि मेवाड़ सरकार के समय में यह चरणोट की भूमि (लखावली गांव की) रिजर्व फोरेस्ट की सीमाओं से छूटी हुई थी, और जंगलात की सीमा रेखा पर्वत के बहुत ऊपर थी ?

(३) क्या उपयुक्त कार्य के लिए लखावली निवासियों ने सरकार से कुछ निवेदन किया है ? यदि हां, तो सरकार ने उस चरणोट की भूमि को छुड़ने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

(४) क्या सरकार अब भी जांच कराकर ग्रामवासियों की चरणोट की भूमि जो जंगलात में ले ली गई है, छुड़ाने का प्रबन्ध करेगी ?

उपमंत्री, वन (श्री रामप्रसाद लड्ढा) :

(१) जी नहीं।

(२) जी नहीं।

(३) जी नहीं, चरणोट की भूमि छोड़ने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(४) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

श्री जोधसिंह चौहान : उपाध्यक्ष महोदय, सरकार के पास सही सूचना नहीं पहुंची है, इस प्रकार का उत्तर देना उचित नहीं है। जंगलात में किसान को मकानों के पास से जाकर मीनारें गाड़ दी हैं, उनके मवेशी को पकड़ कर जंगलात वाले ले जाते हैं और आप कहते हैं कि जी नहीं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : प्रश्न तो यह था कि जो रिजर्व्ड फोरेस्ट है जिसकी सीमाएं सन् १९४८ से चली आ रही हैं उसमें क्या हमने कोई तब्दीली की है और चरणोट के एरिया को उसमें मिलाकर चार-दीवारी बना दी है ? मैंने जवाब दिया कि १९४८ से जो फोरेस्ट का एरिया चला आ रहा था वह ही है। १९४८ के बाद अब तक कोई नया एरिया उसमें नहीं मिलाया है। चार-दीवारी बनाने की बात की जाती है तो उस रिजर्व्ड एरिया की ४०० एकड़ जमीन पर ही चार-दीवारी बनाई गई है। वह डिग्रेडेड फोरेस्ट है इसलिए चार-दीवारी बनाई है। दो-तीन स्क्वायर माइल का लम्बा फोरेस्ट एरिया है और चार-दीवारी बनाई गई है वह केवल ४०० एकड़ पर बनाई गई है। तो इससे किसी को कोई न तो नुकसान है और न किसी के हकों के ऊपर कुठारघात किया गया है।

श्री जोधसिंह चौहान : मौके पर मैंने जाकर देखा है कि वहाँ फोरेस्ट की सीमा बढ़ाई गई है, अधिकारियों से बातचीत की गई, कोई सुनवाई नहीं करता। सरकार को चाहिये कि इसकी पूरी तरह से जाँच कराये। जो सूचना आपके पास आई है वह सही नहीं है।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : क्या यह सही है कि इस फोरेस्ट पर चार-दीवारी करने से पहले उस हिस्से में गांव के मवेशी चरने के लिये जाया करते थे, वहां अब चार-दीवारी बनने से मवेशियों की चराई की समस्या पैदा हो गई है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह फोरेस्ट बहुत लम्बा चौड़ा है केवल ४०० एकड़ भूमि

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

पर जो चार दीवारी बनाई गई है वह ग्राम को डवलप करने के लिए बनाई गई है। मवेशियों के चरने के हकूक का जहां तक सवाल है, वह एक पर्टीक्यूलर पीरियड के लिये बन्द किया गया है, घास जब बड़ी हो जाती है तो कटिंग के बाद बाकी घास मवेशियों के चरने के काम में आती है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : ४०० एकड़ में जो चार-दीवारी बनाई गई है उसके बनाने के बाद वहाँ चराई की समस्या पैदा हुई की नहीं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैं यह कहता हूं कि समस्या पैदा होने का प्रश्न नहीं। बहुत लम्बा चौड़ा फोरेस्ट है; चार सौ एकड़ पर ही चार-दीवारी बनाई गई है, उसमें भी पर्टीक्यूलर पीरियड में चरने नही दिया जाता है, घास के कटिंग के बाद चरने हैं।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : ४०० एकड़ पर जो दीवार बनाई गई है वह गांव की तरफ है, अच्छा यह होता कि गांव से दूर रखते।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जो खराब फोरेस्ट है उन्हीं को डवलप करने की कोशिश करने हैं। गांव के नजदीक या दूर कौनसा हिस्सा लिया जाय इसमें हमारी इच्छाएं उसी सीमा तक काम करती हैं कि डिग्रेडेड फोरेस्ट को किस तरह से डवलप किया जा सकता है। जहां का डिग्रेडेड फोरेस्ट है, उसी को तो डवलप करना है।

श्री विजयसिंह झाला : गांव के नजदीक जो चार-दीवारी बना कर जंगल सुरक्षित किया गया है उससे कहीं अच्छा जंगल गांव से दूर निकल सकता था।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : ऐसी बात नहीं है।

श्री विजयसिंह झाला : बिलकुल सही है। ४०० एकड़ से भी ज्यादा और अच्छा जंगल गांव से दूर मिल सकता था। चार दीवारी का यह निर्णय लेते समय गांव वालों की सुविधाओं का कोई ख्याल नहीं रखा गया है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : गांव वालों की सुविधा को ध्यान में रखा है। गांव वालों को इससे कोई असुविधा नहीं है, इतना बड़ा जंगल है बाकी जंगल में गांव वालों के मवेशी चरते हैं। इस चार सौ एकड़ में भी लिमिटेड पीरियड के लिये ही असर पड़ता है- वह भी अच्छा घास पैदा करने के लिए किया गया है। घास की कटाई के बाद में वहां मवेशी चराते हैं।

श्री जोधसिंह चौहान : क्या मेवाड़ सरकार के समय में जितना एरिया छुटा हुआ था वह अब भी छूटा हुआ है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मेवाड़ सरकार के समय में जो एरिया था उसमें कोई तब्दीली नहीं की गई है। मेवाड़ सरकार के वक्त में जो इसकी सीमाएं थीं वह बरकरार कायम हैं। आपको वहम है कि दीवार उस समय नहीं थी, वह दीवार फोरेस्ट में जो एरिया नहीं था उस पर लगाई है, पर यह सही नहीं है। उसी फोरेस्ट एरिया में दीवार लगाई है जो १९४८ से चला आ रहा था।

श्री कृष्णकुमार गोयल : जो ग्रामवासियों को पहले अधिकार थे, घास काट

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

कर लाने के हैड-लोड लाने के, क्या यह चारदीवारी बनाने से उनके उन अधिकारों को नहीं छीना गया है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने निवेदन किया कि केवल चराई निषिद्ध है, बाकी के अधिकारों पर कुठाराघात होने का सवाल नहीं है, जो उनको हक हैं उन पर कोई कुठाराघात इससे नहीं होता। सिर्फ मवेशियों की चराई बन्द है। वह भी पर्टीक्यूलर पीरियड के लिये।

श्री जोधसिंह चौहान : क्या घास बड़ी होने पर उस गांव के रहने वालों को घास फ्री आफ चार्ज देंगे ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह हमारी नीति है उसी के अनुसार तय करते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री विजयपाल कटारा।

(अनुपस्थित)

श्री उमरावसिंह ढाबरिया !

(अनुपस्थित)

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या ४४७ का जवाब दिलाया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : ऑथोरिटी नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : बिना आथोरिटी के भी कभी कभी आज्ञा दे दी जाती है, आपके तो विशाल अधिकार हैं।

श्री उपाध्यक्ष : अभी बहुत प्रश्न है, बाद में देखा जायगा।

(विराम)

श्री मथुरेशबिहारी माथुर !

(अनुपस्थित)

श्री हीराभाई !

(अनुपस्थित)

श्री भैरोंसिंह : प्रश्न संख्या ४४७।

(अल्प विराम अनन्तर)

श्री श्रम मंत्री जी !

श्रम विभाग में रिक्त स्थानों की पूर्ति

श्री **उमरावसिंह ढाबरिया** (बनेड़ा) : (श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) द्वारा पूछा गया) : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) सरकार के आदेश दिनांक २८-१०-६३ के तहत कौन कौन सी एवं कितनी पोस्ट्स को श्रम विभाग में स्थाई रूप में परिवर्तित किया गया है और उसके पश्चात् इन पोस्टों को भरने हेतु श्रम विभाग द्वारा आज तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि अभी तक कोई कार्यवाही पूर्ण नहीं हो पाई तो इस कारण से कर्मचारियों को होने वाली हानि के लिये कौन जिम्मेदार है और क्या ऐसे अधिकारी के विरुद्ध राज्य सरकार कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

(२) क्या उक्त आदेश के अन्तर्गत वरिष्ट लेखकों की कोई भी पोस्ट स्थाई

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

नहीं की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ? और अब इस संबंध में सरकार की क्या कार्यवाही करने की मन्शा है ?

वन मंत्री (श्री भीखाभाई): १. सरकार के आदेश दिनांक २८-१०-६३ के तहत निम्नलिखित पदों को श्रम विभाग में स्थाई रूप में परिवर्तित किया गया है :—

नाम पद	पदों की संख्या
१. श्रम कल्याण निरीक्षक	७
२. कम्पाउन्डर्स	२
३. मिड्वाइब्स	१
४. स्टेनोग्राफर्स ग्रेड ।।	१
५. अकाउन्ट्स क्लर्क	२
६. गेम्स सुपरवाइजर्स	४
७. लेडी सुपरवाइजर्स	४
८. एडल्ट एज्युकेशन टीचर्स	७
९. लेडी टेलर्स	५
१०. लोअर डिविजन क्लर्क्स	११
११. क्लास ४ सर्वेन्ट्स	२२
१२. चौकीदार	४
१३. लेडी पियोन्स	५
१४. वाटरमैन	४
१५. स्वीपर्स	५
१६. लेबर इन्स्पेक्टर	१

उपरोक्त पदों के स्थायीकरण की स्थिति इस प्रकार है :—

(१) जन कल्याण निरीक्षक के पदों पर राजस्थान लोक सेवा आयोग की सिफारिशों के अनुसार प्रोबेशन पर नियुक्तियां की जा चुकी हैं। प्रोबेशन की अवधि समाप्त होने पर रूल्स के अनुसार इनका स्थायीकरण कर दिया जायेगा।

(२) मिड्वाइब्स - इन पदों पर नियुक्तियां स्थायी होना शेष है क्योंकि इन पर स्वास्थ्य विभाग के नियम लागू होते हैं जो अभी तक सरकार से स्वीकृत नहीं हुए हैं।

(४) स्टेनोग्राफर्स—यह पद स्थाई रूप से भरा जा चुका है।

(५) एकाउंट्स क्लर्क—स्थाई नियुक्तियां होना शेष है क्योंकि विभागीय परीक्षा लेने का मामला अभी तक सरकार के विचाराधीन है।

(६) गेम्स सुपरवाइजर्स—स्थाई नियुक्तियां हो चुकी हैं।

(७) लेडी सुपरवाइजर्स—स्थाई नियुक्तियां हो चुकी हैं।

(८) प्रौढ़ शिक्षक—स्थाई नियुक्तियां शीघ्र की जा रही हैं।

(९) लेडी टेलर्स—स्थाई नियुक्तियां शीघ्र की जा रही हैं।

(१०) कनिष्ठ लिपिक—सभी पदों पर स्थाई नियुक्तियां की जा चुकी हैं।

(११) चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी—सभी पदों पर स्थाई नियुक्तियां की जा चुकी हैं।

(१२) चौकीदार—सभी पदों पर स्थाई नियुक्तियां की जा चुकी हैं।

(श्री भीखाभाई)

(१३) लेडी पियोन्स--सभी पदों पर स्थाई नियुक्तियां की जा चुकी हैं।

(१४) वाटरमैन--सभी पदों पर स्थाई नियुक्तियां की जा चुकी हैं।

(१५) श्रम निरीक्षक--श्रम निरीक्षक की प्रोमोशन पर नियुक्ति की जा चुकी है। अवधि समाप्त होने पर स्थाई हो जायेंगे। पदों पर स्थाई नियुक्तियां न होने का मुख्य कारण विभागीय परीक्षा का न होना है। सरकार अभी तक विभागीय परीक्षा का जो राज्यस्तर पर होने को है पर विचार कर रही है शेष कारण ये हैं कि कुछ कर्मचारियों का सर्विस रिकार्ड उपलब्ध नहीं है। स्थाईकरण की कार्यवाही प्रगति पर है :

२. वरिष्ठ लेखकों को कोई पद उक्त आदेश के अन्तर्गत स्थाई नहीं किया गया। अब सरकार ने उस पद को २८-१०-६३ से स्थाई करने की आज्ञा जारी कर दी है।

श्री भैरोंसिंह : जो पद अभी तक स्थाई नहीं किए गए हैं उनको स्थाई बनाने के संबंध में सरकार ने नियम बनाए हैं ?

श्री भीखाभाई : मैंने पढ़ कर सुनाया कि जहां पर नियम हैं वहां नियमों के अनुसार स्थाई किए जाते हैं। जितनी विस्तृत जानकारी मैंने दी है यह शायद किसी ने नहीं दी होगी।

श्री भैरोंसिंह : मैं जो बात पूछ रहा हूं वह आपके उत्तर में नहीं है।

श्री भीखाभाई : जहां पर नियम बने हुए हैं वहां उसके अनुसार पद स्थाई हो चुके हैं।

श्री भैरोंसिंह : मैं बात पूछ रहा हूं कलकत्ता की, आप बता रहे हैं अजमेर की। आपने जिन पदों को स्थाई किया है, उन पर स्थाई नियुक्ति कैसे की जाय आपने कोई नियम बनाए हैं ?

श्री भीखाभाई : जो कुछ मैंने पढ़कर सुनाया उसके अंतर्गत ही तो है।

श्री भैरोंसिंह : नियम बनाए या नहीं ?

श्री भीखाभाई : आप यह कहना चाहते हैं कि नियम नहीं बनाए हैं, अगर ऐसी बात है तो मैं जानकारी करूंगा।

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, क्या पूछूं ? आपके द्वारा इनसे पूछना चाहता हूं कि सरकार ने पदों को स्थाई बनाने के साथ साथ उन कर्मचारियों को कैसे स्थाई बनाया जायगा, इस सम्बन्ध में नियम बनाए हैं या नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष : वह बता रहे हैं न कि उन्होंने अपने उत्तर में कह दिया है नियमों के अनुसार ही वहाँ काम हो रहा है।

श्री भैरोंसिंह : यह नहीं है। उन्होंने अभी तक हां नहीं भरी है कि नियम बने हुए हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और मैं जानना चाहूंगा मन्त्री महोदय, से कि पदों को स्थाई करने के सम्बन्ध में सरकार ने कोई नियम बनाये या नहीं ?

श्री भीखाभाई : आप खुद इम्पार्टेंट हैं, आपको लैस इम्पोर्टेंट कैसे कहूं। आप

Page No. 27

(श्री भीखाभाई)

होश्यार आदमी हैं। हरेक सर्विस के अलग अलग नियम बनते हैं। स्टेट सर्विस के, सबोर्डीनेट सर्विस के, मिनिस्ट्रीयल सर्विसेज के, और क्लास फोर सर्विसेज के आखिर में अलग अलग बनाने का कारण होता है। अगर नहीं बने हैं तो बनाएंगे।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि अभी तक राजस्थान सबोर्डिनेट रूल्स और फोर्थ क्लास सर्विसेज के रूल्स हैं नहीं? इन सब बातों के उपरांत भी विभाग ने डिपार्टमेंटल रूल्स नहीं बनाए?

श्री भीखाभाई : मैं यह नहीं कह रहा हूं। जहां सर्विसेज रूल्स बने हुए हैं, वहां पर अलग अलग कैटेगरीज होती हैं और उनका नियमों के अनुसार स्थाईकरण होता है लेकिन जहां पर सर्विस रूल्स नहीं होते हैं वहां राजस्थान के रूल्स एप्लाई किये जाते हैं। हमारे पास रूल्स बने हुए हैं और क्योंकि १०-१५ कैटेगरीज हैं अगर मुझे पहले पता होता कि आप यह सवाल पूछेंगे तो मैं सारी इन्फार्मेशन ले आता। मैंने इतनी जानकारी दे दी वह पर्याप्त होनी चाहिये।

श्री भैरोंसिंह : इसका मतलब यह हुआ कि आपने जो पहले कहा कि डिपार्टमेंटल रूल्स नहीं बने हुए हैं वह सही नहीं है, वास्तव में डिपार्टमेंटल रूल्स बन गए हैं?

श्री भीखाभाई : मैंने आपसे कहा कि कैटेगरीज डिफरेंट हैं। उसमें कितनों में रूल्स बनें हैं कितनों में नहीं बनकर जनरल रूल्स से एप्लाई करते हैं। उसके बाद भी जो मेरे पास जानकारी है वह मैंने आपको दे दी। अलग अलग सर्विसेज के भिन्न भिन्न रूल्स हैं जिनके अनुसार कर्मचारियों को स्थाई किया जाता है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि जिन कर्मचारियों का इस प्रश्न से सम्बन्ध है उनकी स्थाई नियुक्ति डिपार्टमेंटल रूल्स के अंतर्गत ही की गई है?

श्री भीखाभाई : सारी जानकारी मेरे पास नहीं है। अगर चाहेंगे तो मैं बाद में दे सकता हूं लेकिन जितनी जानकारी उपलब्ध थी, मैंने बता दी। अब तो माननीय सदस्य को संतोष हो जाना चाहिये।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि जिन लोगों को आपने स्थाई बना लिया है उनको भी डिपार्टमेंटल इग्जामिनेशन में बैठना पड़ेगा?

श्री भीखाभाई : माननीय सदस्य किसी खास बात को जानते हैं जिसको मैं नहीं जानता, वह किसी विशेष व्यक्ति के बारे में कहना चाहते हैं इसलिये मैं आफ हैंड नहीं जवाब दे सकता। आप किस में इंट्रेस्टेड हैं, आप बता दें, मैं जरूर जवाब दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

तहसील कुशलगढ़ की वन श्रमिक ठेका सहकारी समितियों को बांस को कूप का ठेका

४३४ **श्री हीराभाई** (कुशलगढ़) : क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री हीराभाई)

(१) तहसील कुशलगढ़ क्षेत्र की किस किस वन श्रमिक ठेका सहकारी समिति को वर्ष १६-६५ में किस किस बांस के कूप का ठेका दिया गया है ?

(२) क्या यह सही है कि वन श्रमिक ठेका सहकारी समिति नसूली को इस वर्ष बांस के कूप का ठेका नहीं दिया गया है यद्यपि यह १६५८ से कार्य कर रही है और यह आदिवासियों की समिति है और इसका कार्य भी अच्छा रहा है ? यदि हां, तो क्यों और अब इसे कब तक ठेका मिल जाएगा ?

उत्तर

(१) तहसील कुशलगढ़ में निम्नलिखित वन श्रमिक ठेका सहकारी समितियों को १६६५-६६ में उनके सामने अंकित बांस के कूपों के ठेके दिये गये हैं :

नाम समिति	नाम कूप
१-वन श्रमिक सहकारी समिति कुशलगढ़ ।	कोटड़ी बगामवा नं० ऐ व बी १ से ६
(२)-वन श्रमिक सहकारी समिति ताबेंसरा	कोठारिया बांस कूप १ से ६

(२) जी हां, इस समिति का कार्य अच्छा नहीं रहा है सन् १६६१-६२ में इस सोसायटी पर १०७५) रु० और १६६३-६४ में ६५० रु. दण्ड के हुये थे । सन् ६४-६५ में जो कूप एलॉट किया गया उसमें इस समिति ने कार्य नहीं किया । इस वर्ष नये नियमों के अनुसार समितियों को ठेके राजस्थान वन श्रमिक सहकारी संघ जयपुर की सिफारिश पर दिये जाते हैं । इस समिति ने नियमानुसार ठेका लेने के लिए प्रस्ताव नहीं भेजा है । नियमानुसार प्रस्ताव आने पर और राजस्थान वन श्रमिक सहकारी संघ के सिफारिश करने पर विचार किया जाएगा ।

डूंगरपुर से गलियाकोट चलने वाली बसों की जांच

४४३. श्री **विजयपाल कटारा** (डूंगरपुर सु.) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) क्या यह सच है कि डूंगरपुर से गलियाकोट वाया सागवाडा रूट पर बस नं० आर० जे० वाई० १२०६, आर० जे० वाई० १४५० व आर० जे० एल० ६६८७ चल रही हैं ? यदि हां, तो क्या ये बसें जिला परमिट से ही चल रही हैं ? यदि हां, तो कब से व कौन सी तारीख से जिला परमिट दिया गया है ?

(२) क्या यह भी सच है कि इन बसों के साथ टोकन रजिस्ट्री, फिटनेस व बीमा पोलिसी नहीं है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या ये लम्बे अर्से से इसी प्रकार से चल रही हैं ? यदि हां, तो क्या आर० टी० ओ० के इंस्पेक्टर डूंगरपुर ने कभी जांच करने का प्रयास किया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(१) डूंगरपुर से गलियाकोट वाया सागवाडा रूट पर बस नं० आर० जे० वाई० १२०६ आर० टी० ए० के परमानेन्ट परमिट न० ३११ जिसकी अवधि ३०-६-६६ तक की है, से चल रही है । बस नं० आर० जे० वाई० १४५० इस मार्ग की गाड़ी नहीं है । इस गाड़ी को आर० टी० ए० से परमानेन्ट परमिट नं० ८७ दिनांक ३१-११-६७ तक का डूंगरपुर गलियाकोट वाया ओबरी मार्ग का दिया हुआ है । बस सं०

(श्री विजयपाल कटारा)

आर० जे० एल० ६६८७ उपरोक्त मार्ग की गाड़ी नहीं है। यह गाड़ी केवल ३ माह के ही रिप्लेसमेन्ट पर बस नं० आर० जे० वाई० १४३७ के जो इसी मार्ग पर चलती थी बजाय आर० टी० ए० की स्वीकृति से दिनांक ११–८–६५ से १५–१०–६५ तक चली है। तथा बस नं० आर० जे० वाई० १२०६ का एक्सीडेन्ट हो जाने से यह बस बिना परमिट से दिनांक ३०–११–६५ से ६-१२-६५ तक चली है।

(२) यह सच नहीं है।

सोप स्टोन जे. एम. डी. एस. उदयपुर के मजदूरों को बोनस

४४६. श्री मथुरेशबिहारी माथुर (बांदीकुई) क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) क्या दौसा में स्थित सोप स्टोन जे० एम० डी० एस० व खानों पर काम करने वाले मजदूरों को व कर्मचारियों को १९६४ का बोनस निर्धारित करके दे दिया गया है? यदि नहीं, तो उनके क्या कारण हैं?

(२) सोप स्टोन जे० एम० डी० एस० में १९६४ के वर्ष में कितना लाभ हुआ?

उत्तर

(१) जी नहीं। कम्पनी की ओर से बने अपने बैलेंस शीट के आधार पर १७ प्रतिशत वार्षिक वेतन पर बोनस घोषित किया गया था जिसे श्रमिकों ने लेना स्वीकार नहीं किया है श्रमिकों की मांग ३ माह के वेतन के बराबर बोनस की हैं।

(२) कम्पनी ने अपनी आडिटेड बेलेन्स शीट में २,७६,६०८ तथा ०३ पैसे का प्रोफिट दिखाया है।

श्रमिक ठेका सहकारी समिति कुशलगढ़ को भवन निर्माण के ठेके

४५३. श्री हीराभाई (कुशलगढ़): क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

क्या यह सही है कि श्रमिक ठेका सहकारी समिति कुशलगढ़ को सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा सड़क और मुन्सिफ, एस. डी. ओ. व डी. वाई. एस. पी. कार्यालयों के भवन निर्माण का ठेका दिया गया था वह कार्य यद्यपि १९६३–६४ में ही पूरा हो गया है उसका भुगतान अभी तक सहकारी समिति को नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(१) यह सही नहीं है कि श्रमिक ठेका सहकारी समिति कुशलगढ को इस नाम के कोई कार्य का ठेका दिया गया है अत: भुगतान का प्रश्न ही नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

न्याय पंचायतों को धनराशि

८८. श्री अब्दुल जब्बार खां (निम्बाहेड़ा) क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

निम्बाहेड़ा पंचायत समिति क्षेत्र में कुल कितनी धनराशि न्याय पंचायतों को हर वर्ष आय के रूप में मिलती है तथा अनुदान के रूप कितनी?

उत्तर

(१) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने से विधानसभा पुस्तकालय में रखी गई)

झुंझुनू जिले के ग्रामों को उद्योग व कृषि कार्य हेतु बिजली

८६. **श्रीमती सुमित्रा** (झुंझुनू) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) झुंझुनू जिले में उद्योग व कृषि उत्पादन के लिए किन किन गांवों में बिजली दी गई ?

(२) इन बिजली प्राप्त गांवों में कितने कितने किसान अपने कुओं पर बिजली से सिंचाई का लाभ प्राप्त कर रहे हैं ? और कितने उनके प्रार्थना पत्र बिजली के लिये विचाराधीन हैं ?

(३) कितने व्यक्ति उद्योगों के लिए बिजली का उपयोग कर रहे हैं ? तथा कितने व्यक्ति घरेलू उपयोग के लिए बिजली का लाभ ले रहे हैं ?

उत्तर

(१) ८४ गांवों में बिजली दी गई है, जिनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) २१६ किसान लाभ उठा रहे हैं। ४६६ आवेदन पत्र विचाराधीन हैं।

(३) १८५ व्यक्ति उद्योगों के लिए और २१५८ व्यक्ति घरेलू कार्यों के लिए बिजली का लाभ ले रहे हैं।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

समदडी-करमावास के बीच लूनी नदी पर रपट निर्माण कार्य

६०. **श्री हरिराम धारू** (सिवाना-सु.) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) क्या यह सही है कि समदडी जो एक बड़ी मंडी है, के आस पास के गांव के लोग ऊंट और बैलगाड़ी से सामान इस मंडी में लाते हैं तो समदडी और करमावास के बीच पड़ने वाली लूनी नदी पर रपट नहीं होने से उन्हें बड़ी असुविधा रहती है ?

(२) क्या सरकार इस क्षेत्र के लोगों की असुविधा को ध्यान में रख कर उक्त जगह पर रपट बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो यह कार्य कब तक सम्पन्न हो जावेगा ?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) यह कार्य योजना में स्वीकृत नहीं है।

पादरू-हिन्दरी कच्ची सड़क

श्री हरिराम धारू : (सिवाना सु.) क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(श्री हरिराम धारू)

(१) क्या यह सही है कि अकाल राहत कार्य में पादरू गांव (तहसील सिवाना) से मिन्दरी तक कच्ची सड़क बनाई गई थी ?

(२) इस सड़क को अब कब तक डामर रोड बना दी जावेगी ?

उत्तर

(१) पादरू से मिन्दरी तक अकाल राहत कार्य इस विभाग द्वारा नहीं कराया गया।

(२) यह कार्य योजना में स्वीकृत नहीं है।

इन्दरगढ में डाक्टर की नियुक्ति

६२. श्री **हरिप्रसाद शर्मा** (पाटन) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे–

(१) क्या यह सही है कि इन्दरगढ में एक लम्बे अरसे से डाक्टर नहीं है ?

(२) यदि हां, तो इन्दरगढ में डाक्टर क्यों नहीं भेजा गया ?

उत्तर

जी हां गत माह अक्टूबर में आपतकालीन स्थिति के कारण वहां से डाक्टर हटा कर सीमा ग्रस्त ईलाकों में भेज दिया गया था। अब डाक्टर की नियुक्ति कर दी गई है। प्रश्न नहीं उठता।

(११.५४. म. प.)

राज्य कर्मचारियों के मंहगाई भत्तों सम्बन्धी स्थगन प्रस्ताव

श्री उपाध्यक्ष: कुछ स्थगन प्रस्ताव आए हुए हैं जिनमें से एक स्थगन प्रस्ताव श्री भैरोंसिंह का है जिसका संबंध बढती हुई मंहगाई के कारण सरकारी कर्मचारियों का मंहगाई भता नहीं बढाए जाने से उनमें उत्पन्न असंतोष से है।

माननीय वितमंत्री द्वारा बजट पर हुए सामान्य वादविवाद के उत्तर के समय की गई घोषणा का भी उल्लेख किया गया है और साथ में यह भी बताया गया है कि २६ मार्च १९६६ को सरकारी कर्मचारियों ने विधान सभा के समक्ष प्रदर्शन करने का भी निर्णय लिया है जिससे स्थिति और भी गंभीर बन गई है। यह मामला इतना अविलंबनीय लोक महत्व का नहीं कि सदन की आज की कार्यवाही को स्थिगित किया जाकर उस पर विचार किया जाये। फिर भी मामले की गंभीरता को देखते हुए मैं अवश्य चाहूंगा कि इस बारे में सरकार की ओर से स्थिति स्पष्ट की जाय और इसके लिए माननीय वित्तमंत्री आज या कल...

श्री भैरोंसिह : आज ही।

श्री उपाध्यक्ष : आज ही एक वक्तव्य दें।

श्री **दामोदरलाल व्यास** (पंचायत मंत्री) : आज यहां पर वित्तमंत्री नहीं हैं।

श्री भैरोंसिह : इस स्थगन प्रस्ताव के कारण यहां नहीं हैं।

श्री उपाध्यक्ष : मैं इस प्रस्ताव को सदन में प्रस्तुत करने की अनुमति देने में असमर्थ हूं अतः मंत्री महोदय अपना वक्तव्य दें।

श्री भैरोंसिह : आज दें।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उपमंत्री,सामान्य प्रशासन): उपाध्यक्ष महोदय, बढ़ती हुई कठिनाइयों के कारण सरकारी कर्मचारियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है उनके समाधान हेतु व इस संबंध में उन्हें वास्तविक राहत देने के संबंध में राज्य सरकार ने विचार करके यह निर्णय लिया है कि राज्य सरकार उपभोक्ता भंडार स्थापित करें जहां पर सरकारी कर्मचारियों को उचित मूल्यों पर, और यदि आवश्यक हो तो, रियायती दरों पर दैनिक उपयोग की आवश्यक वस्तुएं उन्हें उपलब्ध हो सकें। इस निर्णय को क्रियान्वित करने के लिए राज्य सरकार ने श्री ए० पी० दीवान, क्षेत्रीय व्यवस्थापक खाद्य निगम के संयोजकत्व में एक समिति स्थापित की गई है। श्री दीवान के अतिरिक्त इस समिति के ४ अन्य सदस्य हैं। समिति अपना प्रतिवेदन राज्य सरकार को दिनांक १५ अप्रेल तक प्रस्तुत करेगी । राज्य सरकार का यह निश्चित एवम् सुविचारित मत है कि बढ़ती हुई महंगाई के कारण सरकारी कर्मचारियों के महंगई भत्ते में वृद्धि करना समस्या का सही हल नहीं है। इससे कर्मचारियों को वास्तविक राहत नहीं मिलती है, क्योंकि महंगाई भत्ता में वृद्धि के कारण कीमतें और भी बढ़ती जाती हैं और इस प्रकार यह चक्र चलता रहता है। इसके अतिरिक्त महंगाई भत्ता बढ़ाने के फलस्वरूप समाज के जो दूसरे वर्ग हैं, जिनकी कि आमदनी महंगाई के साथ नहीं बढ़ती है, उन्हें उससे अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि महंगाई बढ़ती जाती है और उन्हें कोई राहत नहीं मिलती है। अब तक का अनुभव यही रहा है। अस्तु, राज्य सरकार ने यही उचित समझा है कि राज्य सरकार अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने की अपेक्षा उन्हें दैनिक कार्य में आने वाली वस्तुएं उचित मूल्यों पर उपलब्ध कराने की व्यवस्था करें।

(१२.०० मध्यान्ह)

इससे जहां एक तरफ सरकारी कर्मचारियों को ठोस वास्तविक राहत मिलेगी वहां दूसरी तरफ समाज के अन्य वर्गों पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा।

समिति ने अपना कार्य प्रारम्भ कर दिया है। समिति के संयोजक व एक सदस्य ने अभी हाल ही में दिल्ली उपभोक्ता भंडार का निरीक्षण उनकी व्यवस्था देखने के लिए किया था। समिति के एक सदस्य लखनऊ के उपभोक्ता भंडारों की व्यवस्था को निरीक्षण करने के पश्चात अब हैदराबाद जा रहे हैं। समिति का प्रतिवेदन प्राप्त होते ही राज्य सरकार इस पर अग्रिम कार्यवाही करेगी। सन् १९६६, ६७ के बजट में इस हेतु १ करोड़ का प्रावधान किया गया है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि सरकार की कमियों के कारण राजस्थान के कर्मचारी वर्ग में भयंकर असंतोष फैल गया है। आज तक के सरकार के कारनामें और टैक्स की नीति के कारण जनता में एक भयंकर असंतोष रहा है उस असंतोष को दबाने की सरकार ने काफी चेष्टा की और ज्यों ज्यों सरकार उसको दमन से दबाने की कोशिश कर रही है त्यों त्यों जनता में आग अधिक फैल रही है। इस बार आग जनता से निकल कर, वह तो है हैं, सरकारी कर्मचारियों में भी पैदा हुई है। जिन सरकारी कर्मचारियों के भरोसे यह राजस्थान की हुकूमत राजस्थान का शासन करना चाहती है सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात

Page No. 33

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

यह है कि आज की यह सरकार उनके वेतन और मंहगाई भत्ते में वृद्धि न करके उनके लिए इस प्रकार की व्यवस्था की कल्पना कर रही है कि कुछ अधिकारियों को लखनऊ और दिल्ली भेजा। वे वहां उपभोक्ता भंडारों का अध्ययन करें, उसके बाद वे सरकार को प्रतिवेदन करेंगे और वह १५ अप्रेल तक पेश कर दिया जावेगा। और उसके बाद सरकारी कर्मचारियों को जीवन निर्वाह की वस्तुओं को उन भंडारों की मार्फत उपलब्ध कराया जावेगा। सरकार ने टोकन में एक करोड़ की इसके लिए आर्थिक व्यवस्था की है।

इन सब बातों के लिए इस सरकार से पूछना चाहता हूँ कि केन्द्रीय सरकार ने केन्द्रीय कर्मचारियों का महंगाई-भत्ता बढ़ाया, अन्य राज्य सरकारों ने भी बढ़ाया उस समय से लेकर राजस्थान का कर्मचारी वर्ग और जगह महंगाई भत्ता बढ़ता हुआ देखकर निरन्तर मांग करता आ रहा है कि आज इन वर्तमान वेतन स्तर में उनका जीवन निर्वाह नहीं हो सकता इसलिए उनको बढ़ाया जाय। मुझे अच्छी तरह याद है कि राजस्थान कर्मचारी वर्ग के प्रतिनिधि श्रीमती इन्दिरागांधी से मिले थे और उनके सम्मुख उन्होंने अपनी आर्थिकहीन अवस्था का चित्र प्रस्तुत किया था उस समय माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने दबे शब्दों में इस बात को स्वीकार किया था कि वेतन बढ़ाने के लिए शीघ्र निर्णय करने वाले हैं, इन्दिराजी ने उस समय कहा था कि जो भी अतिरिक्त भार इस कारण राजस्थान सरकार पर पड़ेगा तो ५० प्रतिशत उसका केन्द्रीय सरकार देगी। कुछ उस समय ऐसा लग रहा था कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों का महंगाईभत्ता बढ़ने के कारण राजस्थान के कर्मचारी भी वेतन बढ़ाने की अपनी मांग को आन्दोलन का स्वरूप देंगे तो स्थिति विषम हो जावेगी उस पर पानी डालने के लिए सरकारी कर्मचारियों को आश्वस्त कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि न वेतन बढ़ाया गया और न पहले उपभोक्ता भंडारों का अध्ययन ही करवाया गया। अध्ययन पहले करवा सकती थी। १॥। लाख राज्य कर्मचारियों का सवाल आता है। अध्ययन करने के लिए बजट पेश करते समय यह बात आयी। आज एक हीन चित्र उन सरकारी कर्मचारियों का सामने आता है, ४०), ५०) रु० माहवार की तनख्वाहों पर काम करने वाले हजारों आदमी हैं। उनके परिवार हैं, पांच आदमी भी एक परिवार में माना जाय तो १० लाख आदमी ऐसे हैं जो सरकारी कर्मचारियों के वेतन-स्तर पर अपनी जीविका जुटाते हैं। राजस्थान के इन राज्य कर्मचारियों में अध्यापक, चपरासी, पुलिस के सिपाही, काम करने वाले मजदूर, एल. डी. सी., यू. डी. सी.। इनको कम वेतन मिलता है, आज उनकी बड़ी दयनीय दशा है। सरकार चाहती है कि किसी प्रकार यह विधान सभा का सैशन निकल जाय १५ अप्रेल तक यह सैशन चलेगा नहीं। एक चीज होगी उपभोक्ता भंडार। उपभोक्ता भंडार में मिलेगा क्या ? क्या देंगे ? कह देंगे कि एक तेल है और दूसरा है कोयला, बाकी के लिए भाग्य के भरोसे पर रहो। सरकार की दयनीय स्थिति पर काफी रोष है। जो सरकार सरकारी कर्मचारियों के बारे में जो लोयल सर्वेन्टस हैं उनके बारे में जो चीज निश्चित समय में पहले ही हो जानी चाहिये थी वह नहीं कर पाती है और उसका नतीजा यह हो जाता है कि जो लोयल सब्जेक्टस हैं, वेतन भोगी है वह वेतन भोगी वर्ग २६ तारीख को 'इस राजस्थान का नाश हो 'यह सरकार

Page No. 34

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

मुर्दाबाद , 'मुख्य मन्त्री का नाश हो', 'इस मन्त्री मण्डल को बर्खास्त करो' इस प्रकार के नारे लगाकर विधान सभा भवन के सामने खड़ा रहता है तो उस समय क्या स्थिति होगी ? क्या लोयल्टी रिटेन करना चाहतो है।

इस सारी स्थिति को सामने रख कर सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रकार की भूल भुलैया में राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों को नहीं रखें। आवश्यकता इस बात की है कि उपभोक्ता भंडार खोलें उससे पहले वेतन बढाने को बात हो सकती है। उपभोक्ता भंडार खोल दिये, व्यवस्था कर दी उसके बाद ओप्शन की बात कर सकते हैं। यदि उपभोक्ता भंडार से वस्तुयें लेनी हैं तो मंहगाई भता नहीं मिलेगा और उपभोक्ता भंडार से नहीं लेना है तो मिलेगा। सरकार इस प्रकार का ओप्शन लेकर चल सकती है। अभी २ केन्द्रीय सरकार ने मंहगाई भता बढाया है, हिमाचल प्रदेश ने बढाया है, जम्मू कश्मीर की सरकार ने बढाया है। एक सिद्धान्त की बात आर्थिक दृष्टि से कही गयी है कि वेतन स्तर बढाने से बाकी चीजें बढती हैं। अर्थ शास्त्र की दृष्टि से इसको मैं मानता हूं लेकिन भारत सरकार ने भी इस पर विचार किया होगा और विचार करके ही वेतन स्तर बढा दिये. राज्य सरकार यदि वेतन स्तर बढाती है तो आल इन्डिया लेवल पर कोई इम्पेक्ट नहीं होना है, आल इन्डिया लेवल पर प्राइस लेवल पर और कोई इम्पेक्ट होगा यह नहीं होगा। किसी इम्पेक्ट की भारत सरकार द्वारा वेतन वृद्धि से नहीं चिन्ता हुई तो राजस्थान तो एक छोटी सी स्टेट है यदि उसके कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि की जाय तो क्या प्राइस लेवल पर इम्पेक्ट पड़ेगा ? कुछ नहीं। भारत सरकार को इसकी चिन्ता नहीं हुई तो इस छोटी सी गवर्नमेन्ट को क्या चिन्ता हो गई ? आज यह कहते हैं कि मंहगाई भता बढा देंगे तो बाकी समाज के ऊपर मंहगाई का भार आवेगा। मैं इसीलिये निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार इस पर पुनर्विचार करे और २६ तारीख को इस विधान सभा के सामने सरकार मुर्दाबाद के नारे न लगाये जायं। इसको रोकने के लिये और आर्थिक सिद्धान्त की आड़ में सरकारी कर्मचारियों के गले पर छूरी न चलायें. इस बात को स्वीकार कर लें और वेतन स्तर बढाने की घोषणा करें। घोषणा नहीं की गई तो आप नुक्सान उठायेंगे। कहेंगे कि राजनैतिक दल और सरकारी कर्मचारियों में मेल हो गया है। राजनतिक दल और सरकारी कर्मचारियों में मेल नहीं हुआ है। यह स्थिति यदि आप क्रीयेट करते हैं तो विरोधी दल को सरकारी कर्मचारियों की सहानुभूति में जो भी कदम उठाना पड़ेगा उठायेंगे। उस स्थिति में राज्य सरकार के साथ असहयोग का सवाल नहीं आता। कर्तव्य पूरा करने का सवाल आयगा।

(**विराम**)

खेद इस बात का है कि ऐसे गम्भीर मसले का उत्तर वित्त मंत्री नहीं दे सकते, मुख्य मंत्री नहीं दे सकते वे घबराते हैं। डिप्टी मिनिस्टर फाइनेन्स नहीं दे सकते हैं। जिन उप मंत्री का फाइनेन्स से सम्बन्ध नहीं और जी. ए. डी. से सम्बन्ध हैं वे इसका उत्तर देते हैं !

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मुख्य मंत्री बाहर गये हैं।

श्री भेरोंसिंह : वित मंत्री कहां हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यहां नहीं हैं।

श्री भेरोंसिंह : बंगले में होंगे या काफी हाउस में होंगे।

श्री मथुरादास माथुर : योजना मन्त्री (प्लानिंग मिनिस्टर) जबाब देगा।

श्री भेरोंसिंह : वित्त मंत्री यहां नहीं होंगे तो काफी हाउस में होंगे।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : वास्तव में वक्तव्य कल दिये जाने का था। आज आपने इन्सिस्ट किया इसलिये आज दिया गया।

श्री भेरोंसिंह : इन्सिस्ट करने का सवाल है। वित मंत्रीजी को बुला लीजिये। इसको फाइनली डिस्पोज ऑफ करने के लिये शाम तक वेट कर सकते हैं।

मैं समझता हूं, मामला बहुत गम्भीर है। हम भी इसके पीछे हैं और इसको इस तरह से छोड़ने वाले नहीं हैं। आप चाहते हैं कि हाउस में डेकोरम मेन्टेन रहे, हम भी यही चाहते हैं कि हाउस में डेकोरम रहे। लेकिन क्या इस प्रकार के डेकोरम को मेन्टेन करने की आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है ? आपको भी डेकोरम मेन्टेन करना चाहिये। यदि आपका व्यवहार सदन में डेकोरम मेन्टेन करवाने का इसी प्रकार रहता है तो डेकोरम मेन्टेन करने या रखने का भार केवल हम लोगों पर ही नहीं है। जब आपका इतना बुरा और निन्दनीय व्यवहार है तो वैसी हालत में दोनों हाथ मिलने से ताली बज सकती है, केवल एक हाथ से नहीं। डेकोरम मेन्टेन रखना केवल हमारा ही काम नहीं आपका भी उतना ही काम है। मैं सरकार को यह चेतावनी के रूप में कह देना चाहता हूं कि सरकार इस मसले को २६ तारीख से पहले गम्भीरतापूर्वक विचार कर के तै कर ले। और उन निर्णयों की घोषणा करके वे डेकोरम भी मेन्टेन करवा सकेंगे एवं साथ ही जो कर्मचारी राज्य सरकार के प्रति वफादार हैं उनकी लोयल्टी उसी प्रकार कायम रह सकेगी। मैं योजना मंत्री महोदय से, जो जल्दी ही डिप्टी लीडर ग्राफ दी हाउस बनने वाले हैं उनसे, निवेदन करना चाहता हूं कि वे इस गंभीर मसले पर वक्तव्य देकर सदन को सन्तोष कराने की चेष्टा करें।

(कुछ माननीय सदस्य बोलने खड़े हुए)

श्री मथुरादास माथुर : इस पर बहस थोड़े ही हो रही है।

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे इस प्रकार भाषण न करें अगर आपको कोई स्पष्टीकरण पूछना हो तो वह पूछ सकते हैं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं स्पष्टीकरण ही चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, यह समस्या बड़ी गम्भीर है। जिस प्रकार से इस स्थिति को यहां रखा गया उसकी बजाय मैं उम्मीद करता था कि और भी इसको गंभीरता से रखा जाता....

श्री भैरोंसिह : अब आप ही उसे रख दीजिये ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैं समझता हूं इस सिलसिले में जो चीजें राज्य सरकार को करनी हैं उसको वह जल्दी करे । सरकार भी यह चाहती है कि सरकारी कर्मचारियों के लिये कुछ न कुछ किया जाना चाहिये । अब सवाल यह उठता है जिन बातों के लिये सरकार ने कहा है वह इस समस्या का समाधान हो, यह हमारे फाइनैन्सेज और सोर्स आफ इनकम के साथ जुड़ा हुआ है । मैं इससे इन्कार नहीं करता कि फाइनेन्सेज इकट्ठे किये जायं, उसमें सरकार को कोई एतराज नहीं होना चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष : यह तो आपका भाषण शुरू हो गया ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैं स्पष्टीकरण चाहता हूं । तीन सालों से मैंने यह प्रश्न उठा रखा है : मैंने पहले भी निवेदन किया था कि यह अलाउन्सेज बढ़ाने से आप इस तरह से महंगाई को परमानेन्ट करते हैं । दो मर्तबा जब कभी आपने इस प्रकार से महंगाई भत्ता बढ़ाया है उससे महंगाई बढ़ी है । मैं आपसे स्वपष्टीकरण की तौर पर एक बात जानना चाहता हूं सरकार २६ तारीख से पहले इस बारे में फैसला ले ले वह यह है कि जो उपभोक्ता भंडार आप खोलने जा रहे हैं उसकी शकल सूरत क्या होगी उसके अन्दर प्राइस इन्डेक्स कौनसी साल का माना जायगा उसके लिए पूरी सबसिडी देने के लिए तैयार है या नहीं । सरकार यदि इस बारे में संतोष कराती है तो सब को मानना चाहिये । अपोजीशन को भी मैं यह कहना चाहता हूं इस प्रकार दैनिक उपयोग की चीजें यदि सस्ते दर पर मिल जाती हैं तो उससे लाभ है । यह बात में आज से तीन साल पहले से कहता आया हूं उसको आपने तीन साल के बाद माना है । गरीबों को नोट खाने को नहीं चाहिये, वे नोट नहीं खाते हैं अनाज खाने के लिए चाहिए . .

श्री राधाकृष्ण गोयल : चीजें तो बतावें, क्या क्या चीजें मिलने वाली हैं ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आप लोगों के चिल्लाने से इस तरह नहीं मिलती ।

श्री भैरोंसिह : सरकार तो उसको अपनी भाषा में बोलने से ही देती है ।

श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा : आप बड़े जोर जोर से बोल रहे हैं उसके पीछे क्या है यह मैं जानता हूँ । मैं क्या कह रहा हूँ उसे आपको सोचना चाहिए । मैं आपसे स्पष्टीकरण के तौर पर यह जानना चाहता हूँ आप २६- तारीख के पहले यह बता दें कि क्या क्या चीजें मिलेंगी और उस पर प्राइज इन्डेक्स कौन सा लगने वाला है । प्राइज इन्डेक्स गरीब आदमी के लिये और अमीर आदमी के लिए अलग अलग होता है जिसमें बहुत अंतर होता है गरीब आदमी आटा ज्यादा खाता है क्यों कि उसको फल फूल खाने को नहीं मिलते जब कि अमीर फल फूलों से उसकी कमी को पूरा कर लेते हैं ।

१०० रुपया सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने महंगाई भत्ता बढ़ाया उसके लिये आपने दो लाख रुपया प्रोवाइड कर दिया, उसमें आपने सिद्धान्त नहीं माना । हमें नहीं चाहिए आई० ए० एस०, नहीं चाहिए आई० पी० एस० ।

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

इसमें आपका आर्थिक सिद्धान्त कहां गया जहां आपने इनको महंगाई भत्ता देने के लिए तो रकम प्रोवाइड करदी उसमें तो सरकार ने मजबूरी जाहिर नहीं की। हमें ये आई० ए० एस० और आई० पी० एस० नहीं चाहिए। हमारा आर० ए० एस० और दूसरी मिनिस्टिरियल स्टाफ से काम चल जायगा। एक तरफ तो आपने सौ रुपये की तरक्की दी। दो तरह के तरीके होने चाहिए

आपने जो यह उपभोक्ता भण्डार खोलने की बात रखी है, उसमें क्या प्राइज इन्डेक्स से चीजें मिलेगी वह भी आपको बतानी चाहिए। आपने आरम्भिक राहत के लिए एक करोड़ रुपया रखा है। मै यह आपसे कहना चाहता हूं कि कोई भी कर्मचारी अलाउन्स नहीं चाहता। अलाउन्स यदि वे चाहते हैं तो यह डिमोन्स्ट्रेशन उनको किसी प्रकार का लाभ देने वाला नहीं। सरकारी कर्मचारी यह बहुत अच्छी तरह से समझते हैं कि दूसरे लोग जो डिमोन्स्ट्रेशन के लिए भड़का रहे हैं उनका उसमें क्या हित है। यदि कोई उनको राहत देगी तो यह कांग्रेस सरकार ही देगी। जिस दल ने यह सिद्धान्त रूप से मान लिया है कि सरकारी कर्मचारियों को महंगाई से राहत मिलनी चाहिए। सरकारी कर्मचारियों का यही सरकार खयाल रख सकती है। आप क्या चीजें देना चाहते हैं वह तो बतावें।

(विपक्षी सदस्यों द्वारा व्यवधान)

इस तरह से आवाज करने से आपका साथ सरकारी कर्मचारी देने वाले नहीं हैं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : यह बहुत गम्भीर मसला है सरकारी कर्मचारियों का प्रश्न है............

श्री उपाध्यक्ष : इस बारे में माननीय सदस्य भाषण न देकर स्पष्टीकरण के रूप में कुछ पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं।

श्री राधाकृष्ण गोयल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तीन–चार वर्ष से यह प्रश्न लगातार चल रहा है आज यह गम्भीर रूप धारण कर चुका है। पहले जब पांच रुपया महंगाई भत्ता बढ़ाया गया......

श्री उपाध्यक्ष : यह तो आप भाषण देने लग गए......

श्री राधाकृष्ण गोयल : पांच रुपये की महंगाई भत्ते में बढ़ाकर सन्तोष किया था उसके बाद फिर महंगाई बढ़ी उसके अनुरूप राज्य सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। यहां भारत सरकार के भी कर्मचारी रहते हैं और राज्य सरकार के भी कर्मचारी रहते हैं। जो इन दोनों प्रकार के कर्मचारियों में महंगाई भत्ते में जो भेदभाव है वह इतना महान् है जिस ओर राज्य सरकार द्वारा ध्यान नहीं दिया गया है। इस वर्ष का बजट जब सामने आया। हमारे वित्त मन्त्री महोदय ने यह कह कर टाल दिया। हम सरकारी कर्मचारियों के लिए उपभोक्ता भण्डार खोल रहे हैं, लेकिन उसका स्वरूप क्या होगा उसमें क्या २ वस्तुयें उपलब्ध होंगी उसमें प्राइज इन्डेक्स कौनसी साल का अपनाया जायगा, इस सम्बन्ध में सरकार बिल्कुल मौन रही है। इसके लिए कहा गया कि कमेटी जो नियुक्त

(श्री राधाकृष्ण गोयल)

हुई है, इस बारे में वह १५ अप्रेल तक अपना प्रतिवेदन देगी । जब हमारा यह सत्र १५ तारीख को विसर्जित हो जायगा, उसके बाद तो इसका प्रतिवेदन आयगा । दो-चार चीजें उसमें बताकर उसको एक साल के लिए और आगे टाल दिया जायगा ।

मैं निवेदन करना चाहता हूं सरकार इस बारे में जो भी योजनाबद्ध नीति अपनाना चाहती है वह सदन में बतानी चाहिये । उपभोक्ता भण्डारों का क्या स्वरूप होगा कुल कितनी चीजें उपलब्ध होंगी उनका क्या भाव निर्धारित किया जायगा । यह सब बातें सदन के सामने आनी चाहिए । अगर किसी कर्मचारी को उपभोक्ता भण्डार से वस्तुयें लेना रुचिकर प्रतीत न हो तो उसको आप्शन की भी व्यवस्था होनी चाहिए । उसके ऐवज में १५) रुपया अधिक से अधिक अलाउन्स उसको दिया जा सकता है । प्रत्येक कर्मचारी को इसके लिए आप्शन होना चाहिए । इस तरह से उपभोक्ता भंडारों के नाम से किसी चीज को खटाई में डालना उपयुक्त नहीं है ।

आज एक तरफ साम्यवादी तत्व देश में प्रकार विघटन की कार्यवाही कर रहे हैं वे एक से राज्य में दूषित वातावरण फैला रहे हैं । यदि दूसरी तरफ लोयल सिटीजन्स है उनमें भी आपने असन्तोष पैदा करने की कोशिश की । विधान सभा के सामने प्रदर्शन के लिए वे आवें तो हम नहीं समझ सकते कि राज्य सरकार की मशीनरी का क्या हाल होगा ? जो कोई भी सरकार को निर्णय लेना है २६ तारीख से पहले इस बारे में निर्णय ले ले और वह सदन की जानकारी के लिए उस निर्णय को प्रस्तुत करे । आज जो सरकारी कर्मचारियों में असन्तोष की आग धधक रही है उस धधकती हुई आग को ज्यादा न बढ़ाकर उनको सन्तोष दिलाया जावे यह जनता और राज्य सरकार दोनों के हित में होगा ।

श्री उपाध्यक्ष : दो मिनट आपके बहुत लम्बे हो गये ।

श्री राधाकृष्ण गोयल : आप यह न कर कर्मचारियों के साथ विश्वासघात कर रहे हैं उनको धोखे में डाल रहे हैं । इस सम्बन्ध में जो उप-मन्त्री महोदय ने ऊत्तर दिया है वह पर्याप्त नहीं है । मैं सदन के माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा, वे मन्त्री मण्डल पर इस बात का दबाव डालें कि इस सम्बन्ध में जो भी केबीनेट डिसीजन हो वह शीघ्र से शीघ्र एक दो दिन में यथा-सम्भव घोषित करें ताकि जनता एवं सरकारी कर्मचारियों को उससे राहत मिल सके जिससे उनको सन्तोष हो सके और राजस्थान राज्य का प्रशासन सुचारू रूप से चल सके ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : (जौहरी बाजार, जयपुर) उपाध्यक्ष महोदय, भाषण दूं या प्रश्न पूछूं ?

श्री उपाध्यक्ष : चाहता हूँ कि प्रश्न पूछें, फिर तो यह सदन सार्वभौम है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपकी आज्ञा शिरोधार्य है ।

श्री उपाध्यक्ष : पर इस प्रकार से न पूछें कि काफी देर तक चलता रहे ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह सही है कि राजस्थान में राज्य कर्मचारियों की संख्या दो लाख है ?

क्या यह सही है कि राजस्थान में मंहगाई बढ़ रही है ?

क्या यह सही है कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी, जो राजस्थान में रह रहे हैं उनको और राजस्थान राज्य के कर्मचारी जो हैं, उन सब को अपनी दैनिक उपयोग की वस्तुएं एक ही भाव पर मिलती हैं कम या ज्यादा भाव पर नहीं मिलती हैं ?

क्या यह सही है कि राजस्थान सरकार ने अपने कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने के सम्बन्ध में कोई निर्णय पहले लिया था ?

क्या यह सही है कि राजस्थान के मुख्यमन्त्री ने भारत की प्रधान मंत्री, श्रीमती इन्दिरागांधी के सामने यह स्वीकार किया था कि राजस्थान के राज्य कर्मचारियों का बढ़ती हुई मंहगाई को देखते हुए मंहगाई भता बढ़ाया जावेगा ?

क्या यह सही है कि थर्ड फाइनेन्सियल कमीशन बैठा था तो उसके सामने राजस्थान सरकार ने एक पे कमीशन बिठाने की बात स्वीकार की थी अथवा इसके लिये आदेश भी जारी किये थे कि राजस्थान के राज्य कर्मचारियों का मंहगाई भता बढ़ावेंगे और क्या यह सही है कि इस मंहगाई भते को बढ़ाने के लिये केन्द्रीय सरकार अंशदान देने वाली थी ?

क्या यह सही है कि इस तरह की कोई डिमाण्ड पर पे कमीशन बिठाने के बारे में कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ाने के बारे में थर्ड फाइनेन्सियल कमीशन को इत्तला नहीं दी और इस कारण केन्द्र जो अंशदान देने वाला था, वह अंशदान नहीं मिला ।

क्या यह सही है कि थर्ड फाइनेन्सिल कमीशन की रिपोर्ट में श्री मोहनलाल ने एक अपनी नोट आफ डिसेन्ट दिया है कि पे कमीशन नहीं बिठाया जावे तब भी केन्द्रीय अंशदान मिलना चाहिये ?

क्या यह है कि तनख्वाह बढ़ाने के बारे में केन्द्रीय सरकार से मिलने वाला अंशदान केवल इसलिये नहीं मिल पा रहा है कि राज्य सरकार ने पे कमीशन की नियुक्ति नहीं की है और न पे आर्डर जारी किया है जिससे वेतन वृद्धि की जा सके ।

क्या यह सही है कि राज्य सरकार अगर ऐसी भूल नहीं करती तो जो भार राज्य के कोष पर पड़ा है । वह नहीं पड़ता और केन्द्रीय अंश-दान प्राप्त हो जाता ?

क्या यह सही है कि यह वित विभाग की भूल है और अगर भूल है तो इसके लिये कौन जिम्मेदार है ?

क्या यह सही है कि सरकार ने बढ़ती हुई महंगाई के आंकड़ों का सर्वे कराया है ?

क्या सरकार इस बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुए यह उचित नहीं समझती कि राजस्थान के राज्य कर्मचारियों का महंगाई भता बढ़ाया जाना चाहिये ?

क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने राजस्थान में बने उपभोक्ता भण्डारों के नियम बनाये हैं ?

क्या यह सही है कि सरकार ने केन्द्रीय उपभोक्ता भण्डारों में कोई सूची बनाई है

Page No. 40

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

वस्तुओं की जो दैनिक जीवन के उपयोग के लिये अत्यावश्यक हैं ?

क्या सरकार ने यह अनुमान लगाया है कि ऐसे उपभोक्ता भण्डारों से कितनों की आवश्यकता पूर्ति होगी ?

क्या यह सही है कि सरकार ने इस प्रकार की कोई सूची बनाई है कि इन केन्द्रीय उपभोक्ता भण्डारों से राज्य कर्मचारियों को किन किन वस्तुओं की उपलब्धि कराई जावेगी ?

क्या यह सही है कि जीवन की जितनी भी आवश्यक वस्तुएं हैं वे सब इन केन्द्रीय उपभोक्ता भण्डारों से दिलाई जावेगी ?

क्या यह सही है कि केन्द्रीय उपभोक्ता भण्डारों से मिलने वाली वस्तुएं समान रूप से राजस्थान के समस्त छोटे बड़े कस्बों में रहने वाले कर्मचारियों को समान रूप से उपलब्ध कराई जावेगी ?

क्या सही है कि राजस्थान के राज्य कर्मचारियों का महंगाई भता बढाया जावेगा ?

क्या यह सही है कि यह सरकार समाजवादका नारा लगाती है और अपने को समाज वादी समाज की स्थापना करने वाली सरकार मानती है ?

क्या यह सही है कि समाजवाद का नारा लगाने वाली यह सरकार यह नहीं समझती कि महंगाई भते में ऊंचे नीचे कर्मचारियों के स्तर में काफी अन्तर है ?

क्या यह राज्य सरकार यह उचित नहीं समझती कि ऊंची तनखा पाने वाले सरकारी अधिकारियों अथवा नौकरों और कम तनखा पाने वाले कर्मचारियों के स्तर के इतने बड़े

अन्तर को दूर करने के लिये व कम करने की दृष्टि से इन आई. ए. एस., आर. ए. एस., सुपर टाइम स्पेशल अफसरों की तनखाओं में कमी करके छोटे कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि करेगी ?

क्या यह समाजवादी सरकार यह आवश्यक नहीं समझती कि जब कि इतनी थोड़ी तनखा में छोटे राज्य कर्मचारी अपना जीवन–यापन ठीक तरह से नहीं कर पाये तो उनका वेतन बढ़ाया जाय ?

क्या सरकार यह नहीं चाहती कि छोटे कर्मचारियों को असन्तोष को दूर करके राज्य में सही शान्ति बनाये रक्खी जाय ?

क्या सरकार यह नहीं चाहती कि कि राज्य कर्मचारियों में महंगाई वृद्धि के कारण और उसका मुकावला करने के लिए उसके अनुपात से महंगाई भत्ता और वेतन वृद्धि बढ़ाकर मुखाड़िया मुर्दाबाद और कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद के जैसे नारे लगाने के लिए उनको मजबूर न होना पड़े ।

क्या सरकार उचित नहीं समझती कि राज्य कर्मचारियों में व्याप्त तीव्र असन्तोष को दूर करने के लिए महंगाई भत्ते और वेतन वृद्धि के प्रश्न को सरकार तुरन्त अपने हाथ में ले ।

क्या सरकार यह विचारने को तैयार है कि एक करोड़ की धनराशि महंगाई

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

भत्ते के रूप में वृद्धि करने के लिए दें तो चार रुपया माहवार की औसत आती है और इसने इतनी राहत उनको मिल सकेगी ?

क्या सरकार इस सारे प्रश्न पर विचार करके इस प्रश्न में जो-जो मुद्दे मैंने उठाये हैं उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्नात्मक रूप में आपके आदेशानुसार, उन सबका समुचित उत्तर देगी ?

श्री मथुरादास माथुर (योजना मन्त्री): मैं दो शब्द निवेदन करना चाहता हूं....

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मैं तो इतना लम्बा चौड़ा बयान नहीं दूंगा, पर कुछ मुद्दे उठाना चाहता हूँ, उपाध्यक्ष महोदय।

मैं यह समझता हूं कि यह बहुत भयंकर समस्या है और आल इण्डिया वाइड यह प्राब्लम है। देशव्यापी यह समस्या है। और इसकी मूलतः जिम्मेदारी सरकार की है, केन्द्रीय सरकार की और इस राज्य सरकार की दोनों की।

हम चल थे एक्सपेन्डिग इकोनॉमी की परस्यूट में और हो गई हमारी इकोनॉमी अपरोर।

इसके अन्तर्गत हमारे ख्याल में आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जावे तो यह एक मनी का डिमोनेटाइजेशन का प्रोब्लेम है।

जहां कौल साहब ख्याली पुलाव पकाते हैं और जैसे प्राइस बढ़ती है चेन्ज बढ़ता है वैसे महंगाई भत्ता देते जाना यह परम्परा दूषित है, घातक है और इसके परिणाम मेरे ख्याल में अच्छे नहीं होंगे और वह दिन दूर नहीं है, मैं देख रहा हूं कि बहुमत के द्वारा आप जो मनमानी करना चाह रहे हैं वह बहुमत आपका धीरे-धीरे किसमें परिणत होगा, वह भी मैं देख रहा हूँ डंडा और फाइरिंग में। एवरी वीक रॉयट होंगे, एवरी वीक डंडे चलेंगे और हर महीने फाइरिंग होंगे और लोगों की यह स्थिति हो जावेगी कि मेरे ख्याल से सुनने और पेपर पढ़ने को भी उत्सुक नहीं होंगे। क्या आप यह स्थिति लाना चाहते हैं ? आपको अधिकार है लाना चाहें तो ला सकते हैं, टालना चाहें तो सोचें। वह तो आप प्राइस को कन्ट्रोल नहीं करते हैं तो मेरे ख्याल में आपका यह शासन किसी चीज को कन्ट्रोल नहीं कर सकता।

तो जनसंघ के माननीय नेता ने आपके समक्ष जो सुझाव रक्खे हैं उनके बारे में गम्भीरता पूर्वक विचार करें और यह समझ कर कि यह सदन समाप्त हो रहा है, इन इश्यूज को आप ढील दे देंगे फिर आराम से निर्णय लेंगे और पता नहीं इसके लिये ऑर्डि-नेन्स भी निकालने की बात आप सोचें तो हम इस मनोवृत्ति का, आपकी मनोवृत्ति का, विरोध करते हैं, निन्दा करते हैं और तत्काल व्यवस्था नहीं करते हैं तो आप मेरे ख्याल से झूठे और निकम्मे लोग हैं।

श्री मथुरादास माथुर : माननीय उपाध्यक्ष जी, विरोधी दल के नेता के पास जो भाषा है वह तो मेरे पास नहीं है।

मैं तो इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ कि इस समस्या को जितना राज्य सरकार

(श्री मथुरादास माथुर)

और इस पक्ष में बैठने वाले माननीय सदस्य तरजीह देते हैं विरोधी दल में बैठने वाले माननीय सदस्यों में तो किसी से कम नहीं देते।

हम अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं। हम इस बात को भी मानते हैं कि राज के दो लाख कर्मचारियों को जहां तक हो सके राजस्थान की अर्थ-व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए उनको पूरा सन्तोष मिलना चाहिये।

मुझे खुशी है कि राज्य कर्मचारियों का राज्य सरकार के साथ में बड़ा सहयोग रहा है और उन्होंने हमेशा जब कभी भी अपनी समस्याएं हमारे सामने रक्खी हैं तो हमने उन पर सहानुभूति से विचार किया है और आपस में बैठकर समस्याओं का हल निकाला है, क्योंकि राजस्थान सरकार में काम करने वाले लोग और उनके अधिकारी वर्ग दोनों के कंधों पर इसकी जवाबदारी है। दोनों के प्रतिनिधियों ने इस समस्या पर मिल कर विचार किया है। ऐसी स्थिति में मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि राज्य कर्मचारियों की जो बढ़ती हुई मंहगाई के सिलसिले में मांग है उस पर हमने मिल बैठ कर विचार किया है। राज्य कर्मचारियों के प्रतिनिधि हमारे साथ बैठे हैं और जो बात हमने आपस में की है उस पर विश्वास से मैं कह सकता हूँ कि उनमें से जितने प्रतिनिधि हैं वे मानते हैं, उन्होंने मेरे सामने भी इस बात को माना है कि बढ़ती हुई मंहगाई की समस्या सिर्फ पांच-दस रुपया बढ़ाने से हल नहीं होने वाली है। तीसरी योजना में तीन बार पांच पांच रुपया बढ़ाया। तो इस पांच रुपये के माने यह होते हैं कि एक महीने में हमारा दस लाख रुपया हमारी इकोनॉमी में जाते हैं और दस लाख रुपया जाता है तो इसका मतलब यह हो गया........

श्री भैरोंसिंह : दस लाख नहीं बढ़ते हैं।

श्री मथुरादास माथुर : आंकड़े आपने नहीं मिलाये। एक प्लान पीरियड में पांच करोड़ रुपया हमारी इकोनॉमी में डाल देते है जिसकी वजह से उनके जो माने निकलते हैं अर्थ-व्यवस्था पर उसका असर होता है। इन्फेलशन बढ़ता है इसकी वजह से चीजों के भाव आगे बढ़ जाते हैं, उससे राजस्थान के कर्मचारियों को भी फायदा नही मिलता है। बल्कि इस इनफ्लेशन से पांच रुपया बढ़ाने के माने यह हुए कि एक कप चाय का रोज मंहगाई का ज्यादा देते हैं। समस्या का ऐसा हल तो परछाई के पीछे दौड़ने जैसा हुआ। परछाई के पीछे दौड़ते जाओ और वह तेजी से आगे बढ़ती जावेगी। इसलिये रुपये के रूप में मंहगाई ज्यादा देने से मंहगाई आगे बढ़ती जावेगी। इसको यहां पर मानकर उन लोगों ने और हम लोगों ने मिल कर यह फैसला किया कि हमें कन्ज्यूमर्स स्टोर्स खोलने चाहिए जिसमें उनकी जरूरत की चीजों को सस्ते भाव से उनको दे सकें और उसके बीच में जो घाटा हो उसको राज्य सरकार बर्दाश्त करे जिससे उनकी समस्या कुछ हद तक हल हो सकेगी और जो इस समय हमारे यहां पर लिविंग इन्डेक्स की बढ़ोत्तरी हुई है मैं आपको, उपाध्यक्ष महोदय, यह भी निवेदन करना चाहता हूँ कि अजमेर की लिविंग इन्डेक्स है जो हमारे यहां

Page No. 43

(श्री मथुरादास माथुर)

जयपुर की लिविंग इन्डेक्स है, यह वर्किंग क्लास के आधार पर बनी है । वैसे उसको भी मैं ठीक नहीं मानता हूँ क्योंकि उसके अन्दर तीन-चार फैक्टर्स नहीं गिने गये हैं। हम सरकारी कर्मचारियों को मुफ्त शिक्षा देते हैं और जो लिविंग इन्डेक्स कैलकुलेट किया गया है उसमें यह शामिल नहीं है। हम फ्री मेडिकल एड देते हैं, हम हाउस रेन्ट देते हैं, हम यहां पर बड़े बड़े सिटीज का अलाउन्स देते हैं तो यह सब फैक्टर्स हैं जिनको लिविंग इन्डेक्स के अन्दर शामिल नहीं किया गया है, और अगर इन फैक्टर्स को इन्क्लुड किया जाये और मैंने इसको जानने की कोशिश की है अगर इन फैक्टर्स को भी शामिल कर दें तो किस तरह से हम इसको न्यूट्रेलाइज कर पायेंगे ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल बाजार, जयपुर) : इसकी दूसरी साइड भी है कि जो कुछ ऐसी जीवन उपभोक्ता वस्तुएं हैं जो कि लिविंग इन्डेक्स को कैलकुलेट करने में शामिल की गई हैं और फैसीलिटीज को शामिल करने की बात कहते हैं वहा ऐसे फैक्टर्स भी हैं, अगर उन वस्तुओं को शामिल किया जाये तो प्राइस इन्डेक्स बढ़ेगा ।

श्री मथुरादास माथुर : यह माननीय सदस्य ने जो कहा है । उसमें से जो फैक्टर्स को शामिल करने की बात करते हैं तो उसमें दुनिया भर की चीजें शामिल नहीं होती हैं।

श्री भैरोंसिंह : वह बहुत पुराना है ।

श्री मथुरादास माथुर : एक वर्किंग क्लास में किन-किन चीजों का उपभोग होता है उसके आधार पर भी इसको वर्कआउट किया जाता है। अजमेर की लिविंग इन्डेक्स अलग है और जयपुर की अलग है । यह पुरानी पद्धति थी । उसके हिसाब से लिविंग इन्डेक्स दो जगह की अलग-अलग बन जाती है । मैंने उसका मीन निकाल करके देखा कि लास्ट टाईम ५ रुपये बढ़े थे उस समय लिविंग इन्डेक्स १३० थी और अब १३६ हैं और इस तरह से ६ पॉइन्ट को हमें न्यूट्रेलाइज करना है। माननीय सदस्य ने जो अभी सवाल पैदा किया कि जो बातें मैंने ४ बताई जिसमें वे कम्पोनेन्ट्स काउन्ट नहीं हैं जो उसमें मिलते हैं। परन्तु अभी तो हमारे सामने प्रश्न यह है कि उस ६ पाइन्ट को जो बढ़ोतरी हुई उसको कैसे न्यूट्रेलाइज किया जाये और राज्य सरकार इसको कैल-कुलेट कर रही है मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ कि जो इस तरह से मंहगाई भत्ते की समस्या को हल करने के लिए माननीय सदस्य एक दूसरी नुक्ते निगाह से और मुझे खुशी है कि सदन के सभी लोगों ने इसको एप्रीशियेट किया है कि मंहगाई को मीट करने के लिए जो डी० ए० बढ़ाया जाता है यह समस्या का वास्तविक हल नहीं है। इसलिए इस मंहगाई की समस्या को मीट करने के लिए हमें कन्ज्यूमर्स स्टोर्स खोलने चाहिए जिसमें राज्य कर्मचारियों को सस्ते भाव पर चीजें मिलें । उसके बारे में मैं एक बात कह देता हूँ कि माननीय सदस्य श्री सतीशचन्द्रजी ने पूछा था उसके बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि यह कन्ज्यूमर्स स्टोर्स गवर्नमेन्ट सर्वेन्ट्स के लिए तहसील लेवल तक खोले जायेंगे ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : ग्रोन ए पोइन्ट ऑफ क्लेरीफेशन, सर, यह जो

Page No. 44

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

आप तुलना कर रहे हैं यह प्राइस इन्डेक्स से कीजिए, लिविंग इन्डेक्स से नहीं ।

श्री मथुरादास माथुर : अगर लिविंग इन्डेक्स १३० से १३६ बढ़ा है तो प्राइसेज़ भी बढ़ी हैं, इसलिए बढ़ा है ।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं कह रहा था कि तहसील लेवल तक इन कन्ज्यूमर्स स्टोर्स के जरिये गवर्नमेन्ट सर्वेन्ट्स को सर्व करना चाहते हैं । इसके अलावा दूसरे गवर्नमेन्ट के जो भी स्टेट एन्टर प्राइजेज हैं उसमें चाहे वे टैकनीकल गवर्नमेंट सर्वेन्टस की परिभाषा में नहीं आते हैं, लेकिन उसके अन्दर भी कन्ज्यूमर्स स्टोर्स के जरिये से उनको भी चीजें देनी चाहिए, ऐसा हमने प्रावधान किया है । अब १३० और १३६ के बीच में जो ६ पॉइन्ट का डिफरेन्स है इसको न्यूट्रलाइज करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं । अब उन स्टोर्स में चीजों के क्या भाव होंगे, कितना वितरण होगा, कार्डस दिये जायेंगे, उसमें फैमिलीज के कितने मेम्बर्स हैं, उसके बाद में कन्ज्यूमर्स की क्या क्या नेसेसिटीज हैं उसके हिसाब से जो जरूरत की खास खास चीजें हैं, आर्टीकल्स में क्या क्या दिया जाये-इन सब डिटेल्स को वर्क आउट करने के लिए राज्य सरकार ने एक कमेटी मुकर्रर की थी और वह कमेटी इसलिए मुकर्रर की थी और भी दूसरी स्टेट्स जिनमें इस तरह से स्टोर्स खुले हैं कमेटी उनको जाकर देख ले, और इस तरह के स्टोर्स यू० पी० में खुले हैं उनको देख ले, आंध्र प्रदेश में खुले हैं उनको देख ले और दिल्ली में खुले हैं उनको देख ले और पुराने जंग के जमाने में रेल्वे में कोआॅपरेटिव सोसाइटीज के स्टोर्स खुले थे उनका भी अध्ययन कर ले, स्टोर्स का पैटर्न क्या होगा कोआॅपरेटिव पैटर्न होगा या क्या होगा इसको भी वह कमेटी देख लें और इस कमेटी की रिपोर्ट जो कि १५ अप्रेल तक हमने मांगी है वह हमारे पास रिपोर्ट आ जायेगी और हम इस बात की कोशिश भी कर रहे हैं कि वह कमेटी अपनी रिपोर्ट जल्दी से जल्दी दे दे और विरोधी दल के नेता और जनसंघ के नेता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इसको हम भी बहुत जल्दी से शुरू कर देना चाहते हैं । हम चाहते हैं कि हमारे जो नौकर हैं उनको जल्दी से जल्दी ये चीजें उपलब्ध हो सकें और उसमें हम अपनी तरफ से किसी प्रकार की देरी नहीं करना चाहते हैं । हमने इसके लिए १ करोड़ रुपया रखा है और यह कई इसके लिए सिर्फ कैपिटल नहीं है बल्कि इस काम के करने में जो घाटा होगा उसको मीट करने के लिए यह राशि रखी गई है । उसके अन्दर सबसिडी देने के लिए हमारी छोटी को-आॅपरेटिव स्टोर्स काम करें तो उसके अन्दर स्टाफ का एम्पलॉयमेन्ट है उनकी तनख्वाह है, उसमें चीजें सस्ती देंगे और दूसरे स्टोर्स से बड़े स्टोर्स से चीजें कुछ मंहगी खरीदेंगे और सस्ती देंगे तो उसके लॉस को बीयर करने के लिए यह धनराशि रखी गई है । हो सकता है अब १ करोड़ से ५–१० लाख रुपया ज्यादा भी खर्च हो जाय लेकिन भावना यह है कि प्राइसेज़ की जो लेवल बढ़ती जा रही है उसको अरेस्ट करने के लिए इस तरह का कदम उठाने का विचार किया है । मैं समझता हूं कि इसके लिए आप ही सोच रहे थे और भारत सरकार भी इस तरह से सोचती है । भारत सरकार वक्त बे-वक्त डियरनेस अलाउन्स देती है और डियरनेस अलाउन्स भारत सरकार ने दिया ।

(श्री मथुरादास माथुर)

आपने फाइनेन्स कमीशन की बात कहीं, हमने भी भारत सरकार को कहा है कि आप जब अनाउन्समेन्ट करते हैं तो फाइनेन्स कमीशन के सामने जो मंहगाई भत्ते के बारे में जो ५-१० रुपये पहले बढ़ाये थे तो वह कैलकुलेट होंगे और हमने भारत सरकार को लिखा है जिसके बारे में माननीय मुख्य मंत्री जी ने सदन में कहा था कि राज्य सरकार को इस मंहगाई भत्ते के लिए आपने जितना इन्क्रीज़ किया है उसको देखते हुए भी हमको इसके अन्दर सबसिडी मिलनी चाहिए। अब वह मामला उनके विचाराधीन है। इसको छोड़िये भारत सरकार से मिले या नहीं भी मिले, राज्य सरकार इसके लिए कटिबद्ध है कि मंहगाई को मीट करने के लिए एसेन्शियल कॉमोडिटीज़ को स्टोर्स के जरिये से राज्य कर्मचारियों के कुनबों के जरूरत के माफिक उनको दी जाये सबसीडाइज़्ड रेट पर और उसके लिए १ करोड़ रुपया रखा है। १ करोड़ से ज्यादा भी खर्च हो जाये उसको भी देखा जायेगा। तो उसके आधार पर हम यह प्रबन्ध कर रहे हैं। तो आज के दिन कोई यह कहे कि राज्य सरकार क्योंकि असेम्बली सेशन में अवाइड करना चाहती है तो मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपके जरिये सदन के सभी माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि राज्य सरकार की यह कतई मन्शा नहीं है कि इसको पॉलीटीकल एंगल दिया जाये और न आप लोग भी देना चाहते हैं। अगर माननीय सदस्यों ने इस बहस को उठाया है या विरोधी दल के नेता ने उठाया है तो मैं नहीं मानता कि इसके पीछे कोई पोलीटीकल एंगल है मैं यह मानता हूं कि आपकी भी हमदर्दी है। आखिर जितने भी हमारे कर्मचारी हैं सबसे बड़ा यह सदन है और सदन के जरिये सरकार बनती है और सदन की जवाबदारी है और उसको निभाने के लिए आपने चर्चा की है और मुझे खुशी है कि आपने सरकारी कर्मचारियों के प्रति हमदर्दी दिखाई है। मैं यह आशा लेकर चलता हूं कि यह हमदर्दी सही रूप में समस्या को हल करने के लिए रचनात्मक तरीके से आपका हमें सदा सहयोग मिलता रहेगा। मेरा ख्याल है कि जो बड़े बड़े मुद्दे उठाये थे उनका जवाब मैंने सदन के सामने और माननीय सदस्यों के सामने रखा है। मैं ऐज़ प्लानिंग मिनिस्टर इसको महसूस करता हूं कि कैश के अन्दर डी० ए० देने से इनफ्लेशन होगा।

अब यह कहा जाय कि भारत सरकार इतना कर रही है तो उसके कारण भी तो होगा। लेकिन मैं माननीय सदस्यों को बताऊं कि भारत सरकार के अन्दर भी यह थिंकिंग डवलप हो गया है कि मंहगाई को मीट करने के लिए केवल डी० ए० में कैश के रूप में दे देने से इस समस्या का हल नहीं हो सकता, बल्कि इसका एक रास्ता सिर्फ कन्ज़्यूमर्स स्टोर्स हैं। हमने इस मामले में पहल की है और वैसे यू० पी० और आंध्र प्रदेश ने भी ऐसा काम किया है लेकिन यह पहल हमारी तरफ से होगी तो सही माने में हम गवर्नमेन्ट सर्वेन्ट्स को और उनकी हाउस वाईव्स को चीजें देकर समस्या को हल कर सकेंगे और जो ६ पाइन्ट का डिफरेन्स आ गया है उसको न्यूट्रेलाइज़ करने की कोशिश करेंगे। गवर्नमेन्ट सर्वेन्ट्स के रिप्रेजेन्टेटिव्ज को कॉन्फीडेन्स में लेकर यह काम किया जावेगा, उनके सहयोग से यह काम किया जावेगा जिसकी वजह से यह काम अच्छी तरह हो सके और

Page No. 46

(श्री मथुरादास माथुर)

कामयाब हो सके। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्यों ने जो खास खास मुद्दे उठाये हैं..

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कि राज्य सरकार ने फाइनेंस कमीशन के सामने इस बात को क्यों नहीं रखा ?

श्री मथुरादास माथुर : वह जो आपने पे कमीशन का सवाल उठाया था वह अलग चीज है। इसमें दो चीजें आती हैं.......

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं पे कमीशन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो फाइनेंस कमीशन के बारे में कह रहा हूं........

श्री मथुरादास माथुर : आप सुनिए मेरी बात को।

एक तो है डियरनेस अलाउंस, मंहगाई को न्यूट्रेलाइज करने के लिए और दूसरा है सरकार के कर्मचारियों का वेतन रिवाइज करना। ये दोनों चीजें अलग-अलग हैं। इन दोनों का सम्बन्ध एक समान नहीं होता है, क्योंकि अगर हम तनख्वाह भी बढ़ा देते हैं तो उनका जो डी० ए० का पॉइन्ट है वह दूसरा पॉइन्ट है, वह अलग बना रहता है। इसलिए आज यह डियरनेस अलाउंस के सम्बन्ध में ही एडजोर्नमेंट मोशन है और इस पर ही मैंने ज्यादा ध्यान दिया है। वेतन का मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है ...

श्री भैरोंसिह (किशनपोल, जयपुर) : एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने जो एक करोड़ का प्रावधान टोकन रूप में किया है और जिसके लिए आपने कहा है कि हमने इसे टोकन रूप में ही रखा है तो इसके लिए आप यह बता दीजिए कि जो कुछ आप वस्तुएं उपभोक्ता भण्डार में सब्सडाईज्ड रेट पर दें और सब्सडाईज्ड रेट पर देने के कारण सरकार को एक साल में कितना घाटा होगा और कितने घाटे को सरकार बर्दाश्त करने का प्रोवीजन रख कर चल रही है ?

श्री मथुरादास माथुर : मैंने कहा न कि एक करोड़ का प्रोवीजन फिलहाल रखा गया है.... ..

श्री भैरोंसिह : टोकन ग्रान्ट ही बजट में नहीं रखी जा सकती, सब्सीडाईज्ड रेट पर वस्तुएं देने से जो घाटा होगा उसको किस एक्सटेंट तक सरकार बर्दाश्त करने के लिए तैयार है, आप तो यह बता दीजिए।

श्री मथुरादास माथुर : इसी को वर्क आउट करने के लिए ही तो कमेटी बनाई गई है कि किन-किन वस्तुओं के अन्दर कितना घाटा रहेगा और इसके लिए कितनी सब्सिडी की जरूरत होगी, इन सब बातों को वर्क आउट करने के लिए ही तो कमेटी बनाई गई है........

श्री भैरोंसिह : माफ करना मैं बीच में ही आपको इन्टरप्ट कर रहा हूं। आपने जो यह टोकन प्रोविजन किया है वह इसलिए किया है कि आपको उपभोक्ता भण्डार रन करना है और इसके लिए आपको बजट में प्रोविजन करना है। लेकिन जो आप सब्सडाईज्ड रेट पर उपभोक्ता वस्तुएं उपलब्ध

Page No. 47

(श्री भैरोंसिंह)

करायेंगे और इससे सरकार को इतने रुपये एक साल में घाटा होगा और इस घाटे की पूर्ति के लिए सरकार इतने रुपये का प्रोविजन रख रही है। इसके लिए जो आपने एक करोड़ का टोकन प्रोविजन रखा है तो यह बजट में तो यह चीज टोकन के रूप में नहीं रह सकती। आखिर सरकार ने वर्क आउट तो किया होगा कि वह कितना घाटा बर्दाश्त करने को तैयार है ?

श्री मथुरादास माथुर : इसी को वर्क आउट कर रहे हैं। यही मैंने कहा है हमारा ऑब्जेक्टिव यही है कि हमें इस काम को करना है और इसके लिए टोकन रूप में एक अकाउण्ट रख दिया जिससे बजट में एक हैड तो खुल गया। उसके अन्दर हम एक करोड़ तो क्या एक लाख भी रख कर चल सकते थे। अब इसको वर्क आउट करने के बाद कि इसमें कितना घाटा रहेगा या कितना खर्चा करना पड़ेगा यह सब तो वर्क आउट हो जावेगा तभी सदन के सामने रखा जा सकेगा। इसमें हमारा उद्देश्य एक ही है कि जो मंहगाई बढ़ गई है उसको किस तरह से न्यूट्रलाईज किया जाय.......

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : छः परसेंट रखा है। छः परसेंट तक सब्सिडी देंगे।

श्री भैरोंसिंह : यह तो आप कह रहे हैं लेकिन आपकी आवाज का कोई समर्थन आपकी पार्टी की तरफ से भी मिलता नहीं है, और आप ऐसे बोलते हैं कि जैसे मुख्य मंत्री ही बोलते हों........

(शोरगुल-व्यवधान)

आप सरकारी कर्मचारियों का पेट फोड़ रहे हो।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : क्यों यहां पर स्टण्ट करते हो ? उपभोक्ता भण्डार की बात मैंने आज से दो साल पहले रखी थी और उस समय सरकार ने इस पर तवज्जह नहीं दी, लेकिन अब जाकर सरकार को यह एहसास हुआ है कि इस चीज को हल करने का यही एक इलाज है। अब मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं और आप इसको डेफिनेट कर दें कि जो आपने एक करोड़ का प्रोविजन किया है, टोकन प्रोविजन किया है एक करोड़ का इसमें एक करोड़ दस लाख भी हो सकता है कम भी हो सकता है. इसमें मैं आपसे एक कमिटमेंट चाहता हूं कि जो आपने पिछली बार पांच रुपये बढ़ाए थे और उसके बाद से जितनी मंहगाई बढ़ी है प्राइस इन्डेक्स के हिसाब से जितना प्राइस इन्डेक्स बढ़ गया है और इस बढ़े हुए इन्डेक्स से जो आप पांच रुपये और बढ़ाते और उसका जितना अमाउण्ट बनता आपके कुल दो लाख गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स का वह कुल अमाउण्ट आप उपभोक्ता भण्डार को सब्सिडाइज्ड करेंगे, आप यह बता दीजिए......

(व्यवधान)

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : यह तो बिल्कुल सरकारी प्रवक्ता ही मालूम होते हैं।

श्री मथुरादास माथुर : माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा है उससे मैं बिल्कुल सहमत

(श्री मथुरादास माथुर)

हूं और उसमें एक्चुग्रली कितना ग्रमाउण्ट लगेगा । इसको हम वर्क ग्राउट कर रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिह : माननीय सदस्यने जो बात कही है उनके लिए मैं माननीय मंत्री महोदय से एक डेफिनिट कमिटमेंट लेना चाहता हूं ग्रौर यदि वे कर सकें तो करें कि जो मंहगाई बढ़ी है छः पर्सेन्ट की, उसका पीरियड कौन सा रहेगा ? कौन से पीरियड से ग्राप प्राईस इण्डेक्स बढ़ा हुग्रा मानेंगे ? जो प्राइस इण्डेक्स ग्रौर लिविंग इन्डेक्स बढ़ता है, इन दोनों का कम्पेरीजन कौन से परसेन्ट से ग्राप लेकर चल रहे हैं ? किस डेट को लेकर ग्राप चलेंगे ? माननीय सदस्य ने कह दिया कि लास्ट टाइम से गिनेंगे.......

श्री मथुरादास माथुर : मैं बता देता हूं ग्रापको कि लास्ट टाइम जो पांच रुपये की रिलीफ दी गई थी उसके बाद में जो ग्रब प्राईस इण्डेक्स बढ़ा है उसी को सब्सिडाइज करने का सवाल है ।

(राज्य पक्ष की ग्रोर से करतल-ध्वनि)

श्री भैरोंसिह : माननीय सदस्यों ने तालियां तो बजा दीं, लेकिन इसी में गवनमेंट सर्वेन्ट्स के गले पर छुरी फिर रही है ।

(व्यवधान-शोरगुल)

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : जब पिछली बार पांच रुपये बढ़ाए थे, तो माननीय सदस्य ने भी क्यों तालियां बजाई थीं....

(शोरगुल)

श्री भैरोंसिह : मैं ग्रर्ज कर रहा हूं कि इसमें ही सरकारी कर्मचारियों के गले पर छुरी चलाने को तजवीज की जा रही है। पिछली बार जो पांच रुपये बढ़ाए गए थे तो उस समय जो प्राईस इन्डेक्स था, क्या ग्रापने उस बढ़े हुए प्राइस इण्डेक्स के हिसाब से ही पांच रुपये बढ़ाए थे या उस समय भी ज्यादा बढ़ने चाहिए ग्रौर ग्रापने पांच रुपये ही बढ़ाए थे । पिछले टाइम में पांच रुपये बढ़ाए गए थे उसी को बेस मानकर जो ग्राप चल रहे हैं तो इसी में तो सरकारी कर्मचारियों के गले पर छुरी फिर रही है । उस समय जो प्राइस इण्डेक्स के हिसाब से पैसे नहीं बढ़ाये गए थे तो उसको ग्राप कैसे बेस मान कर चल रहे हैं....

(शोरगुल-व्यवधान)

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : जब पिछली बार पांच रुपये बढ़ाए थे तो फिर ग्रापने उस समय तालियां क्यों पीटी थीं । लास्ट टाइम ग्राज जब सरकार उनके साथ रीजनेबल तरीके से पेश ग्राना चाहती है ग्रौर उसके बाद इनके पास कोई पॉइन्ट नही रह गया है तो ग्रब उस चीज को इस तरह से एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं । पिछले टाइम से ग्रब तक छः परसेंट मंहगाई बढ़ी है तो उसको कम्पेन्सेट करने का कमिटमेंट किया जा सकता है ग्रौर उसी के ग्रनुसार उनको छः रुपये तक की रिलीफ मिलनी चाहिए ।

श्री भैरोंसिह : माननीय सदस्य सरकारी कर्मचारियों की वकालत भी कर रहे हैं ग्रौर उनके गले पर छुरी भी चला रहे हैं....

(शोरगुल-व्यवधान एवं व्यवस्था-सूचक घण्टी)

श्री भैरोंसिंह : माननीय सदस्य, इस पॉइन्ट को समझ ही नहीं सके हैं....

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैं तो अच्छी तरह से समझ रहा हूँ कि यही एक प्रेक्टिकल सॉल्यूशन है, लेकिन माननीय सदस्य इसको नहीं समझ रहे हैं बल्कि समझना नहीं चाह रहे हैं, इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप इसको इस तरह से एक्सप्लॉयट मत कीजिए....

(शोरगुल, व्यवधान एवं व्यवस्था-सूचक घण्टी)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : आज ही स्टेट के फाइनेन्स मिनिस्टर को इसमें जितनी तकलीफ होगी, उसकी आपको चिन्ता क्यों हो गई है ?

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ! ऑर्डर .

श्री भैरोंसिंह : मैं ऐसा समझता हूँ कि सरकार की भी पूरी सहानुभूति है और आपने उनके लिए जो कष्ट किया है उसके लिए भी सरकारी कर्मचारी आपके बहुत ही आभारी होंगे। लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे हैं कि जिनका यदि समाधान हो जाय तो ज्यादा अच्छा होगा। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय ने जो मुद्दा उठाया है और माननीय सदस्य ने जो कमिटमेंट कराया है वह कमिटमेंट इनएप्रोप्रियेट है क्योंकि जिस समय आप प्राईस इंडेक्स और लिविंग इण्डेक्स के चक्कर में पड़ेंगे तो उस समय सरकारी कर्मचारियों को छः रुपये तो क्या दो रुपये की राहत भी नहीं मिल सकेगी। उन्होंने शायद केलकुलेट करके देखा नहीं है, मैंने इसको केलकुलेट किया है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इस मंहगाई भत्ते के प्रश्न को लेकर हम बेस किस को मानते हैं और किस प्राइस इंडेक्स को लेकर हम लोगों का वेतन निर्धारित करना चाहते हैं। इस सम्बन्ध में माथुर कमेटी ने लेबर प्रोब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जिस तरह का सॉल्यूशन निकाला था वह तो एक तरीका था मंहगाई को न्यूट्रेलाइज करने का और उस माथुर कमेटी के सिद्धान्त को यदि सरकार स्वीकार करती तो कुछ बात समझ में आती, लेकिन सरकार उसको तो स्वीकार करती ही नहीं है। केवल फैक्ट्री को कहती है, कम्पनियों में जाकर कहती है, बॉल बियरिंग कम्पनी को कहती है कि तुम माथुर कमेटी की सिफारिशें स्वीकार कर लो, लेकिन जिस समय उसके खुद के स्वीकार करने का प्रश्न आता है तो उसके लिए तैयार नहीं है....

श्री उपाध्यक्ष : इसमें अधिक बहस की आवश्यकता नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक महत्वपूर्ण पॉइन्ट इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र ने पांच रुपये से ३५) रु० तक का डी. ए. बढ़ाया है तो क्या वहां पर अर्थ शास्त्री नहीं थे ? क्या वहां की सरकार यह नहीं सोच सकती थी कि डी. ए. बढ़ाने से हमारे यहां की महंगाई बढ़ जाएगी, हमारे यहां का प्राईस इंडेक्स बढ़ जाएगा ? भारत सरकार ने जब अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाया तो क्या

(श्री भैरोंसिंह)

उन्होंने नहीं सोचा था । आज भारत सरकार के और राजस्थान के कर्मचारियों में महंगाई भत्ते में कितना अन्तर है यह मैं आपके सामने आंकड़े रखता हूँ जिससे मन्त्री महोदय को स्पष्ट हो जाएगा । भारत सरकार के कर्मचारियों में जिनको ७०) रु० से १०६ रु० तक तनख्वाह मिलती है उनको ३८) रुपया महंगाई भत्ता मिलता है जब कि राजस्थान के कर्मचारियों को २५) रु० मिलता है और इस तरह से १३) रु० का अन्तर है । इसी तरह से ११०) रु० से १४६) रु० तक वेतन पाने वाले भारत सरकार के कर्मचारियों को ५८) रु० महंगाई भत्ता मिलता है जब कि राजस्थान के कर्मचारियों को ३५) रु० मिलता है, इस तरह से २३) रु. का अन्तर है। १५०) रु० से २०६) रु० पाने वालों को वहां ७६) रु० भत्ता मिलता है जब कि राजस्थान वालों को ३५) रु० मिलते हैं और इस तरह से ४१) रु० का अन्तर रहता है । उसी प्रकार २१०) रु० से ३६६) रु० तक पाने वालों को भारत सरकार ९३) रु० देती है जब कि हमारी राजस्थान सरकार ४५) रु० देती है, तो यह तो आपके यहां की स्थिति है । इनके अलावा जो आपके आई. पी. एस. और आई. ए. एस. के ऑफिसर्स है जिनका वेतन एक हजार से अधिक हैं उनको एक सौ रुपया महंगाई भत्ता मिलता है..........

श्री मथुरादास माथुर : माननीय सदस्य जो कुछ बोल रहे हैं वे सब तो बहस के मुद्दे हैं लेकिन इस समय इनका कोई सम्बन्ध नहीं है । माननीय सदस्य ने एक एडजोर्नमेंट मोशन रखा और उस पर आपने आज्ञा दी कि स्टेटमेंट दिया जाय और इसी लिये हमारे डिप्टी मिनिस्टर जी ए. डी. ने स्टेटमेंट पढ़ दिया । उस पर लोगों ने एक तकरीर भी कर ली और जवाब चाहा तो वह भी दे दिया गया । अब जो आप माथुर कमेटी के मामले उठा रहे हैं और उसको डी. ए. के साथ जोड़ कर जिस तरह से यहां उन मुद्दों को रख रहे हैं तो यह कोई सरल मामला नहीं है कि इसका जवाब यों ही दे दिया जाय । डियरनेस अलाउंस के न्यूट्लाइजेशन के मामले में बहुत बातें कही जा सकती हैं और इस पोइन्ट पर बहस करना चाहते हैं तो किसी निश्चित तरीके से बहस की जा सकती है। लेकिन जो महंगाई को न्यूट्लाइज करने का सवाल है सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी कौन सा सेंट परसेंट न्यूट्लाइजेशन कर दिया है..........

श्री भैरोंसिह : आप अपने कर्मचारियों का सेंट पर्सेन्ट न्यूट्लाइजेशन नहीं कर सकते हैं तो मजदूरों के लिए कम्पनियों से कैसे मांग सकते हैं ?

श्री मथुरादास माथुर : जहां तक मेरी जानकारी है गवर्नमेंट सर्वेन्टस के लिए लिविंग इन्डेक्स फीगर वर्क आउट नहीं हुए हैं । आपके पास जो फीगर्स हैं ये वर्किंग क्लास के हैं ।

श्री भैरोंसिह : इसको इम्प्लीमेंट किया गया है गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स के लिए ।

श्री राधाकृष्ण गोयल : यह विषय इतना महत्वपूर्ण है कि इसको एडमिट कर लिया जाये ।

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

(कुछ माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ! दूसरा स्थगन प्रस्ताव ....

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यह मामला काफी महत्वपूर्ण है। माननीय मंत्री महोदय ने स्वीकार कर लिया है कि इस मसले पर विचार किया जाना चाहिये। दूसरी बात मैं समझता हूँ कि २६ तारीख से पहले जब कि राजस्थान के दो लाख कर्मचारी जगह जगह इस सरकार के मुर्दाबाद के नारे लगाये, जो लायल सर्वेन्ट्स हैं वे सरकार के प्रति इस प्रकार का व्यवहार लेकर चलेंगे तो राज्य सरकार कहां जाकर टिकेगी ? कहीं जाकर टिक नहीं सकती है। यह राजस्थान के लिए गम्भीर खतरा है। इस चीज के लिए मोशन मन्जूर नहीं करते हैं तो किस चीज के लिए आप चाहते है कि मोशन मन्जूर करायें ? क्या आप चाहते हैं कि मन्त्रियों की गाड़ियां जला दी जायं ? क्या आप चाहते है कि मन्त्रियों को विधान सभा में घुसने नहीं दिया जाय, तो एडजोर्नमेंट मोशन मन्जूर किया जायेगा। राजस्थान में ऐसा कौन सा मसला आ सकता है कि जिस पर एडजर्नमेंट मोशन मन्जूर हो सकता है। जिस राज्य सरकार के दो लाख कर्मचारी आज इस हुकूमत के साथ बगावत का झण्डा लेकर खड़े होते हैं तो मैं समझता हूँ कि अगर यह एडजर्नमेंट मोशन मन्जूर नहीं होता है तो फिर कौन सा मौका होगा ? जब सरकार तैयार नहीं है कि कल इस विषय को ले ले तो मैं इस पर आज हो वाद-विवाद होकर सरकार से इस बारे में अन्तिम निर्णय कराया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ! दूसरा स्थगन-प्रस्ताव..........

श्री भैरोंसिंह : दूसरा नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, अभी सरकारी कर्मचारियों का सवाल है........

श्री उपाध्यक्ष : इसकी अनुमति नहीं दी गई है।

श्री भैरोंसिंह : इसलिए मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि सरकार को राय ले लें तो उचित होगा। मैं इसका तकाजा नहीं करता कि सरकार आज तैयार होकर नहीं आई है तो इसको कल लेले।

श्री उपाध्यक्ष : आप इस पर बहस रेज कर सकते हैं।

श्री भैरोंसिंह : और कैसे कर सकते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : रूल्स में लोक महत्व के प्रश्न पर डिस्कशन के द्वारा अथवा कॉल अटेंशन द्वारा या अन्य किसी विधि से।

श्री भैरोंसिंह : आप मुझे इजाजत दे दें कि दूसरी तरह से २६ तारीख से पहले पहले-फिर इस पर वाद विवाद चला सकता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : रूल्स में देखें।

श्री भैरोंसिंह : रूल्स में इस बारे में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : उसमें है आप रूल्स देखिये।

Page No. 52

श्री भैरोंसिंह : आप मुझे इजाजत देंगे तो मैं कर लूंगा। २६ तारीख से पहले पहले इसी प्रश्न पर वाद विवाद के रूप में लाने की यदि आप अनुमति दे देंगे तो मैं कर लूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : आप रूल्स के मातहत जिस प्रकार हो करें।

श्री भैरोंसिंह : मैंने रूल्स को देख लिया है और कोई तरीका नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : एडजर्नमेन्ट मोशन पर यह स्टेटमेन्ट हुआ है।

श्री भैरोंसिंह : यह कहां लिखा है ?

श्री उपाध्यक्ष : इसके बावजूद गवर्नमेंट डिसक्शन के लिए तैयार हों तो........

श्री भैरोंसिंह : गवर्नमेंट कहती है कि वह तैयार नहीं हैं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : किसने कहा कि तैयार है ?

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मेरे एडजोर्नमेंट मोशन को वोट पर रक्खे जाने के लिए प्रैस करता हूँ। पार्लियामेंट में भी एडजोर्नमेंट मोशन का डिसीज़न वोट से हुआ है। आप चाहें तो एक नहीं, मैं पचासों रूलिंग आपके सामने प्रस्तुत कर सकता हूँ जो लोक सभा के अध्यक्ष और राज्य सभा के अध्यक्ष ने दिये हैं। वहां पर जो एडजर्नमेंट मोशन प्रस्तुत किये गये हैं और जिनको प्रेस किया गया है उनको वोट के द्वारा डिसा-इड किया गया है, तो मैं अपने प्रस्ताव को हाउस के वोट के लिए प्रेस करता हूँ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न जहां इतने महत्वपूर्ण है कि सारे के सारे लोग इतने एजीटेटेड फील करते हों तो इस प्रश्न के ऊपर विचार होना चाहिए। इस बारे में सारा अपोजिशन युनाइटेड और वह फील करता है कि राज्य-कर्मचारियों के साथ अन्याय हो रहा है उसके पश्चात् एडजोर्नमेंट मोशन को स्वीकार करके सदन की जो नियमित कार्यवाही है उसको स्थगित किया जाकर पहले इस समस्या पर विचार किया जाय। सर-कार भी तैयार है और हम भी तैयार हैं तो सदन की कार्यवाही को स्थगित किया जाकर इसको लिया जाय। अगर वे स्थगित करने के लिए तैयार नहीं हैं तो हम प्रेस करते है इस एडजर्नमेंट मोशन पर वोट हों। इसी प्रकार के एक एडजर्नमेंट मोशन श्री प्रकाशवीर शास्त्री ने बंगाल की स्थिति के बारे में पार्लियामेंट में रखा था और उस पर वोटिंग हुआ है। इस पर भी वोट ले लिया जाय तो मालूम पड़ जायेगा कि कांग्रेस के जितने लोग राज्य कर्मचारियों के साथ हैं हमारे साथ वोट करेंगे तो उनके साथ हम-दर्दी होगी, नहीं तो समझेंगे कि उनका गला काटना चाहते हैं।

(कुछ माननीय सदस्य बोलने लगे)

श्री उपाध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज। इस विषय में मैं निर्णय दे चुका हूँ। यह एडमिट हो तभी तो बाद में दूसरा प्रश्न आता है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : एडमिट कर लिया जाय तब तो पार्लियामेंट में वोट का सवाल नहीं होता है। वह एडमिट नहीं कर लिया गया था जैसी स्थिति जब आती

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

है तभी तो वोट का सवाल खड़ा होता है कि इसको एडमिट किया जाये या नहीं किया जावे। इस पर ही वोटिंग हुआ है प्रकाश-वीर शास्त्री के प्रस्ताव पर।

श्री भैरोंसिंह : अभी इसको डिसपोस ऑफ नहीं किया जाये । मैं आपको रूलिंग पेश कर दूंगा .

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप १० मिनिट का टाइम दें। मैं अभी पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग लाकर पेश कर दूंगा कि जिसमें एडजोर्नमेंट मोशन पर वोट हुआ है। and the adjourment motion was rajected by votes.

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मैं माननीय जनसंघ के नेता से दो शब्द निवेदक करना चाहता हूँ इस मोशन को यदि वे वोट के लिए प्रेस करेंगे तो उनका यह अधिकार है इस सम्माननीय सदन के सदस्य के नाते। लेकिन शायद आज सरकार ज्यादा पसन्द न करे तो सरकार को चाहिए कि उसकी तैयारी करें और वे आज इस मोशन को प्रेस नहीं करें वोट के लिए। मैं तो उनको यही सलाह दूंगा कि बाद में करें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : हां, हम तैयार हैं। आपका संकेत और निर्देश हमें स्वीकार हैं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यह कह देना कि मोशन को वोट के लिए प्रेस करने का अधिकार नहीं है यह निर्विवादित बात है कि मोशन आता है तो आप हमेशा उस पर प्रेस कर सकते हैं। वोटिंग का आपका अधिकार है। मेरे ख्याल में वह अपनी तथाकथित लोकप्रिय सरकार को अच्छा पाठ पढ़ायेंगे। इनको भी मैं दो शब्द निवेदन कर दूं कि यह एक रेकरिंग प्रोब्लम है। जब माननीय वित्त मंत्रीजी, कौल साहब ने यह घोषणा की जो मुझे तो कुछ हंसी आई और उसके साथ साथ दया भी आई और दुख भी हुआ कि कौल साहब ने यह १०० ईयर्स पीछे रख दिया। मैं आपको निवेदन करूंगा कि वह कहते हैं जूने जमाने में कर्मचारियों के वास्ते कि रोटी और कपड़ा रे वास्ते में थाने रोजगार देवांगा। आपको अनऑर्थोडॉक्स मेथड्स लाकर इस रेकरिंग प्रोब्लम को इतना आवश्यकता से अधिक बढ़ावें तो मेरा यह निवेदन है कि आप ऑर्थोडॉक्स मेथड्स पर्स्यू करें। मैं नहीं कहता कि एकदम करें, लेकिन ऑर्थोडॉक्स मेथड्स पर्स्यू करें। डीकन्ट्रोल करें तो मेरे ख्याल से प्राइसेज पर काबू पा सकते हैं। ग्रेजुअली कमोडीटीज को डिकन्ट्रोल करें तो तथाकथित मंहगाई कम पड़ सकती है। कर्मचारियों को और भी नुकसान में क्यों डालते हैं? जनसंघ के माननीय नेता से मैं यह कहूँ और माननीय मथुरादासजी से भी यह कहूँ कि हमें सरकारी कर्मचारियों को खुश रखने की कोशिश करनी चाहिये। जनसंघ के माननीय नेता ने कहा कि हाहाकार करेंगे, सरकार के बारे में नारे लगायेंगे तो सरकार की क्या शोभा इसमें दीखेगी। तो मेरा यह निवेदन है कि सरकार सारी जीवनी शक्ति प्राप्त करती है तो अपने कर्मचारियों के द्वारा करती है। कर्मचारियों को खुश रखना, संतुष्ट रखना यह तो एक एलिमेन्टरी प्रिन्सीपल है, of a good

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

Government आपके शासन के लिए अनिवार्य वस्तु है तो मैं इस चीज को रखना चाहता हूँ कि मंहगवारी भत्ता देना चाहते हैं, लेकिन इसके साथ दया करके यह निर्दयता, यह बिल्कुल अवास्तविकता को हटाकर देखिये कि कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता देंगे, लेकिन बेचारे गरीब को क्या देंगे, भूखमरी ? तो मेरे खयाल में ओवर ऑल कन्सीडरेशन को मद्दे-नजर रखते हुए मेरा निवेदन है कि ओर्थोडोक्स मेथड्स पर्सू करें और जनसंघ के माननीय नेता से यह निवेदन करूंगा कि वे उनके मोशन को यदि प्रेस भी करें तो गवर्नमेंट बेन्चेज से कन्सल्ट करने के बाद करें, और अगर आज हो जाये तो इस पर वोट भी हो जावे तो क्या हर्ज है, ?

(हियर हियर)

(१. म० प०)

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों का ध्यान रूल ५० और रूल ५४ की तरफ आकर्षित करूंगा जिसके अनुसार इसको अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न न समझ कर मैंने इजाजत नहीं दी। इसलिये स्टेटमेन्ट देने को कहा। स्टेटमेन्ट हो गया उसके बाद स्पष्टीकरणात्मक प्रश्न हुए थे वे भी जितने साधारणतः होने चाहिये उतने नहीं बल्कि डिस्कशन की तरह करीब करीब अलाउ किये गए। अब मैं नहीं समझता कि जो निर्णय एक दफा रूल्स के मुताबिक दे दिया गया है उस पर मैं दृढ़ न रहूँ इसलिए मैं अक्षम हूँ कि इसको और रीकंसीडर करूं।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : मंत्री महोदय ने बताया है कि ५ रुपये बढ़ायेंगे तो, इतने रुपये खर्च होंगे, ऐसी हालत में मुश्किल से १ रुपये को राहत मिलेगी ऐसी बात बन रही है उनके जवाब से...

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज़।

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, जिस एडजोर्नमेन्ट मोशन पर यदि आप स्टेटमेन्ट देने का सरकारी प्रवक्ता को आदेश देते हैं और जैसी आपने कृपा करके वाद विवाद करने के लिए इजाजत दी इससे इस प्रकार की सूरत रही है कि मामला इस प्रकार का है कि सरकार को स्टेटमेन्ट देना चाहिये और उस पर सूक्ष्म ही सही लेकिन वाद विवाद होना चाहिये इससे आपने सदन को और जनता को यह महसूस करने दिया कि राजस्थान विधान सभा के उपाध्यक्ष इस मामले को गंभीर जरूर समझते हैं कि इस पर स्टेटमेन्ट दिया जाय और चर्चा की जाय। मामला गंभीर है इसको संकेत के रूप में स्वीकार किया और आपने रूलिंग दी उस समय इस प्रकार की स्थिति थी, वाद-विवाद हुआ उससे मामला और गंभीर हो गया। इसी प्रकार से बंगाल के मामले को लेकर श्री प्रकाशवीर शास्त्री ने पार्लियामेंट में एक एडजोर्नमेंट मोशन रखा था उसकी भी वही हालत हुई जैसी आज मेरे प्रस्ताव की हुई। इस पर तत्काल विचार किया जाय या नहीं उस पर सदन का निर्णय होना चाहिये। उस पर सदन का निर्णय हुआ। श्री प्रकाश वीर शास्त्री बहुमत में नहीं थे इसलिए गिर गया लेकिन मत आवश्यक हुए थे। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि लड़ाई हमारे और सरकार के बीच में है, हम आपसे नहीं लड़ना चाहते हैं। हम आपका आदर सम्मान प्रतिष्ठा रखते हुए सरकार पर दबाव

Page No. 55

(श्री भैरोंसिंह)

डालना चाहते है लेकिन कुर्सी बीच में आ गई। इसलिए में निवेदन करना चाहता हूँ कि कुर्सी की प्रतिष्ठा और सम्मान रखते हुए जो मामला सरकार और अपोजीशन के बीच में है उसके बीच में कुर्सी न आवे। इसको अवोइड करने के लिये इसको वोट पर रख दिया जाय। आज यदि सरकार इसके लिये तैयार नहीं है तो आगे रख दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य ने कहा उस संदर्भ में मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि श्री प्रकाशवीर शास्त्री ने जो कुछ किया और पार्लियामेंट में उस पर जो कुछ हुआ उसका उदाहरण पेश कर दें तो उस पर अधिक के लिए विचार किया जा सकता है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं अभी ५ मिनट में ला दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : इसके लिये कल भी हो सकता है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इस बारे में एक बार रूलिंग दी जा चुकी है...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दे दी है, यह प्रश्न कल आ जायगा।

(१.०२ म. प.)

जिला सवाईमाधोपुर के गांव गोठड़ा पीपलदा में डकैती सम्बन्धी स्थगन प्रस्ताव

श्री उपाध्यक्ष : दूसरा स्थगन प्रस्ताव श्री राधाकृष्ण गोयल तथा श्री गोविन्द सहाय ने दिया है जिला सवाई माधोपुर में १७ फरवरी ६६ को डकैती तथा हत्या के बारे में विचार करने के लिये सदन की कार्यवाही स्थगित करने के बारे में दिया है। यह मामला इतना अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है कि सदन की कार्यवाही को स्थगित किया जाय। ऐसी अवस्था में मैं स्थगन प्रस्ताव को स्वीकृत करने में असमर्थ हूँ। इसमें सरकार की ओर से स्थिति को स्पष्ट करते हुए वक्तव्य शीघ्रातिशीघ्र दिया जाय।

श्री मथुरादास माथुर (योजना मन्त्री) : It is not necessary that we make a statement here and now.

राजस्थान की सीमा में पाकिस्तान की गतिविधियों सम्बन्धी स्थगन प्रस्ताव

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : एक स्थगन प्रस्ताव और है, पाकिस्तान की सेनाओं....

श्री उपाध्यक्ष : और कुछ स्थगन प्रस्तावों के बारे में सरकार को लिखा गया है कि इस बारे में जानकारी दें और कुछ के विषय में मैं यह निवेदन करूंगा कि हमारे सामने आज ३ डिमान्डस हैं इसलिये कल उन पर विचार किया जायगा।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : राजस्थान की सीमा के बारे में जो स्थगन प्रस्ताव रखा है उस पर कल ही स्टेटमेंट होना चाहिये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार) : एक एडजोर्नमेंट मोशन २१

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

तारीख को मैंने अध्यक्ष महोदय को प्रस्तुत किया था उस पर २२ तारीख को वक्तव्य होना था पर सरकार ने जानकारी नहीं दी। आज २३ तारीख हो गई, तीन दिन हो गये फिर भी सरकार के पास जानकारी नहीं है ··

श्री मथुरादास माथुर (योजना मंत्री) : किसके बारे में हैं ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जैसलमेर में घोटारू और साडेवाला में पाकिस्तानी रेन्जर्स १०–१२ मील हमारी सीमा में आकर बैठ गये हैं उसके बारे में सरकार को क्या कहना है ? घटना घटे ५ दिन हो गये, प्रस्ताव दिये तीन दिन हो गये राजस्थान सरकार के पास अपने जिलों के बारे में, अपनी सीमा के बारे में सूचना नहीं है। रेन्जर्स आकर बैठ गये हैं, फिर भी राजस्थान सरकार सूचना एकत्रित नहीं कर सकी, राजस्थान सरकार सूचना नहीं दे सकी सीमा के सम्बन्ध में यह कितना क्रिमिनल नेग्लीजेंस है।····

श्री राधाकृष्ण गोयल : भारत सरकार के रक्षा मन्त्री ने स्वीकार किया है; पाकिस्तान की सेना राजस्थान में घुस गई है और इनको पता नहीं है, सरकार इस स्थिति में नहीं है कि स्थगन प्रस्ताव का उतर दे सके।

(शोरगुल)

श्री फतेहसिंह (चौहटन) : उपाध्यक्ष महोदय ····

(शोरगुल)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : एक मिनट का समय इनको दिया जाय :

(शोरगुल)

श्री विजयसिंह झाला : ये जैसलमेर की जानकारी देना चाहते हैं।

श्री हरिराम धारू (सिवाना सु,) : ये बाड़मेर में रहते हैं, जैसलमेर के बारे में इनको पता नहीं है, जैसलमेर की बोली नहीं समझते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (किशनपोल, जयपुर) : ये बाड़मेर में रहते हैं या नहीं।

श्री फतेहसिंह (चोहटन) : ३०–४० मील का वीरान एरिया है जहां पर आपकी कोई रोक नहीं है, पाकिस्तान वालों ने दुबारा आकर कब्जा कर लिया है।

श्री हरिराम धारू : गलत बात है।

(शोरगुल)

श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा) : यह बड़े शर्म की बात है। इससे बढ़ कर शर्म की बात क्या हो सकती है कि राजस्थान के बोर्डर के पास पाकिस्तान की सीमा है हमारी सरकार ने सीमा की रक्षा के लिये कोई इन्तजाम नहीं किया है। सदन को बताना चाहिये कि उसने क्या इन्तजाम किया है ?

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

(१.८ म. प.)

राजस्थान लोक सेवा आयोग का चौदहवां
(प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखना)

श्री मथुरादास माथुर (योजना मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, भारत के संविधान के

(श्री मथुरादास माथुर)

अनुच्छेद ३२३ (२) के अन्तर्गत राजस्थान लोक सेवा आयोग के चौहदवें प्रतिवेदन की प्रति (१.४.६३ से ३१ मार्च, १९६५ तक), व्याख्यात्मक ज्ञापन सहित, जिसमें आयोग की राय न मानने के कारण दिये गये हैं, सदन की मेज पर रखता हूँ।

श्री विजयसिंह झाला : ओन ए पोइंट ओफ ऑर्डर, सर····

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज़।

(शोरगुल)

(१.९ म. प.)

राजस्थान राज्य पथ परिवहन सेवा विकास नियम, १९६५

(सदन की मेज पर रखना)

श्री मथुरादास माथुर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं····

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलने के लिये खड़े हुए)

(औचित्य प्रश्न प्रस्तुत करने विषयक एवं शोरगुल के बीच योजना मन्त्री श्री माथुर बोलते रहे।) मोटर व्हीकल्स एक्ट, १९३९ की धारा १३३ (३) के अन्तर्गत, राजस्थान राज्य पथ परिवहन सेवा (विकास) नियम, १९६५ की एक प्रति सदन की मेज पर रखता हूँ।

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री विजयसिंह झाला : जब तक इनको बोलने का मौका नहीं दिया जायगा तब तक आगे कार्यवाही नहीं करने देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : किस नियम के अनुसार बोलने का मौका दिया जाय जब कि स्टेटमेंट नहीं हुआ है ?

श्री विजयसिंह झाला : आपने बोलने का समय दे दिया है।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने समय नहीं दिया है।

श्री विजयसिंह झाला : आपने आदेश दिया था कि····

श्री उपाध्यक्ष : जिस समय डिमाण्ड आये तब उस पर बोल सकते हैं।

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : उपाध्यक्ष महोदय····

श्री उपाध्यक्ष . इस तरह बोलना नियमों के अनुसार नहीं है।

श्री विजयसिंह झाला : जब आपने समय दे दिया है उसके बाद में क्या आपत्ति है ?

श्री उपाध्यक्ष : जब स्टेटमेंट दे दिया जाय, जब बिजनेस सामने आ जाय तब बोल सकते हैं।

श्री विजयसिंह झाला : इस तरह से सरकारी पक्ष दबाव डाल कर कार्यवाही नहीं चला सकता। जब आपने आदेश दे दिया है···

Page No. 58

श्री उपाध्यक्ष : मैंने क्या आदेश दिया है ?

श्री विजयसिंह झाला : जब आपने बोलने का आदेश दे दिया । उसके बाद में कोई दबाव हो सरकारी तरफ से कि इनको नहीं बोलने दिया जाय । सरकारी पक्ष की तरफ से इशारा हो जाय कि इनको नहीं बोलने दिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने इस सम्बन्ध में कोई आदेश नहीं दिया है ।

श्री भैरोंसिह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन कर दूं । मेरा निवेदन है कि हम इस पर वादविवाद नहीं करना चाहते हैं लेकिन दो प्रश्न सामने हैं—एक तो एक एडजोर्नमेंट चार पांच दिन पहले रखा गया कि राजस्थान की सीमा पर पाकिस्तान की सेनायें आ गई हैं और उसके कारण सीमा-वर्ती क्षेत्र में असंतोष बढ़ रहा है, सीमा वर्ती क्षेत्र में भय और आतंक की स्थिति है । उस समय इस सदन में मुख्य मन्त्री जी ने कहा कि उन्होंने कोई भी अतिक्रमण नहीं किया है । न तो कोई अतिक्रमण के सम्बन्ध में एडजोर्नमेंट मोशन मूव किया गया था और न यह कहा गया था कि पाकिस्तान की सेना राजस्थान की सीमा में, बाड़मेर की सीमा में प्रवेश कर गई है । लेकिन जो बातें उस दिन हमने यहां पर कही थीं वह की वह लोक सभा में रक्षा मंत्री ने कही हैं कि पाकिस्तान की सेनायें राजस्थान की सीमा पर पहुँच गई हैं । इसका तात्पर्य यह है कि राजस्थान की सीमा पर जो पाकिस्तान की सेना बैठी है उससे वहां के क्षेत्र के लोगों में आतंक और भय की स्थिति पैदा होगी और ऐसी स्थिति पैदा हो रही है क्योंकि इस प्रकार की सूचना है कि जैसल-मेर में सादेवाला और घोटारू के बीच में पाकिस्तान के मुजाहिद देखे गए हैं । इस प्रकार की सूचना आई है इसका मतलब है कि पाकिस्तान का इरादा ठीक नहीं है और वह ताशकन्द समझौते का उल्लंघन करने की तैयारी कर रहा है । भारत सरकार ने गलती की थी ताशकन्द समझौते को मंजूर करके और अब राजस्थान इस बार शिकार बनने वाला है तो उसके लिए राज्य सरकार क्या कार्यवाही कर रही है । यह मैं जानना चाहता हूँ ।

श्री उपाध्यक्ष : इस विषय में मैं निवे-दन करना चाहता हूँ कि इस विषय में सर-कार को कह दिया है । वह शीघ्रातिशीघ्र इस विषय में जानकारी करके स्टेटमेंट देगी, उस समय इस मामले को आगे बढ़ायें ।

श्री भैरोंसिह : यह ठीक है,......

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, २३ सितम्बर को, जिस समय युद्ध विराम हुआ था, यहां पर पौने चार बजे हमने कहा था कि हमें इस सम्बन्ध में सतर्क रहने की जरूरत है क्योंकि पाकिस्तान राजस्थान की सीमा में घुसपैठ करेगा और राजस्थान के इलाकों पर कब्जा करेगा । राज्य सरकार इस विश्वास में नहीं रहे कि पाकिस्तान ताशकन्द समझौते का पालन करेगा । इस-लिए राजस्थान के इलाकों पर उसका कब्जा नहीं हो जाय इसकी रोकथाम की जाय । मैं आपको फिर कहता हूँ कि पाकिस्तान ताश-कन्द समझौते को कब्र में दफना रहा है और

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

इस बात को प्रधान मन्त्री इन्दिरा गांधी ने माना है, रक्षा मन्त्री चह्वाण ने माना है। लेकिन राजस्थान की सरकार ताशकन्द समझौते पर पूरा विश्वास करके बैठी है। इसलिए मैं चुनौती देना चाहता हूँ कि सरकार को सतर्क रहना चाहिये कि इस प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति-कहीं पैदा न हो जाय, जिस प्रकार युद्ध-विराम हो जाने पर भी उसने राजस्थान की भूमि पर कब्जा किया था वही स्थिति फिर पैदा न हो। पाकिस्तान तो ताशकन्द समझौते को कब्र में दफना ही चुका है, कहीं ऐसा न हो कि वह राजस्थान की भूमि पर कब्जा कर ले। इसलिए जवाब तो आप चाहे आज दें, कल दें या परसों दें, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह राजस्थान सरकार का निकम्मापन होगा यदि पाकिस्तान ने राजस्थान की भूमि पर फिर कब्जा किया और उस सूरत में बंगाल और केरल में तो क्या घटनायें हुई हैं, उससे जबर्दस्त घटना राजस्थान में घटेगी।

श्री **उपाध्यक्ष** : मैं समझता हूँ कि राजस्थान सरकार शीघ्रातिशीघ्र इस बारे में जवाब देगी और पूरी जानकारी करके देगी।

श्री **राधाकृष्ण गोयल** (टोंक) : उपाध्यक्ष महोदय, सरकार को सब घटनाओं की जानकारी रहनी चाहिये और हमें जानकारी देनी चाहिये। इसमें एड्जोर्नमेंट मोशन लाने की आवश्यकता नहीं रहनी चाहिये।

श्री **फतहसिंह** (चोहटन) : जब तक आप इन्तजाम करेंगे और यहां पर जवाब देंगे तब तक कहीं घोटाला न हो जाय।

श्री **उपाध्यक्ष** : ठीक है।

श्री मथुरादास माथुर : (योजना मंत्री) उपाध्यक्ष महोदय...

श्री राधा कृष्ण गोयल : उपाध्यक्ष महोदय, एक दुग्ध वितरण के संबन्ध में एड्जोर्नमेंट मोशन रखा था उसका उत्तर मिल जाय तो अच्छा है।

श्री उपाध्यक्ष : आप ठहरिये। आपका आ जाएगा।

श्री मथुरादास माथुर : माननीय उपाध्यक्ष जी, जो गोयल साहब ने प्रस्ताव रखा है उसकी प्रतिलिपि अभी हमको मिली है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : किसके बारे में ?

श्री मथुरादास माथुर : आपने रखा है डेअरी के बारे में।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : गोयल साहब ने कौन सा रखा है।

श्री उपाध्यक्ष : डेअरी के बारे में अभी अभी दिया है।

श्री **मथुरा दास माथुर** : तो उसका जवाब दे दिया जायगा। जो बात जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने उठाई उसके बारे में मुख्य मंत्री जी ने अपने भाषण में कुछ जिक्र किया था। उसके साथ में मैं इतना ही इस वक्त कह देना मुनासिब समझता हूँ कि उसका विगतवार जवाब तो बाद में दिया जाएगा। **लेकिन** जो पाकिस्तान का ताशकंद समझौते

Page No. 60

(श्री मथुरादास माथुर)

के बारे में उसके रुख में परिवर्तन आ रहा है और उसकी वजह से जो हमें सावधान रहना चाहिए, तो उसके लिए राज्य सरकार और भारत सरकार दोनों सावधान हैं और कोई ऐसी गफलत के अन्दर काम नहीं होने दिया जाएगा जिसकी वजह से ऐसा लगे कि हमको सूचना नहीं थी। इतनी तसल्ली मैं आपको दिलवा देता हूं और बाकी विगत वार इसके बारे में कल या परसों स्टेटमेंट देंगे।

श्री भैरों सिंह : अब डिप्टी लीडर ने जो बात कही सदन को, उससे आश्वस्त होंगे, कल लीडर महोदय उत्तर देंगे तब आगे बात होगी।

श्री चन्दनमल वैद (उप-मंत्री उद्योग) धन्यवाद ?

लाखेरी संबंधी स्थगन प्रस्ताव विषयक

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारा एक स्थगन प्रस्ताव लाखेरी के बारे में कल आया है।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने कह दिया कि मैंने अभी सूचनार्थ दिया है वह परसों आ जाएगा। (श्री मथुरा दास माथुर से)

Yes please move

श्री मथुरादास माथुर : वह वापिस पढ़ूं।

श्री उपाध्यक्ष डिमाण्ड !

मांग संख्या २० व ३२ सहकारिता एवं लेखा सामग्री तथा मुद्रण

श्री मथुरा दास माथुर (सहकारी मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४-सहकारिता के संबन्ध में ३१ मार्च, १९६७ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ८९,२४,००० रु० तक की राशि प्रदान की जाये।

दूसरी भी मूव कर दूं साथ में ?

मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या ३२, मुख्य शीर्षक ६८-लेखन सामग्री तथा मुद्रण के संबन्ध में ३१ मार्च, १९६७ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ७९,५२,००० रु० तक की राशि प्रदान की जाये।

श्री उपाध्यक्ष : मांग संख्या १।

श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल : (जौहरी बाजार जयपुर) उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनिट ?

श्री उपाध्यक्ष : (श्री मथुरा दास माथुर से) आपने मूव कर दी है।

That's all right (१.१५ म. प.)

एन. सी. सी. के विद्यार्थियों की उपस्थिति कम होने विषयक वाद-विवाद

श्री **सतीशचन्द्र अग्रवाल** : उपाध्यक्ष महोदय, कल अध्यक्ष महोदय ने इस सदन में शिक्षा मंत्री से मेरे स्थगन प्रस्ताव पर एक वक्तव्य दिलवाया था जिसमें कॉमर्स कॉलेज के चार विद्यार्थियों की एन. सी. सी. की अटेन्डेन्स कम होने की ओर ध्यान आकर्षित किया था। उसके ऊपर कल आश्वासन दिया था शिक्षा मंत्रीजी ने कि हर कॉलेज के हर आइटम पर सहानुभूति पूर्वक विचार करके सप्लीमेंट्री परीक्षा में बैठाने की व्यवस्था की जाएगी। मुझे यह बात पता है कि महाराजा कॉलेज के भी कुछ छात्र हैं जिनकी

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

एन. सी. सी. अटेंडेंस बीस पर्सेन्ट होने पर भी उनको परीक्षा में बैठने की अनुमति मिलनी चाहिए। लेकिन बजाय इसके कि कॉमर्स कालेज के छात्रों के बारे में सहानुभूतिपूर्वक विचार करके उनको राहत दिलाते, राजस्थान सरकार के शिक्षा मन्त्री ने यह किया है कि यूनिवर्सिटी की परीक्षा में महाराजा कालेज के कुछ छात्र तीन पर्चे दे चुके थे उनको भी उसी तरीके से यूनिवर्सिटी की परीक्षा में बैठाने से इन्कार कर दिया है, उनके भी एडड्मिशन कार्ड विथड्रा कर लिए हैं। मैं समझता हूं, यह एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि बजाय इसके कि उन कामर्स कॉलेज के छात्रों को राहत दिलाई जाती महाराजा कॉलेज के छात्रों को भी परीक्षा में बैठने से रोका जाय और राजस्थान के शिक्षा मंत्री और राजस्थान सरकार इस संबन्ध में कुछ भी नहीं कर सके। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे याद है, इसी सदन में प्रश्न उठाया गया था कि राज्य के ४० लड़कों को परीक्षा में बैठने से रोका गया था और उस समय श्री मथुरादास माथुर ने मामले में हस्तक्षेप करके और अधिकारियों पर दबाव डाल कर लड़कों को परीक्षा में बैठने के लिए अनुमति प्रदान कराई थी, और उन लड़कों को राहत मिली थी और सदन ने भी राहत की सांस ली थी, उससे लड़कों का भला हुआ था और उनके अभिभावकों का भी भला हुआ था। लेकिन आज दुर्भाग्य यह है कि शिक्षा मंत्री के आश्वासन के बाद में महाराजा कालेज के लड़कों को भी परीक्षा में बैठने से रोका गया है। राजस्थान के अन्दर, आपको यह जान कर आश्चर्य होगा कि पांच सौ छात्र ऐसे हैं जिनको एन०सी०सी० की अटेंडेंस शॉर्ट होने के कारण से यूनीवर्सिटी की परीक्षा में बैठने से रोका गया है।

मैं समझता हूँ कि जो रूल्स हैं कि इतनी अटेंडेंस होनी चाहिए उसको एप्लाई करना चाहिए। इस सम्बन्ध में शिक्षा मन्त्री को यूनीवर्सिटी के अधिकारियों से और एन सी० सी० के डाइरेक्टर से बातचीत करनी चाहिए। मैंने यूनीवर्सिटी के रजिस्ट्रार से बात की थी, उनका कहना था कि यूनीवर्सिटी को इसमें कोई आपत्ति नहीं है यदि एन०सी०सी० के डाइरेक्टर स्वीकृति दे दें। और एन०सी० सी० के डाइरेक्टर को भी स्वयं कोई आपत्ति नहीं है। बस मसला यही है कि इन दोनों को कौन साथ लाये। इन लड़कों के भविष्य को सुधारने की दृष्टि से मैं शिक्षा मंत्री से निवेदन करूंगा कि उन लड़कों को राहत दिलाना तो दूर रहा लेकिन आपके कदम के कारण, आपके प्रयास के कारण महाराजा कालेज के लड़कों को जो तीन पर्चे दे चुके थे, आगे इम्तहान देने से रोक दिया गया है। क्या इसलिए स्थगन-प्रस्ताव इस सदन में रखा था, क्या इस लिए आपने उसका जवाब दिया था, क्या इसलिए आपने वाइस चान्सलर से बात की थी, क्या इसलिए आपने रजिस्ट्रार से बात की थी? उन लड़कों को परीक्षा में बैठाना तो दूर रहा लेकिन जो लड़के परीक्षा में बैठ रहे थे उनको परीक्षा से हटा देने के लिए यह काम किया था? मैं सदन में निवेदन करना चाहता हूँ कि राजस्थान के पांच सौ लड़कों को एन सी सी की अटेंडेंस की वजह से रोका गया है उनको इम्तहान में बैठना तो दूर रहा,

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

कॉमर्स कालेज के लड़कों को परीक्षा में बैठना तो दूर रहा, लेकिन जब सदन में स्थगन प्रस्ताव पर विचार हुआ और शिक्षा मन्त्री ने आश्वासन दिया कि सहानुभूति-पूर्वक विचार किया जाएगा। लेकिन विश्व विद्यालय की परिक्षा में जिनको बैठने का अधिकार नहीं मिल रहा था उनको बैठाना तो दूर रहा लेकिन जो परीक्षा में बैठने वाले लड़के थे उनको भी रोक दिया गया है, उनके एडमिशन कार्ड को विथड्रा कर लिया है। इससे लड़के परेशान हैं, उनके पेरेन्ट्स परेशान हैं, उनके अभिभावक परेशान हैं। माता-पिता सोचते हैं, यह क्या हुआ- विधान सभा में कोई सवाल खड़ा हो और शिक्षा मन्त्री जी इतने निकम्मे साबित हो जायं कि विश्व विद्यालय की ऑथोरिटी से बात करके इन पांच सौ लड़कों के लिए परीक्षा में बैठने की अनुमति न दिला सकें। मैं समझता हूँ कि शिक्षा मन्त्री इनकाम्पीटेंट हैं, जो विश्वविद्यालय के अधिकारियों से यह बात नहीं मनवा सकता, जो राजस्थान के विद्यार्थियों के हित को सुरक्षित नहीं रख सकता, जो उनको यह अधिकार नहीं दिलवा सकता–यह ज्यादा अच्छा हो कि वह शिक्षा मन्त्री इस्तीफा दे दें। और अगर नहीं देना चाहते हैं तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि ऐसे शिक्षा मन्त्री ऐसी धांधली को नहीं रोक सके और शिक्षा के क्षेत्र में जिसके सामने घोटाले होते रहें,- ऐसे शिक्षा मन्त्री को बर्खास्त किया जाय, इनको यहां बैठा रहने का कोई अधिकार नहीं है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा (शिक्षा मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कल मैंने सदन में निवेदन किया था कि स्थिति इस प्रकार है, माननीय सदस्य जिस आर्डर का हवाला देते हैं वह हवाला तारीख ३-१-६४ के आर्डर का था।

एक माननीय सदस्य : सुनाई नहीं दे रहा है।

श्री बृज सुन्दर शर्मा : उसका क्लॉज इस तरह से था कि

"A concession in cumpulsory attendance at N. C. C. parades to the extent of 30 per cent may be garnted in the case of such students who are selected by the Director of the College for the purpose of games and sports activities in the institution."

यह आर्डर था ३-१-६४ का। उसके बाद युनीवरसिटी ने दूसरा ऑर्डर निकाला जो मेरे माननीय सदस्य से बात हुई और और मैंने स्वयं ने उसको मंगा कर देखा। यह मई ६४ का ऑर्डर है और उसमें यह हवाला है

"This supersedes the following order issued from the University". और वह एफ ५ (27) 64:31--149 dated ३ जनवरी- ६४ के आर्डर को सुपरसीड करके इस साल के शुरुआत में युनिवरसिटी ने यह सप्लीमेन्ट्री आर्डर निकाला :

"Under the powers vested in the Vice Chancellor under Section 13 (4) of the University of Rajasthan

Page No. 63

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

Act, he is pleased to issue the following order in regard to N. C. C. training

N. C. C. training is cumpulsory for all able-bodied under graduate male students as under''

अब इसमें यह है

''Enrolment forms as prescribed in chedule 1 of the N. C. C Act and Rules shall be filled in by the students mentioned in para 1 at the time of admission.''

अब एड्मिशन पर शिडयूल (१) के फार्म प्रेस्क्राइब्ड किये, उस पर उनके दस्तख्त ले लिए The Vice Chancellor has further desired that every student be required to sign an agreement which would be counter signed by his parents that the rules framed for N. C. C. parades and camps etc. have been read and understood by them and this agreement form, duly signed, should be produced before admission is allowed to the students. The specific proforma for such an agreement is enclosed below.''

इस तरह का सबसे एग्रीमेंट भराये और उसमें साफ तौर से एन सी सी की परेड कम्पलीट होने का जिक्र किया गया है।

I have carefully read & understood the rules for compulsory N. C. C.

और एग्जामिनेशन में दाखिल होते वक्त यह सर्टिफिकेट उसके साथ जायेगा कि उसने यह अटेन्डेन्स पूरी कर ली है। उन्होंने यहाँ पर इतनी कार्यवाही की। ५-७-६४ में यह लिखा हुआ है कि इम्तिहान के तीन महीने पहले जिनकी एन सी सी की हाजरी कम थी उनके नाम नोटिस बोर्ड पर लगा दिये और यह नोटिस निकाल दिया कि जिनकी हाजरी कम है वे अपने नाम नोटिस बोर्ड पर देख लें और उसके बाद प्रिन्सीपल ने २३-१२-६५ को पत्र लिख कर उनके गारजियन को इत्तला दे दी कि एन सी सी में हाजारी कम है और उनको पूरा करने के लिए ८० स्पेशल परेड का एरेन्जमेंट किया ताकि वे लोग जाकर उसमें अपनी हाजारी पूरी करें मगर उसमें भी जाकर उन्होंने अपनी हाजरी पूरी नहीं की। यूनिवर्सिटी का आर्डर है उसमें उन्होंने यह कहा है -

''80 percent of the attendance will be compulsory for admission to an examination''

और ये फार्म सारे के सारे भरवा लिए जैसा आपने कहा कि महाराजा कालेज ने ऐसे लड़कों को एलाऊ किया था। जब उनको यह बात कही गई कि महाराजा कालेज के लड़कों को आपने कैसे एलाऊ किया तो उन्होंने कहा कि यह गलत तरीके से हुआ है, इसलिए उनको रोक दिया जाना चाहिए। माननीय सदस्य बहुत जोर में बात कह रहे हैं, मगर वे बतावें कि कौनसे अधिकार से एन सी सी परेड के मामलों में दखल किया जा सकता है। यह यूनिवर्सिटी का खुद का मामला है। जब एन सी सी के परेड के रूल्स हैं तो रूल्स के मातहत उनको रोका गया है। माननीय सदस्य ने जब कहा तो कितनी

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

और जगह कालेजों से सूचना प्राप्त की गई। अजमेर, बीकानेर कोटा आदि से तो मालूम हुआ कि सब को एग्जामिनेशन में भाग लेने से रिफयूज कर दिया है। एक महाराजा कालेज के छात्रों को रिफ्यूज नहीं किया तो उनको भी आज रिफ्यूज कर दिया। यह स्थिति है।

श्री सतीशचंद्र अग्रवाल (जौहरी बाजार जयपुर) : आपने यह सूचना बताई कि जो नोटिफिकेशन ३० परसेन्ट का युनिवर्सिटी ने जारी किया वह ३–१–६४ का था, उसके बाद से युनिवर्सिटी ने इसको सस्पेन्ड कर दिया और उसके बाद में जो आपने प्रोफोरमा बताया और उस फार्म पर उनके पेरेंट्स के दस्तखत करवाये। यह इस लिए रखा कि ३० परसेंट एग्जेमपशन के रूल्स के मुगालते में कोई न रह जाये और कोई ऐसी स्थिति नहीं हो कि वे लोग एन सी सी परेड में भाग न लें। मैं यह पूछना चाहता हूँ कि कॉमर्स कालेज के ४० लड़कों को जिनको आपने रोका है और जिनके लिए सहानभूति पूर्वक आपने उत्तर दिया है उनके पेरेन्ट्स को जानकारी दी गई। सारे एन सी सी के फार्म्स युनिवर्सिटी में मौजूद हैं। जो सरक्यूलर सस्पेन्ड किया गया उसकी इतल्ला ४० स्टुडेन्ट्स के पेरेन्ट्स को दी गई थी ?

श्री बृजसुंदर शर्मा : वहां के डाइरेक्टर से पूछा गया और उसकी इन्फोरमेशन पर ही मैंने कहा है कि उनको फोर्म दे दिये गए थे और उनके पेरेन्ट्स से दस्तखत करवा कर लिए गए थे। इसके अलावा तीन महीने पहले उनको सूचना दी गई और २३-१२-६५ को सारे स्टुडेन्ट्स के गार्जियनों को नोटिस दिया गया, तब जाकर ८० परेड और आर्गेनाइज की गई। उसमें भी उन्होंने भाग नहीं लिया।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सितम्बर में भारत पाक संघर्ष हुआ और ब्लेक आउट के समय में उन लोगों ने ७ से ११ बजे तक चार घंटे रोजाना वार्डर के तहत में अपनी ड्यूटी की है। एन सी सी में ४० मिनिट की परेड होती है और उन्होंने चार घन्टे रोज काम किया उस हिसाब से उनको ६ घन्टे एन सी सी की परेड के मिलते। इस हिसाब से उनको १४० एटेन्डेन्स मिल सकती हैं जबकि उनको एटेन्डेन्स केवल ६० ही चाहिए। उन्होंने १४० एटेन्डेन्स भारत पाक युद्ध के समय सिविल डिफेन्स में काम करके पूरी की हैं। वार्डन के सर्टिफिकेट हैं। मैंने देखा है और उन लड़कों ने ब्लेक आउट के समय में नाइट में ड्यूटी दी है। यदि आपके अधिकारियों ने लड़कों को इस प्रकार का आश्वासन दिया हो तो इस पर आपको विचार करना चाहिए कि जिन लड़कों को एन सी सी के परेड के आधार पर ही निकाला है जिनकी संख्या ५०० है उनका युनिवर्सिटी सप्लीमेन्ट्री एग्जामिनेशन ले इसके लिए आप युनिवर्सिटी से बात चीत करें। मैंने उनसे बात चीत की है। वे इस बारे में पुनः विचार करने को तैयार हैं बशर्ते की आप इस बारे में उनसे बात करें और इस पर विचार करें।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर): शिक्षा मन्त्री ने जो बात कही वह साफ है।

Page No. 65

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

उनकी व्यवस्था के साथ मेरी सहानुभूति है। यह खास मुद्दा है कि एन. सी. सी. ने इमर्जेन्सी के समय में जो कुछ भी सेवाएं कीं ब्लैक ग्राउट के समय में उसके लिए खास तौर से ग्रापके रूल्स में ऐसा नियम नहीं है उसको कन्डोन कर सकें।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : ब्लैक ग्राउट के वक्त उन्होंने ड्यूटी दी, मगर यूनिवर्सिटी ने ८० परेड ग्रौर रखी तो उसमें उनको ग्रपनी एटेन्डेन्स पूरी करनी थी इसलिए स्पेशल परेड का एरेन्जमेंट किया था।

श्री सतीशचन्द्र ग्रग्रवाल : जिन स्टुडेन्ट्स ने सिविल डिफेन्स में, ब्लैक ग्राउट के समय, नाइट ड्यूटीज दी हैं उनकी ग्रटेन्डेन्स ग्रलाऊ करा दीजिए। जो इसमें नहीं ग्रायेंगे उनको हम प्लीड नहीं करते, जिन स्टुडेन्ट्स ने ब्लैक ग्राउट के समय नाइट ड्यूटीज नहीं दी हैं उनकी ग्रटेन्डेन्स ग्रलाऊ नहीं की जाय।

श्री उपाध्यक्ष : ऐसे दृष्टांत हैं वे मन्त्री महोदय को बता दें, जिन्होंने सिविल डिफेन्स के समय ब्लैक ग्राउट में नाइट ड्यूटीज दी हैं, उनकी ग्रटेन्डेन्स ग्रलाऊ की जानी चाहिये।

श्री सतीशचन्द्र ग्रग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, ग्रापने ठीक समझा। जिन स्टुडेन्ट्स ने सिविल डिफेन्स में काम किया, ब्लैक ग्राउट में नाइट ड्यूटीज दीं, २३ दिन की परेड में न जाकर मुसीबत के समय सरकार का साथ दिया, उन्होंने काम किया है, ऐसी हालत में उनकी परेड में एटेन्डेन्स शुमार की जानी चाहिये, उन्होंने देश पर मुसीवत के समय काम किया है और ग्रापने उनको क्लीयर ग्रन्डरस्टेंडिंग दी है। गवर्नमेंट फार्म में जाती है, सब्स्टेन्स में नहीं जाती। ग्राखिर एन. सी. सी. किसलिये है, देश पर मुसीबत के समय उन्होंने काम किया है।

श्री उपाध्यक्ष : ग्रगर रूल्स में इस प्रकार का हो सके तो ग्राप करें...

श्री बृजसुन्दर शर्मा : रूल्स के तहत में जो रूल्स ६५ के जुलाई में जारी किये गए उनमें इस प्रकार का प्रावधान नहीं किया गया।

श्री उपाध्यक्ष : एन. सी. सी. के रूल्स में परिवर्तन का ग्रधिकार किसको है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : एक्ट में है कि वाइस चान्सलर सिन्डीकेट की पर्मिशन से दूसरा ग्रार्डर निकाले, मैं डाइरेक्टर को कह सकता हूं कि सिंडीकेट में वह यह मामला उठाये।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से इस प्रकार का निर्णय लिया जाना चाहिये। Where there is a will, there is a way.

श्री बृजसुन्दर शर्मा : जिन्होंने नाइट में ड्यूटीज दी थीं, उनके केसेज तो मैंने कल एग्जामिन करवाया तो १८ में से २ निकलते हैं...

श्री सतीशचन्द्र ग्रग्रवाल : मैंने भी विश्व विद्यालय के ग्रधिकारियों से बात की है, ग्राप क्या बात करते हैं ? जिन लड़कों ने ब्लैक ग्राउट के समय नाइट ड्यूटीज दी हैं उन लड़कों के सर्टिफिकेट्स मेरे पास पड़े हैं।

Page No. 66

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ कि जिन्होंने नाइट ड्यूटीज ब्लैक आउट के समय में दी हैं तो सिन्डीकेट से उनकी एटेन्डेन्स एप्रूव करने की कोशिश करूंगा और संभव होगा तो हम सिम्पेथेटिकली विचार करेंगे।

श्री भैरोंसिंह : मन्त्री महोदय ने कहा कि हम सिम्पेथेटिकली विचार करेंगे। मैं यह पूछना चाहता हूं कि किस बात की सिम्पेथी सरकार कर रही है। जिन स्टुडेन्ट्स ने इमरजेन्सी के समय सिविल डिफेन्स में ब्लैक आउट में ड्यूटी दी है, उसके लिए उन स्टुडेन्ट्स को आज दण्ड दिया जाता है, उसके लिये हम राहत की मांग करें तो मन्त्री महोदय कहते हैं कि सिम्पेथी दिखायेंगे। जिन स्टुडेन्ट्स को आपके प्रिन्सिपल्स ने, सिन्डीकेट ने कहा कि आप ब्लैक आउट में ड्यूटी दीजिये, उस पीरियड की हम एन.सी.सी. की परेड में आपकी अटेन्डेन्स काउन्ट करेंगे। इन वर्ड्स को पूरा नहीं कर के उन्होंने उन स्टुडेन्ट्स के साथ में क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है और इस क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के लिए उन अधिकारियों को दण्ड दिया जाना चाहिये। पर आप कहते है कि हम सिम्पेथी दिखायेंगे। आप क्या सिम्पेथी दिखाना चाहते है? अगर आप उन स्टुडेन्ट्स के साथ सिम्पेथी दिखाना चाहते तो जो वर्ड्स आपने उनको दिये थे, उन वर्ड्स को आप पूरा करने, आपके उन वर्ड्स को वाइस चान्सलर पूरा नहीं करता है तो आप आर्डिनेन्स लाइये। आप वाइस चान्सलर की इज्जत बचाने के लिए आर्डिनेन्स ले आते हैं तो इन स्टुडेन्ट्स को जो आपने वर्ड्स दिये हैं उनको पूरा करने के लिए आर्डिनेन्स की जरूरत हो तो आर्डिनेन्स क्यों नहीं लाते? आपके और आपके अधिकारियों के आश्वासन पर लड़कों ने नाइट ड्यूटीज दी और इमरजेन्सी के समय सिविल डिफेन्स में ड्यूटी देने के कारण ५०० लड़कों को परीक्षाओं में बैठने में इस प्रकार की बाधा उपस्थित होती है तो यह लड़कों का कसूर नहीं, राजस्थान के शिक्षा मन्त्रीजी का कसूर है, इसके लिए शिक्षा मन्त्रीजी को पश्चात्ताप ही नहीं करना पड़ेगा और भी भुगतना पड़ेगा। और जो भुगतना पड़ेगा उसके लिए वे तैयार रहें। आज शाम तक केटेगोरिकली इस बात से इन्कार करें कि एन. सी. सी. के छात्रों को इस प्रकार का कोई कमिटमेंट अधिकारियों ने नहीं किया था, उन्होंने वह कमिटमेंट किया तो वाइस चान्सलर की अनुमति से किया या बिना अनुमति से किया, इन दो चीजों को डिसाइड करदें, फिर सिन्डीकेट में जायं। सिंडीकेट में जाने का प्रश्न तो बाद में आयेगा पहले सरकार इसका साफ जवाब दे।

श्री उपाध्यक्ष : यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : माननीय उपाध्यक्ष, सिविल डिफेन्स का महकमा इनके पास है, मथुरादासजी ने अपील की कि स्टुडेन्ट्स को सिविल डिफेन्स में ड्यूटी देनी चाहिये, हमने स्टुडेन्ट्स को नाइट में ड्यूटी देने के लिए प्रोत्साहित किया, देश पर आपत्ति आई तो लड़कों ने रात रात भर जाग कर ड्यूटीज दी हैं और आज सरकार उनको जो उन्होंने देश पर आपत्ति के समय

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

ड्यूटीज दीं उनके लिए दण्ड देना चाहती है।...

श्री राधाकृष्ण गोयल : उपाध्यक्ष महोदय, मेरी जानकारी है, मेरे भी रिश्तेदार हैं जिन्होंने उस समय ड्यूटीज दी हैं, उन लोगों की अटेन्डेन्स में कोई शार्टेज नहीं है, वे रेगुलर स्टुडेन्ट्स हैं, उन पर प्रभाव नहीं होने वाला है उन्होंने भी बताया कि जिन स्टुडेन्टस ने सिविल डिफेन्स में नाइट ड्यूटीज दी थीं, उनकी अटेन्डेन्स अलाऊ नहीं की जा रही है। तो जो लोग इससे प्रभावित नहीं हैं उन्होंने भी यह सूचना दी है तो इसके गलत होने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं हो सकता। शिक्षा मन्त्री और सिविल डिफेन्स के मन्त्री दोनों ही बैठे हैं, सिविल डिफेन्स आपके चार्ज में है, शिक्षा आपके चार्ज में है दोनों इस मामले पर बातचीत कर के जवाब दें।

श्री मथुरादास माथुर : मैं मेरे कलिग शिक्षा मन्त्री जी से बात करने के बाद निवेदन कर रहा हूं कि आज हम वाइस चान्सलर से बात करेंगे और कल जवाब देंगे। आज तुरन्त मुद्दे उठाये गये हैं, आखिर युनिवर्सिटी एक आटोनोमस बोडी है...

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मेरी पूर्ण सहानुभूति है मन्त्री महोदय से। आटोनोमी यूनिवर्सिटी की जो है उसको ग्रेटेस्ट रेस्पेक्ट दी जाय, पर यह मामला इतना सिम्पल बियोन्ड मेजर्स है कि सुबह ही मन्त्री महोदय बात करके सदन को सूचना कर देते कि उन स्टुडेन्टस का जिन्होंने सिविल डिफेन्स में ड्यूटीज दीं, वह पीरियड कन्डोन कर दिया गया। केटेगोरिकली एश्योरेंस आज शाम तक दे दीजिये, इसके लिए तैयार होइये, नहीं तो आपकी बोनाफाइडी क्वेश्चनेबल है।

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : अभी तक यह मामला तय नहीं हुआ है, यह भी इसमें देरी हो गई है। बच्चों के लिए जिन्होंने सिविल डिफेन्स में काम किया है, उनको एन. सी. सी. की परेड़ में अटेन्डेन्स मानी जानी चाहिये। यूनिवर्सिटी आटोनोमस है पर आटोनोमस का मतलब यह नहीं है कि वह एकदम सरकार से अलग है। बच्चों की जिन्दगी के साथ खिलवाड़ होता है, वह नहीं होना चाहिये। मैं इससे पूर्ण सहमत हूं। कांग्रेस पार्टी का कोई भी सदस्य यह नहीं चाहेगा कि जिन स्टुडेन्ट्स ने सिविल डिफेन्स के समय ड्यूटीज दीं उनके साथ इस प्रकार का व्यवहार किया जाय। जनसंघ के माननीय सदस्य ने जैसा कि रखा है, उन्होंने ड्यूटीज दी हैं, उनको कहा गया था कि उनकी एन. सी. सी. परेडों में अटेन्डेन्स मानी जायगी फिर आप पीछे क्यों हट रहे हैं। यह अन्याय कर रहे हैं उनके साथ। अगर उनकी ड्यूटी नहीं भी मानते तो देश रक्षा के लिये कोई जाता है उसकी आगे आकर ड्यूटी मानी जानी चाहिये। यूनिवर्सिटी को सोचना चाहिये। पहले ही इसमें देरी हो गई है इसे जल्दी से जल्दी तय कर देना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : मैं यह निवेदन करूंगा सरकार से कि अगर स्टुडेन्ट्स ने इस प्रकार सिविल डिफेन्स में काम किया है, सोलम अन्डरटेकिंग उनको दी है फिर भी उनकी इन सेवाओं को उसमें शुमार नहीं किया है।

(श्री उपाध्यक्ष)

इसमें कोई टेक्निकल गलती रह गई है तो यूनिवर्सिटी की ग्रोथेरिटीज से बात कर के सरकार जल्दी ही सोल्यूशन निकाले कि उन स्टुन्डेट्स को इम्तिहान में बैठने में किसी प्रकार की दिक्कत न हो ।

श्री मथुरादास माथुर : मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि जो स्टुडेन्ट्स, जिनकी एन. सी. की परेड को ग्रटेन्डेन्स में शोर्टेज है ग्रौर उन्होंने इमरजेंसी में सिविल डिफेन्स के ड्यूरिंग में नाइट ड्युटीज दी हैं, उनका सर्टिफिकेट उन ग्रोथेरिटीज का उनके पास सर्टिफिकेट है जिनके पास कि उन्होंने ड्यूटीज दी हैं···

श्री भैरोंसिंह : उनकी ग्रटेन्डेंस है, सर्टिफिकेट का सवाल नहीं है ।

श्री मथुरादास माथुर : ग्रटेन्डेन्स है वह सर्टिफिकेट हो जायगी । उनकी एन. सी. सी. के परेड में ग्रटेन्डेन्स में शोर्टेज होने से डिबार किया जाता है उन्होंने नाइट ड्यूटी दी है उसको परेड मान लिया जाय···

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : इतनी सी बात तय करवाएं कि उनको ग्रलाऊ करना चाहिए ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : एक बात ग्रौर साफ हो जाय कि ग्रथोरिटीज को सैटिस्फाई होने में देरी नहीं होनी चाहिए ।

श्री राधाकृष्ण गोयल : ग्राज होना चाहिए ।

श्री मथुरादास माथुर : शिक्षा मंत्री ने वाइस चांसलर से बात की है, ग्राज फिर बात करेंगे ग्रौर कल सदन के ग्रन्दर स्टेटमेंट दे देंगे कि वे करते हैं या नहीं । ग्रगर नहीं करते हैं तो हमको क्या करना है, उस पर विचार किया जायगा ।

श्री सतीशचंद्र ग्रग्रवाल : एक पोइंट ग्रौर है । जिनके बारे में ग्रापने कहा कि दिसम्बर १९६५ में पेरेन्ट्स को इतला दी, उसमें लड़कों का फाल्ट नहीं है । ग्रापने पढ़कर सुनाया । दिसम्बर १९६५ में सब पेरेंटस को इतल्ला दी गई, सब के दस्तखत लिए गए, सब का फार्म लिया गया है, ग्रंडरटेकिंग नहीं दी है तो उन पर नोटी-फिकेशन लागू नहीं है····

श्री बृजसुन्दर शर्मा : बात यह है कि जो रूल्स हैं एन० सी० सी० के उनके तहत जो लड़कों से फार्म भरवाकर उनकी हाजिरी के बारे में इतल्ला देते हैं, वह दी गई है । उसके बाद ग्रापने कहा जिनका स्पोर्ट्स से संबंध है । उसके ग्रलावा दूसरा स्टैंड यह है कि सिविल डिफेंस का कल सवाल नहीं था····

श्री सतीशचंद्र ग्रग्रवाल : कल भी था । ग्राप श्री ज्वालाप्रसाद से पूछिए, जो हमेशा सच बोलते हैं ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : स्पोर्ट्स वाली बात तो खत्म हो जाती है ।

श्री सतीशचंद्र ग्रग्रवाल : स्पोर्टस भी था ग्रौर सिविल डिफेंस भी था ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : स्पोर्ट्स से तो ग्राप संतुष्ट हैं ?

Page No. 69

श्री भैरोंसिंह : सवाल हमारे संतोष का नहीं है। यह लड़कों के भविष्य का सवाल है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : जिन लड़कों ने सिविल डिफेंस में नाइट ड्यूटी दी है उनके सर्टीफिकेट्स देखे जायेंगे। आज सुबह मैं मिला था उनसे सबके सर्टीफिकेटस मंगाकर देखे जा रहे हैं, उनकी वहां हाजिरी है तो वह मान ली जायगी तो यहां तो दो ही मुद्दे आते हैं।

श्री सतीशचंद्र अग्रवाल : जब विद्यार्थी सर्टीफिकेट लेने जाते हैं तो उनसे बात तक नही की जाती है।

श्री भैरोंसिंह : हमने लगाया है उनको ड्यूटी पर, हम सर्टीफिकेट देते हैं।

श्री सतीशचंद्र अग्रवाल : ४० लड़कों ने सर्टीफिकेट्स दिए हैं कि नाइट ड्यूटी दी है सिविल डिफेंस में।

श्री उपाध्यक्ष : आप कल सारी जानकारी करके सदन में जवाब दे देंगे।

श्री मोतीलाल चौधरी : जिन बच्चों ने नाइट ड्यूटी दी हैं जो बच्चे अपने देश की रक्षा के लिए जिंदगी देने गए थे, उन बच्चों की अगर पांच दस परसेंट हाजिरी कम है तो आप उनको कन्सेशन दें। उनको रिलैक्सेशन दिया जाय।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय आपने इतना समय दिया है इस मामले में, दो लड़कों की बात कहीं, इसमें बड़े दिल से काम लेना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : वह कल बोलेंगे।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : कल खत्म हो जायगा। सरकार को कमिट करना चाहिए। हमारे ट्रांस्पोर्ट मिनिस्टर साहब ने एक बात कही, समझ में आई। इसके बाद कहते हैं कि दो लड़कों को निकाल दिया है। इससे हमारे दिमाग में यह बात आई शिक्षा मंत्री से हम कहना चाहते हैं कि इस समस्या पर इमरजेंसी से सोचें, वह लड़के तैयार थे सब कुछ करने के लिए। चीनी आक्रमण के समय रूल्स बनाए गऐ थे उनके रिलैक्सेशन के लिए हम तैयार रहे, ऐसी हालत में एन. सी. सी. का बहाना लेकर आप इस बात को और डिफिकल्ट करना चाहते हैं। कहते हैं कि आटोनोमस बॉडी है यह आटोनोमी नहीं है, हमारी इच्छाएं उनको मालूम होनी चाहिए, राजस्थान यूनिवर्सिटी वालों को हमारी इच्छाओं को देखना चाहिए और उन बच्चों का दिल बढ़ाना चाहिए नहीं तो आगे के लिए कोई एन. सी. सी. या सिविल डिफेंस में काम नहीं करेगा। इस इमरजेंसी के अंदर जिस तरह से हमारे बच्चों ने दिल खोलकर खड़े होकर काम किया। आपने और मैंने भी देखा है जयपुर के अन्दर कि इन्होंने क्या सेवा की। अगर अटेंडेंस की रजिस्ट्री नहीं है तो आपको डिसीशन लेना है, उनके ऊपर साबित करने का ओनस नहीं होना चाहिए। जनरल ढंग से आप को उनको इम्तिहान में बिठाना चाहिए। तो सदन एप्रीशिएट करेगा।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : उपाध्यक्ष महोदय, सहकारिता के विषय में....

श्री सतीशचंद्र अग्रवाल : सहकारिता की ऐसी की तैसी, बैठ जाओ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (ग्रासपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं शिक्षा मंत्री से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि यह समस्या कोई अनुशासन से ताल्लुक नहीं रखती है, यह मेरे ख्याल से आपकी उदारता के मातहत है, आपको उदारतापूर्वक विचार पूर्वक विचार करना चाहिए। मेरी समझ में नही आता कि इसमें मुश्किल क्या है, दोनो तरफ के सदस्यो ने भावना प्रकट की है कि आपको उदारतापूर्वक विचार करना चाहिए। मेरे ख्याल से आपके मुंह से ग्रौर सैकालाजीकल रीडिंग ग्रॉफ दी फेस से यह दीखता है कि ग्रापके मन में संकीर्णता है ग्रौर कोबवेब मेंटल फ्रेम ग्रॉफ माइंड से कोई निर्णय नहीं देना चाहते तो यह बहुत ही अजीब हालत है। इसमें कौन सी अनुशासन की बात है ? बिल्कुल ग्रॉन दी मेरिट्स ग्राफ दी केस, इसमें बल है। एक नागरिक ग्रौर होनहार हमारी संतति है उन्होंने अगर पैंट्रीटिक बेसिज पर देश की सेवा की ग्रौर ग्राप उनको यह इनाम दें कि उनको परीक्षा देने से वंचित रखें यह उचित नहीं। ग्रापको इस बारे में उदारतापूर्वक निर्णय करना चाहिए। जो ४००—५०० विद्यार्थी हैं उन सबको एड्मिट करना चाहिए। अगर ग्राप यह नहीं करते तो मैं यह कहूँगा कि ग्रापकी अकल का दिवाला ग्राउट हो गया।

श्री **सतीशचंद्र अग्रवाल** : उपाध्यक्ष महोदय, बिना ध्यान ग्राकर्षण नोटिस दिए ग्रापने विद्यार्थियों के संबंध में इतना समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।

(१.४७ म.प.)

सम्बन्धित मंत्री सम्बन्धी विषय सदन में लिया जाय तो उस समय उनका उपस्थित होना अनिवार्य विषयक व्यवस्था

(पूर्व क्रम से)

श्री भैरोंसिंह : ग्रॉन ए पोइंट ग्रॉफ प्रिविलेज सर, अभी जिस समय सरकारी कर्मचारियों के संबंध में मैंने स्थगन प्रस्ताव रखा था उस समय जी. ए. डी. के उप मंत्री ने कहा था कि माननीय वित मंत्री जयपुर से बाहर गए हुए हैं जबकि वे जयपुर में ही थे। जयपुर में उनकी उपस्थिति होने के बावजूद उप-मन्त्री ने सदन में ऐसा कहा। वे बाहर गए थे, उन्होंने सदन को गलत सूचना दी थी, यह सदन का अपमान किया है ग्रौर अपमान के लिए माननीय उप-मंत्री खड़े होकर सदन से क्षमा मांगे।

श्री **मथुरादास माथुर** (योजना मन्त्री) : वह मुख्यमन्त्री के लिए कहा था कि वाहर गए हैं ग्रौर वित्त मंत्री के लिए कहा था कि इस समय वह सदन में नहीं हैं।

श्री भैरोंसिंह : जब इतना महत्वपूर्ण सवाल हो तो वित्त मंत्री क्यों नहीं ग्राए, यह सदन का अपमान है। ऐसे प्रश्न के बारे में कहलवा दिया कि वह बाहर गये हुए हैं, यह सदन का अपमान करना चाहें, ग्रापकी ग्रोर सदन की हमारी मिलीजुली प्रतिष्ठा है उसको हमेशा इस ताक में लगाए बैठे रहते हैं कि प्रतिष्ठा कैसे गिरे तो यदि ग्राप एक बार सख्त रूलिंग दें जब तक मंत्री जयपुर में रहता है उसको सदन में बैठना चाहिए, इससे सदन की प्रतिष्ठा बढ़ेगी। इससे जो हंसने वाले चहरे हैं, जिनको चाहे गाली दें चाहे ग्रालोचना करें, इस प्रकार के व्यक्तियों को गाँव

(श्री भैरोंसिंह)

की भाषा में ढीठ कहते हैं, विधान सभा में पालियामेंट्री शब्द कौनसा है ऐसे मंत्रियों के लिए, उस शब्द का प्रयोग मैं नहीं करना चाहता लेकिन आपसे निवेदन है कि सदन की स्थिति को जो गंभीर नहीं मानते हैं,

कि मन्त्री का जिस दिन सब्जेक्ट हो उस दिन सदन में उपस्थित रहें।

श्री उपाध्यक्ष : इस विषय में आसन से बार बार आदेश दिये जा चुके हैं कि जिस मंत्री का विषय हो सम्बन्धित मन्त्री उस दिन यथा शक्य उपस्थित रहेंगे ।

विपक्ष द्वारा (हियर हियर)

यदि काम हो जाय और उस काम से वे बाहर चले जायं तो जहां तक हो सके यथा शक्य उनको यहां उपस्थित होना आवश्यक है ।

महारावल श्री लक्ष्मण सिंह : उपाध्यक्ष महोदय....

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त-मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहूँगा कि आपने जो रूलिंग दी है कि जिस मन्त्री का विषय यहां हो उसको उपस्थित होना जरूरी है।

श्री उपाध्यक्ष : यथा शक्य उसमें स्पष्टीकरण की कोई आवश्यकता नहीं।

(विपक्ष द्वारा पुनः हियर हियर)

इस आसन से इस सम्बन्ध में पहले कई बार आदेश दिये जा चुके हैं। यथा शक्य कह कर उसका स्पष्टीकरण भी दिया गया है कि यदि कोई काम हो तो अलग बात है । सरकारी पक्ष से सम्मिलित जिम्मेवारी है फिर भी जहां तक हो सके यहां सदन में रहना आवश्यक है क्योंकि मेम्बरों की भावना का भी खयाल रखना आवश्यक है ।

श्री बालकृष्ण कौल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था, मैं अगला सेन्टेन्स कहता और उसे सुना जाता तो स्पष्ट हो जाता । ये आदेश पहले से हैं । लेकिन जिन माननीय सदस्य ने इस प्रश्न को फिर उठाया शायद वे नहीं जानते होंगे कि यह विषय मेरा नहीं था । जिस स्थगन प्रस्ताव का वे जिक्र कर रहे हैं वित्त मन्त्री से उसका कोई ताल्लुक नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : फिर किसका है ?

श्री बालकृष्ण कौल : मालूम कर लीजिये । इसका मुझसे कोई सम्बन्ध नहीं है । और उन्होंने जो मुझ पर आक्षेप लगाया है निराधार और गलत है। उनको आदत हो गयी है कि वे हर मामले में इस तरह कहें कि आप मुसकुराते हैं तो गुलाबी कलर हो जाता है।

(शोरगुल अश्रव्य)

ऐसा मालूम होता है, यह गुलाब जो जंगलों में मिलता है बागात में नहीं मिलता जो भी सवाल सामने हो उसके हर पहलू पर देख कर समझ कर जवाब देना चाहिये। एक जनरल जवाब देकर यह समझ लेना कि यह वित्त मन्त्री के लिये आवश्यक था इसलिये वित्त मंत्री

Page No. 72

(श्री बालकृष्ण कौल)

एब्सेन्ट थे, यह सदन है यह कोई बाजार नहीं है……

(शोरगुल)

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : यह बाजार तो आप बना रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : यह काफी हाउस नहीं है।

(शोरगुल)

श्री बालकृष्ण कौल : बाजार है और हाट लगा हुआ है, इसलिये जो मर्जी में आया वह कह दिया……

(शोरगुल-व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री महोदय ने मेरे ऊपर आक्षेप लगाया है……

(शोरगुल)

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : कोई आक्षेप नहीं लगाया।

श्री बालकृष्ण कौल : आपसे ज्यादा आक्षेप नहीं लगाये हैं। आपकी आदत है प्रिविलेज मोशन और पोइन्ट-ऑफ ऑर्डर रेज करके कोई न कोई बात कहनी। कोई आक्षेप नहीं लगाया है।

(शोरगुल)

यह सदन है, उसकी वही इज्जत करनी चाहिये जो इसकी होनी चाहिए। यह बाजार नहीं है, हाट नहीं है।

(शोरगुल)

श्री भैरोंसिंह : आक्षेप तो यह है कि मैंने इस सदन को बाजार समझ लिया है। यह कोई आक्षेप नहीं है ? मैंने आपके ख्याल से इसको बाजार समझ लिया है ?

(शोरगुल)

श्री बालकृष्ण कौल : मैंने कहा है कि बाजार नहीं समझना चाहिये। आपने समझा या नहीं समझा, यह आप जानें।

(शोरगुल)

श्री भैरोंसिंह : मैं इस आक्षेप को गम्भीर मानता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : यह आक्षेप नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : आपकी रूलिंग के बारे में कोई कह दे कि बाजार में दे वैसी दे दी तो आक्षेप नहीं है क्या ?

श्री उपाध्यक्ष : ऐसा कह दे तो होगा। इस तरह से नहीं, इस तरह से समझना चाहिये……

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनिट का सवाल है। माननीय वित्त मंत्री जी को बहुत गुस्सा आया और मैं समझता हूं आज जो कुछ एनर्जी एज्यूम कर ली थी उसको किसी न किसी प्रकार एक मिनिट में कन्ज्यूम कर दिया। उसकी मुझे चिन्ता नहीं उनकी आत्मा को ठेस

(श्री भैरोंसिंह)

पहुंची। वे थोड़ी सी जानकारी करते तो, आपके उप मंत्री श्री रामप्रसादजी लड्ढा ने कहा था कि वित्त मंत्री जी नहीं हैं, इसलिए उनको जबाव देना पड़ा। आप नाराजगी निकालते हैं मेरे ऊपर। मेरे ऊपर आपकी इस नाराजगी का असर नहीं होने वाला है। आप मेज पर खड़े हो जांय और हो हो करें तो भी मुझे ऐतराज नहीं। कितना ही गुस्सा लायें तो मुझे उसकी चिन्ता नहीं। लेकिन इतना निवेदन करना चाहता हूँ।

श्री बालकृष्ण कौल : आज यह मालूम होता है कि माननीय सदस्य के सिर पर मैं खड़ा हुआ हूँ।

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री भैरोंसिह : मेरे सिर पर नहीं....

(शोरगुल व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज!

श्री भैरोंसिह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्रीजी का उनकी वृद्धावस्था के कारण सम्मान करता था, लेकिन मुझे खेद है उन्होंने उनकी वृद्धावस्था का सम्मान करने की स्थिति में मुझे नहीं छोड़ा है। उन्होंने कहा कि वे मेरे सिर पर खड़े हुए हैं। ये मेरे सिर पर तो क्या, यदि उनका सिर मेरे पैरों के नीचे भी आये तो उस पर पैर रखना भी अपनी बेइज्जती समझूंगा। यह वित्त मंत्री ऐसी बातें करे × × × × × ×

श्री बालकृष्ण कौल : ओन ए पाइन्ट ऑफ ऑर्डर सर....

श्री भैरोंसिह : × × × × × × × × × वित्त मंत्री कहे कि वह मेरे सिर पर खड़ा है, मेरे सिर पर खड़े होने वाले का तो नाक दबोच लिया जायगा।

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज! ऑर्डर प्लीज!!

श्री मथुरादास माथुर : उपाध्यक्ष महोदय

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज! Yes.

श्री मथुरादास माथुर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि इस गर्मागर्मी में कुछ ऐसे अल्फाज निकल गये हैं जिनको हाउस की प्रोसिडिंग्ज में से निकाल दिया जाय।

श्री भैरोंसिह : मुझे कोई आपत्ति नहीं है कौल साहब ने जो शब्द कहे हैं वे उनको वापिस ले लें। मैं भी वापिस ले लूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : All such expressions will be examined.

महारावल श्री लक्ष्मणसिह : जाने दें जो कुछ होगया। उनके गुलाब के फूल बरसते हैं।

(१.५६ म. प.)

मांग संख्या २० व ३२ सहकारिता एवं लेखन सामग्री तथा मुद्रण (पूर्व क्रम से)

श्री गिरधारी लाल व्यास : मुझे आज्ञा दी थी।

× × × × अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार निकाले गए।

श्री उपाध्यक्ष : ग्रॉर्डर प्लीज़ ! इनको इजाजत दे चुका हूँ।

श्री गिरधारीलाल व्यास : नाम मेरा बोला था।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे कटौती प्रस्ताव के सम्बन्ध में ...

श्री उपाध्यक्ष : इसके बाद आपको चान्स मिल जायगा।

[इन मांगों पर निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए]

मांग संख्या २०

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) :

१. मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४- सहकारिता में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सहकारी संस्थाओं के गठन में सरकार की ओर से पक्षपात पर चर्चा के लिए)।

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) :

२. मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४- सहकारिता में से १००) रु० कम कर दिया जाय (पशु एवं भेड़ पालन क्षेत्र में सहकारिता का विकास नहीं किये जाने पर चर्चा के लिए)

३. मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४- सहकारिता में से १००) रु० कम कर दिया जाय (दुग्ध उद्योग क्षेत्र में सहकारिता आन्दोलन के विकास नहीं किये जाने पर चर्चा के लिए)।

४. मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४- सहकारिता में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सहकारिता के माध्यम में कृषि ऋण व्यवस्था के कार्यक्रम में बाधाओं पर चर्चा के लिए)।

५. मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४- सहकारिता में से १००) रु० कम कर दिया जाय (कृषि सहकारी समितियों को सफल नहीं बनाने के कारणों पर चर्चा के लिए)।

६. मांग संख्या २०; मुख्य शीर्षक ३४- सहकारिता में से १००) रु० कम कर दिया जाय (कृषि उत्पादन एवं किसानों के उपयोग में काम आने वाली सामग्री का सहकारिता के माध्यम से उपलब्ध एवं वितरण करने में आ रही कठिनाइयों पर चर्चा के लिए)।

७. मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४- सहकारिता में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सार्वजनिक एवं सहकारिता के विभिन्न कार्यक्रमों में आपसी मतभेद दूर करने एवं सामान्जस्य लाने पर विभाग की असफलता पर चर्चा के लिए)।

८. मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४- सहकारिता में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सहकारी आन्दोलन के विकास में उदासीनता पर चर्चा के लिए)।

श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा) : ९. मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४-सहकारिता में से १००) रु० कम कर दिया जाय (गिरवा तहसील में सहकारी संस्थाओं को अर्थ सहायता नहीं दी जाने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या ३२

१०. मांग संख्या ३२ मुख्य शीर्षक ६८–लेखन सामग्री तथा मुद्रण में से १००)

Page No. 75

(श्री जोरसिंह चौहान)

रु० कम कर दिया जाय (उदयपुर के मुद्रणालय में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या २०

श्री चौसरसिंह बाजेल (वेंगू) : ११. मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४-सहकारिता में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सहकारी समितियों में अनियमितताओं पर गबन हुआ है। इसको रोकने में असमर्थता पर चर्चा के लिए)।

१२. मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४-सहकारिता में से १०० रु० कम कर दिया जाय (भेंसरोडगढ़ सहकारिता समिति में अनियमितताओं की ओर विभाग द्वारा ध्यान नहीं दिये जाने पर चर्चा के लिए)।

१३. मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४-सहकारिता में से १००) रु० कम कर दिया जाय (पारसोली सहकारी समिति में हजारों रुपयों का गबन हुआ उस पर विभाग द्वारा ध्यान न दिये जाने पर चर्चा के लिए)।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : १४. मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक-३४ सहकारिता में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सहकारी विभाग की अकर्मण्यता पर चर्चा के लिए)।

१५. मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४-सहकारिता में से १००) रु० कम कर दिया जाय (श्रम संविदा समितियों को आर्थिक सहायता हेतु अधिक प्रावधान कराने पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या ३२

१६. मांग संख्या ३२, मुख्यशीर्षक ६८-लेखन सामग्री तथा मुद्रण में से १००) रु० कम कर दिया जाय (राजस्थान सरकार द्वारा प्रकाशित विभिन्न प्रकाशन मुद्रणालयों में उपलब्ध नहीं होने पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या २०

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) :— १७. मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४-सहकारिता में से १००) रु० कम कर दिया जाय (जिला सहकारी संघों पर किए जाने वाले खर्चे की राशि का कोई लाभ न होने पर चर्चा के लिए)।

१८. मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४-सहकारिता में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सहकारी विभाग में प्रशासनिक दुर्व्यवस्था पर चर्चा के लिए)।

१६. मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४-सहकारिता में से १००) रु० कम कर दिया जाय (केन्द्रीय सहकारी बेंक की गत आम सभा में हुई अवैधता की शिकायत की विभाग द्वारा अभी तक जांच पूर्ण न हो सकने पर चर्चा के लिये)।

२०. मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४-सहकारिता में से १००) रु० कम कर दिया जाय (केन्द्रीय सहकारी बेंकों को

(श्री राधाकृष्णगोयल)

दिए गए ऋण का अकृषि कार्यों में दुरुपयोग होने पर चर्चा के लिए)।

२१. मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४-सहकारिता में से १००) रु० कम कर दिया जाय (केन्द्रीय सहकारी बैंकों की लाखों रुपये की ऋण राशि डूब जाने योग्य हो जाने पर चर्चा के लिए)।

२२. मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४-सहकारिता में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सहकारी खेती समितियों को दी जाने वाली सहायता के दुरुपयोग पर चर्चा के लिये)।

२३. मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४-सहकारिता में से १००) रु० कम कर दिया जाय (क्रय विक्रय संघों में गबन पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या ३२

२४. मांग संख्या ३२, मुख्य शीर्षक ६८-लेखन सामग्री तथा मुद्रण में से १००) रु० कम कर दिया जाय (राज्य मुद्रणालयों में अव्यवस्था पर चर्चा के लिए)।

२५. मांग संख्या ३२, मुख्य शीर्षक ६८-लेखन सामग्री तथा मुद्रण में से १००) रु० कम कर दिया जाय (राज्य प्रकाशन शाखा द्वारा मुद्रित सामग्री जनता को समय पर उपलब्ध नहीं होने पर चर्चा के लिए)।

२६. मांग संख्या ३२, मुख्य शीर्षक ६८-लेखन सामग्री तथा मुद्रण में से १००) रु० कम कर दिया जाय (राज्य मुद्रणालय द्वारा प्रकाशित पुस्तकों पर अधिक मूल्य निर्धारण करने से जनता को होने वाली कठिनाइयों पर चर्चा के लिए)।

२७. मांग संख्या ३२, मुख्य शीर्षक ६८-लेखन सामग्री तथा मुद्रण में से १००) रु० कम कर दिया जाय (लेखन सामग्री के क्रय में हुए घोटालों पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या २०

श्री हरलाल मीणा (प्रतापगढ़) २८. मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४-सहकारिता में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सहकारिता विभाग में हुई अनियमितताओं पर चर्चा के लिये)।

श्री श्रवणलाल (हिन्डौन-सु):— २९. मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४-सहकारिता में से १००) रु० कम कर दिया जाय (मर्केन्टाइल कोपरेटिव बैंक में घोटाले पर विभाग द्वारा ध्यान न दिये जाने पर चर्चा के लिये)।

श्री मानसिंह महार (आमेर): ३०. मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४-सहकारिता में से १००) रु० कम कर दियाजाय (सहकारी विभाग में अत्यधिक खर्च तथा व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द): ३१. मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४-सहकारिता में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सहकारी समितियों को ऋण देने की व्यवस्था ठीक करने पर चर्चा के लिये)।

Page No. 77

मांग संख्या ३२

३२. मांग संख्या ३२, मुख्य शीर्षक ६८-लेखन सामग्री तथा मुद्रण में से १००) रु० कम कर दिया जाय (स्टेशनरी क्रय करने में भारी अपव्यय पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या २०

श्री गोविन्दसिंह (पिड़ावा) : ३३. मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४-सहकारिता में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सहकारिता विभाग द्वारा सहकारी समितियों को ऋण दिये जाने में अनियमितताओं पर चर्चा के लिये)।

३४. मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४-सहकारिता में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सहकारिता आन्दोलन से कृषकों को आवश्यकतानुसार ऋण न मिलने पर चर्चा के लिये)।

३५. मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक-३४ सहकारिता में से १००) रु० कम कर दिया जाय (भूमि बन्धक लैंड डवलपमेन्ट बैंकों द्वारा काश्तकारों को समय पर ऋण न देने पर चर्चा के लिये)।

.३६. मांग १०, मुख्य शीर्षक ३४-सहकारिता में से १००) रु० कम करदिया जाय (केन्द्रीय सहकारी बैंकों को दिये जाने वाली अर्थ सहायता के दुरुपयोग पर चर्चा के लिये)।

३७. मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४-सहकारिता में से १००) रु० कम कर दिया जाय (असिस्टेन्ट रजिस्ट्रारों को आफिशियटिंग लगाने एवं उनको कनफर्म नहीं किए जाने पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या ३२

३८. मांग संख्या ३२, मुख्य शीर्षक ६८—लेखन सामग्री तथा मुद्रण में से १००) रु० कम कर दिया जाय (लेखन सामग्री का हिसाब ठीक प्रकार से नहीं रखने पर चर्चा के लिए)।

३९. मांग संख्या ३२, मुख्य शीर्षक ६८-लेखन सामग्री तथा मुद्रण में से १००) रु० कम कर दिया जाय (मुद्रणालयों द्वारा कागज का हिसाब ठीक प्रकार से नहीं रखने पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या २०

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' (अकलेरा सु.) ४०. मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४ सहकारिता में से १००) रु० कम कर दिया जाय (छत्रपुरा ट्रेनिंग सेंटर कोटा में चलने वाली सहकारी संस्था में घोटालों को विभाग द्वारा आडिट न किये जाने पर चर्चा के लिये)।

४१. मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४-सहकारिता में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सहकारिता से ग्रामों की जनता तथा किसानों को उचित लाभ न मिलने पर चर्चा के लिए)।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल):—४२. मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४-सहकारिता में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सहकारी उपभोक्ता भन्डार को आर्थिक

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)

सहायता हेतु कोई राशि न रखे जाने पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या ३२

४३. मांग संख्या ३२, मुख्य शीर्षक ६८-लेखन सामग्री तथा मुद्रण में से १००) रु० कम कर दिया जाय (लेखन सामग्री के क्रय में अधिक खर्च व उचित लेखन सामग्री उपलब्ध नहीं किये जाने पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या २०

श्री प्रभुलाल सेन्टर (खानपुर) :- ४४. मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४-सहकारिता में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सामूहिक कृषि सहकारी सोसाइटियों के प्रति विभागों में उदासीनता पर चर्चा के लिये)

श्री माधो लाल खानपुरिया (अटरू) : ४५. मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४-सहकारिता में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सहकारी आन्दोलन में ग्रामीण जनता को उचित लाभ न मिलने पर चर्चा के लिये) ।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : ४६. मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४-सहकारिता में से १००) रु० कम कर दिया जाय (लूणकरणसर मार्केटिंग सोसाइटी के राज्य सरकार द्वारा हिस्से खरीदने एवं प्रबन्धक वेतन हेतु सहायता देने पर चर्चा के लिये) ।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूड़ावत (भीम) : ४७, मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४-सहकारिता में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सहकारी विभाग द्वारा दिये गये कर्जों की वसूली समय पर नहीं किये जाने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये) ।

श्री मथुरेश बिहारी माथुर (बांदीकुई : ४८. मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४-सहकारिता में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सहकारिता विभाग में अनुदान व ऋण के देने के तरीके एवं वसूली की असफलता पर चर्चा के लिये) ।

श्री लक्ष्मण प्रसाद पटेल (सिकराय-सु०) ४९. मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४-सहकारिता में से १००) रु० कम कर दिया जाय (राजस्थान की ग्राम सेवा सहकारी समितियों में व्याप्त भ्रष्टाचार को विभागों द्वारा नहीं मिटाये जाने पर चर्चा के लिए) ।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : ५०. मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४-सहकारिता में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सहकारी आन्दोलन में नया दृष्टिकोण अपनाने के सम्बन्ध में एवं सहकारी संस्थाओं में सुधार करने के बारे में चर्चा के लिए) ।

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : ५१. मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४-सहकारिता में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सहकारी समितियों में भ्रष्टाचार को रोकने में विभागीय असफलता पर चर्चा के लिये) ।

५२. मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४ सहकारिता में से १००) रु० कम कर दिया जाल (कृषि सहकारी समितियों के लिए इस मांग में प्रावधान नहीं करने पर चर्चा के लिए) ।

Page No. 79

श्री तेजाराम गहलोत (सोजत) : ५३. मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४-सहकारिता में से १००) रु० कम कर दिया जाय (पाली जिले की कृषि सहकारी समितियों को दिये गये ऋण व अनुदान का सही खर्च न किये जाने एवं विभाग द्वारा उन समितियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही न की जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए)।

५४. मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४-सहकारिता में से १००) रु० कम कर दिया जाय (पाली जिले की सहकारी समितियों को विभाग द्वारा दिये गये ऋण के बढ़ते हुए गबन पर चर्चा के लिए)।

५५. मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४ सहकारिता में से १००) रु० कम कर दिया जाय (पाली जिले में सहकारी समितियों विशेष कर महादेव ग्राम सेवा सहकारी समिति पाली के सदस्यों द्वारा गबन किये जाने पर विभाग द्वारा कोई कार्यवाही न किये जाने पर चर्चा के लिए)।

५६. मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४ सहकारिता में से १००) रु० कम कर दिया जाय (पाली जिले में सहकारी समितियों की प्रबन्धकारिणी के सदस्यों द्वारा फरजी तरीके से दूसरों के नाम से रकम उठा लेने पर एवं ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध विभाग द्वारा कानूनी कार्यवाही न की जाने से उत्पन्न मुद्दों पर चर्चा के लिए)।

श्री मुक्तिलाल मोदी (कोटपूतली) : ५७. मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४-सहकारिता में से १००) कम कर दिये जाय (सहकारी समितियों को दिये जाने वाले ऋण की वसूली में बरती जारही धांधली पर चर्चा के लिए)।

कुंवर श्री महेन्द्रसिंह (दोगोद) : ५८. मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४-सहकारिता में से १००) रु० कम कर दिये जायं (सहकारिता आन्दोलन के प्रति जनता में असन्तोष के कारणों पर चर्चा के लिए)।

श्री चतुर्भुज उपाध्याय (चित्तौड़ गढ़) : ५९. मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४-सहकारिता में से १००) रु० कम कर दिये जायं (दुवावा सहकारी समिति की अवैधानिकता की ओर विभाग द्वारा ध्यान नहीं दिये जाने पर चर्चा के लिए)।

श्री रविशंकर याज्ञिक (पिंडवाड़ा) : ६०. मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४-सहकारिता में से १००) रु० कम कर दिया जाय (विभाग के अधिकारियों द्वारा समितियों के कार्य में दिलचस्पी नहीं लेने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए)।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : ६१. मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४-सहकारिता में से १००) रु० कम कर दिया जाय (असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार्स की तरक्कियों में पक्षपात पर चर्चा के लिए)।

६२. मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४ सहकारिता में से १००) रु० कम कर दिया जाय (कृषि सहकारी समिति नमाना (बूंदी को विभाग द्वारा दिये गये अनुदान के गबन पर चर्चा के लिए)।

६३. मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४ सहकारिता में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सहकारिता के नाम पर राजनैतिक षडयन्त्र पर चर्चा के लिए)।

Page No. 80

श्री लक्ष्मीचन्द (पीपलदा) : ६४. मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४-सहकारिता में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सहकारिता को बढ़ावा देने में उचित प्रयासों में कमी पर चर्चा के लिए।)

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवा महल, जयपुर): ६५. मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४-सहकारिता में से १००) रु. कम कर दिया जाय (सहकारी भंडारों में रुपये के घोटाले को रोकने में विभागीय असफलता पर चर्चा केलिये)।

मांग संख्या ३२

६६. मांग संख्या ३२, मुख्य शीर्षक ६८-लेखन सामग्री तथा मुद्रण में से १००) रु. कम कर दिया जाय (सरकारी प्रेस में खरीदे गये खराब कागज तथा स्टेशनरी की सप्लाई पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या २०

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर): ६७. मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४—सहकारिता में से १००) रु. कम कर दिया जाय (सहकारी समितियों को दिये जाने वाले सहायतार्थ अनुदान की राशि के दुरुपयोग पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या ३२

६८. मांग संख्या ३२, मुख्य शीर्षक ६८-लेखन सामग्री तथा मुद्रण में से १००) रु. कम कर दिया जाय (स्टेशनरी की खरीद में की गई गड़बड़ियों पर चर्चा के लिये।)

मांग संख्या २०

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा (मावली) : ६९. मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४-सहकारिता में से १००) रु. कम कर दिया जाय (सहकारी समितियों को दी जाने वाली सहायतार्थ अनुदान की राशि के दुरुपयोग पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या ३२

७०. मांग संख्या ३२, मुख्य शीर्षक ६८-लेखन सामग्री तथा मुद्रण में से १००) रु. कम कर दिया जाय (स्टेशनरी खरीद में की गई गड़बड़ियों पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या २०

श्री नाथूराम (बागीडोरा) : ७१. मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४-सहकारिता में से १००) रु. कम कर दिया जाय (बांसवाड़ा जिला में सहकारी समितियों की दयनीय स्थिति पर चर्चा के लिए)।

श्री देवीलाल मीणा (सराड़ा-सु०):- ७२. मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४-सहकारिता में से १०० रु. कम कर दिया जाय (तहसील सराडा व खैरवाड़ा में सहकारी समितियों की कार्य शिथिलता पर चर्चा के लिए)।

श्री जयलाल (डग):-७३. मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४-सहकारिता में से १००) रु. कम कर दिया जाय (सहकारी समितियों को दिये जाने वाले कर्ज में अनियमितताओं पर चर्चा के लिये)।

श्री दयाचंद सौन (बारां-सु०) : ७४. मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४-सहकारिता में से १००) रु. कम कर दिया जाय (सहकारी विभाग द्वारा अनुसूचित व

(श्री दयानन्द सोन)

अनुसूचित जन जाति के लोगों में सहकारिता आंदोलन को प्रोत्साहन न देने पर चर्चा के लिये)।

श्री डूंगाराम राजोरिया (जमवा-रामगढ़):—६५. मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४-सहकारिता में से १००) रु. काम कर दिया जाय (विभाग, सहकारिता को प्रोत्साहन देने में असमर्थ रहा है, पर चर्चा के लिये।)

श्री अब्दुल जब्बार खां (निम्बाहेड़ा):-७६. मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४-में से १००) रु. कम कर दिया जाय (ग्राम सहकारी समितियों को विभाग द्वारा दिये गये ऋण में होने वाले गबन पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या ३२

७७. मांग संख्या ३२.मुख्य शीर्षक ६८-लेखन सामग्री तथा मुद्रण में से १००) रु. कम कर दिया (सरकार द्वारा छपवाये हुए कई किस्म के फार्म समय पर विभागों को न भेजने से होने वाले घाटे पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या २०

श्री नाथूलाल करौल (चाकसू):—७८. मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४-सहकारिता में से १००) रु. कम कर दिया जाय (जयपुर जिले में सहकारी विभाग द्वारा दिये गये ऋण की बकाया रकम को वसूल न कर सकने पर चर्चा के लिये)।

श्री रावतराम (सादूलपुर)—७९. मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४-सहकारिता में से १००) रु० कम कर दिया जाय (भूमि बंधक बैंकों को अधिक धन राशि देने तथा उन्हें सक्रिय बनाये जाने के संबंध पर चर्चा के लिये)।

८० मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४-सहकारिता में से १००) रु० कम कर दिया जाय (लूणकरणसर मार्केटिंग सोसाइटी लि० को राज्य सरकार द्वारा हिस्सा पूंजी खरीद कर तथा व्यवस्थापक हेतु सहायता देने पर चर्चा के लिये)।

श्री मांगीलाल रिणवा (रायपुर):—८१. मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४–सहकारिता में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सहकारी समितियों द्वारा ऋण-वितरण व वसूली की प्रणाली में अनियमितताए दूर करने पर चर्चा के लिये)।

श्री मान्धातासिंह (महुवा) :—८२. मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४- सहकारिता में से १००) रु०.कम कर दिया जाय (सहकारिता द्वारा संचालित बैंकों की दुरावस्था पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या ३२

८३. मांग संख्या ३२, मुख्य शीर्षक ६८-लेखन सामग्री तथा मुद्रण में से १००) रु० कम कर दिया जाय (मुद्रणालयों में व्याप्त अनियमितताओं तथा भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या २०

डा० हरिप्रसाद शर्मा (मंडावर) :—८४. मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४-सह-

(डा० हरिप्रसाद शर्मा)

कारिता में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सहकारी विभाग में अव्यवस्था पर चर्चा के लिये ।

श्री मूलचन्द चौधरी (दौसा) :— ८५. मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४–सहकारिता में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सहकारिता के क्षेत्र में धन के दुरुपयोग को रोकने पर चर्चा के लिये) ।

८६. मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४–सहकारिता में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सहकारी संस्थाओं में भ्रष्टाचार को रोकने में विभागीय असफलता पर चर्चा के लिये) ।

श्री किशनसिंह बट्टड (लक्ष्मणगढ):— ८७. मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४–सहकारिता में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सहकारिता आन्दोलन की प्रगति न होने पर चर्चा के लिये) ।

श्री मजलिस खां (कांमा) : — ८८. मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४–सहकारिता में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सहकारी समितियों को समय पर कर्ज न मिलने की अव्यवस्था पर चर्चा के लिये) ।

श्री उदयलाल वदिया (लसाडिया) :— ८९. मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४–सहकारिता में से १००) रु० कम कर दिया जाय (विभागीय घोटाले पर चर्चा के लिये) ।

श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा) :— ९०. मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४–सहकारिता में से १००) रु० कम कर दिया जाय (राज्य सरकार सहकारिता अभियान में असफल रही है इस पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या ३२

डा० पोहूमल ईसरदास (अजमेर सिटी-पश्चिम) :— ९१. मांग संख्या ३२, मुख्य शीर्षक ६८–लेखन सामग्री तथा मुद्रण में से १००) रु० कम कर दिया जाय (राजस्थान सरकार द्वारा प्रकाशित विभिन्न प्रकाशन मुद्रणालयों में उपलब्ध नहीं होने पर चर्चा के लिये) ।

श्री गोकुलचन्द (कठूमर-सु०) :— ९२. मांग संख्या ३२, मुख्य शीर्षक ६८–लेखन सामग्री तथा मुद्रण में से १००) रु० कम कर दिया जाय (अलवर राजकीय मुद्रणालय को समाप्त किये जाने की आज्ञा के संबंध में चर्चा के लिये) ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि को आपरेशन का ध्येय क्या है ? सहकारिता का लक्ष्य क्या है ? उपाध्यक्ष महोदय, सहकारिता का लक्ष्य है नीचे के गिरे हुए वर्ग को ऊपर लाया जाय, उनकी खुशहाली के लिये कोई योजनाबद्ध अभियान जारी किया जाय और बिचौलियों के चुंगल से उस गिरे हुए वर्ग को मुक्त किया जाय ।

उपाध्यक्ष महोदय, सरकार का लक्ष्य यह था कि तृतीय पंचवर्षीय योजना तक सौ प्रतिशत अर्थात् शतप्रतिशत गांव और ६७ प्रतिशत ग्रामीण परिवारों को इस योजना के अन्तर्गत लाया जाय । इस लक्ष्य की पूर्ति सरकार के द्वारा क्या हुई है वह सरकार के द्वारा दिये हुए आंकड़ों के अनुसार में निवेदन करूंगा ।

(महाराजल श्री लक्ष्मणसिंह)

(२. म. प.)

सरकार द्वारा दिये हुए आंकड़े यह जाहिर करते हैं कि ग्रामों में इस अभियान का प्रसार ८३ प्रतिशत हुआ है और जहां तक ग्रामीण परिवारों का सम्बन्ध है इस सहकारिता के अभियान में ३२ प्रतिशत ग्रामीण परिवारों में लागू किया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे कहने का मन्तव्य यह है कि अगर अचीवमेन्ट की प्रगति को देखा जाय ६७ प्रतिशत का जो लक्ष्य था उसमें केवल ३२ प्रतिशत ही आपका लक्ष्य पूरा हो पाया है जो मेरे ख्याल से आधे से भी कम है। जहां तक ग्रामों का सम्बन्ध है वह यहां विशेष महत्व नहीं रखता। आप यह कहें कि शत-प्रतिशत की जगह ८३ प्रतिशत ग्रामों में इस अभियान को फैलाया तो मेरे ख्याल में यह कोई विशेष अर्थ नहीं रखता। विशेष महत्व की बात तो परिवारों से सम्बन्धित है। परिवारों से सम्बन्धित आपने जो आंकड़े दिये हैं वे विश्वसनीय नहीं होते हुए भी आपकी जो लक्ष्य-प्राप्ति है वह आधे से भी कम है।

सहकारी समितियों की संख्या जो बताई गई है २,५५२ जहां तक इस संख्या का सवाल है, जो यहां बताई गई है बहुत बढ़ी चढ़ी संख्या है जो वास्तविकता से परे है। मेरे ख्याल में केन्द्रीय सहकारिता मंत्री ने भी इस तथ्य को माना है और यह एक आम बात है और जनता से यह छिपी हुई नहीं है कि बहुत सारी ग्राम सहकारी समितियां केवल नाम मात्र की हैं, बोगस हैं केवल कागजों के ऊपर हैं। मेरे ख्याल में बोगस ही नहीं कुछ सहकारी समितियां ऐसी हैं जो लाभ की जगह देश के लिये हानिकारक हैं।

शेयर केपीटल जो बताई गई है वह ६.१४ लाख है और जो बकाया बताई गई है २५८१ लाख बताई गई है। यह जो बकाया है वह आपके आंकड़ों के अनुसार ३१ मार्च, १९६४ तक की है। सम्भवत: ये आंकड़े अभी तक तो और भी बढ़ गये होंगे। मैं नहीं समझता ये आंकड़े भी किस हद तक सही हैं। इस हिसाब से जहां २१५२ सहकारी समितियां है उनके अन्दर बकाया २५८१ लाख बतायी गयी है उससे औसतन हरेक सहकारी समिति के ऊपर १ लाख से अधिक बकाया निकलती है। मेरे ख्याल में यह आपके टारगेट्स अचीवमेन्ट के लिहाज से वास्तविकता को देखते हुए मेरे ख्याल में कोई सफलता की नहीं असफलता की द्योतक भी नहीं मैं तो यही कहूँगा कि जनता की गाढ़ी कमाई से आप मखौल कर रहे है। अगर कोई व्यापारी हो, मैं आपको निवेदन करूं अगर एक व्यापारी जिसकी आमदनी ९ लाख रुपया है और वह यदि २५ लाख रुपया व्यापारियों में बकाया रखता है तो मेरे ख्याल में वह व्यवसाय चल नहीं सकता। इसी प्रकार कोई राज्य या राष्ट्र है अगर व्यापारिक क्षेत्र में व्यापार करने हेतु कोई योजना अपनाता है तो मेरे ख्याल में राष्ट्र भी एक व्यापारी गणना में आयेगा अगर राष्ट्रीय व्यापार की कीगणना में लेकर के इन आंकड़ों के ऊपर सरकार का ध्यान आकर्षित करूं तो मेरे ख्याल में व्यापारिक अभियान, सहकारिता का अभियान सफलता में परिणत नहीं होगा। इसमें दुर्व्यवस्था और असफलता दोनों स्पष्टरूपेण प्रतीत होती हैं।

श्री मथुरादास माथुर (सहकारिता मंत्री): मैं जरा निवेदन कर दूं जो आपने आंकड़े पढ़े हैं वे हमारी ड्यूज़ के पढ़े हैं, ओवर ड्यूज के

(श्री मथुरादास माथुर)

नहीं पढ़े। हर साल हम लोन देते हैं। पांच करोड़ का लोन दिया वह जब ग्रोवर ड्यू हो जाय, उसके बाद में पेमेन्ट नहीं करते हैं, ग्रोवर ड्यू करते हैं। परफॉर्मेन्स ग्रॉफ रियेलाइजेशन ठीक है। हर साल हम लोन करते हैं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मैं इस बारे में जितना माननीय मंत्री महोदय जानकारी रखते हैं उतनी शायद जानकारी न रखता होऊं लेकिन मैं ग्रापको कोट करूं, मैंने जो ग्रांकड़े निकाले हैं वे बेसिक स्टेटिस्टिक्स पेज ५७ रिकवरीज मेड एण्ड लोन्स ड्यू वह ग्राप देखिये :

१६६३ में लोन्स ड्यू हैं	२११४ लाख
१६६४ ,,	२५८१ लाख

सम्भवत इसमें पुराने लोन्स होंगे, पुराने ड्यूज होंगे, पुराने ग्राउटस्टेन्डिंग्ज होंगे फिर भी ग्राप जो समझे वह ठीक है।

मेरे ख्याल से जो मैं निवेदन करना चाहता हूँ, उपाध्यक्ष महोदय, यह जो पच्चीस करोड़ रुपया बकाया निकलता है वह बजट के ऊपर कितना बड़ा भारी बोझ है। वैसे ही राजस्थान पिछड़ा हुग्रा राज्य है इसकी उन्नति इसकी फाइनेन्शियल स्टेबिलिटी फाइनेन्शियल सोलवेन्सी मेरे ख्याल में ऐसी समस्या है जिसका समाधान इस सदन के सभी माननीय सदस्य चाहते हैं। इस बारे में सभी सजग हैं ग्रौर यह चाहते हैं कि हमारी ग्राय ग्रौर व्यय दोनों सन्तुलित हों। मेरा यह निवेदन करना है सरकारको किइतने बड़े ग्रभियान में केवल एक ही मोर्चे पर ग्रगर करोड़ों रुपया खर्च कर दे तो थोड़ा बहुत उस बारे में ग्राप गंभीरता पूर्वक तो सोचिये। मेरा तो इस बारे में यही निवेदन है कि संख्या को बढाने के ग्रन्दर ग्राप विशेष महत्व न दें सफलता पर विशेष महत्व दिया जाय। ग्रधिक संख्या ग्रापको कभी सफलता नहीं दे सकती। ग्रगर ग्राप वास्तविक रूप से इस क्षेत्र में सफलता चाहते हैं तो ग्रापको क्वान्टिटी की तरफ न जाकर क्वालिटी की तरफ जाना चाहिये। क्वालिटी पर जाकर ग्रगर दो-चार-पांच दो सौ-पांच सौ भी सहकारी समितियां सफलता प्राप्त करके जनता के समक्ष ग्राये तो उससे सहकारी समितियों की सफलता बता सकते हैं। मेरे ख्याल में इस तरह सरकार के लिए भी ग्रासान होगा इस ग्रभियान को सफल करना नहीं तो ग्रधिकांश सोसाइटीज पर करोड़ों भी ग्राप खर्च कर दें मेरे ख्याल में न क्वान्टिटी की समस्या ही हल होगी ग्रौर न क्वालिटी ही सुधरेगी यह तो ग्रापकी केवल जिद्द है।

यह पैसा ग्रधिकांश रूप में किन लोगों के हाथ में जाता है इसका भी मुझे कुछ ग्रनुभव है। ग्रधिकांश रूपेण हमारे क्षेत्र में जहां को मुझे जानकारी है ग्रादिवासी ग्रौर ग्रशिक्षित लोगों के हाथ में जाता है जिनके प्रति मेरी सहानुभूति है। इनमें पांच प्रतिशत भी शिक्षित लोग नहीं होंगे। ग्रज्ञान-ग्रस्त लोगों में जिनको व्यवसाय का ग्रनुभव नहीं, जिनको इन सहकारी समितियों के संचालन की योग्यता मेरे ख्याल में एक नगण्य सी है ऐसे लोग जो ग्रापके पिट्ठू हैं उनके हाथ में यह रुपया जाता है ग्रौर मेरे ख्याल से यह रुपया ऐसे लोगों के हाथों में ग्रापके देने का एक मात्र लक्ष्य यह है कि ग्राप उनको प्रभावित करें,

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

उनको अपने साथ रक्खें, और अपना प्रभाव निरन्तर उन पर अच्छी तरह से थोप कर रक्खें । मैं यह समझता हूँ कि यह एक अर्थ का अनर्थ ही नहीं, पर सरकारी धन का दुरुपयोग है और इसकी पराकाष्ठा इस सहकारिता अभियान में मुझे प्रतीत हो रही है ।

जहां तक मेरे दल का संबंध है उपाध्यक्ष महोदय, हम सिद्धान्तः सहकारिता के विरोध में नहीं हैं । सहकारिता को बुरा नहीं समझते, लेकिन सहकारिता भी आखिराकर स्वेच्छा के साथ हो । अगर स्वेच्छा के साथ नहीं, अगर सहकारिता थोपी जाती है, अगर उसका महत्व ही लोग नहीं समझते, तो मेरे ख़याल से यह सहकारिता नहीं है, यह सरकारिता है ।

क्रय–विक्रय संघ के सम्बन्ध में सदन में चर्चा उठी । गुड़, खांड, चावल बदाम पिश्ता, पता नहीं लाखों रुपयों का, आप लाये, उसमें भी घोटाला हुआ । बहुत लम्बी-चौड़ी चर्चाएं सदन में हुईं और आरोप भी इस ओर से लगाये गये किन्तु उसकी रिपोर्ट भी जो आई है वह भी आप दबा कर बैठे हैं ।

श्री मथुरादास माथुर : We have placed it on the Table of the House.

महारावल श्री लक्ष्मणसिंहः वह तो ठीक है, पर उस पर भी कार्यवाही आपने अभी तक नहीं की, कोई निर्णय नहीं लिया । वैसे ही दबा कर बैठ गये हैं । आखिरकार उसका कुछ भी मूल्य होना चाहिए । रिपोर्ट की बातों पर कोई न कोई डिसीजन लें तब तो कोई फाइनेलिटी हो । पर फाइनेलिटी जैसी कोई वस्तु हीं नहीं आती तो मेरे ख़याल में यह बड़ी दूषित प्रक्रिया है सरकार की । और सरकार की तो, मुझे ऐसा लगता है, आदत सी पड़ गई है कि जितने भी ऐसे मामले हों घोटालों के उनकी पोटली बान्धकर एक तरफ फेंक दिया जाय, पेण्डिंग में रखा जाय । अगर पेन्डिंग में रखने की त्रिशंकु के माफिक लटकाये रखने की नीति है सरकार की तो मैं इसका विरोध करता हूं । और इसके आधार पर लोगों में यह भावना फैली है कि आप अपने लोगों को बचाने के लिए हमेशा सजग रहते हैं । सरकारी धन के दुरुपयोग के मामलों में घोटालों में भी आंखें बन्द करके बैठ जाते हैं तो इन्साफ जैसी वस्तु इस शासनरूढ़ दल में है यह मुझे प्रतीत नहीं होता ।

श्री मथुरादास माथुर : मैं माफी चाहता हूँ, बीच में टोकते हुए, यह जो गुड़ के मामले की क्रय विक्रय की रिपोर्ट सदन में रख दी गई थी, उसके बाद माननीय सदस्यों की जैसी राय थी, उसे विजिलेन्स कमीशन के पास भेज दिया गया है ताकि उसकी ठीक से जांच हो सके । तो विभाग के पास में विचारणीय कतई नहीं । फरदर एक्शन रिएक्शन जो कुछ भी लेना है विजिलेन्स कमीशन को लेने के लिए भेज दिया गया है । इसलिए प्रश्न पैदा नहीं होता शेल्टर करने का और दबाने का ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : माननीय मंत्री जी ने जो कुछ कहा, उपाध्यक्ष

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

महोदय, उसके लिए एक हद तक मुझे सहानुभूति है। पर मैं अक्षर-अक्षर उनकी बात का समर्थन करने में विवश हूँ। सम्भवतः यह मामला विजिलेन्स कमीशन के पास गया हो। हम जिम्मेदार लोग हैं, हम सरकारी कर्मचारियों की भी आलोचना निरर्थक रूप से नहीं करना चाहते। तो आखिरकार सरकारी कर्मचारी एक ऐसा वर्ग है जिसके द्वारा यह शासन-संचालन शत-प्रतिशत अंशों में नहीं, तो ८० प्रतिशत अंशों में होता, है, परन्तु मेरी यह भावना है, उपाध्यक्ष महोदय, कि विजिलेन्स कमीशन एक अच्छी चीज है, अच्छी संस्था है, आवश्यक संस्था है। पर अगर विजिलेन्स कमीशन नॉन विजिलेन्ट सा हो, अगर विजिलेन्स कमीशन प्रॉम्पटली अपना डिसीजन न ले सके तो फिर मेरे खयाल में विजिलेन्स कमीशन का पैनापन है वह भी भोंटा हो जाता है। सरकार और विजिलेन्स कमीशन में तालमेल होना चाहिए। सरकार को कहना चाहिए कमीशन को कि आपको विजिलेन्ट रहना चाहिए। नॉन विजिलेन्ट नहीं रहना चाहिए। यह एक प्रिन्सिपल है कि "Delay defeatse quity." and "Justice delayed is justice denied." अगर आप इन्साफ समय पर नहीं कर सकते तो मेरे ख्याल में यह एक आपकी दूषित नीति है।

इसी तरह से, उपाध्यक्ष महोदय, खादी बोर्ड में करोड़ों रुपया खर्च कर दिया जाता है, और मैं समझता हूँ कि यह खादी बोर्ड में करोड़ों रुपया खर्च किया जाता है उसमें मुझे कभी भी यह नहीं दिखाई दिया कि खादी बोर्ड फायदे से चलते हैं और प्रॉफिट में रन करते हैं। ये भी घाटे से चल रहे हैं और बार-बार सदन के दौरान में माननीय मन्त्रीगण सरकारी बेंचों पर चुप चाप बैठे हुए सुना करते हैं लेकिन कुछ नहीं करते। यहां मैंने तो आज लगातार चार-साढ़े चार साल से यह सरकारी बेंचों का रवैया देखा है जो उनके उत्तर से आभास देता है।

ग्रामीण कोआॅपरेटिव के सम्बन्ध में निवेदन करूं कि क्या पतरे क्या सीमेंट और क्या शक्कर इन सबके कोटे में भी भ्रष्टाचार है। खेत के औजार जो वितरित किये जाते हैं उनमें भी भ्रष्टाचार और पक्षपात होता है।

शक्कर में मेरे ख्याल में कोआॅपरेटिव सोसायटियों में आम तौर से इस हद तक भ्रष्टाचार हो रहा है कि लोगों को शक्कर सही रूप में नहीं वितरित होती। अपने लोगों को शक्कर देना, आपाधापी के रूप में विवाह शादी में, मोसर में शक्कर की व्यवस्था कर देना और खास करके विपक्षियों को स्पष्टतया कहा जाता है कि स्वतंत्र पार्टी छोड़कर कांग्रेस में आओ तो तुमको मौज मजा करने को एशोइशरत करने को माल-मलीदा खाने को मिलेगा, नहीं तो फाके मस्ती करके बैठे रहो।

उपाध्यक्ष महोदय, अपने लोगों को ही अगर कोआॅपरेटिव में लेकर उनको फायदा देने का लक्ष्य है तो मेरे ख्याल में यह लक्ष्य नहीं है। यह तो भ्रष्ट प्रक्रिया है। यह न तो किसान का प्रश्न है न ग्राम जनता का।

सरकार को इतना निम्न स्तर पर से हटकर कुछ ऊंचेस्तर पर आना चाहिये, उदारता बरतनी

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

चाहिये और ग्राम जनता को राहत देनी चाहिये इसी प्रश्न पर कांग्रेस पार्टी और अपने अपने दल के संकुचित दृष्टिकोण को छोड़ कर ग्राम जनता के हित की दृष्टि से देखें तो मेरे ख्याल से उत्तम होगा। नहीं तो मेरे ख्याल से आपका यह अभियान जनता के हित में नहीं होकर केवल कांग्रेस पार्टी को उनके लोगों के स्वार्थपूर्ति के साधनों के रूप में प्रयोग होगा।

माननीय सदस्य जो निम्बाहेड़ा से आये हैं, दो-एक दिन हुए उन्होंने भी आज निवेदन किया कि खांडसारी सहकारी समिति कोई निम्बाहेड़ा या नजदीक के क्षेत्र में थी उनके रजिस्ट्रेशन के सम्बन्ध में आवेदनपत्र, प्रस्तुत करने को गये तो तहसीलदार ने उस मामले को धकेल दिया रजिस्ट्रार को और ...

श्री अब्दुल्लजब्बार खां (निम्बाहेड़ा) : जालोर का मामला था वह।

महारावल श्री लक्ष्मण सिंह : कोई हो, सहकारी समिति तो थी न ?

श्री अब्दुलजब्बार खां : मैं ताईद करता हूं आपके शब्दों की।

महारावल श्री लक्ष्मण सिंह : राम कहो रहीम कहो सिद्धान्त तो एक ही है।

श्री मथुरादास माथुर : दर्खास्त दी थी, पर उनकी दिलचस्पी नहीं है उसके बनाने में।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : अगर ऐसा है तो मैं प्रश्न को वापिस लेना चाहूंगा। तो मैं इसके साथ-साथ यह निवेदन करूं कि मेरा खुद का जो मामला है वह भी आपके समक्ष रखना चाहूंगा।

श्री मथुरादास माथुर : मेरे को मालूम है आपका मामला।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : पर उसकी चर्चा करना चाहूंगा।

श्री मथुरादास माथुर : मर्जी आपकी।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मेरा कोई लाभ या लालच हो, उसमें ऐसा नहीं है। तो में निवेदन करूं कि यह सहकारी समिति स्थापित करने में मेरा कोई लाभ नहीं है। मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। न मेरे परिवार वाले हैं उसमें। मेरा तो इसमें स्वार्थ इतना ही है कि जो एक दो पीढ़ियों से गरीब लोग गरीबी भुगतते आये हैं और मेरी सेवाएं करते रहे हैं तो उन सेवाओं के प्रतिफल के स्वरूप में चाहता हूँ कि किसी तरह से व्यवस्थित ढंग से मैं उनकी सेवा करूं कि जिसके द्वारा उनकी जो सेवाएं मेरे प्रति रहीं उसका प्रतिफल मैं किसी तरह से दे सकूं। इस लक्ष्य को लेकर एक सहकारिता समिति एक सहकारी कृषि फार्म विजयसागर सहकारी समिति के नाम से कायम करनी पड़ी, सरकार के कर्मचारियों से सहयोग प्राप्त किया। तो मैंने यह देखा कि दूसरा पक्ष और खास करके कांग्रेस के जो लोग हैं उनको 'नो हाऊ' के सम्बन्ध में जिस तरह से सहयोग दिया जाता है तो वैसी सहायता मुझे भी मिलेगी। पर इस सहयोग और ऐसी भावना को लेकर मेरे प्रतिनिधि उनको बुलाने जावें तो सौ कोस दूर जावें।

आखिरकार एक नागरिक के नाते मुझे यह पूछने का अधिकार है कि किस तरह से

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

यह सहकारी समिति को स्थापित कर सकूं। इसके उत्तर में भी मुझे यह उत्तर मिला कि आप इस तरह के नागरिक हैं कि आपको इस तरह के अधिकार नहीं हैं चर्चा करने के बारे में याने आप सहकारी समिति नहीं बना सकते। आप अपनी जमीन को सीलिंग के अधिकार से बचाना चाहते हैं, इस प्रकार का मुझे कहा जाता है, तो मैं चुप हो जाता हूं। लेकिन यह भी नहीं कि आप सहकारी समिति स्थापित करें। यह भी कहा गया तो जिस तरह से उन्होंने कहा उस तरह से मैंने सहकारी समिति बनाने की चेष्टा की और रजिस्ट्रेशन के लिए चेष्टा की। तो उसका रजिस्ट्रेशन तो बलाये ताक रहा, उसके बजाय डिसीजन के फार्म में यह मिल गया कि मैं तो सीलिंग के कानून से बचने के लिए यह कुचक्र कर रहा हूं। तो अगर सीलिंग के कानून से बचने के लिए कानून के अंतर्गत व्यवस्था है तो मैं क्यों न करू ? मुझे अधिकार है, लेकिन यह भी मेरा कोई लक्ष्य नहीं था। मेरा लक्ष्य तो मेरे जो कर्मचारी थे उनको किसी तरह से पुरस्कृत करने का था। मंत्रीजी को मैंने लिखा है...

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : यह कब की बात है ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मैं तीन, चार साल से तो यही रो रहा हूं कि आप कृपा करके रजिस्ट्रेशन करिये......

श्री मोतीलाल चौधरी : सहकारी खेती सोसायटी ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : हां। उसमें यही नहीं है कि मेरा शेयर हो या कितने का शेयर हो, सबके एक एक शेयर हों और अगर मुझे निकाल भी दिया जाये तो मुझे एतराज नहीं और उसकी आमदनी में से एक पाई भी मेरे तसरुफ में लाऊं तो वह गऊरक्त के समान है। उसके उपरान्त भी यह कहा जाये...

श्री मथुरादास माथुर : हमने यह भावना कभी नहीं कहा कि हमारी है।

महारावल श्री लक्ष्मण सिंह : आपकी भावना नहीं है, मुझे विश्वास है। लेकिन आपके कर्मचारियों की और वहां के नेताओं की भावना है उसके फलस्वरूप मुझे यह मंहगा सौदा मौल लेना पड़ा है। यह भी मेरे लिए शायद जटिल समस्या हो गई है। तो जो कुछ है आखिरकार, मेरा मंत्रीजी से यही निवेदन है कि इसका निर्णय शीघ्र ही ले लिया जाये। अगर कोई व्यापारी वर्ग है तो वह अपना प्राइवेट व्यापार भी कर सकता है, सहकारिता के द्वारा भी व्यापार कर सकता है। दोनों क्षेत्रों के अन्दर व्यापार कर सकता है तो मेरी समझ में नहीं आता कि किसान के लिए इतनी कठोरता क्यों ? अगर किसान सहकारिता के द्वारा, सहकारी का मेम्बर बन कर एक शेयर या ५ शेयर्स जैसी भी व्यवस्था हो वह लेना चाहे तो मुझे यह कहा गया कि अगर खातेदारी जमीन है है तो सब खातेदारी जमीन और शेयर लेने के द्वारा ही समाप्त होकर वह सहकारी समिति में आ जाता है तो अगर यह तथ्य सही है, आपके कानून में ऐसा अनुचित

Page No. 89

(श्री मथुरादास माथुर)

प्रावधान है, किसान के लिए इतनी कड़ी व्यवस्था आपके द्वारा की गई है तो मैं इसका विरोध करूंगा। मैं समझता हूं कि यह अन्यायपूर्ण व्यवस्था है और इसके ऊपर सरकार विचार करेगी।

मैं आपको यह निवेदन करूंगा कि किसी क्षेत्र में विरोधियों की सहकारी समिति बन गई तो आपका एक मापदण्ड मिलेगा। आप स्वयं पक्षपातपूर्ण प्रकरण आरम्भ करते हैं कि इधर की तस्वीर कैसी है और उधर की कैसी है। आपने एक ही तस्वीर देखी है और एक ही लकीर के फकीर होकर चल रहे हैं। मैं समझता हूं कि यह जनता का राज्य है और सबको समान अधिकार हैं और उसके अनुसार आपकी शैली और व्यवहार भी ऐसा होना चाहिए जो समनता प्रदर्शित करे न कि असमानता, न कि पक्षपात और उस पक्षपात के अन्दर पता नहीं क्या-क्या शिकारें और खेलते होंगे। मैं विशेष तो उदाहरण नहीं देना चाहूंगा लेकिन हमारे जिले के पास ही उदयपुर जिले में लसाड़िया तहसील में जवाहर नगर में आदिवासियों को बसाने की कोशिश की गई। ५६ या ५७ में श्री उच्छुंगलाल ढेबर जब वह कांग्रेस के अध्यक्ष थे उस समय उनको वहां पर आमंत्रित किया गया और श्री लोकनायक माणिकलाल जी वर्मा ने जो कि जवाहर नगर के चौराहे पर चबूतरा बनाया गया था वहां पर खड़े हो कर, कूद कूद कर, नाच नाच कर यह भाषण दिया कि हम यहां पर ऐसी एक योजना बनायेंगे कि यहां पर बिलकुल स्वर्ग हो जायेगा।...

श्री मथुरादास माथुर : मैं उस समय मौजूद था। वह न तो कूदे थे, न नाचे थे।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : कूद कूद कर तो कह रहे थे।

श्री मथुरादास माथुर : नहीं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : बोल जरूर रहे थे इसी तरह।

श्री मथुरादास माथुर : जैसा आप अभी बोल रहे हैं, उससे थोड़ी ऊंची आवाज में बोल रहे थे।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मैंने वहां सुना कि केले के वृक्ष के बराबर गन्ने की खेती कराई जायेगी और हाथ के पट्ठे जैसे रतालू वहां पैदा किये जायेंगे। आखिर लाखों रुपये का जंगल कटवा दिया, वहां पर मकानात बन गये, और पता नहीं कितने रुपये वहां पर खर्च हो गये। अब जवाहर नगर में जाकर देखें तो छोटे छोटे तो जंगल के वृक्ष खड़े हैं और माठी में रात को उल्लू बोलते हैं। वहां पर कोई व्यवस्था नहीं है। एक उजड्ड नगरी हो गई है। वहां पर एक केवल औषधालय है और उसमें एक वैद्यजी हाथ पर हाथ रख कर सारे दिन बैठे रहते हैं और रात को वहां से ४ मील दूर धरियावद में सोते हैं, क्योंकि अगर वे वहां रहें तो वैद्यजी को कोई जानवर मार दे। यह आपकी उन्नति का क्लासिकल एग्जाम्पल है। मैं क्यों आपको विशेष निवेदन करूं। वह मेला जो गाडुले लोहारों का चित्तौड़ में हुआ वह भी एक क्लासिकल एग्जाम्पल है।....

श्री मथुरादास माथुर : आप तो सहकारिता की बात कर रहे थे।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : यह भी सहकारिता के सिद्धांत के साथ जुड़ा है। इसका बैक-

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

ग्राउन्ड सहकारिता है और यह हरगिज उसके बाहर नहीं है। आप क्यों टालमटोली करते हैं ?

श्री मथुरा दास माथुर : अगर आप करें तो मैं तैयार हूँ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : अगर आप तैयार हैं तो आपको यह ४२० का तरीका छोड़ देना चाहिए। जो स्पेसिफिक इश्यू यहां से उठाये गये उनका जवाब उधर से भी दिया जायेगा। मैं सदन का विशेष समय नहीं लेना चाहता हूँ। लेकिन मैं आप को यह निवेदन करूं कि आप गम्भीरतापूर्वक विचार कीजिए। आप क्वालिटी के ऊपर जोर दीजिए। आप राष्ट्र के धन को बर्बाद कर रहे हैं अपनी स्वार्थ-सिद्धि के अन्दर। यह प्रक्रिया छोड़िये। सरकार, देश और समाज को पतन की ओर ले जा रहे हैं, नियंत्रण हमारा नहीं है और अवसरवादिता पराकाष्ठा पर पहुँच चुकी है। इसलिए इस व्यवस्था का मैं विरोध करता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मोतीलाल चौधरी !

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : माननीय उपाध्यक्ष जी, सहकारी विभाग के सम्बन्ध में मेरे कुछ कटमोशन्स हैं। अलग-अलग कटमोशन्स पर आने के पहले मुझे बहुत खुशी है....

श्री उपाध्यक्ष : मैं यहां पर सदन का मन्तव्य जान लेना चाहता हूँ क्योंकि आज अन्य कार्यों में काफी समय हो गया और हमारे सामने दो मांगें हैं और उन पर काफी कटौती के प्रस्ताव भी हैं। तो सदन की मन्शा यदि यह है कि ५ बजे तक सारा कार्य समाप्त हो जाये तब तो उतने ही संक्षिप्त रूप से प्रत्येक माननीय सदस्य बोलें अथवा यह भी हो सकता है कि पार्टी के हिसाब से एक या दो मेम्बर बोलें और जो उचित बातें हों उनको कवर करलें तब तो यह भी हो सकता है, वर्ना अनर्गल रूप से बहुत लम्बा चला जायेगा।

श्री मथुरादास माथुर : गवर्नमेन्ट रिप्लाई ४॥ बजे शुरू हो जायेगा।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : हो जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की यह राय है तो मैं समझता हूँ सिम्बोलिक रूप में पार्टी के सदस्य बोल लें और प्रत्येक विषय को कवर करलें। यह आग्रह नहीं करें कि सभी बोल पायें और ४॥ बजे सरकारी पक्ष से जवाब आजाये।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : आसन से सहयोग हम करेंगे।

श्री मोतीलाल चौधरी : माननीय उपाध्यक्षजी, मुझे बहुत खुशी है कि आज खास करके विरोधी पार्टी के नेता ने जो भाषण दिया उसको सुनकर मालूम हुआ कि इसमें सरकार को कितनी सफलता मिली है। इस सम्बन्ध में पहले बहुत बड़ा मतभेद था और वह मतभेद यह था कि स्वतंत्र पार्टी स्वयं इसके खिलाफ थी। मुझे यह कहते हुए खुशी है और सरकार को इसके लिए मैं बधाई देता हूँ कि सरकार ने ऐसे कार्यक्रम रखे हैं कि जिससे सहकारी खेती के सम्बन्ध,

(श्री मोतीलाल चौधरी)

में जो विरोधी पार्टी के नेता इसका विरोध करते आ रहे थे आज वे स्वयं कह रहे हैं कि तीन साल से मैं कोशिश कर रहा हूँ जोइन्ट फार्मिंग बनाने के लिए, मैं खुद घूम रहा हूँ जोइन्ट फार्मिंग बनाने के लिए लेकिन बना नहीं पा रहा हूँ। मुझे खुशी इस बात की है कि स्वतंत्र पार्टी के नेता जो इस सदन में समय समय पर राजनैतिक दृष्टिकोण से कांग्रेस की इस सम्बन्धी पोलिसी का विरोध करते थे, आज कम से कम तीन-चार साल बाद और अब जब कि चुनाव के अन्दर एक साल का समय ही बाकी रह गया है उस समय में जो स्वतंत्र पार्टी ने यह मान लिया है कि जोइन्ट फार्मिंग होना चाहिए और केवल होना चाहिए ही नहीं, प्रेक्टीकल फार्म में स्वयं अपनी जमीन पर बनाना चाहते हैं....

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई): यह व्यक्तिगत प्रश्न है।

श्री मोतीलाल चौधरी : वे पार्टी के लीडर हैं।

श्री जयनारायण सालोदिया : लीडर की हैसियत से सोसाइटी नहीं बना रहे हैं।

श्री मोतीलाल चौधरी : आप चुप रहिए, आपने भी बनाई है। स्वतंत्र पार्टी की पोलिसी के बावजूद उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया है तो इसकी खुशी हमें ही नहीं आपको भी होनी चाहिए। आप कहते हो तो आपके बारे में भी कह दूंगा। आप उप नेता महोदय! आप भी कई बना कर आए हो।

माननीय उपाध्यक्षजी, इससे बड़ी खुशी और क्या होगी कि जो पार्टी पोलिसी के रूप में जोइन्ट फार्मिंग की खिलाफत करने की बात करते थे आज उसी को पोलिसी के रूप में एक्सेप्ट कर लिया है। और एक्सेप्ट भी थ्योरिटिकल रूप में ही नहीं प्रेक्टिकल रूप में भी उसको करना चाहते हैं और अपनी भूमि को जोइन्ट फार्मिंग में बनाना चाहते हैं। और जिसके बारे में उन्होंने बताया है। मुझे अफसोस इस बात का है और मैं खासकर मंत्री महोदय से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि जब ऐसी विरोध करने वाली शक्तियां जो हमारी निति का विरोध करती हैं, जो हम प्रोग्राम बनाते हैं उसके लिये भी यहां हाउस में आकर कहते हैं कि हमारी यह जोइन्ट फार्मिंग की पॉलिसी गलत है और वे ही जब अपनी प्रेक्टिस में सरकार की नीति को मान लेते हैं और जोइन्ट फार्मिंग बनाना चाहते हैं तो सरकार को जल्दी से जल्दी कोशिश करके तत्काल उनको जोइन्ट फार्मिंग बना देनी चाहिए। माननीय उपाध्यक्षजी, मैं आपके द्वारा हमारे सहकारिता मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा और उनसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि अगर सहकारी विभाग के कोई भी अधिकारी द्वारा इसमें देरी की गई है तो उसके खिलाफ कार्यवाही करना चाहिए और इसको जल्दी से जल्दी करना चाहिए।

(२·३३ म० प०)

(श्री भीमसेन, सभापति, पदासीन)

ताकि हमको विरोधियों के द्वारा अपनी नीति को कार्यान्वित करने में दिक्कत आती है वह न आवे और इसके बारे में आगे हमें सहूलियत रहे। उपाध्यक्ष महोदय, विरोधी पक्ष के नेता के द्वारा इसको अपनाने का

(श्री मोतीलाल चोधरी)

मतलब साफ है कि हमारी नीति सही है, अच्छी है और अटल है। मैंने इस बात को इसलिए कहा और आम तौर से शुरू में जब इस असेम्बली में आए थे, चुनाव के बाद, प्रथम वर्ष के बजट के समय भी मैंने निवेदन किया था और यह कहा था कि जोइन्ट फार्मिंग की खिलाफत मत करिए। उसके लिए मैंने सभी से निवेदन किया था और आपकी पार्टी से भी निवेदन किया था कि जोइन्ट फार्मिंग की नीति अच्छी नीति है और अगर इसको अपनायेंगे तो कितने सुन्दर ढंग से प्रोडक्शन बढ़ सकेगा और इसके अन्दर आर्थिक दृष्टि से और सामाजिक दृष्टिकोण से भी किसानों को नया जीवन मिल सकेगा। मुझे खुशी है कि स्वतन्त्र पार्टी के नेता ने अपने यहां जोइन्ट फार्मिंग करने की बात सोची और उसके रजिस्ट्रेशन में जो उनको दिक्कत हुई है उसके बारे में सरकार की तरफ से जल्दी से जल्दी इस बात का प्रबन्ध करना चाहिये कि जिससे उनका रजिस्ट्रेशन जल्दी से हो जाय। उसके बाद उनको यह अवसर दें कि जो विरोधी पार्टी के नेता हैं और जो हमारी जोइन्ट फार्मिंग की नीति को अपनाना चाहते हैं, इसके द्वारा जो समाजवादी समाज की रचना होती है, उसको करना चाहते हैं, हालां कि स्वतन्त्र पार्टी पूंजीपतियों की पार्टी है और पूंजीपतियों की पार्टी होने के बावजूद वह इस समाजवादी समाज के निर्माण में आना चाहते हैं, सहकारी आन्दोलन में अपना योगदान करना चाहते हैं और उस तरफ एक कदम उठाना चाहते हैं और डेमोक्रेटिक सोशलिज्म के अन्दर जोइन्ट फार्मिंग एक ऐसी चीज है जिसको वे अपने जीवन के अन्दर एक्सेप्ट करना चाहते हैं और उससे जो इन्कम होगी उससे वे अपना जीवन निर्वाह करना चाहते हैं तो उससे बढ़ कर खुशी की क्या बात हो सकती है। कम से कम कांग्रेस पार्टी की तरफ से तो मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूँ कि सरकार ने और सहकारिता विभाग ने पिछले तीन सालों में अपने साहित्य के द्वारा, अपनी प्रचार पब्लिसिटि और विज्ञापन के जरिये इस तरह का काम कर दिया कि कम से कम जो विरोधी दल पोलिटिकली साउण्ड था, जो जोइन्ट फार्मिंग को चलाना नहीं चाहता था उसको भी कन्वीन्स कर दिया, इसके लिए मैं सरकार को, चेयरमैन महोदय, आपके द्वारा, बधाई देना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ कि यह हमारी योजना की सबसे बड़ी सफलता है।

अब मैं अपने कटौती प्रस्तावों पर आता हूँ। एक बात मैं यह भी कहना चाहूँगा कि बाकी जो हमारी योजनाएं थी पंचवर्षीय योजनाएं, उनमें सहकारी आन्दोलन के बारे में जो भी कार्यक्रम रखा गया हो उसमें हमें कितनी सफलता मिली है।

श्री अब्दुल जब्बार (निम्बाहेड़ा) : ओन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, कोरम नहीं है।

(गणपूरक घण्टी के पश्चात्)

श्री मोतीलाल चौधरी : माननीय चेयरमैन, आम तौर से पिछले चार सालों में, बल्कि यों कहें कि हमारी तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्दर अर्थाभाव होते हुए भी सहकारिता आन्दोलन के अन्दर, सहकारिता के विषय में आम तौर पर प्रगति हुई है और इस प्रगति को हम और भी आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसमें जो भी कमियां रही हों फिर

(श्री मोतीलाल चौधरी)

भी जनरल रूप से इस बात को मानते हैं कि इसमें प्रगति हुई है और वह इससे भी स्पष्ट है कि आज हमारे विरोधी दल के नेता भी सहकारिता आंदोलन को मानने लगे हैं। जो हमारा कोआपरेटिव मूवमेंट है और जिसके द्वारा हम समाजवादी समाज की रचना करना चाहते हैं इसमें हमें सभी तरफ से सहयोग मिल रहा है। इसलिये में सरकार से कहना चाहता हूं कि किसी सहकारी आंदोलन को बढ़ाने के लिये जो भी सरकार ने कदम उठाए हैं और जो कार्य हुये हैं उनकी व्यवस्था ठीक तरह से हो ताकि जो आगे आने वाली पीढी है, जो समाज के आर्थिक शोषण से मुक्त होना चाहती है और उनको आर्थिक शोषण से मुक्त करने का तरीका भी यही है सही रास्ता भी यही है और लोग इसमें आ रहे हैं, गांवों में क्या, शहरों में क्या, पैसे वाले, गरीब, फकीर सब आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि यह एक अच्छा कार्य है इसमें अच्छा वातावरण मिल रहा है। इस सफलता के लिये में सरकार के सहकारी विभाग को बधाई देता हूं। कम से कम आज जिस दृष्टिकोण से हम चलना चाहते हैं उस दृष्टिकोण में सहयोग देने के लिये सब प्रकार के लोग आगे खड़े हुये हैं। उस क्षेत्र में काम करने के लिये जो बाधायें हैं जो विपत्तियां और रुकावटें हैं, जो कमियां हैं उनको दूर करने के बारे में भी हमें विचार करना चाहिये और उनको दूर करने का प्रयास करना चाहिए।

इसके बाद अब मैं अपने कटौती प्रस्तावों पर आता हूं और चेयरमेन महोदय, मेरा पहला कटौती प्रस्ताव है पशु एवं भेड़ पालन के क्षेत्र में सहकारिता का विकास नहीं किए जाने के सम्बन्ध में चर्चा करने के लिये। माननीय चेयरमेन महोदय, मैं आपके द्वारा सहकारी मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि पिछले चार सालों के अन्दर या पिछले बारह सालों के अन्दर हमारे सहकारी आंदोलन का विकास हुआ है और उसके अन्दर जो कम से कम आर्थिक क्षेत्र में हमारी नेशनल इन्कम सुधरी है देश की।

इस सहकारी आंदोलन में पशु पालन बहुत बड़ा है। माननीय सभापति महोदय, पांच चीजें माना करते हैं कि जिनसे देश की आर्थिक स्थिति सुधरती है, जिनकी मारफत गरीब जनता की आर्थिक स्थिति सुधरती है, देश की नेशनल इनकम बढ़ती है। वे हैं कृषि, पशु-पालन, बन्ध, माइनिंग यानी खनिज और उद्योग। खास तौर से पशु-पालन के दृष्टिकोण से हम देखते हैं तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान राजस्थान में इसका है। इसके बाद में महत्वपूर्ण स्थान कृषि का है जिसमें १०० में से ८० पर्सेन्ट आदमी लगे हुए हैं वह कृषि और पशु-पालन होगा। दोनों को मिलाते हैं तो ९० पर्सेन्ट के करीब लोग हैं जिसमें शहर में रहने वाले लोग भी हैं जो कि पशु-पालन करके जीविका निर्वाह करते हैं। कोई २ भैंस रखते हैं, कोई ५ गायें रखते हैं और २५ गायें कोई रखते हैं। गांव और शहरों दोनों को मिलाते हैं तो पशु-पालन के दृष्टिकोण से भी शहर के अन्दर भी गूजर, अहीर लोग रहते हैं और ब्राह्मण भी हैं, और कई विधवा औरते हैं वे पशु पालकर अपनी जीविका निर्वाह करते हैं। तो पशु-पालन के दृष्टिकोण से ९० पर्सेन्ट लोग डाइरेक्टली या इन्डाइरेक्टली पशु-पालन में लगे हुए हैं, चाहे वे भेड़ पालें, भैंस पालें, ऊंट पालें, बकरी पालें, गाय पालें, कुछ

(श्री मोतीलाल चौधरी)

न कुछ पालते हैं। इस दृष्टिकोण से हम देखते हैं कि एनीमल हज़बेन्ड्री के जरिये उनकी इकोनोमी के उठाने के लिए कोआॅपरेटिव सेक्टर में कुछ करना चाहिए। हमने कुछ किया है। इसलिए माननीय मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि चौथी योजना सामने आरही है इसकी तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए।

मैं यह भी कहना चाहूँगा कि राजस्थान में भेड़ के विकास के लिए भेड़ मकहमा बना दिया। उसके लिए एक डाइरेक्टर बना दिया है। इसलिए डाइरेक्टर को इस क्षेत्र में कोआॅपरेटिव मूवमेंट के मारफत कार्यक्रम बनाना चाहिए। भेड़ ऊन की बिक्री के लिए स्वयं भेड़ के मार्केटिंग के लिए, भेड़ का उन्नतिशील ब्रीडिंग करने के लिए कोआॅपरेटिव मूवमेंट चलना चाहिए। विदेशों के अन्दर भी जिन देशों को हम केपिटलिस्ट कन्ट्रीज मानते हैं, मैं नाम दूं, कम्युनिस्ट कन्ट्रीज को कहने की जरूरत नहीं है, यू. एस. ए. के अन्दर भेड़ की बिक्री और डेवलपमेंट के लिए ८० पर्सेन्ट काम कोआॅपरेटिव सेक्टर के अन्दर होता है। केपिटेलिस्ट कन्ट्री में जहां कि समाजवाद का लेना-देना नहीं है, उस कन्ट्री के अन्दर आज पशु-पालकों की उन्नति करने के लिए वहां की गवर्नमेंट उसके डेवलपमेंट के लिए कोआॅपरेटिव सेक्टर को महत्व देती है। मेरे खयाल से यू. एस. ए. में कोआॅपरेटिव सेक्टर में दूध के प्रोडक्शन से लगाकर दूध को डिब्बों में भरने का, पाउडर बनाने का, उसकी बिक्री का, बिक्री ही नहीं उसके प्रोसेसिंग का काम, बटर बनाने का काम, पाउडर बनाने का काम जो होता है वह ९० पर्सेन्ट वहां के पशु पालकों की कोआॅपरेटिव्ज के जरिये होता है।

(२.४२ म. प.)

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत, सभानेत्री, पदासीन)

हम समाजवाद लाना चाहते हैं। समाजवाद का सही अर्थ है कि गरीब की आर्थिक-स्थिति सुधरे, उसको मजबूत करें और इतनी मजबूत करें कि शोषण करने की कोई भी शक्ति उसके बीच में न आये। हम देखते हैं कि इस दृष्टिकोण से राजस्थान को देखें तो यह पशु-पालन राजस्थान के लिए बहुत बड़ा आर्थिक आधार हो सकता है। यहां की गायें दूध के प्रोडक्सन में हिन्दुस्तान में सबसे अच्छी हैं। हिन्दुस्तान में ऐसा कोई ब्रीड नहीं है जो इससे अच्छा हो। राजस्थान से दूसरी स्टेट में गुजरात हमारी ब्रीड ले जाते हैं और वहां उसको डेवलप करते हैं। वहां पर हमारी ककरेजा ब्रीड की गायें ले जाकर उन्होंने डेरी का डेवलपमेंट किया है। आनन्द डेरी का नाम हिन्दुस्तान में प्रसिद्ध है। उसने हमारी ककरेजा गायों के ब्रीड के ऊपर दूध का प्रोडक्शन बढ़ाकर आज उसने ५-६ करोड़ की फैक्ट्री कर ली और सारे हिन्दुस्तान में एक नाम पेश किया है कि कोआॅपरेटिव सेक्टर में कितना आर्थिक दृष्टिकोण से डेवलपमेंट हो सकता है। मेरे खयाल में हिन्दुस्तान में ही नहीं दुनिया के अन्दर कोआॅपरेटिव सेक्टर में प्रसिद्ध डेनमार्क और स्वीडन हैं उनसे भी अधिक डेवलप्ड लेटेस्ट प्रोजेक्ट यह हिन्दुस्तान में है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि राजस्थान के अन्दर ५–६ स्थान हैं जहां कि डेरी डेवलप

(श्री मोतीलाल चौधरी)

हो सकता है। उनमें सांचोर जहां कि कक-रेजा ब्रीड है, बाड़मेर जहां कि थारपारकर का ब्रीड है, बीकानेर जहां एक राठी ब्रीड है, और उसके बाद में गीर ब्रीड जो उदयपुर और अजमेर में हैं। मेवात ब्रीड है अलवर और भरतपुर में। कोटा भी एक क्षेत्र है जहां कि डेरी प्रोडक्शन के दृष्टिकोण से बहुत बड़े सेन्टर्स हो सकते हैं। अगर नागौर की ब्रीड को हम चाहें तो डेवलप कर सकते हैं। उसका हरियाणा के साथ क्रास-ब्रीड किया जायेगा तो मिल्क प्रोडक्शन बढ़ सकता है और बढ़ा है। जिन काश्तकारों ने अपना अनुभव किया है क्रास ब्रीड करके तो उनका दूध बढ़ा है। ऐसी स्थिति में दूध और भेड़ की इकोनोमी को स्ट्रोंग करने के लिए अगर हम करें तो इससे ज्यादा अच्छी मजबूत राजस्थान की इकोनोमी डेवलप और किसी से नहीं हो सकती है।

माननीय चेयरमैन महोदय, मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा। माननीय मंत्रीजी यू. एस. ए. जाकर आये थे तो यू. एस. ए. के इकोनोमिक पैटर्न को हम देखते हैं तो कुछ स्टेट्स खाली पशु-पालन पर डिपेन्ड करती है, कुछ दूध पर डिपेन्ड करती है, कुछ खाली भेड़ पर डिपेन्ड करती है। हिन्दुस्तान के अन्दर भेड़-पालन और पशु-पालन के दृष्टि-से कोई राजस्थान के बराबर दूसरी स्टेट नहीं है, लेकिन, अफसोस है कि मुझे मालूम नहीं कि किन कमियों के कारण गुजरात और महाराष्ट्र के एनीमल हजबेन्ड्री डिपार्ट-मेंट के मुकाबले में राजस्थान के एनीमल हजबेन्ड्री डिपार्टमेंट को सेन्ट्रल गवर्नमेंट से २ पर्सेन्ट भी एड नहीं मिली है। एनीमल हजबेन्ड्री का बजट जरूर बढ़ा है लेकिन डेवलपमेंट प्रोग्राम या उसकी इकोनोमी के फायदे, मार्केटिंग के दृष्टिकोण से वह हमारे पास नहीं आया है।

भेड़ के बारे में मैसूर और राजस्थान का कम्पेरिजन नहीं हो सकता है। मैसूर स्टेट में ऊन ५ पर्सेन्ट भी नहीं है। वहां पर प्योर ऊन १० पर्सेन्ट भी नहीं है जब कि हमारे यहां की ६० पर्सेन्ट प्योर ऊन है। उसके बाद में भी वहां की भेड़ की ऊन की बिक्री करने के लिए वहां पर मार्केटिंग फेडरेशन है, स्टेट डेवलपमेंट फेडरेशन है, भेड़-पालकों का फेडरेशन है। उनके प्रोसेसिंग के बारे में, उनके ग्रेडिंग के बारे में मैसूर गवर्नमेंट ने आज से तीन-चार साल पहले एक स्टेट फेडरेशन बनाया है। उसी दृष्टिकोण से राजस्थान में देखते हैं कि विभागीय दृष्टि-कोण से पब्लिक सैक्टर में जो कुछ काम किया है उससे गांवों के लोगों को मदद मिली है, लेकिन वह मदद ५ परसेन्ट होगी। उससे भी ज्यादा मदद मिल सकती है यदि भेड़ वालों का मार्केटिंग फेडरेशन हो, उनकी प्रोसेसिंग की व्यवस्था हो और एक्सपोर्ट करने की व्यवस्था हो। इस काम को करने के लिए काश्तकारों के बच्चों को पढ़ाया जाय, उनको मार्केटिंग सिखाया जाय। पशु-पालकों को आगे जाकर एक्सपोर्ट का काम सिखाया जाय। इस दृष्टिकोण से ज्ञान उनको दिया जाये तो बहुत बड़ी उन्नत्ति इस राज्य में होगी।

इसी प्रकार से मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा। पहले मैं भूल गया था अब याद आगया है, वह है जयपुर में डेरी के बारे में। माननीय चेयरमैन, अफसोस के साथ

(श्री मोतीलाल चौधरी)

कहना पड़ता है कि डेरी को पब्लिक सैक्टर में लाने की बहुत बड़ी कोशिश की गई। जयपुर की डेरी की जो सारी मशीनरी है वह कोलम्बो प्लान के अन्दर कोआँपरेटिव सैक्टर में बनने को थी, और लगातार १-२-३ साल तक बजट में इसके बारे में कोआॅपरेटिव सैक्टर में प्रोवीजन किया गया कि जयपुर की डेरी बनाई जायेगी, रखी जायेगी। उसकी मशीनरी जो दान में मिली है वह कोआॅपरेटिव सैक्टर में बनाने के लिए मिली थी। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कुछ विभाग सहकारी आन्दोलन में सहयोग देने के दृष्टिकोण से नहीं चलते हैं वह सरकार की कमजोरी है। सारे विभागों का एक ही व्यवहार चलता है कि कुछ भी कोआॅपरेटिव सैक्टर में नहीं जाना चाहिए। क्या हैड आफ दी डिपार्टमेंट पूंजीपति बनना चाहते हैं इस देश के अन्दर में, जिसके अन्दर प्रोडक्शन के लिए और मार्केटिंग के लिए ज्यादा व्यवस्था हो। इस लिए मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूँगा कि जयपुर डेरी में जो भी हुआ है उसकी शुरूआत कोआॅपरेटिव सैक्टर में थी। शुरूआत में ३ साल तक लगातार यह था कि मिल्क की कोआॅपरेटिव यूनियन बनाई जायेगी। विदेशों से जो सहयोग आता है तो वहां के प्रोड्यूसर और इकोनोमिक एड देने वाले यह चाहते हैं कि दूध-पालकों की इकोनोमी डेवलप हो।

सीकर में भी हरियाणा ब्रीड को डेवलप करके मिल्क प्रोडक्शन सैन्टर्स वहां हो सकते हैं, लेकिन वहां पर कोआॅपरेटिव सैक्टर में कुछ भी नहीं हुआ है। यही नहीं प्राइवेट सैक्टर में कुछ भी नहीं हुआ है। मुझे अभी जानकारी मिली है कि अलवर में एक पूंजीपति को लाइसेन्स मिला है स्वीट मिल्क प्रोडक्शन का ८६ लाख की पूंजी लगाने का। बड़े आश्चर्य की बात है कि पीढ़ी दर पीढी जिन किसानों ने गायें और भैंसें पालीं उनकी इकोनोमी को स्ट्रांग करने के लिए उनके साथ सहयोग करके यह फैक्ट्री किसानों के कोआॅपरेटिव सेक्टर में लगाती, पर यह सरकार उनके साथ सहयोग कभी करेगी नहीं मैं नमूना बताना चाहता हूँ कि किसानों की इकोनोमि को ठीक करने के लिए, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए महाराष्ट्र में कोआॅपरेटिव सैक्टर में शुगर मिल चल सकती है। कोआॅपरेटिव सैक्टर में हिन्दुस्तान में ३६ शुगर मिल्स चल रही हैं और उन्होंने यह साबित किया है कि अच्छी क्वालिटी की शुगर ये शुगर मिल्स कोआॅपरेटिव सैक्टर में बना सकती हैं और कम कीमत में बना सकती है। हमारे यहां राजस्थान में शुगर की कमी है, गन्ने की कमी है। शुगर फैक्ट्री का काम यहां कम चल सकता है तो यहां दूसरा काम है। दूध हमारे पास है, ऊन हमारे पास है, गंवार हमारे पास है ये सारी इन्डस्ट्रीज को फीड कर सकते हैं। योजना में जो हमारे फैक्ट्रीज बनाने का टारगेट रखा था उसको मैंने देखा उसमें जो आइटम रखे थे उसमें दो कॉटन बेलिंग फैक्ट्रीज, एक तेल मिल, दो दाल मिल्स १जीनिंग फैक्ट्री इस तरह से दाल मिल, मूंगफली मिल, तेल मिल आदि से जिस इकोनोमी से सरकार का संबंध है वे २ परसेंट से अधिक प्रोडक्शन नहीं करतीं। इकोनोमिक दृष्टिकोण से...

श्री मथुरेशीबिहारी माथुर (बांदीकुई) : सहकारिता विभाग के न तो मिनिस्टर हैं

(श्री मायुरेशबिहारी माथुर)

और न डिप्टी मिनिस्टर हैं । इस विभाग को समाप्त कर दिया जाय ।

श्री मोतीलाल चौधरी : प्राइवेट सैक्टर के बजाय कोऑपरेटिव सैक्टर में डेवलप करने के लिए मैं एक बात और अर्ज करना चाहूँगा । कोऑपरेटिव मंत्री महोदय कहां गायब हो गये ?...

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : बुलाओ उनको बाहर गये हैं ।

श्रीमती सभानेत्री : अभी अभी तो थे ।

श्री जयनारायण सालोदिया : आसन से रूलिंग दिया था कि आने चाहिये सदन में ।

एक माननीय सदस्य : डिप्टी मिनिस्टर भी ध्यान नही दे रहे हैं ।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : एस्टीमेट्स कमेटी के चेयरमैन बोले और मंत्री इधर उधर हो जायं ?

श्री मथुरादास माथुर : मंत्री महोदय पानी पीने भी नहीं जावें क्या ? सभानेत्री महोदया, मैं बाहर खडा खड़ा पानी पी रहा था और इनकी बातें भी सुन रहा था ?

श्रीमती सभानेत्री : आपके आने से पहले ही मैंने जवाब दे दिया था ।

श्री मोतीलाल चौधरी : भेड़, बकरी को छोड़ कर जो गायें, बैल, भैंसें हैं जिनकी संख्या राजस्थान में ३ करोड़ ३५ लाख है । उनकी इकोनोमि को देखते हैं तो एक साल में बैल बिकते हैं, सिर्फ जोधपुर डिविजन में ५० करोड़ रुपयों के बैल बिकते हैं और कुल मिलाकर तीन-चार अरब रुपयों का ट्रान्जेक्शन होता है । मंत्री महोदय, आपको तो जानकारी होगी कि यह सारा सेल हो रहा है वह प्राइवेट सैक्टर की मार्फत हो रहा है, उनके दलाल बैठे हुए हैं । जयपुर के मामले में मैं इन्सटान्स देता हूँ, कोई बैल लेकर इधर उधर आते हैं तो म्युनिसिपेलिटी उन पर टैक्स लेती है और यह टैक्स बिना मेहनत के लेती हैं, न तो उनके लिए पानी की व्यवस्था है, न चारे की व्यवस्था है, फिर भी टैक्स लेती है । बैलों की भीड इतनी रहती है कि उसको काफी आमदनी होती है । गवर्नमेंट ने पशुओं के बेचने पर भी टैक्स लगा दिया था लेकिन अब खुशी है कि से ड्रा कर लिया है । मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि पशुओं की बिक्री के बारे में कैटल मारकेटिंग को बढ़ावा दीजिए और उसको कोऑपरेटिव सैक्टर में रखिए । इससे बहुत फायदा होगा, बिचोलिए हट जाएंगे और काश्तकारों को बहुत बड़ी मदद मिलेगी । यदि कोऑपरेटिव सैक्टर की सहायता विदेशों में हो सकती है । नीदरलैंड, होलैंड, डेनमार्क के लोग पशु-पालन पर निर्भर करते हैं । ये छोटे छोटे देश हैं, लेकिन इनका लिविंग स्टेन्डर्ड बहुत ऊंचा है । डेनमार्क के लोगों ने पशु-पालन से अपनी इकोनोमि को डेवलोप किया है । यू. एस. ए. के बाद लिविंग स्टेन्डर्ड यदि किसी का ऊंचा है तो डेनमार्क और होलेन्ड का है । इंग्लेंड का नंबर इनके बाद में आता है । स्वीडन, डेनमार्क और होलैंड में मेनली पशु-पालन होता है और वहां के पशु बाहर जाते हैं । अमेरिका, कनाड़ा, यूरोप के अन्य देश और अफ्रीका तक के देश यहां के पशु खरीदते हैं । अफ्रीका के मारकेट को उन्होंने केपचर करने की कोशिश की है ।

राजस्थान के पशुओं के लिए भी अफ्रीका में और यूरोप में बहुत गुंजायश है। मारकेटिंग के दृष्टिकोण से इसकी व्यवस्था करें तो यह केवल देश के काश्तकारों को रोटी रोजी को ही बढ़ावा नहीं देगा बल्कि इनकी इकोनोमि इतनी बढ़ जाएगी उनका स्टेन्डर्ड बहुत बढ़ेगा उनके जरिये जो फोरिन एक्सचेंज मिलेगा उससे दूसरी चीजों के लिए बहुत मदद मिलेगी। मैं आशा करूंगा कि चौथी योजना में आप इस प्रकार की व्यवस्था करेंगे, खास करके मारकेटिंग के दृष्टिकोण से। इनके कारण दूध, घी, मक्खन, ऊन, जूट इनकी भी बहुतायत होगी और उनसे भी फायदा मिलेगा।

अफसोस तो इस बात का होता है कि राजस्थान में लेदर इन्डस्ट्री भी कोआॅपरेटिव सैक्टर में नहीं आ सकी है। राजस्थान का लैदर गुजरात में प्रोसेसिंग इन्डस्ट्री में जाता है अफसोस इस बात का है। मैं निवेदन करूंगा कि इसकी प्रोसेसिंग इन्डस्ट्री यहीं पर लगनी चाहिये। चेयरमैन महोदय। आपको यह जानकर ताज्जुब होगा कि हमारे यहां पर तो पशुओं के लिये चारे और पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। मैं चाहूँगा कि कोआॅपरेटिव सैक्टर को स्ट्रोंग बनाकर उसको फाइनेन्स करके और सहयोग देकर समुचित व्यवस्था करने का प्रयास करें। जहां पानी की कमी है वहां ट्यूबवेल के लिये लोन दें कोआॅपरेटिव सोसाइटोज की मारफत तो बहुत बड़ा सहयोग मिलेगा।

मंत्री महोदय को मालूम होगा कि अमेरिका की इकोनोमी के बढ़ने का सबसे बड़ा कारण यदि कोई है तो वह बिजली है। वहां की ९९ पर्सेन्ट बिजली कोआॅपरेटिव सेन्टर में है। पूंजीपति देश ने कोआॅपरेटिव सेक्टर में इतना बड़ा काम किया है उसके नमूने पर हम भी चलें।

श्री दौलतराम सारण (उप-मंत्री, स्वायत्त शासन) : हमारे यहां भी बिजली स्टेट सेक्टर में है।

श्री मोतीलाल चौधरी : इसकी इकोनोमी दूसरी है। यह गलत फहमी आपको और है इसको दूर करना पड़ेगा। मैं निवेदन करना चाहता हूँ मंत्री महोदय से कि हमारे यहां स्टेट सैक्टर में बिजली होते हुए भी किसानों को उचित मात्रा में मिल जाय, इसके लिये कोआॅपरेटिव सोसाइटीज को होलसेल रेट पर पॉवर दीजिये और ये सोसाइटीज अपने ढंग से बिजली को खेती के काम में लें।

पशु विभाग के मंत्री महोदय ने यहां पर पौलट्री और फिशरीज के विकास की बात कही। दुनिया में कहीं भी बिजली नहीं मिले तो पॉल्ट्री डेवलोप नहीं हो सकती। डेनमार्क में पौल्ट्री कोआॅपरेटिव सेक्टर में चलती है और वहां के अंडे सिंगापुर तक बिकने को जाते हैं। हिन्दुस्तान के अंडों को आप बाहर नहीं भेज सकते, फर्क यह है कि वहां पर इसका डेवलोपमेन्ट कोआॅपरेटिव सैक्टर में हुआ है। कोआॅपरेटिव सैक्टर में नहीं जायेंगे तो किसी भी कंट्री का, चाहे वहां पर समाजवादी व्यवस्था हो, विकास नहीं हो सकता।

दूसरी बात में यह कहना चाहता हूँ कि कृषि के विकास के लिये भी पशुपालन मुख्य चीज है। मैं पशुपालन को सबसे बड़ा

(श्री मोतीलाल चौधरी)

मानता हूं। कृषि का प्रोडक्शन पशुओं पर डिपेन्ड करता है। पशु नहीं हों, बैल नहीं हों तो खेती हो नहीं सकती, खाद नहीं मिल सकता, दूध नहीं मिल सकता, घी नहीं मिल सकता और दूध घी के बिना किसान के बाल-बच्चे नहीं पल सकते। इसलिये मैं पशु-पालन को ज्यादा जरूरी मानता हूं। आपने इसके लिये जो लोन दिया है वह ६ करोड़ के आसपास दिया है। महाराष्ट्र के मुकाबले में आपके फिगर्स बहुत ही कम हैं, खेती की लैंड बराबर है। महाराष्ट्र के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि जानवरों के लिये उनके यहां ४२ करोड़ है अपने यहां ६ करोड़ है। वहां इतनी राशि मिलती है लोन देने लेने के लिए आप देते हैं केवल ६ करोड़ रुपये

(३.०० म. प.)

इसके अलावा पानी की प्रोब्लम्स हमारे गांवों के अन्दर हैं। उनके यहां पानी जमीन में ज्यादा नीचे नहीं है जब कि हमारे यहां पर बहुत नीचे हैं। हमारे यहां बेरे खोदने पड़ते हैं तीन सौ, चार सौ फीट तक जाकर पानी निकलता है, वहां पर पानी चालीस फीट पर मिल जाता है। इसके अलावा वहां नदियां गांवों के पास हैं, उन नदियों से पानी मिल जाता है। साथ ही वहां पर रेन-फाल भी ज्यादा है जब कि राजस्थान के अन्दर रेन–फाल बहुत कम है। इन सब बातों की वजह से कास्ट आफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन राजस्थान के अन्दर बहुत ज्यादा है। इस दृष्टिकोण से देखते हैं तो काश्तकारों के ऊपर कोस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा पड़ती है और उनके पास उनके लिये कम पैसा बचता है और महाराष्ट्र में कोस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है और अपने लिए ज्यादा पैसा बचता है। इस दृष्टिकोण से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यहां पर सरकार ने जो कुछ किया है इसके ऊपर फिर गम्भीरता से सोचें क्योंकि यह सब बहुत कम था। यह बात सही है कि हमारी राजस्थान की स्टेट दूसरों के मुकाबले में नई और पिछड़ी हुई थी लेकिन फिर भी अपने यहां पर तीन पंचवर्षीय योजनायें समाप्त हो चुकी हैं और चौथी पंचवर्षीय योजना शुरू होने वाली है। अब जो महाराष्ट्र के काश्तकारों को फेसिलिटि मिलती हैं वह हमारे यहां भी मिले तो कुछ फायदा हो सकता है। यह तो मैंने शोर्ट टर्म की बात कही है, अब मैं लोंग टर्म के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। अभी तक हमारे यहां पर फाइनेंशियल कार्पोरेशन का फायदा नहीं लिया गया है। वैसे इसके लिए एक स्कीम भी दी है लेकिन उस दृष्टि से जो सहायता मिलनी चाहिए वह भी नहीं मिली है क्योंकि गवर्नमेंट की गारन्टी नहीं मिली है। इस कारण हमें वह रुपया नहीं मिला है। अगर राज्य सरकार को गारन्टी नहीं मिलती है और रुपया नहीं मिलता है तो फिर काश्त की प्रोडक्शन नहीं बढ़ सके तो हम क्या करें। मुझे क्रेडिट फंड के लिए जानकारी मिली है कि गवर्नमेंट ने क्रेडिट फंड के लिए व्यवस्था नहीं की है। उसके लिए यहां की गवर्नमेंट ने कोई व्यवस्था नहीं की जब कि दूसरी स्टेट जो हैं वहां पर क्रेडिट फंड बना कर प्रेक्टिकल दृष्टिकोण से सारी व्यवस्था कर ली है। यह काम हम नहीं कर सके, चौथी पंचवर्षीय योजना में और पांचवीं पंचवर्षीय योजना

(श्री मोतीलाल चौधरी)

हमें यह काम करना चाहिए। इतना ही नहीं, सभापति महोदया, राजस्थान के अन्दर चार पांच साल से कोग्रॉपरेटिव सैक्टर के अन्दर काम कराने की काफी गुंजाइश है। लेकिन जो कोई साधन मिले हैं और जो कोई व्यवस्था है उसकी दृष्टि से आपको इस विभाग को भी ठीक करना पड़ेगा। विभाग के दृष्टिकोण से मैं कहूँ तो अत्युक्ति नहीं होगी कि यह इतना बड़ा काम है लेकिन इसका महकमा इतना छोटा है, इस विभाग पर इतनी बड़ी रेस्पोन्सिबिलिटी है लेकिन इसके अधिकारियों की इतनी कम तनख्वाह है।

आप कोग्रॉपरेटिव मिनिस्टर हैं और साथ ही प्लानिंग मिनिस्टर भी हैं, इसलिए आप इस विभाग को देखिये। आपके डिस्ट्रिक्ट ऑफीसर की तनख्वाह देखिये, उसको २८५ या २८५ मिलते हैं जबकि यहां के ऑफीसर को आठ आठ सौ मिलते हैं। डिस्ट्रिक्ट ऑफीसर को इतना कम देते हैं और काम उससे बहुत ज्यादा लेना चाहते हैं। ऊपर का काम तो रजिस्ट्रार करें और जितनी रिपोर्ट देने की जिम्मेदारी है वह उन लोगों पर है। इस दृष्टिकोण से आपको देखना चाहिये और इस विभाग को रिग्रॉर्गेनाइज़ करना चाहिये। साथ ही आपको नान-ऑफिशियल बॉडीज़ को भी स्ट्रेन्थन करना चाहिये। आपको दो दृष्टिकोण से काम करना चाहिये इस कोग्रॉपरेटिव मूवमेंट को चलाने के लिए—एक तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की सेवाओं के द्वारा और गारन्टी द्वारा सोसाइटीज़ को सक्रिय और मजबूत करने की आवश्यकता है और दूसरे नान-ऑफिशियल बोडीज़ के द्वारा लीडरशिप कायम करने की आवश्यकता है। इन चीजों को करने के लिए मैं निवेदन करना चाहता हूं।

अब मैं अपने चौथे कट मोशन के लिए निवेदन करना चाहूंगा कि सहकारी विभाग एक बहुत महत्वपूर्ण विभाग है। अभी उप मन्त्री जी बोल रहे थे तो वह पब्लिक सैक्टर कोग्रॉपरेटिव सेक्टर में कोग्रॉडिनेशन नहीं है। मैं इसके रीजन दूं उससे पहले एक शिकायत करना चाहूँगा कि माननीय मंत्री का पब्लिक सेक्टर से सम्बन्ध है लेकिन कोग्रॉपरेटिव सेक्टर को भी मजबूत करना चाहिये और उनके लिए आवश्यक है कोग्रॉपरेटिव सेक्टर में काम आये। आपको इन दोनों सेक्टरों में सम्बन्ध स्थापित करना चाहिये। ऐसी हालत में आप पब्लिक सेक्टर को मजबूती की तरफ ले जायं और कोग्रॉपरेटिव सेक्टर को भी वंचित नहीं करें तो वह भी काम ठीक करेगा। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो इस देश में समाजवाद नहीं आने वाला है। आज कोग्रॉपरेटिव सेक्टर और पब्लिक सेक्टर की लड़ाई हैं, इन दोनों में संघर्ष है और मैं मानता हूँ कि इस संघर्ष में कोग्रॉपरेटिव सेक्टर जीतेगा। अगर आपको देश की इकोनामी को बढ़ाना है तो मेरी यह मांग है कि पब्लिक सेक्टर में जो कार्यक्रम करते हैं उनको कोग्रॉपरेटिव सेक्टर को आगे ले जाने के लिए उन्हें देना चाहिए और पब्लिक सेक्टर में और कोग्रापरेटिव सेक्टर में सम्बन्ध स्थापित करके उनको मजबूत करने के लिए कदम बढ़ाते हैं तो कोग्रापरेटिव मूवमेंट आगे बढ़ सकता है।

माननीय सभापति महोदया, एक बात और कह कर मैं आगे बढ़ना चाहूंगा,

Page No. 101

(श्री मोतीलाल चौधरी)

कोग्रोपरेटिव सेक्टर के अन्दर सहयोग देने के लिए और कृषि का उत्पादन बढ़ाने के लिए आज क्या जरूरत है—वह जरूरत है, ऋण की, खाद की, बीज की और एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स की। कल कृषि मंत्रीजी इस सदन में बोल रहे थे तब वे इन बातों की चर्चा कर रहे थे। हमें अफसोस है कि आज यदि हमें मिलता नहीं है और उसके नहीं मिलने से हम प्रोडक्शन में बढ़ोतरी नहीं कर सकते हैं। इसका कारण यह है कि राजस्तान के अन्दर खाद की फैक्ट्री नहीं हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जब मैं बोल रहा था तब मैंने सदन में निवेदन किया था कि कोग्रापरेटिव सेक्टर में खाद की फैक्ट्री लगाने के लिए हमने प्रपोजल दिये हैं, लेकिन वे गवर्नमेंट आफ इंडिया के पास पड़े हैं। अगर इसका लाइसेन्स हमें मिल जाय तो हम कोग्रोपरेटिव सेक्टर में खाद की फैक्ट्री बना सकते हैं।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

मैंने यह भी निवेदन किया था कि विदेशों का कोग्रापरेटिव मूवमेंट राजस्थान के अन्दर यह खाद का कारखाना लगाने के लिए कोलोबोरेशन के लिए तैयार है। वह नो हाऊ और पर्सनल्स की एड देने के लिए तैयार है, लेकिन उसमें हम गवर्नमेंट का सहयोग चाहते हैं और गवर्नमेंट की गारन्टी चाहते हैं। इसके साथ साथ मैं माननीय मंत्रीं को कहना चाहूंगा कि खाद कारखाना लगाने के लिए, मैंने सुना है, प्राइवेट सेक्टर में आपने व्यवस्था की है। उनको जो लाइसेन्स मिलेगा वह नाइट्रोजन का मिलेगा और कोग्रोपरेटिव सेक्टर को सुपरफोस्फेट के लिए लाइसेन्स दिया हुआ है। इस तरह आप उसकी व्यवस्था करना चाहते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि प्राइवेट सेक्टर में खाद का कारखाना दे रहे हैं। यह जो सीमेंट रिलेक्सेशन दिया है यह देश के लिए बहुत खतरनाक चीज है। इतना आप जानते हैं क्योंकि वह सीमेंट डस्ट मिला देते हैं, रेत मिला देते हैं जिससे कि मकान गिर जाते हैं। खाद का कारखाना भी प्राइवेट सेक्टर में देने के बजाय आपको पब्लिक सेक्टर में देना चाहिए या कोग्रापरेटिव सेक्टर मे। क्योंकि अगर प्राइवेट सेक्टर में देते हैं तो कोई गारंटी नहीं है कि वह अच्छा खाद दे। अच्छा खाद देने के लिए प्राइवेट सेक्टर पर कोई कन्ट्रोल होता नहीं है और वह खराब देते हैं तो जो प्रोडक्शन करने वाले काश्तकार हैं उनकी तरफ आप देखें कि अगर उनको खाद समय पर नहीं मिलती है तो वे खेती नहीं कर सकते। दूसरे, अगर मिल भी जाती है तो कोई गारन्टी नहीं है कि वह अच्छी ही हो। खराब खाद आ जाती है और उसका उपयोग किसान कर लेते हैं, उसके अन्दर यदि रेत मिला हुआ हो तो फसल अच्छी नहीं हो पाएगी और इससे किसान की एक साल में इकोनोमी खराब हो पाएगी और इससे किसान की एक साल में इकोनोमी खराब हो जाती है। इस दृष्टि से यदि आपने इसे प्राइवेट सेक्टर में दे भी दिया है तो डिस्ट्रिब्यूशन के अन्दर आपको सतर्क होना चाहिए। और वह काम या तो गवर्नमेंट सेक्टर करे या फिर कोग्रापरेटिव सेक्टर। वह पहले उसको टैस्ट कर लें काश्तकारों के पास

(श्री मोतीलाल चौधरी)

पहुंचने के पहले, उसका केमिकल परीक्षण कर लेना चाहिए ताकि जो खाद किसानों को दिया जाय वह सही हो। इस तरह की व्यवस्था आप इस सम्बन्ध में करें।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

सभापति महोदया, मेरे कट मोशन्स दस हैं।

श्रीमती सभानेत्री : समय आपने काफी लिया।

श्री मथुरादास माथुर : ये कोआपरेटिव के ऊपर एक्सपर्ट हैं। इनको बोलने दीजिये।

श्री मोतीलाल चौधरी : मैं कह रहा था कि जितने कन्ट्रीज हैं जिनके यहां जो खाद कारखाने हैं। उनके यहां से जो खाद जाती है उसकी क्वालिटी को टेस्ट करने के लिए वहां एक्सपर्ट बैठे रहते हैं वहां जो कारखाने गवर्नमेंट का आदमी बैठा हुआ है। इसलिए जो भी खेतों में खाद जाय, जो भी केमिकल जायें-उनका पहले टेस्ट हो जाना चाहिए कि वह अच्छी है या खराब है। अगर खराब खाद चली जायगी तो किसानों की एक साल में इकानामी डिस्टर्ब हो जायगी। खाद खराब जाने के बाद में क्राप फेल हो जायगी तो एक साल के अन्दर ही किसानों की सारी इकानामी अस्त व्यस्त हो जायगी और उससे देश की इकानामी भी गड़बड़ हो जायगी। तो खाद के ऊपर ही खेती डिपेन्ड करती है. भले ही वह कपास हो, भले ही वह गन्ना हो, भले ही वह दाल हो, वह तिलहन हो-सब खाद पर डिपेन्ड करती हैं और केमिकल पर डिपेन्ड करती हैं। मैं निवेदन करना चाहूँगा चूंकि आप कोपरेटिव मंत्री के साथ ही प्लानिंग के मंत्री हैं इसलिए प्लानिंग के हित में आपको देखना चाहिए कि प्राइवेट सेक्टर आज तूफान मचा रहा है, अपनी स्वार्थ सिद्धि करने के लिए और देश में अव्यवस्था करने के लिए ताकि किसी तरह से पूंजिपतियों की ताकत देश में बनी रहे।

हम यह नहीं चाहते कि पूंजीपतियों की ताकत से काम हो। हमारा देश जो महात्मा गांधी और नेहरू का देश है यह नहीं चाहता कि पूंजीवाद यहां पर बढ़े। हम चाहते हैं कि समाजवाद बढ़े। हम नहीं चाहते कि यहां पर स्टेन्चर बढ़े। और सारा प्राइवेट सेक्टर के हाथ में कारोबार आ जाये। अगर ऐसा होगा तो यह तरीका हमारे लिए खतरनाक है।

अब यह कहा जाता है कि इससे हमको सेल्स टैक्स मिल जायेगा। सभापति महोदया, मैं यह कहूँगा कि न तो इससे पूरा हमको सेल्स टैक्स मिलता है और न लोगों को पूरा जो गरीब है, फायदा पहुंचता है। गवर्नमेंट के इन्वेस्टमेंट लोन के फोर्म में या एड के फोर्म में दिये हुए हैं वह मैं कहूँगा कि ६० परसेन्ट नहीं है। पब्लिक सेक्टर में जनता की पूंजी है। उनको डबल फायदा होता है। एक कोआॅपरेटिव फैक्टरी जो रजिस्टर्ड होती है, उसके पास एक करोड़ की लागत होती है, मगर वह ६ करोड़ लोन लेकर काम करती है। बैंक में माल रखकर निगोशियेबल इन्स्ट्रूमेंट के जरिये लोन ले लेते हैं।

(श्री मोतीलाल चौधरी)

आज आप कोआॅपरेटिव और प्राइवेट का कम्पीटिशन करते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि यह कौनसा तरीका है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदया, मैं कहना चाहता हूं कि वे इनकम टैक्स को चोरी करके पूंजी बनाते हैं। कोआॅपरेटिव के पास इतना फन्ड नहीं। मगर पूंजीपति के पास चार पांच और धन्धे चलते हैं वह कहीं से कहीं पैसा डाल देता है। बिड़ला मिल्स है उसके १०० कम्पनी हैं। वह कहीं पर भी पैसा इधर से उधर लगा देगा। इस तरह से कई ट्रस्ट हैं उनमें डालकर दो तीन परसेन्ट की सेविंग कर सकते हैं। इस प्रकार पूंजी को मल्टी–प्लाई की जाती है और पूंजी बढ़ाई जा सकती है। कोआॅपरेटिव के पास इस प्रकार के साधन नहीं हैं जो पब्लिक के सामने हैं। इसलिए मैं यह कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा उनको भी इस प्रकार की सुविधाएं देने की जिम्मेदारी सरकार ले। कोआॅपरेटिव डेवलपमेंट ट्रस्ट है उसको पूंजी दो तरह से मिलेगी। केपिटल शेअर्स और जब तक केपिटल नहीं होगी लोन मिलेगा नहीं। कोआॅपरेटिव सोसाइटीज ने पूंजी के दृष्टिकोण से एक लाख रुपये की जमीन ली है। उसके १० लाख हो गई। एल. आई. सी. मे १० लाख हो गई। यह दिक्कत है उसको दूर करने की व्यवस्था करनी होगी।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इनके बाद हम कोआॅपरेटिव मूवमेंट को मजबूत कर सकते हैं। इसके बाद एक बात मैं आखिरी कह कर अपना भाषण खत्म करता हूं। कोई भी दुनिया की तवारीख इस बात को मानती है कि Production is the main thing और मार्केटिंग है वह नकली चीज है। किसान ने धान पैदा कर दिया।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्रीमती सभानेत्री : काफी समय हो गया है।

श्री मोतीलाल चौधरी : मैं समाप्त कर रहा हूं। मैं क्लोज कर रहा हूँ।

किसान ने धान पैदा कर दिया और उसकी बिक्री हुई और मार्केटिंग में आपने जाकर उसको सप्लाई कर दिया। इसलिए प्रोडक्शन मीन्स सप्लाई। पहले ही माननीय मंत्री बहुत कमजोर हैं, मैं यह कहूँगा कि आपका उसमें काफी हिस्सा हो। हमारे यहां मार्केटिंग सोसाइटी हैं एपेक्स। उसमें आपकी पूंजी हो २० करोड़ किन्तु आपकी पूंजी है ५ लाख।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इसमें सहयोग दीजिये और मेरा खयाल है कि इससे समाजवाद जल्दी आएगा।

श्री जोधसिंह चौहान : (गिरवा) सभापति महोदया, सहकारिता के सम्बन्ध में जो बहस चल रही है उसमें मेरे भी कटौती के प्रस्ताव हैं और उन पर मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं। सहकारिता चालू रखें इसके लिये हमें कोई विरोध नहीं। हम सहकारिता का

(श्री जोधसिंह चोहान)

विरोध नहीं करते। में आपसे निवेदव करना चाहता हूं कि अगर कोई समुद्र में वर्षा की जावे तो उसका समुद्र पर कोई असर नहीं होता और अगर किसी ऊसर भूमि में बीज डाला जावे तो वह पैदा नहीं होगा। इसी तरह से सहकारी खेती के लिये हमारी सरकार लोगों को बाध्य करती है। में यह कहूँगा कि जिस देश में ४५ करोड़ लोग बसते हैं और जैसा कि हमारे राजस्थान में दो करोड़ की आबादी है और दो करोड़ व्यक्ति रहते हैं और जहां पर भूमि की कमी हो वहां पर यदि सहकारिता लाई जावे तो में समझता हूँ कि इससे हमारा उत्पादन कभी नहीं बढ़ेगा। आज भी हम देखते हैं कि रूस में जहा सहकारिता से खेती होती है, उस सहकारिता को छोड़ता जा रहा है।

श्री मोतीलाल चौधरी : यह गलत है।

एक माननीय सदस्य : आप रूस जाकर देखकर आये हैं।

श्री जोधसिंह चौहान : आपको मालूम नहीं है, रूस भी सहकारिता को छोड़ रहा है। में आपको निवेदन करू ं कि जो लोग हाथ से काम करने वाले हैं उनको इससे क्या मिलेगा ? उनको भी कुछ न कुछ लाभ मिलना चाहिये। आप यह कहेंगे कि यह सहकारिता की खेती अमेरिका में बहुत ज्यादा होती है। में आपको बताना चाहता हूं कि वहां पर आदमियों की संख्या कम है और जमीन ज्यादा है। मगर यह बात भारतवर्ष में नहीं है। भारतवर्ष में भूमि कम है और मनुष्य ज्यादा हैं। अच्छा तो यह हो कि हमारे यहां पर सहकारिता की खेती पर जोर नहीं दिया जाए और में यह कहूंगा कि आज इसके लिए हमारी सरकार प्रयास करती करती मर गई मगर सहकारिता को सफल नहीं बना पाई। किसानों ने सहकारिता को स्वीकार नहीं किया। सहकारिता के नाम से कई लोग जमीन लेकर बैठ गये और वे लोग खेती करना नहीं चाहते क्योंकि पांच भाईयों की बाखड़ी होती है वह यों ही रहती है।

श्री मोतीलाल चौधरी : राजस्थान में कोई भी कुआ नहीं चल सकता जब तक कि परिवार के ८ व्यक्ति बैलों को लेकर उस पर काम नही करते।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) हमारे यहां तो कायदा दूसरा है। शामिल नहीं रह सकते हैं।

श्री जोधसिंह चौहान : ऐसी कोई बात नहीं है। में यही कहूँगा कि राजस्थान सरकार को उन लोगों को सहकारिता के आधार पर खेती करने के लिये बाध्य नहीं करना चाहिए। आप सहकारिता के द्वारा किसानों को नाज, ज्यादा प्राप्त करने के लिये ज्यादा से ज्यादा धन दे सकते हैं। सहकारिता से आप किसानों को अच्छा बीज दिला सकते हैं। जिससे वे ज्यादा उत्पादन कर सकें। उनके उत्पादन के माल को खरीदने और बेचने की अच्छी व्यवस्था कर सकें इसके लिये सहकारिता बनाइये। में समझता हूं कि इससे किसानों को ज्यादा लाभ होगा ? में यह कहूँगा कि हमारी सरकार को सहकारिता लानी चाहिए मगर में यह कहूंगा कि सरकार की नीयत साफ नहीं है। अगर उनकी नीयत साफ होती तो सरकार उदयपुर के बड़े-बड़े जंगल थे उनको नहीं कटवाती और इस

(श्री जोधसिंह चौहान)

तरह से राजस्थान की सम्पत्ति को नष्ट नहीं करती और वहां पर उन भीलों को सहकारिता लाती और उनको उन सहकारिता के मालिक बनाती और इस तरह से जो लोग सरकार को चन्दा देते हैं उनसे वन को इस प्रकार नष्ट नहीं करवाती। मैं यह कहूंगा कि आज एक आदमी वन की रक्षा नहीं कर सकता........

श्री गिरधारीलाल व्यास : आपके विचार वन के सम्बन्ध में ही हैं या दूसरी इन्डस्ट्रीज के बारे में भी हैं।

श्री जोधसिंह चौहान : आपको वहां को क्या मालूम, भीलों को ....

श्री गिरधारीलाल व्यास : मैंने आपको दूसरी बात कही है, आप समझे नहीं और बगैर समझे ही जोर-जोर से हल्ला करने लग गये। मैंने तो आपको यह कहा कि आप वन के सम्बन्ध में सहकारिता की बात कर रहे हैं, क्या आपकी यह नीति इन्डस्ट्रीज में भी है ?

श्री जोधसिंह चौहान : मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि अन्ध विश्वास से मत चलो। यदि किसी देश में यह है तो देखना यह है कि वहां और यहां पर समानता है या नहीं। इंगलैण्ड में सर्दी पड़ती है इसलिये गर्म कोट पेंट पहनने की जरूरत है। मगर भारतवर्ष में यदि कह दिया जावे कि गर्म कोट हर वक्त पहनो तो यह सम्भव नहीं। वहां पर ठंड रहती है और वह ठंडा देश है। इसलिये मैं यह कहूंगा कि हर देश में अलग-अलग परिस्थितियां होती हैं आपको चाहिये कि आप इस पर वैज्ञानिक दृष्टि से सोचें और अपने मस्तिष्क से काम करें। होट दिमाग से काम मत करो। समझो जरा।

जहां हमारी सरकार सहकारिता की बात करती है वहां स्वयं सहकारिता को छोड़ती जाती है। मैं आपको वन की बात नहीं कहता. हमारे गिर्दा क्षेत्र में लोग लकड़ी काट कर सिर पर लाते हैं और ऊंटों पर लाते हैं। उन्होंने भीलों की सहकारी समिति बनाई और उसमें घोटाले चले। गड़ी में बनाई। सरकार ने कानून के द्वारा उन पर सहकारी समिति थोप दी। इस प्रकार जबरदस्ती करने से काम नहीं चलेगा। वन के लोगों ने आंदोलन किया। आज भी वे जंगल से लकड़ी लाकर नगर में नहीं बेच सकते क्योंकि उनकी वहां सहकारी समिति नहीं है। वहां के निवासियों ने जंगल की सहकारी बांस की समिति बनाई और उनका सारा का सारा बेंक में रुपया जमा है कोई काम नहीं किया। मगर सरकार उनको रकम नहीं देना चाहती, कई वर्ष हो गये। सरकार कहती है कि वहां घोटाला है। क्या घोटाला है ? मैं कहानी बताऊं। वर्षा के समय में बांस काटे और गांव में जगह जगह गाड़ियों में खाली कर दिये. वर्षा आई तो वे सड़ गये। सरकार कहती है कि यह घाटा हुआ वह तुमसे वसूल करेंगे..........

श्री गिरधारीलाल व्यास : रुपये खा गये हैं तुम्हारे जैसे।

श्री जोधसिंह चौहान : सभानेत्री महोदया, एक नहीं हजारों इस प्रकार के उदाहरण हैं। भूपाल कोऑपरेटिव सोसाइटी

(श्री जोधसिंह चौहान)

प्रतापनगर में है जहां कांग्रेस के सफेद हाथियों ने गरीब जनता की भूमियों को हड़प रखा है। किसानों को उनकी भूमि का मुग्रावजा तक नहीं दिया गया। सब रुपया खा गये तथा और भी कई तरह के घोटाले हैं, वह सारी की सारी प्रतापनगर की भूपाल कोग्रॉपरेटिव सोसाइटी लिक्विडेशन में ग्रा गई है। ग्राज कांग्रेस के सफेद हाथी मौज उड़ा रहे हैं, उनके गुर्गे मौज उड़ा रहे हैं पर सरकार उस ग्रोर कोई ध्यान नहीं देती। सरकार को चाहिये कि भूपाल कोग्रॉपरेटिव सोसायटी प्रतापनगर में है उसके सम्बन्ध में पूरी तरह से छानबीन करे कि वहां कितने कितने, किस किस प्रकार के घोटाले हैं, किसानों की कितनी भूमि हड़प ली है, ग्रौर उन बेचारों की भूमि हड़प ली गई फिर भी उनकी लैंड रेवेन्यू नहीं छूटी है ग्रौर उधर वे लोग ऐश कर रहे हैं, ग्राराम कर रहे हैं।

इसी प्रकार उदयपुर नगर में क्रय विक्रय का उपभोक्ता भंडार है, उसमें भी लाखों का घोटाला है, कांग्रेस के सफेद हाथी ग्रापस में बांट कर खा गये। इस प्रकार भी कहीं कोग्रॉपरेटिव सोसाइटीज चल सकती हैं, कोग्रॉपरेटिव सोसाइटीज को चलाने के लिए, सफलता से ग्रागे बढ़ने के लिए त्याग ग्रौर सेक्रीफाइस करना चाहिये। ग्रगर इन कोग्रॉपरेटिव सोसाइटीज को सही माने में चलाना है, इनसे गरीबों को लाभ पहुंचाना है तो ईमानदारी से तकलीफें उठा कर ग्रौर वक्त पड़ने पर भूखों मर कर भी इनको उन्नत ग्रौर सफल बनाना होगा पर ग्राज त्याग ग्रौर सेक्रिफाइस की जगह लोग ऐश कर रहे हैं, ग्राराम कर रहे हैं, कोग्रॉपरेटिव सोसायटीज का लाखों रुपया ग्रापस में बांट कर खा रहे हैं, सरकार इस ग्रोर कोई ध्यान नहीं देती। सरकार में बैठे लोगों के मर्जीदान मन मान ढंग से फर्जी सोसायटियां बना कर मौज उड़ा रहे हैं, उन्हें कोई पूछने वाला तक नहीं है।

ग्राज हमारे यहां कई प्रकार की कोग्रॉपरेटिव सोसाइटीज हैं, जिनमें कोई भी व्यक्ति सही माने में सदस्य नहीं है ग्रौर फर्जी सोसायटियां बना कर ये सफेद हाथी सरकार की रकम चट कर गये हैं। हमारे यहां खैरपुर में सहकारी समिति है वहां का सरपंच सारी सरकारी रकम खा गया ग्रौर वह लिक्विडेशन में ग्रा गई, पर क्योंकि कांग्रेस का सरपंच है इसलिये सरकार कुछ भी नहीं कर रही है।

कुरावड़ में किसानों ने सहकारी समिति कायम की। उसके ७१ सदस्य हैं पर सरकार उसका रजिस्ट्रेशन करना नहीं चाहती क्योंकि सरकार डरती है कि यह विरोधी पक्ष की कोग्रॉपरेटिव सोसाइटी है, सही तरीके से काम कर के लोगों के दिलों में घर न कर ले ग्रौर जो इनके लोगों की सोसायटीज हैं उनकी पोल न खोल दे..........

श्री मथुरादास माथुर : सोसायटी का नाम बताइये।

श्री जोधसिंह चौहान : गिरवा क्षेत्र में कुरावड़ गांव में एक ही कोग्रॉपरेटिव सोसाइटी है, ७१ व्यक्तियों की सहकारी समिति बनाई, उन लोगों ने ग्रावश्यक रकम भी पूरी इकट्ठी कर ली पर ग्रापने उसे रजिस्टर नहीं किया।

तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ग्रगर सरकार की नीयत साफ है, ग्रगर यह

श्री जोधसिंह चौहान)

सरकार राष्ट्र को राष्ट्र समझती है, अपने देश को देश समझती है तो ईमानदारी से इस क्षेत्र में काम करे ? सहकारिता खराब वस्तु नहीं है, सही माने में सहकारिता को पनपाया जाय तो उससे देश को लाभ होता है, गरीबों का हित होता है। पर सहकारिता हर वस्तु में नहीं, देश के सारे हालात को देख कर, देश क्या क्या चीजें चाहता है, इन सारी बातों को ध्यान में रख कर सहकारिता को पनपाया जाय। जहां लोग अपढ़ हैं, पढ़े-लिखे नहीं हैं वहां यदि आप सहकारिता थोप देंगे तो उसका क्या फल होने वाला है। सहकारिता को पनपाने के लिये, सहकारिता को सफलता के साथ आगे बढ़ाने के लिये सबसे पहले यह आवश्यक है कि लोगों में पूर्ण विश्वास पैदा करो ताकि लोग यह समझने लगें कि सरकार हमारी ट्रस्टी है।

जंगल की सहकारी समिति बनाई। उसमें ११, ११ रुपया सरकार ने अपने अपने लोगों का जमा कर रखा है, जिन लोगों के ११) रु. जमा नहीं हैं वे लकड़ी नहीं ला सकते, इस प्रकार दो नीति, छोटे बड़े की नीति रख कर काम करते हैं, यह हमारे प्रान्त की प्रगति के लिये घातक है, जनता के लिये घातक है। अगर सरकार इसी तरह से सहकारिता के क्षेत्र में काम करती रही, ठीक ढंग से अगर सरकार काम नहीं करेगी तो सहकारिता में कामयाब नहीं हो सकती। सहकारिता को सही माने में आगे बढ़ाने के लिये त्याग और सेक्रिफाइस की भावना से निष्पक्ष हो कर कार्य करना पड़ेगा तभी सहकारिता हमारे प्रान्त में सफल हो सकती है और इससे गरीबों को लाभ पहुँच सकता है।

(अनेक माननीय सदस्य बोलने के लिये खड़े हुए)

श्रीमती सभानेत्री : श्री देवेन्द्रकुमार।

श्री देवेन्द्रकुमार मीना (सराड़ा-सु०) : सभापति महोदया, सहकारिता के बारे में मैं निवेदन करूंगा कि हमारी सरकार ने सहकारिता में सहकारी समितियां बनाने की जो नीति अख्त्यार की है इसका मैं समर्थन करता हूं। इसमें थोड़ी खामी है। कोऑपरेटिव सोसाइटी बरसात में बनाई है। गिरवा से आने वाले माननीय सदस्य ने फरमाया था कि वहां कोऑपरेटिव सोसायटी ठीक तरह से नहीं चलती, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस साल वह कोऑपरेटिव सोसाइटी काफी मुनाफे में है।

वन ठेका सहकारी समिति आदिवासियों की समिति है वह घर घर गांव में बनाई थी, उसमें महाजन वर्ग ने मिल कर उस कोऑपरेटिव सोसायटी को फेल करने की कोशिश की। इसलिये मैं निवेदन कर रहा हूं कि जहां हमारी सरकार की योजना है इसकी सरकार ठीक ढंग से देखरेख करेगी तो यह योजना सफल होगी, किसानों और मजदूरों को इससे काफी फायदा पहुंचेगा। इनकी पूरी देख रेख रखना बहुत ही जरूरी है।

इसी तरह से हमारे वहां कृषि सहकारी समिति सराड़ा तहसील में बनाई है वह भी ठीक तरह से काम कर रही है, उसमें लोग दिल लगा कर काम कर रहे हैं।

(श्री देवेन्द्रकुमार मीणा)

वहां ठीक तरह से काम हो इसके लिये देख-रेख ठीक ढंग से की जाय तो लोगों को काफी फायदा होगा ।

एक निवेदन मैं सरकार से करूंगा कि हमारे आदिवासियों और मजदूरों की ऐसी कोआॅपरेटिव सोसाइटी बना कर ठीक ढंग से चलाने की कोशिश की जाय और देख-रेख ठीक ढंग से की जाय तो किसानों-मजदूरों को इनसे काफी फायदा होगा ।

माननीय सदस्य अभी खिलाफ में बोल रहे थे उनसे मैं निवेदन करूंगा कि केवल खिलाफ में बोलने से काम नहीं चलेगा । वे लोगों को इन सहकारी समितियों की उपयोगिता को समझाने की कोशिश करें कि कोआॅपरेटिव सोसाइटीज से लोगों को क्या क्या लाभ मिल सकते हैं, यह लोगों को समझाने की कोशिश करें । किसी को गाली देना, किसी को खराब कहना, इससे काम नहीं चलने वाला है । आप हम सब कार्यकर्त्ता हैं, इस गवर्नमेंट को चलाने वाले हैं, गवर्नमेंट में जो खामियां हैं उनको कह कर हमें निकालना है । गालियां देने से कमियां निकलने वाली नहीं हैं । इस तरह से हमारे भीलवाड़ा में कई तरह की सहकारी समितियां हैं जो अच्छे ढंग से चल रही हैं, अच्छे ढंग से किसानों को कर्जा मिल रहा है, जैसे गंगापुर में मारकेटिंग सोसाइटी है, गत वर्ष उससे काफी लोगों को फायदा पहुँचा और गरीब आदमियों को काफी फायदा हुआ है और लोगों को काफी मदद मिलती है । सरकार इन सोसाइटीज़ को ज्यादा से ज्यादा ऋण दे, ऐसी व्यवस्था सरकार की तरफ से हो । हमारी सरकार का प्लान बहुत अच्छा है । यह समाजवाद है, हमें समाजवाद लाना है तो कोआॅपरेटिव ढंग से चलना है ।

श्रीमती सभानेत्री : श्री चौसरसिंह ।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : जब आॅपोजीशन लीडर बोल रहे थे तो उपाध्यक्ष ने कहा था कि इसके बाद में मेरा नम्बर आएगा ।

श्रीमती सभानेत्री : न कागज पर लिखा हुआ है, न आश्वासन दिया गया है ।

श्री गिरधारीलाल व्यास : आप प्रोसीडिंग्ज़ देख लीजिए ।

एक माननीय सदस्य : हांडा की जगह अब इन्होंने ले ली है ।

श्रीमती सभानेत्री : मैं खुद जानती हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए ।

श्री **चौसरसिंह बावेल (बेंगू)** : सभापति महोदया, सहकारिता के विषय में मेरा एक कटौती का प्रस्ताव है । उस पर मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि सरकार सहकारिता को बढ़ावा देने में असफल रही है और जहां तक मैंने देखा है इसमें चालाक आदमी फायदा उठाते हैं और कमजोर आदमी यूं ही रह जाते हैं । हमारे यहां एक सहकारी समिति है उसमें १५ हजार का घोटाला हुआ । जो गनपत लाल था....

(श्री चौसरसिंह बावेल)

श्री भीमसिंह (उप-मंत्री सहकारी) उस समिति का क्या नाम है और कहां है ?

श्री चौसरसिंह बावेल : ओगड़ में उन्होंने गबन किया सात हजार का और साबित हो गया, डेढ़ साल की सेशंस कोर्ट ने उनको सजा दी।

श्री भीमसिंह : सोसाइटी का नाम बताइये।

श्री चौसरसिंह बावेल : मुझे याद नहीं है।

श्री भीमसिंह : कौनसी पंचायत समिति में है ?

श्री चौसरसिंह बावेल : बेगूं में। बाकी रुपयेवसूल उसमें नहीं हुए हैं। सदस्यों के नाम नोटिस जारी किए जा चुके हैं। वह जनता का पैसा भी खा गया और ६ महीने तक कोई खाद नहीं कोई बीज नहीं, सब हजम कर गया। इन्सपेक्टर्स कभी नहीं वहां आए। तो इस ओर आप ध्यान दें।

इसी तरह भेंसरोड़गढ़ में एक सहकारी समिति बनाई गई उसके अन्दर ६ हजार रुपया कर्ज लिया गया। एक आदमी ने सब रकम इधर उधर कर दी। अब वह वसूल की जा रही है और दस दस रुपये के नोटिस दिए जाते हैं कि तुम रुपया जमा कराओ। तो आप ऐसी बातों की तरफ ध्यान दें।

आपका कर्जा रेगर सहकारी समिति बेगूं में था। उस पर चार्ज लगाया था कि सब रुपये सदस्यों ने गड़बड़ कर दिये हैं तुम दो। तो उसका मकान नीलाम हुआ २७७ रु० में। एक बोली लग गई। उन्होंने कहा कि मुझ से पैसे किश्तों में वसूल करलो तो नहीं करते हैं।

इसी तरह से मुद्रणालय विभाग में भी कई तरह के घोटाले की बातें होती हैं। आप कहते हैं कि तारीफ नहीं करते हो। आपको गलत काम नहीं करने चाहिए। इन शब्दों के साथ में अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : सभापतिजी, इस समय मिनिस्टर साहब नहीं हैं। मैं एक बात सदन में कहना चाहता हूं कि सहकारिता मौलिक रूप से क्या है ? यह एक वेलफेयर स्टेट है। संविधान के अन्दर हमने कहा है कि इक्वल आपर्चुनिटी सबको देंगे। आर्थिक और सामाजिक न्याय करने के लिये यह एक तरीका है कि हम सहकारिता पर अपनी जिंदगी को ढालें। प्रजातन्त्र के अन्दर कोई भी आदमी जो कोआपरेटिव बना सकता है उनको मौका है मेहनत करके अपनी रोटी कमाए। इसके लिये सबको छूट दी गई है। इसलिये इस वेलफेयर स्टेट में कोई भी आदमी सिद्धांत रूप से यह नहीं कह सकता कि यह बेकार है। कांग्रेस सरकार इस बात को कमिट कर चुकी है कि किसीके पास यदि पूंजी नहीं भी है तो उसको भूखों मरने नहीं दिया जायगा, यह आर्टिकल आफ फेद है कांग्रेस के लिये दूसरी पार्टियां इस बात को नहीं मानती हैं। उनको तो हर जगह बुराइयां ही नजर आती हैं, यह आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि उनको मालूम है कि उनका वेस्टेड इन्टरेस्ट है। जो लोग अच्छी जगह बैठे हुए हैं समाज के अन्दर उनको अपने लिये खतरा पैदा हो

(श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा)

गया। इसलिये हम सहकारिता के आधार पर चाहे सरकार हो चाहे दूसरे लोग हों, सारी आलोचना को सुनकर, हमारी जो धारणा है निश्चित रूप से अगर प्रज तन्त्र के जरिये समाजवाद की कल्पना को मूर्त रूप देना है तो उसका एक ही रास्ता है। वह है सहकारिता।

इस सिलसिले में सरकार की कुछ एक्टिविटिज बढ़ी हैं इसके लिए यहां भी और दूसरी जगह भी एप्रीसिएशन है। लोगों को शिकायतें होती थीं, आज कानून के जरिए संशोधन किये गये हैं, सरकार ने सहकारी मंत्री ने। विभाग ने, इन सबको इस बात के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने कानून को कम्पलीट करके इस बात को तय किया कि रजिस्ट्रार महोदय को तीन महीने में जवाब देना पड़ेगा और तीन महीने में कोआॅपरेटिव रजिस्टर होती है या नहीं, सरकार के पास जो आंकड़े होते हैं उनके आधार पर उस कोआॅपरेटिव को रजिस्टर सरकार करती है या नहीं और कितनी सहायता दे सकती है, इस आधार पर कानून को कम्पीलीट कर लिया। नहीं तो पहले इस विभाग की मर्जी होती थी तो बनाते थे, नहीं तो नहीं बनाते थे। इसलिए इस सरकार की तरफ से इस कोआॅपरेटिव डिपार्टमैन्ट में बहुत तरक्कियां की गयीं, उसको एप्रीशियेट करना चाहता हूँ, उसकी तारीफ करना चाहता हूँ।

उसके साथ साथ कुछ मुद्दे उठाये गये हैं। मैं कतना चाहता हूँ कि कटमोशन में एक मुद्दा पढा। बड़ा इम्पोर्टेन्ट है। मनी को मोबाइल करने की जरूरत है। आपने कोशिश की होगी। कोआॅपरेटिव्ज में जो ड्यु होता है वह सरकार के पास पहुँचता है। जो ड्यु है उसको मोबाइल करने के लिए सरकार को पूरा प्रयत्न करना चाहिए। पूंजीवादियों से लड़ता है तो इकोनोमी का सिद्धान्त है, आर्थिक पहलू है वह मनी कितना मोबाइल होता है और कितना जल्दी आता और जाता है। कोआॅपरेटिव में जो पैसा है, लोगों के पास है, उसके ड्यु टाइम में आने की लोगों में आदत डाली जाय। इस प्रकार लोगों में मनी का हेर फेर होता रहे तो यह अच्छी बात है। इसमें वर्तमान कोआॅपरेटिव मिनिस्टर साहब ने दिलचस्पी ली है और बकाया की वसूलियों पर उन्होंने जोर दिया है। फिर भी सिद्धान्त को समझना चाहिये कि जिसको जिस रूप में रुपया मिला है, जिस कोआॅपरेटिव को मिला है, उसको उस पर पूरी निगाह रखनी चाहिये, वह कोआॅपरेटिव पूरी तरह मनी को मोबाइल रखती है या नहीं रखती है। कुछ लोग लेकर बैठ जाते हैं तो वह मनी डेड हो जाती है। उससे सहकारिता को फायदा नहीं हो सकता।

सरकार इससे इन्कार नहीं कर सकती है। आज के युग में सिद्धान्त रूप से कांग्रेस की हुकूमत इस बात से पूरी तरह बंधन में है कि कोआॅपरेटिव के जरिये से एक कम्युनिटी लाइफ पैदा करना चाहिये। यह नहीं कि आज तक जो सिद्धान्त रहा है कि एक आदमी कमाये, फ्यूडेलिज्म में यह सिद्धान्त रहा है कि एक आदमी जिन्दगी भर चलता था, चाहे जैसे मरते करते चलता और बुढ़ापे में मौत के घाट उतर जाता था। आज हम जीना चाहते हैं मिल कर। सहकारिता के आधार पर दस आदमी मिल कर, सरकार की

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

कोशिश से भी, जीना चाहते हैं, कोग्रॉपरेटिव से जीना चाहते हैं उसके लिए यह ग्रावश्यक है कि घर घर में, ग्रौर सब जगह बिजनिस में वगैरा में कोग्रॉपरेटिव को लाया जाय ।

यह सरकार बैठी है, ग्राज भी पूंजीपतियों के ऊंचे हाथ हैं। कोग्रॉपरेटिव डिपार्टमेंट की बिल्डिंग बनानी होगी तो यह सरकार पैसा नहीं देगी ग्रौर लखपति करोड़ पति को दस दस लाख की जमीन मुफ्त में दे दी जावेगी । मैं पूछना चाहता हूँ, ग्राप वेडेड हैं इस सिद्धान्त से कोग्रॉपरेटिव सिद्धान्त की बात करते हैं, लेकिन उन लोगों को नहीं मिलेगी जिनको चाहिये । लेकिन कोमर्स वाले लोगों को मिलेगी, उनके लिए युटिलाइजेशन करना चाहते हैं, बिड़लाजी ने उद्घाटन किया राम निवास बाग के सामने वाली जमीन का, ग्रौर कहा था कि एक साल के ग्रन्दर एक्जीविशन लगेगी, यह होगा वह होगा लेकिन वह तो कुछ हुग्रा नहीं ग्रौर ग्राज कुत्ते वहां मूत रहे हैं।

श्री राधाकृष्ण गोयल : कीमत से ज्यादा चन्दा दे देते हैं । ग्राप भी लेते हैं ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : ग्रापने जो फरमाया महाशयजी, ग्रापके यहां रानी का ग्राता होगा ग्रौर यहां पर जो कांग्रेस के सिद्धान्तों में विश्वास करते हैं वे ही उसको चन्दा देते हैं तो मनाही नहीं है । चन्दा देने वालों को भी यह सरकार जेल भेज सकती है ।

श्री राधाकृष्ण गोयल : बगैर दिये हो भेजते हो । किनको भेजा है ऐसों को ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : कइयों को भेजा है । ग्राप जो यहां से रूठ कर गये हो, पहले इधर थे । ग्राप रानी के तिनके के सहारे हो ।

श्री राधाकृष्ण गोयल : ग्रात्मा मार कर वहां बैठे हो, यह हम जानते हैं ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : ग्राज से नहीं, ग्राप पैदा नहीं हुए तब से यहां बैठा हूं तो उस सिलसिले में जोर दूंगा । पहले भी मिसालें दी हैं । ३० करोड़ की फैक्टरी कोई सेठ लगाने ग्राता है । मैंने पूछा है, मेरी जान पहिचान है । मैंने पूछा कैसे तीस करोड़ की बात की ? कहने लगे । ग्राधा रुपया सरकार दे देती है । १५ करोड़ तो यह । ७॥ करोड़ एल. ग्राई. सी. से गवर्नमेंट की गारन्टी पर ले लूंगा । ढाई करोड़ बैंक के शेयर्स से मिल जायगा ग्रौर २॥ करोड़ घर से लगा दूंगा । तीस करोड़ की इन्डस्ट्री खड़ी हो जायगी । मैं सहकारिता का दम भरने वाले मिनिस्टरों से पूछना चाहता हूं । ग्रापने १३ साल में कोग्रॉपरेटिव मूवमेन्ट को बढ़ाया, ग्रापको इसको क्रेडिट देता हूं, लेकिन ग्रापने क्या किया, ग्राप ग्राज मद्रास चले जाइये । कहीं गन्ने की फैक्टरियां कोग्रॉपरेटिव सैक्टर में खड़ी हैं, कहीं क्या कोग्रॉपरेटिव बनी है तो कहीं पर क्या कोग्रॉपरेटिव बनी है, लेकिन राजस्थान में ग्रापने दूसरे लोगों को गारन्टी दी । ग्रापके पास लोग ग्राये हमें स्पिन्डल की इजाजत दो, कोग्रॉपरेटिव सैक्टर में दो, भारत सरकार ने कहा ग्राप युटिलाइज नहीं कर सके । कोग्रॉपरेटिव ग्राधार पर ग्रॉल इन्डिया बेसिस पर दिया, ग्रापने उपयोग नहीं किया ग्रौर जिन स्टेट्स ने उपयोग किया उन सरकारों की ग्रार्थिक हालत में फर्क पड़ा । जो ग्रॉपोर्चुनिटी ग्राती है, इस सैक्टर में गवर्नमेंट ग्रॉफ

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

इन्डिया जगह जगह के लिये देती है, आपका डिपार्टमेंट वह वातावरण नहीं बना पाता इससे इनकार नहीं किया जा सकता।

मैं यह नहीं कहता कि कोआॅपरेटिव में राजस्थान सरकार ने कुछ नहीं किया। मैं दावे के साथ कहता हूं कि इस मूवमेन्ट में राजस्थान सरकार कोआॅपरेटिव में एक मजबूती लायी है। यदि हम पूरी तरह जागरूक रहे और इस वे आॅफ लाइफ को पनपा सकें अधिक से अधिक तो निश्चित रूप से हम सोशलिज्म की ओर बढ़ेंगे। हम उस ओर जाना चाहते हैं। कुछ इस तरह का कोलोबोरेशन होना चाहिये जिससे आर्थिक रूप से आर्थिक ध्येय उठाने के लिये सरकार मदद दे। पूंजीवाद को वहीं तक बर्दाश्त किया जाना चाहिये जहां तक उसकी खास आवश्यकता है। कोआॅपरेटिव बेसिस पर काम करने वालों को पहले जगह मिलनी चाहिये। इसको हमारे सामाजिक जीवन में ले जाया जाना चाहिये, हरएक को हरएक के दुखों में शामिल होना चाहिये और इसके लिये एक ही तरीका है कोआॅपरेटिव मूवमेन्ट। आपके आने के बाद कोआॅपरेटिव मूवमेन्ट में तरक्की हुई है, आपकी मिनिस्टरी में एक वह परिवर्तन हुआ है जो कोन्स्टिट्युशनली एक वेलफेयर स्टेट में होता है। राजस्थान की कांग्रेस और देश की कांग्रेस सोशलिज्म पर पूरे देश को चलाना चाहती है। जल्दी से जल्दी आप अपने ध्येय में सफल होंगे।

श्रीमती सभानेत्री : श्री लक्ष्मीचन्द।

(विराम)

नहीं बोलना चाहते।

(विराम)

श्री गोयल।

श्री राधकृष्ण गोयल : श्रीमती सभानेत्री महोदया, हमारे देश ने अपनी आर्थिक प्रगति के लिये सहकारिता को भी एक माध्यम चुना है। आर्थिक विकास के लिये जहां सार्वजनिक क्षेत्र हैं, निजी क्षेत्र है उसी के साथ सहकारिता को भी मान्यता दी है। हमें इस बात की प्रसन्नता है कि राजस्थान में सहकारी संस्थाओं का एक जाल बिछ गया है। जो टारगेट्स निर्धारित किये थे यद्यपि प्रशासन द्वारा वहां तक पूर्ति नहीं की जा सकी लेकिन फिर भी जितनी सहकारी संस्थायें हमारे राज्य में बनी हैं उनकी संख्या आवश्यकता से भी अधिक है। जहां तक इस सहकारिता के माध्यम से जनता की आर्थिक स्थिति को सुधारना है वहां यह योजना स्वीकार की है। इसके साथ ही हमें यह ध्यान में रखना पड़ेगा योजना तो एक साधन है यह हमारा लक्ष्य नहीं है। इसके परिणामों की ओर भी देखना पड़ेगा। अगर हम सार्वजनिक क्षेत्र में कम परिश्रम से कम इनवेस्टमेंट के बाद अधिक प्रोफिट कमाने में सफलता प्राप्त कर सकते हैं तो हमें इसको भी साथ में रख कर चलना होगा अगर हम निजी क्षेत्र में थोड़े इन्वेस्टमेंट और थोड़े परिश्रम से प्रगति कर सकते हैं तो हमें इसे भी स्वीकार करना पड़ेगा, इसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। सहकारिता का जो लक्ष्य है उसमें अगर किसी प्रकार की कठिनाइयां आती हैं उनको दूर कर सकते हैं लेकिन सहकारिता के माध्यम से सरकारी धन का दुरुपयोग होता है तो वह सहकारिता अधिक दिन तक नहीं चल सकती।

आज जो राजस्थान में सहकारी समितियों की संख्या है उनके काम के बारे में

(श्री राधाकृष्ण गोयल)

जो ग्राडिट रिपोर्ट्स हैं उन पर ध्यान दिया जाय तो हम भय से क्षुब्ध हो जाते हैं हमें देखकर दुख होता है। कारण यह भी हो सकता है कि सहकारी आन्दोलन हमारे यहां कुछ ही वर्षों में आरम्भ हुआ है नया नेतृत्व आया है और ऐसे आदमी आये हैं जिनको आर्थिक हालत को ऊंचा उठाने के लिये छोटे और बड़े काम भी करने पड़े हैं। यह हाल कुछ सालों तक ही रहता और बाद में इसको दबा दिया जाता तो भी विश्वास हो सकता था लेकिन इनमें से ६० प्रतिशत सहकारी समितियां ऐसी हैं जिनमें किसी न किसी रूप में गबन मौजूद है। आरम्भ में ही यदि किसी संस्था की इस प्रकार की स्थिति बनती है तो वह प्रगति नहीं कर सकती, राज्य में प्रगति नहीं ला सकती, उनके ध्येय साधना में खड्डे खोददेते हैं ये खड्डे आगे चलकर कुए बन जाते हैं उससे हम यह आशा नहीं कर सकते कि वे अपने लक्ष्य पर पहुंच सकेंगे।

सभानेत्री महोदया, अगर गहराई में इस ओर निगाह डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक वर्ग सहकारिता को माध्यम बनाकर पैदा हो रहा है और इससे निजी आमदनी का जरिया बनाना चाहता है। सैकडों घोटाले जहां बड़े बड़े भी हैं वहां हजारों छोटे घोटाले भी हैं। यह जो प्रवृत्ति हो रही है उसे कानून के जरिये नहीं रोक सकते, न प्रशासन के जरिये ही रुक सकती है तो यह राजस्थान में भयंकर स्थिति पैदा कर सकती है।

आज देश के बजाय स्वार्थ को अधिक महत्व देने की प्रवृत्ति बन गई है। सभानेत्री महोदया, जब हमारे सामने को आपरेटिव बिल विचाराधीन था मुझे प्रसन्नता है कि उस समय सहकारी मन्त्री श्री माथुर साहब थे उन्होंने उस समय दृढतापूर्वक ये शब्द कहे थे कि हम सहकारी कानून को इस प्रकार बनाना चाहते हैं जिसमें कोई भी व्यक्ति कितना ही चालाक हो कितना ही होशियार हो इसमें चोरियां या गबन नहीं कर सकता। उन्होंने कोशिश तो की लेकिन गलियां रह ही गई मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि जिस बात पर चैक लगाने के लिये हमारे मन्त्री महोदय ने चेष्टा की उसमें सफलता उनको नहीं मिल पाई। इसका कारण यह है कि एक तो इस विभाग पर उनका कठोर अनुशासन नहीं रहा है। दूसरा कई संस्थायें ऐसी बन गई हैं जिनमें कुछ नेता लोग हैं जो सरकार को सरकार नहीं समझते। इसलिये उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होती।

मैं, माथुर साहब ने एक किताब वितरित की है उसमें उन्होंने कर्त्तव्य अनुशासन के बारे में बताया, वह पढ़ देना उचित समझता हूँ। आपने इस किताब में अपना उपदेश दिया है।

"अन्तरात्मा द्वारा अभिव्यक्त ईश्वरीय आदेशों का पालन ही कर्तव्य है, और अधिकार सम्पन्न अधिकारियों द्वारा जारी किए मानव आदेशों को मानना ही अनुशासन है। इन दोनों कर्तव्य व अनुशासन का आधार एक ही है उच्चतर भलाई के लिये स्वार्थ का त्याग। जब तक कर्तव्य का पाठ भली भांति हृदयंगम नहीं होता, अनुशासन को पूर्णतया नहीं समझा जा सकता।"

माथुर साहब ने जो उपदेश सदन के माननीय सदस्यों को दिया है अगर वह

(श्री राधाकृष्ण गोयल)

उपदेश सहकारी विभाग के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों और अपने विभाग के अधिकारियों को देते....

श्री मथुरादास माथुर (योजना मन्त्री) : यह उनके लिये भी लागू है।

श्री राधाकृष्ण गोयल : उस विभाग का मन्त्री होने के नाते यह उपदेश उनको भी देते कि वे भी इस बात का ध्यान रखें, अगर इसका पालन होता तो मैं समझता हूँ ६० प्रतिशत कठिनाई है उसमें मुक्त हो जायेंगे। लेकिन मेरी यह धारणा बन गई है। यह उनके लिये भी हरकुलियन टास्क है उनके कोशिश करने के बावजूद भी वे नहीं कर पा रहे हैं।

आज सहकारी पद्धति में और सहकारी संस्थाओं में आरम्भ से ही बुराइयां घर कर गई हैं, और जिस तरफ यह निरन्तर बढ़ती जा रही है इससे मैं यह समझता हूँ कि यह हमारे समाज के लिये हमारे देश से लिये भयंकर घातक बन रही है। इस लिये इस सम्बन्ध में सबसे अधिक ध्यान देने की जो बात है वह यह है कि इन सहकारी संस्थाओं में भ्रष्टाचार, गबन आदि की जो शिकायतें आरही हैं उन पर तुरन्त यथा संभव शीघ्र से शीघ्र जाँच करवाई जाय और दोषी पाये जाने वाले को कठोर से कठोर दन्ड दिया जाय। उसमें यह नहीं देखें कि उसका टेलीफोन आ गया यह फलाँ का रिश्तेदार है यह हमारी पार्टी का सदस्य है। यही बातें हैं जो सहकारिता को डुबोवेगी। इससे हमारे ही प्रान्त पर नहीं, सारे हिन्दुस्तान पर कलंक आयगा।

सभानेत्री महोदया, इन सहकारी संस्थाओं से मेरा बहुत पुराना सम्बन्ध रहा है। मैं जिला सहकारी संघ का आठ वर्ष तक अध्यक्ष रहा हूँ, केन्द्रीय सहकारी बैंक का उपाध्यक्ष रहा हूँ और कई संस्थाओं का अध्यक्ष आदि भी हूँ। उस वक्त भी मैंने अनुभव किया था कि जिला सहकारी संघ एक निरर्थक और बेकार संस्था है यह बात एक बार जब यहां गवर्नमेन्ट होस्टल में मीटिंग हुई मैंने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा भी था कि जो इन्सपेक्टर उसमें रहते है वे मेरी कोशिशों के बावजूद भी कोई काम नहीं करते हैं, इधर उधर चले जाते हैं, झूठा यात्रा व्यय बताते हैं। दो-चार बार पकड़े भी गये लेकिन उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी। इसके अलावा जितने भी इन्स्ट्रक्टर के नाम से जितना व्यय होता है वह एक प्रकार से कुए में डाला जाता है, उसका कोई उपयोग नहीं है।

सब सिडी देने की प्रथा इस सहकारी विभाग में कार्यकर्ताओं को दूषित बनाती है। उन लोगों का ध्यान इस ओर नहीं जाता कि सहकारिता की किस प्रकार प्रगति हो उनका ध्यान केवल यह रहता है कि किस प्रकार से सब्सिडि प्राप्त की जाय। वे यह देखते हैं कि यह संस्था बनने से इतनी सब्सिडी मिल जायगी, इतनी जमीन का अलोटमेन्ट हो जायगा तो इतनी सहायता मिल जायगी केवल इस प्रकार का फायदा उठाने के लिये ही ये संस्थायें बनती हैं। वह सबसिडी और फायदा उठाने के बाद ये संस्थायें बंद हो जाती हैं। यदि आप चाहें तो इस प्रकार की कई मिसालें मैं आपको दे सकता हूँ।

(श्री राधाकृष्ण गोयल)

दो शब्द में मार्केटिंग सोसाइटी के संबंध में भी कहना चाहूँगा। टोंक जिले में कई मार्केटिंग सोसाइटीज हैं। सब से पहले मैं निवाई क्रय विक्रय संघ की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करुंगा। इस संबंध में मैंने एक याचिका, याचिका समिति के सामने उपस्थित की। उस समिति ने जो प्रतिवेदन इस सदन के समक्ष प्रस्तुत किया है उसको पढ़ लिया जाय। उससे आपको पता चल जायगा कि सहकारी मंत्री को सहकारी विभाग को और सहकारी संस्थाओं की क्या हालत है। लेकिन दुख यह है कि राज्यसरकार ने उस पर ध्यान नहीं दिया। यह एक ही पन्ने की है।

(४ म.प.)

श्रीमती सभानेत्री : १२ मिनिट हो चुके हैं। पूरा पन्ना नहीं पढ़ सकते।

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : आप कोआपरेटिव बैंक में आजकल नहीं हैं क्या ?

श्री राधाकृष्ण (गोयल) : कोआपरेटिव बैंक से निजी सदस्य, कानून बनने के बाद से अलग हो गये हैं।

श्री मोतीलाल चौधरी : यों कहिये न तो फिर।

श्री राधाकृष्ण गोयल : मैं वाइस प्रेसीडेन्ट रहा हूँ और जब से बैंक बना है तब से रहा हूं।

यह याचिका श्री राधाकृष्ण गोयल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक २८-८-६४ को राजस्थान विधान सभा में प्रस्तुत की गई।

इसके बाद मुद्दे जो उठाये गये है उनका जिक्र है। और जो जांच कराई गई उसका उल्लेख है जिसमें लिखा है कि इस जांच रिपोर्ट से निम्न बातें विशेष तौर से सिद्ध हैं।

(१) सहकारी समिति द्वारा प्राप्त २५ हजार रुपये के ऋण व अनुदान जिस कार्य के लिए दिये गए थे उसके बजाय अन्य कार्य में खर्च कर दिये।

(२) उप नियमों की अवहेलना करके सदस्य संचालक मंडल के सदस्य बने हुये हैं।

(३) सहकारी समिति के सदस्यों में सहकारी समिति की रकम बकाया है।

(४) सहकारी समिति के हिसाब में जो कमियां आडिट द्वारा इंगित की गई हैं उनका निराकरण नहीं किया गया है।

(५) ऐसे व्यक्ति जो इस समिति के लिये नियमानुसार योग्य नहीं हैं वे इसके संचालक मंडल के सदस्य बने हुए हैं।

(६) सहकारी समिति की प्रबन्धकारिणी नियमानुसार ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर रही है।

इसके बाद उन्होंने सरकार को यह गाइडेन्स दी कि इस सहकारी समिति के संबंध में जो अनेक आरोप जांच रिपोर्ट से साबित हैं उनके बाबत शीघ्रातिशीघ्र कार्यवाही की जाएगी।"

इसी तरह मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूँ। टोंक जिले में जिसके लिए

(श्री राधाकृष्ण गोयल)

आभारी हूँ कि उन्होंने याद दिलाया, केन्द्रीय सहकारी बैंक में अभी चुनाव हुये और विना कोरम विना अध्यक्ष उपाध्यक्ष की उपस्थिति के ही कुछ व्यक्तियों ने कुछ रिजोल्यूशन पास कर लिये । जो शख्स चुनाव के लिये खड़ा हुआ वह किसी सहकारी समिति का सदस्य नहीं था और न सदस्य बन सकता था। तो ऐसी स्थिति में जब शिकायत सरकार को और डाइरेक्टर को की गई तो दो वर्ष से उसे लालफीताशाही में डाल रक्खा है। पता नहीं कैसे यह मशीनरी काम करती है।

फिर भी नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य तथा और भी सदस्य कहते हैं कि सहकारी समितियों में अच्छा काम होता है।

मैं तो कुछ मिसालें आपको देता हूँ।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

टोंक जिले के लिए अर्ज कर दूं । २० लाख से ज्यादा की ऐसी रकम है जो लोगों में डूब चुकी है। अगर सारे राजस्थान की राशि को देखा जावे तो वह करोड़ से ज्यादा तक होगी जो बैड डेट हो चुका है । जो वसूल नहीं हो सकेगा । और ताज्जुब की बात यह है कि यह सारी राशि ऐसे व्यक्तियों में मिलेगी जो या तो किसी प्रतिभाशाली और प्रभावशाली व्यक्ति के रिश्तेदार होंगे या जो स्वयं किसी प्रभाव को लिये हुए होंगे।

श्री **मोतीलाल चौधरी** : आप जब बेंक में थे तो ऐसा ही लेनदेन किया था क्या ?

श्री **राधाकृष्ण गोयल** : जब तक मैं बेंक में था तो ७।। सौ रुपये थे बैड डेट के । आज वह २ लाख से ज्यादा है। यह आपके लिए शर्म की बात है।

श्री **मोतीलाल चौधरी** : अब ऋण और अनुदान का रुपया भी तो बढ़ा है।

श्री **राधाकृष्ण गोयल** : आपने ऐसे लोगों को दिया जो रिक्शा खरीद रहे हैं उस पैसे से । ८ हजार रुपया इसके लिए दिया गया और वह इसलिए कि वह मुफ्त में सिनेमा दिखा देते हैं । ऐसों को दिया जिन्होंने शादी विवाह और न्यौते में खर्च कर दिया। ये सहकारी समितियां कृषि के उत्पादन के लिए पैसा देने के लिये बनी हैं सांसारिक आमोद-प्रमोद के लिए देने के लिए नहीं बनीं ।

श्रीमती समानेत्री : श्रीहरलाल ।

श्री **हरलाल मीणा** (प्रतापगढ़) : सभापति महोदय, सहकारी आंदोलन से काफी लोगों की आर्थिक हालत सुधरी है। इसमें शक नहीं । पर जिन सही लोगों को प्रोत्साहन मिलना चाहिये, उनको नहीं मिला । इसमें कुछ अनियमितताएं भी बरती जाती हैं ।

जिला चित्तौड़गढ़ तहसील प्रतापगढ़ में ग्राम गादोला के बगदीराम ने ८ हजार रुपयों का गबन किया । सोसाइटी के सदस्यों से पैसा वसूल करके सरकारी रकम का गबन कर गया ।

ग्राम सेवा सहकारी समिति गादोला तहसील प्रतापगढ़ में आठ हजार का गबन हुआ और साबित हो गया। परन्तु पर

(श्री हरलाल मीणा)

विभाग ने कोई कार्यवाही नहीं की। पुलिस में भी केस दिया गया परन्तु उसके खिलाफ आज तक कोई कार्यवाही नहीं की। जिन लोगों को सही माने में पैसा मिलना चाहिये, नहीं मिल रहा है।

दूसरा निवेदन यह है कि प्रतापगढ़ में करीब ४०० लोगों की सोसाइटी बनाकर एक एक शुगर फैक्टरी लगाई गई, इसमें एक लाख रुपया लग चुका है और इसका काम पूरा हो चुका है। लेकिन उसको अभी तक बिजली नहीं मिली। माननीय मन्त्री महोदय भी देख कर आये हैं। इसलिये इसको बिजली दी जावे ताकि उसका काम चालू हो सके। इन शब्दों के साथ में अपना स्थान ग्रहण करता हूँ।

श्रीमती सभापति : श्री श्रवणलाल।

(४.०७ म. प.)

(राव श्री नारायणसिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री श्रवणलाल (हिन्डोन–सु०) : उपाध्यक्ष महोदय, आज सहकारिता पर वाद विवाद चल रहा है इसमें मेरे भी कई कटौती प्रस्ताव थे।

सहकारिता विभाग में जो भी खामियां थीं जहां जहां उसे नुकसान उठाना पड़ा, करना पड़ा। उस सबका व्यौरा जनलेखा समिति ने अपनी रिपोर्ट में दिया है।

इनमें गोदाम के लिये कइयों को पैसा दिया गया। ६४-६५ में ६३.६२ लाख की सहायता दी। पर १६ समितियां ऐसी थीं जो गोदाम का निर्माण शुरू ही नहीं कर पाई और अभी तक पता नहीं बना पाई हैं या नहीं।

कुछ ५८ समितियां ऐसी थीं जिनमें ११.३० लाख रुपया अभी तक नियोजित नहीं किया गया।

आज तो जनता का पैसा किसी तरह से सहकारी समितियां बना कर हड़पा जाय, यह लक्ष्य हो गया है।

कृषि सहकारी समितियां बनीं, ६१।६२ में ६ करोड़ ६३ लाख रुपया दिया गया जिसमें से केवल १.२३ लाख का उपयोग किया गया। बाकी का पता नहीं।

इसके साथ साथ जितनी भी इस तरह की समितियां बनीं उनके लिए स्वयं सरकार द्वारा निर्मित कमेटी ने यह कहा है कि जितनी भी सहकारी समितियां सरकार की तरफ से चल रही हैं वे सबकी सब घाटे में चल रही हैं। इसका मतलब यह है कि जो समिति बनाई जाती है वह पैसा लेने के लिये या ठेकेदारी धन्धे की सहायता या अनुदान के लिए बनाई जाती है। सहकारी विभाग इस स्थिति की तरफ कोई ध्यान नहीं देता है। तो उपाध्यक्ष महोदय, आज किसी प्रकार को कोई रकम सरकार की लेकर हजम करने का तरीका है तो चाहे जिसके नाम से, अपने कुटुम्ब के सभी आदमियों के नाम से एक समिति का निर्माण कर लेते हैं। जैसा कि मैं अभी आपको उदाहरण दूं कि मेरे यहां तेलघानी उद्योग सहकारी समिति सुरोट में बनाई। उस सोसाइटी का कोई पता नहीं, कहां वह तेली हैं, कौन तेल पेलने वाला है, कौन मंत्री है और कौन क्या है किसी का

(श्री श्रवणलाल)

पता नहीं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी कुछ दिन वहां गया तो मैंने देखा कि वहां कहीं सोसाइटी का नामोनिशान नहीं है। तो आज यह नियम बन गया है कि किस तरह से जनता का खून-पसीने का पैसा जी कि टैक्स के रूप में सरकार को दिया जाता है उसको कैसे हड़पना चाहिए। आज लाखों की बकाया हमारी सरकार की है जो वह वसूल नहीं कर पाती है। हमारी सरकार उनसे लेने के लिए कोई कठोर कदम नहीं उठा पाती है। क्योंकि समय आ जाता है। अगर आज सख्ती बरतें तो वोटों का समय नजदीक आ जाता है।....

(समय-समाप्ती-सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : आपका एक ही तो कटौती प्रस्ताव है।

श्री श्रवण लाल : दो हैं।

श्री उपाध्यक्ष : Please wind up in one minute.

श्री श्रवण लाल : उपाध्यक्ष महोदय, इसी के साथ साथ यहां भी एक भूमिबंधक बैंक के नाम से करीब ४ हजार आदमियों की एक सोसाइटी बनी और ४ हजार व्यक्तियों ने अपने शेयर जिसके अन्दर ४ लाख के दिये। उपाध्यक्ष महोदय, उस समिति के लिए १८ महीने तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया गया। बड़े शर्म की बात है जब कि २-३ महीने के अन्दर इस समिति का रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए था लेकिन १८ महीने तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया और रजिस्ट्रेशन भी अगर उसका हो गया तो आज तक उसको जो राजस्थान केन्द्रीय भूमि बंधक सहकारी समितियां हैं उसका सदस्य नहीं बनाया जा रहा है और इसके पीछे भी राज है कि उस को उसका सदस्य क्यों नहीं बनाया जा रहा है। एक दूसरी सहकारी समिति जिसके अन्दर केवल २०० सदस्य हैं और जो जिला लेवल पर है, सवाई माधोपुर के अन्दर चल रही है उसको मुख्य रूप से बनाकर हैड क्वार्टर वहां पर बनाया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय, जिस समिति का राजस्थान के अन्दर पहला नमूना है कि ४ हजार जिसके सदस्य हैं और ४ लाख रुपया जिसका शेयर इकट्ठा किया हुआ है और वे बेचारे किसान जो इस कर्ज के लिए ताक लगाये देखते रहे तो इस प्रकार की, उपाध्यक्ष महोदय, जो हमारी सरकार की नीति चली आ रही है वह नहीं होनी चाहिए। किसानों को अधिक से अधिक कर्जा मिले, इसलिए उस सोसाइटी

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

को भी राजस्थान केन्द्रीय सहकारी बैंक का सदस्य बनाना चाहिए जिससे वहां के किसानों को जल्दी से जल्दी राहत मिले।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

और वे औजारों के लिए कर्जा लेकर अपना काम चला सकें।

श्री उपाध्यक्ष : (अनेक माननीय सदस्य बोलने के लिए खड़े हुए) अब दोनों पक्ष की ओर से जैसी राय आई उसके मुताबिक ४।

(श्री उपाध्यक्ष)

बजे सरकारी जवाब के लिए निश्चय हो चुका है। इसलिए मैं समझता हूं कि अब सरकार की ओर से जवाब दे दिया जाये।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : उपाध्यक्ष महोदय, कम से कम ५ मिनट का समय तो दिया जावे।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे तो एक-दो सवाल पूछने हैं, इसलिए उनको रखने का मौका दिया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : इस प्रकार का निश्चय पहले कर लिया गया था।

श्री मानसिंह महार : उपाध्यक्ष महोदय, बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है।

श्री उपाध्यक्ष : सदैव ही आपको मौका मिलता है।

श्री गिरधारी लाल व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, यह समय ५ बजे तक बढ़ा दिया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : I shall have to give time to them also.

श्री मानसिंह महार : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूं कि यह मुख बन्ध की नीति अच्छी नहीं है। यह तो बहुत महत्वपूर्ण मसला है मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा और सिर्फ एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ...

श्री उपाध्यक्ष : अच्छा क्वेश्चन पूछ लें।

श्री गिरधारीलाल व्यास : फिर तो हमें भी प्रश्न पूछने का मौका दिया जाना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : हां, आप (श्री मानसिंह महार) प्रश्न पूछलें। लेकिन अधिक समय न लें।

श्री मानसिंह महार : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इन विभाग के बारे में बहुत कुछ कहना था लेकिन मैं कुछ नहीं कहूँगा। मैं आपसे निवेदन करूं कि मुझे एक बात पूछनी है। इस सदन के अन्दर कुछ समय पूर्व मैंने क्रय विक्रय संघ के बारे में एक प्रस्ताव रखा जिसके ऊपर राजस्थान के मुख्य मंत्री महोदय ने यह कहा कि यह केस विजिलेन्स कमीशन को रेफर किया जाता है। यह दुर्भाग्य का विषय है कि आज तक विजिलेन्स कमीशन न जाने क्या कर रहा है और क्रय-विक्रय संघ की कोई रिपोर्ट आज दिन तक नहीं आई........

श्री मथुरादास माथुर : यह लीडर ऑफ दि अपोजीशन ने सवाल पहले ही रख दिया था।

श्री मानसिंह महार : दूसरा प्रश्न यह है कि इसी क्रय-विक्रय संघ की ६ वर्ष की आडिट रिपोर्ट और आबजेक्शन आये हैं। उध ऑडिट ऑबजेक्शन्स के बारे में आज तक कुछ नहीं हुआ क्योंकि क्रय-विक्रय संघ उन ऑडिट ऑबजेक्शन्स के बारे में परवाह नहीं करता है और उसके बावजूद आप उसको हर प्रकार की सहायता करते हैं। यह कहां तक न्यायोचित है ? आपने कहा कि रिपोर्ट रखी है मैं कहता हूं कि नहीं रखी है। फिर भी मंत्री जी.......

Page No. 120

उपाध्यक्ष : अब आप तीसरा सवाल जल्दी ही पूछ लें ।

श्री मानसिंह महार : मेरा तीसरा सवाल इस विभाग के बारे में यह है कि जो हमने इस सदन में क्रय विक्रय संघ के बारे में कई बातें कहीं थीं गुड़ के घोटाले की बात कही थी, हमने इस सदन में गुड़ घोटाले का मसला ही नहीं बल्कि जो रेल्वे वेगन के बारे मे रिश्वत देने की बात थी उसको भी कहा था । उस बारे में आज दिन तक इतना समय निकल जाने के बाद भी इस सरकार ने इस सदन में कहने से इन्कार कर दिया और कहने से इन्कार करने के बाद भी क्या हुआ कि जिस क्रय विक्रय संघ के अध्यक्ष के विरुद्ध हमने ऐसे सीरियस चार्जेज लगाये उनको दबाया ही नहीं गया लेकिन उन चार्जेज के बारे में सरकार ने जवाब नहीं दिया, सरकार मौन रही और उन आदमियों ने जिनके खिलाफ हमने ऐसे सीरियस चार्जेज लगाये उनको यहां रेवेन्यू मिनिस्टर बनाकर बैठा दिया । इसके लिए मैं मंत्री महोदय से पूछूंगा कि क्या यह सच है कि रेल्वे वेगन के बारे में १०,२० हजार रुपये की रिश्वत देने की बात क्या आपके भाई मंत्री की मौजूदगी में हुई या नही ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं अपने क्वेश्चन को कह दूं ।

श्री उपाध्यक्ष : वह तो फिर भाषण हो गया ।

श्री मानसिंह महार : मैं मंत्री जी से एक ही बात पूछना चाहता हूँ कि क्या रेलवे को जो रिश्वत देने की बात थी यह सही है । अगर सही नहीं है तो आपको प्रासीडिंग्स अगर गलत हों तो उस क्रय विक्रय संघ में हमारा कैसे विश्वास हो सकता है जिसकी प्रासीडिंग्स में कोई बात आये और जिसके लिए आप बिश्नोई को इन्क्वायरी कराने के लिए बैठाये और बिश्नोई कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद भी आप चुप हो जायें । यही नहीं ६ आदमी गिरफ्तार किए गये उस क्रय विक्रय संघ के घोटाले के सिलसिले में उस केस का चालान हुआ या नहीं, अगर चालान हुआ तो वह आज क्या स्थिति में है यह सब बातें खुलासा मंत्री महोदय कहें ।

श्री गिरधारीलाल व्यास : मैं भी एक दो प्रश्न पूछना चाहता हूँ । एक तो यह पूछना चाहता हूं.......

श्री उपाध्यक्ष : Within a mihute please,

श्री गिरधारीलाल व्यास : २ मिनट । एक मिनट में एक बात और दूसरे मिनट में दूसरी बात ।

प्रश्न यह है कि पंचायत समिति हुडा के अन्दर ग्राम सहकारी समिति रामपुरा है वहां के मंत्री श्री अमृतलाल जैन ने वहां से २० हजार रुपये ऋण में प्राप्त किये और वह वहां के सदस्यों में न बांटकर उसने उनका मिस-एप्रोप्रियेशन कर लिया और अपने काम में ले लिये । जिसके लिए मैंने स्वयं ने डिप्टी मिनिस्टर साहब को दरख्वास्त दी लेकिन उसके सम्बन्ध में अब तक कार्यवाही नहीं हुई । एक तो इसके संबंध में जवाब दें ।

दूसरा प्रश्न यह है कि जैसे कि लेबर डिपार्टमेंट को राजस्थान सरकार ने लावरिश

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

बना रखा है उसी प्रकार से इस कोग्रॉपरेटिव डिपार्टमेंट को भी लावारिश बना रखा है। क्योंकि इसके हैड ग्राफ दी डिपार्टमेन्ट जिसको रजिस्ट्रार कहते हैं उनकी दो ड्यूटीज़ हैं एक तो शीप एण्ड वूल की और दूसरे रजिस्ट्रार कोग्रॉपरेटिव सोसाइटीज़ की ।

श्री उपाध्यक्ष : ग्रब ग्राप ज्यादा लम्बा नहीं करें।

श्री गिरधारीलाल व्यास : इसलिए क्या सरकार ग्रलग से इसके लिए हैड ग्राफ दी डिपार्टमेंट बनाने की कृपा करेगी ताकि इसकी व्यवस्था ठीक तरह से चल सके।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय जवाब दें।

श्री मथुरादास माथुर (सहकारिता मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने जो सहकारिता पर .. ....

एक माननीय सदस्य : मेरा कटौती प्रस्ताव है....

श्री उपाध्यक्ष : ग्राप स्थान ग्रहण करें।

श्री मथुरादास माथुर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सहकारिता की मांग को लेकर माननीय सदस्यों ने जो कटोती के प्रस्ताव रखे हैं ग्रौर उसमें जो उन्होंने खास तौर से राज्य सरकार का ध्यान किसी सहकारी समिति, प्राथमिक सहकारी समिति या दीगर सहकारी समितियों के ग्रन्दर कोई घोटाले हैं या ग्रौर दूसरी तरह की शिकायतें हैं तो उनके बारे में सभी माननीय सदस्यों ने जो कटमोशन्स रखे हैं में उन सब माननीय सदस्यों को, क्योंकि करीब ६५-७० कटमोशन्स ग्राये हैं उसमें कुछ ऐसे कटमोशन्स भी थे जो ग्राम सहकारी समितियों के कार्यों पर प्रकाश डालते थे, उन सभी माननीय सदस्यों को मैं विश्वास दिलाता हूँ कि जो इस वक्त कटौती प्रस्ताव रखे गये हैं ग्रौर जिन्होंने कटौती प्रस्ताव तो रखे लेकिन सदन में बोल नहीं सके हैं, उन सभी को मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मैं उन्हें लिखित रूप में जवाब दे दूंगा जिससे उनको संतोष हो जाएगा क्योंकि इस सदन में एक एक प्राथमिक समिति के बारे में कहना मेरे लिए मुश्किल हो जायगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सहकारी ग्रान्दोलन राजस्थान के ग्रन्दर जिस दौर से गुज़ारा है उस दौर से हम ग्रगर दूसरी जो हमारी रियासतें हैं देश के ग्रन्दर; गुजरात ग्रौर महाराष्ट्र उनसे मुकाबला करें तो मुमकिन है कि ग्रांकड़ों को देख कर हमें ऐसा ग्रनुभव होने लगे कि हम लोग जिस दर्जे पर वे पहुँच चुके हैं हम नहीं पहुँच पाए हैं, लेकिन हमारा सहकारी ग्रान्दोलन ग्रभी शिशु ग्रवस्था में है। ग्रौर ग्रगर मैं यों कहूँ कि राजस्थान बनने के बाद में ही सहकारी ग्रान्दोलन में ग्रौर खास तौर से ५०-५१ के बाद में ही यहां के सहकारी ग्रान्दोलन का श्री गणेश हुग्रा है। ऐसी स्थिति में जो क्रेडिट के ग्रांकड़े, खास तौर से गुजरात के ग्रांकड़े हमको पढ़ने को मिलेंगे वे हमारे यहां नहीं मिल सकते। लेकिन इन तीन विकास योजनाग्रों के ग्रन्दर ग्रौर पिछले

(श्री मथुरादास माथुर)

पांच सात बर्षो में हमने जहां तक प्रगति की है, कितने परसेंट तरक्की हुई है तो यही मौका होता है जब कि उस सारी स्थिति को मंत्री अपने सदन के सामने रखता है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो दूसरी पंचशाला योजना के अन्त तक सहकारी आन्दोलन की स्थिति थी और अब तीसरी पंचसाला योजना खत्म होने जा रही है और उस वक्त क्या स्थिति है, उसके कुछ बड़े २ मुद्दे मैं सदन के माननीय सदस्यों के सामने रखने की कोशिश करूंगा जिससे यह सिद्ध हो सकेगा कि सहकारी आन्दोलन हर सीगे में प्रगति कर रहा है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां पर संस्थाओं का कुल नम्बर जब कि दूसरी पंचशाला योजना खत्म हुई थी उस वक्त हमारे यहां १८,३०६ सहकारी संस्थायें थीं और अब तीसरी पंचसाला योजना खत्म होने जा रही है, तब हमारे पास में इस वक्त २२,५३८ संस्थायें सहकारी सीगे में अब तक बनी हैं। और भी ज्यादा बन सकती थीं लेकिन जो हमने नए कानून के जरिए राज्य सरकार ने यह नीति रखी कि एक पंचायत के अन्दर एक सहकारी समिति, एक स्कूल और एक पंचायत रहे। और जो इसके संबंध में नेशनल डेवलपमेंट कौंसिल का प्रस्ताव था उसके अन्दर भी यही बात थी और राजस्थान ने भी अपनी यही नीति रखी थीं कि एक पंचायत के अन्दर एक ही सहकारी समिति बने और जहां का इलाका रेगिस्थानी है, जहां जल्दी से पहुँच नहीं सके, आवागमन के साधन पूरे नहीं हों तो वहां पर ज्यादा बनाई जायं। इसी एमलगेमेशन ऑफ सोसाइटीज एण्ड री-कॉस्टीट्यूशन ऑफ सोसायटी के अन्दर हमारा काम शुरू हुआ और इसीलिए जो नई संस्थायें बन सकती थीं उनको रोका गया। इसके बावजूद भी अट्ठारह हजार से २२,५३८ सोसायटीज बन गई हैं। सहकारी आन्दोलन के अन्दर केवल सोसाइटीज को देखने से ही सहकारी आन्दोलन की प्रतिभा नहीं बन सकती और इसीलिए आप को यह भी देखना होगा कि इसके सदस्यों की क्या स्थिति है। दूसरी पंच साला योजना के अन्त तक जहां ६.६८ लेक्स सदस्य थे वहां अब १३.८६ लाख सदस्य हैं। इस तरह चार लाख से भी अधिक सदस्य इस पंचवर्षीय योजना के अन्दर सहकारी आन्दोलन में नए तौर से आए हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सिर्फ सदस्यों की संख्या बताने से ही इस सहकारी आन्दोलन की प्रतिभा बनती हो, ऐसी बात नहीं है। मगर इसमें हिस्सा पूंजी, वर्किंग कैपीटल की बढ़ोत्तरी हुई उसको देखने से हम सहकारिता....

श्री श्रवणलाल : इसमें बोगस कितनी है ?

श्री मथुरादास माथुर : मैं अभी उस पर भी आता हूं, वे भी आपको बता देता हूं। वे बोगस नहीं हैं बल्कि यों कहिए कि सक्रिय नहीं हैं, जो काम नहीं कर रही हैं उनका नम्बर बता दूंगा।

तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि जो नौ लाख सदस्य थे उनकी जगह अब १३.८६ लाख सदस्य बन गये हैं और उसके बाद में वर्किंग कैपिटल पर मैं आता हूं।

(श्री मथुरादास माथुर)

वर्किंग कैपिटल जो दूसरी योजना के अन्त तक ३२५०.८६ लाख थी वह अब ४८२६.७० लाख हो गई है इससे पता चल सकेगा कि कितनी हिस्सा पूंजी बढ़ी हैं। जहां तक शेयर कैपिटल का सम्बन्ध है उसके अन्दर भी दूसरी योजना के अन्त तक जो ६२०.४८ लाख थी, उससे बढ़ कर अब ६६६.२१ लाख है इसका मतलब है कि ६२० लाख से ६६६ लाख की हिस्सा पूंजी हो गई है। इसके अन्दर कोई दो राय नहीं हो सकती कि इन सारी संस्थाओं में कुछ लिक्वीडेशन में आती हैं, कुछ संस्थायें सक्रिय नहीं है। मगर इन संस्थाओं के बावजूद में मान सकता हूं कि जो हिस्सा पूंजी के अन्दर...

श्री जोधसिंह चौहान (गिरवां) : इसके नम्बर बताइए।

श्रीमथुरादास माथुर : नम्बर मैं दे चुका हूं, आपने सुने नहीं। मैं आपको बहुत तसल्ली बता रहा हूं, फिर बता देता हूँ कि हिस्सा पूंजी के अन्दर ६२०.४८ लाख से बढ़ के ६६६.२१ लाख की वढ़ोतरी हुई है, यह इस बात का सबूत है कि लोगों की आस्था सहकारी आन्दोलन के अन्दर बढ़ती जा रही है। जब सदस्य बढ़ रहे हैं, ज्यादा हिस्सा पूंजी बढ़ रही है और जब हिस्सा पूंजी बढ़ती जा रही हैं जिसके फिगर और आंकड़े अभी मैंने आपके सामने रखे....

श्री मानसिंह महार : आप कुछ मिसअण्डरस्टैंडिंग में है। जो आपकी सहकारी समितियां बढ़ रही हैं उनमें पूंजी आकर्षित नहीं हो रही है लेकिन पूंजी सदस्यों को आकर्षित करती है। जो लोन वगैरा आप दे रहे हैं वास्तव में यह सदस्यों को बढ़ा रहा है।

श्री मथुरादास माथुर : आप मेरी बात को सुनिए, मैं आपकी सभी बातों का जवाब दूंगा। आपने अपने विचारों को व्यक्त कर दिया है अब आप मेरी बात को सुनिए।

माननीय उपाध्यक्षजी, जो शेयर कैपिटल में बढ़ोतरी हुई है और जो ६२०.४८ से ६६६.२१ लाख हो गई है तो यही इस बात का सबूत है कि लोग इस आन्दोलन के अन्दर अपने फायदे के साथ में आ रहे हैं, इसको इन्कार नहीं किया जा सकता। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिनके दिमाग में पहले से जो बातें भरी हुई हैं और जो तैयार नहीं है आंकड़ों को देखने के बाद भी इस बात को मानने के लिए, उनको तो मैं कन्वीस करा नहीं सकता मगर यह साफ है कि शेयर कैपिटल की बढ़ोतरी हुई है और जो सहकारी आन्दोलन का ताल्लुक है........

श्री मानसिंह महार : इसके मुकाबले में आपने लोन कितना ज्यादा दिया है वह भी तो बता दीजिये।

श्री मथुरादास माथुर : वह भी मैं आपको कहूँगा। लोन जितना दिया गया है वह भी बताऊंगा, आप जरा सब्र रखिए।

श्री राधाकृष्ण गोयल : आप तो यह बताइये कि पूंजी को लोन ने ज्यादा आकर्षित किया है........

श्री मथुरादास माथुर : आपने अपनी बात कह दी है, अपने सुझाव दे दिए हैं।

(श्री मथुरादास माथुर)

उनको मैंने नोट भी कर लिया है, अब मैं अपनी बात कह रहा हूँ उसको आप सुन लीजिए ।

श्री मानसिंह महार : हमें आपको सुनने में कोई एतराज नहीं है । सवाल यह है कि हम तो पांच पांच मिनट बोले हैं और थोड़े में अपनी बातें कही हैं जब कि आप घण्टे डेढ घण्टे तक अपना विवेचन करेंगे तो जो बीच बीच में प्रश्न पूछें उनका भी जवाब देते जाइये, महरबानी करके ।

श्री मथुरादास माथुर : मैं आपको बराबर जवाब दूंगा लेकिन....

श्री मानसिंह महार : जवाब बराबर देते जायेंगे तो हमें कोई एतराज नहीं है, आप कल तक बोलिए, हम सुनने को तैयार हैं ।

श्री मथुरादास माथुर : मैं निवेदन कर रहा था उपाध्यक्ष महोदय, कि सहकारी आन्दोलन के अन्दर, वर्किंग कैपिटल के अन्दर और शेयर कैपिटल के अन्दर बराबर बढ़ोत्तरी हो रही है और जो हमारी सहकारी समितियां हैं चाहे वह प्राईमरी आर्गेनाइजेशन हो, चाहे वह डिस्ट्रिक्ट आर्गेनाइजेशन हो, लोगों की डिपोजिट करवाने के अन्दर, बैंकिंग के अन्दर लोगों की आस्था बढ़ रही है और उनमें इस सहकारिता आन्दोलन का विकास होता जा रहा है । दूसरी पंच शाला योजना के अन्त तक जहां ४४२.७६ लाख का डिपोजिट था वहां तीसरी पंचशाला योजना के अन्त में ७७१.८४ लाख का डिपोजिट होगा, इससे भी यह बनता है कि यह आन्दोलन आगे बढ़ रहा है ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो हमारे सहकारी आन्दोलन का विकास कार्य है उसमें लोन की बात आती है । इसके अन्तर्गत यह हमारा तीसरी योजना का लक्ष्य था कि ६६ प्रतिशत नहीं तो ६५ प्रतिशत विलेजेज़ को हम इसके नीचे कर लें । इसमें जो सैकिंड प्लान में ५६ प्रतिशत विलेजेज़ में पहुंच चुके हैं तो वहां तीसरी योजना के अन्त तक ६० प्रतिशत विलेजेज़ में पहुंच जायेंगे । यह सब मैंने इसलिए आपके सामने रखा कि जिससे इस आन्दोलन के विकसित होने की रूपरेखा आपके दिमाग में बन सकें । अब जहां विकास हो रहा है तो वहां पर कुछ खराबियां भी साथ में होती हैं । जितना भी विकास होगा, प्रसार होगा किसी आन्दोलन का तो उसमें सब तरह की चीजें भी आयेंगी । तो दोनों तरह की चीजें उसमें आयेंगी और उन दोनों चीजों को देख कर ही यह अनुमान हो सकता है कि हम सही रूप में जा रहे हैं, जो हमारा विकास हुआ है वह सेंट पर्सेन्ट एडल्ट्रेटेड है या प्योरीफाई रहा है ।

मगर जो कुछ हुआ है विकास उसको आपके सामने और माननीय सदस्यों के सामने रखना अपना फर्ज समझता हूँ । इस लिए ये आकड़े मैंने आपके सामने रखे हैं ।

अब माननीन उपाध्यक्ष, जो सबसे बड़ा क्रेडिट आर्गेनाइजेशन है वह स्टेट एपेक्स बैंक हैं । उस स्टेट एपेक्स बैंक के बारे में मैं आपको थोड़ासा २-३ आंकड़ों से उसका आइडिया देता हूँ । स्टेट एपेक्स बैंक की वर्किंग केपिटल सेकण्ड प्लान के एन्ड तक थी वह ६७०.३८ लाख । वह बढ़कर ६४६.३७ लाख हो गई है । इसका मतलब यह हुआ है

(श्री मथुरादास माथुर)

कि इन्क्रीज हुई है ४१ पर्सेन्ट की । तो वर्किंग केपिटल एक प्लान पीरियड के अन्दर ४१ पर्सेन्ट हुई है तो वह इस बात का सबूत है और खास तौर से हमारे डीडवाने से आने वाले माननीय सदस्य को कहना चाहता हूं जो महाराष्ट्र के आंकड़े बहुत देते हैं । यह मैं मानता हूं कि महाराष्ट्र का आन्दोलन बहुत पुराना है, नम्बर एक, महाराष्ट्र का जो क्रोप पैटर्न है वह कामर्शियल क्रोप्स का है । वहां पर जितनी भी कोग्रोपरेटिव आन्दोलन में बैंकिंग की संस्थाएं हैं गुजरात, महाराष्ट्र और मद्रास में तो उनका बैंकिंग केडिट बहुत है, लोनिंग कैपेसिटी बहुत है । किसानों का जो क्रोप पैटर्न है वह कर्मशियल क्राप्स का है, जैसे गन्ना, तेल, तिलहन आदि का इस लिए वहां पर लोगों की माली हालत अच्छी है । उनका इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, उनकी पूंजी ज्यादा है, रिजर्व बैंक से उनको ज्यादा पैसा मिलता है, इस लिए क्रेडिट का डिस्ट्रिब्यूशन और फ्लो भी ज्यादा है । हमारे यहां का जो क्राप पैटर्न है वह फुड क्राप्स, मक्का, जौ, बाजरा आदि का है । वह ज्यादा पैदा करते हैं बमुकाबले गन्ने या ऐसी चीजों के जिससे किसानों की प्रोस्पेरिटी के अन्दर फर्क पड़ता है जिससे कि सेविंग्स ज्यादा होती है । कोमर्शियल क्रोप्स करते हैं तो ज्यादा इन्वेस्टमेंट बैंक में करते हैं । वहां पर यह पुराना आन्दोलन भी है । हमारी आबादी को देखते हुए, हमारे मूवमेंट की इन्फ्रेन्सी को देखते हुए, क्रोप पैटर्न को देखते हुए उसकी तुलना करनी पड़ेगी । तो मैं कह रहा था कि एपैक्स बैंक में ४१ पर्सेन्ट इन्क्रीज वर्किंग केपिटल में थर्ड प्लान के पीरियड में हुआ है ।

डिपोजिट्स ७७-३० लाख के थे वे बढ़कर १८२-३५ लाख हो गये, तो इसका मतलब १३६ पर्सेन्ट इन्क्रीज हुआ डिपोजिट्स का इन दिस प्लान पीरियड । उसके साथ ही साथ रिजर्व का कहता हूं कि वह स्टेट बैंक में ६.८१ लाख था वह बढ़ कर २३-६२ लाख हो गया है । इसका मतलब यह है कि २१४ पर्सेन्ट रिजर्व में इन्क्रीज हुआ है ।

लोनिंग के लिए एपेक्स बैंक लोन करता है, रिजर्व बैंक से लेकर

(श्री राधाकृष्ण गोयल के खड़े होने पर)

आप डिस्टर्ब करने की कोशिश न करें ।

श्री राधाकृष्ण गोयल : हमारा पोइन्ट यह है कि वह रिजर्व बैंक से सस्ते व्याज पर लोन लेता है और ज्यादा व्याज पर सेन्ट्रल बैंक्स को देता है ।

श्री मथुरादास माथुर : आप कोग्रॉपरेटिव के सिद्धान्त को कुछ समझ लेते तो यह प्रश्न नहीं उठता ।

मैंने ये आंकड़े बताये तो डिपोजिट का मतलब पब्लिक ने रुपया जमा कराया तो उसमें रिजर्व बैंक कहां से आता है । जनता का डिपोजिट है वह इन्क्रीज़ हुआ है जो सामने रखा है ।

श्री राधाकृष्ण गोयल : किस रेट से इन्टेरेस्ट चार्ज करते हैं ।

श्री मथुरादास माथुर : वह हिन्दुस्तान भर के कोग्रॉपरेटिव आर्गेनाइजेशन्स की रेट ऑफ इन्टेरेस्ट फिक्स्ड है । कोई आपके यहां

(श्री मथुरादास माथुर)

ज्यादा चार्ज नहीं करते हैं और महाराष्ट्र में कम चार्ज नहीं करते हैं।

श्री मानसिंह महार : कोई प्रश्न पूछा जाये तो उसका सही ढंग से जवाब दिया जाये। महाराष्ट्र में अगर लूट होती है तो राजस्थान में भी लूटेंगे क्या ? यह कोई जवाब हुआ ? आप जस्टीफाई करें कि इतना खर्चा हुआ और यह बात है।

श्री राधाकृष्ण गोयल : एपेक्स बैंक रिजर्व बैंक से कम रेट ऑफ इन्टेरेस्ट पर लोन लेता है और देता है कोआॅपरेटिव सेन्ट्रल बैंक्स को ज्यादा रेट पर तो वह बीच में कितना खाता है ?

श्री मथुरादास माथुर : अब लोनिंग के लिए मैं कहता हूँ कि हम लोग जो लोनिंग करते हैं, एपेक्स बैंक जो लोन देता है रिजर्व बैंक से लेकर वह सैकण्ड फाइव ईयर प्लान के एन्ड तक ६६.८६ था और अब ७४७.५८ लाख हो गया अब जो यह क्रेडिट कोआॅपरेटिव क्रेडिट के जरिये ८ करोड़ तक पहुँचा है वह भी कम है। अब, माननीय उपाध्यक्ष, क्रोप लोन का सिस्टम भी इन्ट्रोड्यूस किया गया है जो अकेला खरीफ के लिए होगा, उसमें हम उम्मीद रख कर चलते हैं कि १० करोड़ के ऊपर लोनिंग एग्रीकल्चर पर्पजेज के लिए दे पायेंगे। तो मैं यह निवेदन कर रहा था, लोनिंग संस्थाओं के बारे में जनरल बातें।

अब एपेक्स बैंक के बाद में मोर्गेज बैंक का नम्बर आता है जिसको अब हम डेवलपमेंट बैंक भी कहते हैं। उसकी ५२ ब्रान्चेज खोल दी गई हैं इस प्लान पीरियड के अन्दर और ८० लाख रुपया जिसको लोंग टर्म लोन कहते हैं, हमने डेवलपमेंट बैंक के जरिये से दिया है। मैं मानता हूँ कि पहले कई डिफिकल्टीज थीं। अब जो नया कानून बना है तो माननीय सदस्य जानते हैं कि जिसकी वजह से १३ साल के आंकड़े लाओ। एडवर्स पजेशन का प्रिन्सिपल सेट रखा था, अब नये कानून के जरिये से लोंग टर्म लोन आसानी से मिल सकता है। इसी वजह से ८० लाख के आंकड़े पर हम पहुंच पाये हैं।

माननीय उपाध्यक्ष, अब मैं सेन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक पर आता हूँ। उसकी टोटल पोजीशन रख रहा हूं। मैंने एपेक्स बैंक की पोजीशन रखी है, मोर्टगेज बैंक की पोजीशन रखी है। सेन्ट्रल बैंक की आज २५ और एक जैसलमेर की इस तरह से २६ ब्रान्चेज हैं। उसमें १४८-५१ लाख था जिससे बढ़ कर थर्ड प्लान के अन्दर २६८ लाख हो जायेगा। उसका वकिंग केपिटल १०४२-२० लाख से १४७६.३१ लाख हो जायेगा। जितने भी डिस्ट्रिक्ट और सेन्ट्रल बैंक हैं उनके डिपाजिट्स २७८.७३ लाख से ३६७.३२ लाख हो जायेंगे। उनका रिजर्व २०.६० लाख था उससे बढ़कर ३१.१४ लाख हो जायेगा इस लिए सभी बैंक्स जो है टोटल डिस्ट्रिक्ट और सेन्ट्रल बैंक कोआॅपरेटिव के हैं इनका काम दिन प्रति दिन तरक्की कर रहा है।

अब माननीय उपाध्यक्ष, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह बातें होते हुए भी मुझे खुद को संतोष नहीं है, क्योंकि अगर आप हमारे क्रेडिट स्ट्रक्चर को देखेंगे तो इन पांच वर्षों में यानी तृतीय पंच वर्षीय योजना

(श्री मथुरादास माथुर)

में इसका विकास हुआ है जिसके आंकड़े मैंने सदन के सामने रखे हैं। तीनों जो क्रेडिट स्ट्रक्चर हैं इनके बारे में मैंने आंकड़े रखें हैं, मगर फिर भी हमारा जो टोटल प्रोपोर्शन ऑफ लोन थ्रू कोआँपरेटिव्ज है वह टोटल किसान जो क्रेडिट लेता है, चाहे वह साहूकार के जरिये से ले, चाहे वह सरकार की तकावी के जरिये से ले, चाहे सहकारिता के माध्यम से ले, यह जो टोटल लोन है उसका सर्वे जो हुआ था उसके आधार पर हम लोगों ने निकाला है कि जो ६१-६२ के अन्दर टोटल क्रेडिट था वह सिर्फ हम ३-८ पर्सेन्ट करते थे। मैं सैकण्ड प्लान के एन्ड की बात कहना चाहता हूं कि करीब करीब ८ पर्सेन्ट सर्विस कर रहे हैं। तो आज के दिन सिर्फ ८ पर्सेन्ट कोऑपरेटिव क्रेडिट के जरिये सर्विस होती है इससे यह बात जाहिर होगी कि उसका विकास करना बहुत जरूरी है। मैं डीडवाने से आने वाले माननीय सदस्य से सहमत हूं कि हमारा कोआँपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर बहुत एक्स्टेन्ड होना चाहिए ताकि प्रोडक्शन के लिहाज से, किसानों की सर्विस के लिहाज से बहुत की तरक्की की जरूरत है, मगर कुछ लिमिटेशन्स हैं और वे हमेशा बिगिनिंग में होते हैं, फिर भी ३-८ से ८ पर्सेन्ट पर पहुँच गये हैं कोआपरेटिव क्रेडिट सर्विस के जरिये तो यह बहुत ही ठीक है। जब महाराष्ट्र के अन्दर ३८ पर्सेन्ट कोऑपरेटिव क्रेडिट सर्विस करती है उसके मुकाबले में हम ८ पर्सेन्ट करते हैं, इसलिए इसकी बहुत जरूरत है। हमारी रूरल पोपुलेशन की ८३.७२ पर्सेन्ट हैं तो महाराष्ट्र के अन्दर ७६ पर्सेन्ट ही है, फिर भी उसके ऊपर न जायें तो भी महाराष्ट्र का क्रेडिट स्ट्रक्चर ज्यादा है।

इसके बाद, माननीय उपाध्यक्ष, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे यहां पर जो रेट आफ इन्ट्रेस्ट की बात कही गई थी तो मैं आपसे निवेदन करूं कि जो रेट आफ इन्ट्रेस्ट चार्ज करते हैं वह खुली चीज में हैं। उसमें छिपाने की बात नहीं है। रिजर्व बैंक चार्ज करती है चार पर्सेन्ट, एपेक्स बैंक करती है ५.१६ पर्सेन्ट और उसके बाद में सैन्ट्रल बैंक कोआपरेटिव बैंक ७ पर्सेन्ट और सोसाइटी ६ पर्सेन्ट। यह चीज आज से नहीं चली आ रही है, और सभी जगह भी यही हमारा पैटर्न है। तो, माननीय उपाध्यक्ष, मैं यह निवेदन कर रहा था....

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : गुजरात में १३ परसेन्ट है।

श्री मथुरादास माथुर : मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि इस रेट आफ इन्ट्रेस्ट पर भी जो सर्विस करना चाहते हैं वह नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ज्यादा कर्जा चाहिए, क्योंकि और दूसरे, साहूकार आदि कितना इन्ट्ररेस्ट लेते हैं ? वह १२-१३ पर्सेन्ट से भी ज्यादा मांगते हैं।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : २ पर्सेन्ट वे बीच में बचाना चाहते हैं वह किस आधार पर लेते हैं ?

श्री राधाकृष्ण गोयल : बैलेन्सशीट में प्रोफिट एण्ड लोस अकाउन्ट में २ पर्सेन्ट चार्ज करते है।

श्री मथुरादास माथुर : मैंने लेटेस्ट फिगर्स बता दिये। मैं निवेदन कर रहा था और यहां भी बहस में कहा गया हमारे एरियर्स के बारे में। कोग्रॉपरेटिव सोसाइटीज को जो पैसा देते हैं उसके बारे में जिक्र किया। मैं कहना चाहता हूं कि एरियर्स की अलग अलग सालों की अलग अलग स्थिति है। कभी अकाल पड़ जाता है तो ओवर ड्यू हो जाता है। जो शोर्ट टर्म लोन देते हैं क्रोप टू क्रोप उसको कहत सालों के समय हम रियेलाइज कर नहीं सकते, बन्द करना पड़ता है और आगे के लिए लोन देना पड़ता है चाहे शोर्ट टर्म से मीडियम टर्म में कनवर्ट करावें और न करावे तो भी एरियर्स कटते जाते है। लेकिन यह नेचर पर बहुत डिपेन्ड करता है। ओफिसर्स की कारगुजारी पर भी निर्भर करता है लेकिन माननीय सदस्य यह भी जानते हैं स्टाफ बढ़ा है इन्सपैक्टर्स जाते है, वसूल भी करते है लेकिन पहले की अपेक्षा इन सालों का बहुत कम ओवर ड्यू है। लास्ट ईयर और इस साल कभी रिजर्व बैंक के हम डिफाल्टर नहीं रहे हैं, समय पर पैसा पहुँचा दिया है। मैजोरिटी ऑफ सेन्ट्रल बैंक्स डिफाल्टर नहीं रहें है दो तीन बैंको की मैं नहीं कह सकता बड़ी संख्या में दो तीन ऐसे हो सकते है सैन्ट्रल बैंक्स में सोसाइटीज का ओवर ड्यू होता है, मेम्बर्स का होता है लेकिन सोसाइटी का कम होता जा रहा है। किसी साल कहतसाली होती है तो ४०.५० परसेन्ट हो जाता है और अच्छा जमाना होता है तो ३०.३५ परसेन्ट तक आ जाता हैं इसलिये एरियर्स की वसूली के बारे में हम नेग्लिजेन्ट नहीं हैं।...

श्री राधाकृष्ण गोयल : ३०.४० परसेन्ट एरियर को आप जस्टिफाइ करते है ?

श्री मथुरादास माथुर : ऑर्डिनैरिली २५.३० परसेन्ट ओवर ड्यू रहता है।

श्री राधाकृष्ण गोयल : वह भी बहुत है।

श्री मथुरादास माथुर : वह बहुत नहीं है। सौ को कर्जा देते हैं उसमें से २५ वापिस नहीं दे पावे समय पर लेकिन लोन देते हैं वह भी सैन्ट परसेन्ट नहीं देते हैं। क्रेडिट की फैसिलिटी सैन्ट परसेन्ट करदें तो इतनी दिक्कत नहीं हो वह बाहर से भी लेता है कभी उसका चुकाता है कभी हमारा चुकाता है। सहकारी आन्दोलन की तरक्की केवल सरकार के ओफिसरों से नहीं होगी, समाज का विकास होगा उसके साथ इसका सम्बन्ध है, कितना हम केटेराइज एजेन्ट की तरह से काम कर सकते है, कितना समाज का दिमाग बढ़े, कितना कोआपरेटिव एटिट्यूड है, इसकी फिलोसफी को लोग मानलें तब इसका विकास होगा। एरियर्स के लिए मुझे चिन्ता नहीं है, घबराहट जैसी बात नहीं है। कभी हम रिजर्व बैंक के डिफाल्टर नहीं रहे।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि किसी माननीय सदस्य ने ऑडिट के बारे में कहा। हम ऑडिट करवाते हैं, उनकी रिपोर्ट आती है, ऐतराज के बारे में उनसे जवाब लेते हैं कई बार वे जवाब नहीं दे पाते हैं, पंचायतों के पास भी इतना साधन नहीं है। इनके इलेक्टेड मेम्बर्स होते हैं उनके पास और भी काम होते हैं—

श्री मानसिंह महार : आप इन वाइट एलिफेन्ट्स के बारे में बता दीजिये, क्रय विक्रय संघ के बारे में।

श्री मथुरादास माथुर - ऑडिट जितना अपन करवायेंगे तभी जाकर पता चलेगा।

(श्री मथुरादास माथुर)

सन् ६२, ६३ में हमारे यहां पर १६,५५३ सोसाइटीज थीं उनमें से ८४ परसेन्ट सोसाइटीज का ओडिट हुआ, १६,४१३ का हुआ। ६३-६४ में ८५ परसेन्ट सोसाइटीज का ओडिट हुआ और ६४-६५ में ८७ परसेन्ट का हुआ। इतनी संस्थाओं में से कितनों का ओडिट हुआ इससे आपको मालूम होगा ओडिट करने के लिये एक आर्मी ओफ ओडिटर्स रखनी पड़ती है। ६२.६३ में हमारे यहां पर ३४६ ओडिट करने वाले थे और अब ४३६ हैं और सोसाइटीज का परसेन्टेज भी बढ़ता जा रहा है। पहले ८४ परसेन्ट था, फिर ८५ हुआ और उसके बाद ८७ परसेन्ट सोसाइटीज का ओडिट हुआ। जहां पर घोटाले पाये गये वहां पर एक्शन लिया जाता है कोई ओफिसर इसमें इन्वोल्व्ड होता है तो उनके खिलाफ डिपार्टमेन्टल इन्क्वायरी चलती है। अब तो आपने कानून को अमेन्ड करके ट्रिब्यूनल कायम कर दिया है। इससे हम सतर्कता बरत रहे हैं यह साबित होगा।

मैं यह निवेदन कर रहा था खास तोर से हमारे माननीय सदस्य जिन्होंने क्रय विक्रय संघ की बात उठाई थी वह मैं पहले कह दूं इसलिए कि उनको इसमें दिलचस्पी है। मैं निवेदन करदूं कि क्रय विक्रय संघ के बारे में एक जांच कमेटी बिश्नोई कमेटी मुकर्रर की थी, उसके बारे में मैंने भी हाउस में बयान दिया था और बिश्नोई कमेटी की रिपोर्ट सदन की मेज पर रखदी थी माननीय सदस्य सभी जानते हैं कि उस रिपोर्ट में जितने मामले थे वे विजिलेन्स कमीशन को दे दिये थे और वह उसकी जांच कर रहा है। इस मामले में गिरफ्तारियां भी हुई। कमीशन ने हमको कोई रिपोर्ट नहीं भेजी है। अब प्रश्न यह पैदा होता है कि विजिलेन्स कमीशन ने रिपोर्ट नही भेजी तो आपने क्यों नही मांगी। हमने कमीशन से रिपोर्ट मांगी, उनको रिमाइन्डर भी दिये। श्री सतीशचन्द्र जी ने प्रश्न भी इस बारे में पूछा था तब भी हमने उनसे पूछा था कि आप बताइये, क्या हो रहा है। विजिलेन्स कमीशन उसकी जांच कर रहा है जांच के बाद वह रिपोर्ट देगा उसके बाद ही मैं सदन में तसल्ली से कह सकता हूं कि यह कार्यवाहीं हुई है। इस समय में कुछ कहने की स्थिती में नहीं हूं। क्योंकि विजिलैंन्स कमीशन के लिये हमने ही सदन में जोर दिया था इन्डिपेन्डैन्ट बोडी होनी चाहिये, एग्जक्यूटिव का उस पर इन्फलुएन्स नहीं होना चाहिये वह जो करेंगें ठीक ही करेंगे। हम विजिलैन्स कमीशन से पूछ लेते हैं कि आपने क्या किया। मैं आपको तसल्ली के लिए कहता हूं कि हमने कमीशन को वक्तन फवक्तन रिमाइन्डर भेजा है। फरवरी में भेजा है, नवम्बर ६५ में लिखा गया था, श्री अग्रवाल का सवाल आया था तब पूछा गया था। कमीशन जो सूचना देगा कि क्या कार्यवाही हुई है, उसको सदन के सामने रख दूंगा।...

श्री मानसिंह नहार (आमेर) : अब तक की सूचना नहीं है ?

श्री मथुरादास माथुर : नहीं है।

आपने कहा था कि लीडर ने कहा था सदन की मेज पर रखने के बारे में। बिश्नोई कमेटी की रिपोर्ट रखी गई थी। बिश्नोई कमेटी की रिपोर्ट के ऊपर लीडर ऑफ दी अपोजिशन ने कहा था कि सदन की मेज पर

रखी गई है। विजिलेन्स कमीशन की रिपोर्ट हमारे सामने आने वाली नहीं है।...

श्री राधाकृष्ण गोयल : डिले का कारण बताया है क्या ?

श्री मथुरादास माथुर : कोई कारण नहीं बताया, हम चिट्ठी लिख रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : अब तक कितनी गिरफ्तारियां हुईं ?

श्री मथुरादास माथुर : इस बारे में हमें इतला नहीं दी।

श्री मानसिंह महार : क्रय विक्रय संघ का ६ साल का ऑडिट हुआ है उसके बारे में कुछ नहीं कर रहे हैं ?

श्री मथुरादास माथुर : राजस्थान क्रय विक्रय संघ के ऑडिट आक्षेपों की पूर्ति रिपोर्ट ६२.६३ तक की हो चुकी है। ६३.६४ की पूर्ति रिपोर्ट के लिए २९ मार्च तक की मयाद दी है। आखिर वह भी एक ओटोनोमस बोडी है ऑडिट रिपोर्ट उनके पास भेजते हैं उसके बाद में वे जवाब देते हैं। ६२.६३ की आ चुकी है, ६३.६४ की नहीं आई है। ६४.६५ का ऑडिट चालू है क्योंकि हमारे यहां ऑडिट जून टू जून होता है। ६२.६३ के जितने ओबजेवशन्स थे उनका जवाब दे दिया है, रिपोर्ट आ चुकी है।

श्री राधाकृष्ण गोयल : जब सबको पता है कि आज सहकारिता पर बहस होगी तो २९ मार्च की तारीख निर्धारित करने की क्यों आवश्यकता थी पहले ही मंगा सकते थे जिसमें माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित हो जाता और अपनी सम्मति दे सकते।

श्री मथुरादास माथुर : हमने मुकर्रर नही की है। आखिर उनके डाइरेक्टर्स की मीटिंग होगी उसके बाद जबाब आयेगा।

श्री राधाकृष्ण गोयल : क्या ऑडिट रिपोर्ट में अनियमितता की बातें थी जिनको छिपाने की बात थी ?

श्री मथुरादास माथुर : छिपाने की बात नहीं है।

श्री राधाकृष्ण गोयल : फिर सदन को क्यों महरूम रखा गया ?

श्री मथुरादास माथुर : नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य ने खास तौर से प्रोसेसिंग इन्डस्ट्रीज के बारे में कमी है उस ओर ध्यान आकर्षित किया।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के बारे में एक सुगर इंडस्ट्री का तो मैंने सदन में जिक्र कर दिया है, जो बूंदी में चालू की जा रही है दो लाख की लागत से और उसका काम चल रहा है। इसके अलावा राजस्थान कोऑपरेटिव स्पिनिंग मिल्स लि० गुलाबपुरा में कायम कर रहे हैं, जो १९-३-६५ को रजिस्टर हो गई है, वह पच्चीस हजार स्पिन्डल का प्रोजेक्ट है और बीस लाख का एस्टीमेटेड इन्वेस्टमेंट है जिसमें से पांच लाख का काम वहां हो चुका है। इसका काम तेजी से चले–इसकी कार्यवाही होगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कुछ दो-चार मिनट और आपसे लूंगा दो चार बात कहने के लिए। बाकी माननीय सदस्यों ने जो इंडीविज्युअली कट मोशन्स दिये हैं उनका

Page No. 131

(श्री मथुरादास माथुर)

जवाब में उनको लिखित में दे दूंगा । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस साल कहां कहां कैसे सहकारी आंदोलन में खास प्रगति हुई है . . .

श्री उपाध्यक्ष : समय चूंकि समाप्त होने वाला है, मैं समझता हूं कि सदन इससे सहमत होगा कि जब तक कार्यवाही समाप्त न हो जाय तब तक के लिए समय बढ़ा दिया जाय ।

श्री मथुरादास माथुर : उसमें है importan among them, उसमें इंपार्टेन्ट यह है कि सहकारी आंदोलन को बढ़ाने के लिए क्रोप लोन सिस्टम चालू किया गया है । यह कैसे वितरण होगा, इसके लिए जैसा मैंने निवेदन किया जो कि क्रेडिट होगा वह क्रोप लोन सिस्टम के आधार पर दिया जायगा । और मैंने आपसे निवेदन किया कि यह एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया है, जिसके अन्दर किसी आदमी को कर्जा मिलेगा, वह हर जुलाई में क्रोप पर एक एकड़ में कितना लोन मिलना चाहिए उसके तय होने के बाद एग्रीकल्चर के ऊपर दिया जाएगा यह प्रोडक्शन बायस्ड लोन सिस्टम चल रहा है और एग्रीकल्चर के वास्ते उसकी जरूरत के लिए लोन मिल जाय—यह एक इम्पोर्टेन्ट डिसीजन है जो राज्य सरकार ने लिया है ।

दूसरा यह है कि तकावी का डिस्ट्रीब्यूशन यह पचास ब्लाक्स के अन्दर कोआॅपरेटिव के माध्यम से होगा । यह पहले ही निर्णय ले लिया गया था । अब उसको अमली जामा पहनाएंगे । डिस्ट्रीब्यूशन आफ तकावी लोन थ्रू कोआॅपरेटिव सोसाइटी इन फिफ्टी ब्लोक्स । पचास ब्लोक्स के अन्दर सहकारिता के माध्यम से ऋण वितरण किया जाएगा, यह फैसला किया है ।

तीसरा यह है कि हम एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज का वापिस रीआॅर्गेनाइजेशन कर रहे हैं, उनका एमलगेमेशन कर रहे हैं रीवाइटेलाइज कर रहे हैं, इस वजह से कि एक पंचायत क्षेत्र में एक कोआॅपरेटिव सोसाइटी वाएबल सोसाइटी रह सके ताकि वह कुछ काम कर सके और अपना फोमेन्स दिखा सके ।

एक जो मैंने पहले भी जिक्र किया था कि इस साल री फाइनेन्स कोर्पोरेशन की इस साल सेंक्शन होकर आई है । इटावा पंचायत समिति के अन्दर ३२ लाख की सबसे पहली स्कीम लैण्ड डेवलपमेंट के लिए चम्बल कमाण्ड एरिया में कर रहे हैं । यह री-फाइनेन्स कोर्पोरेशन से सेंक्शन होकर आ गई है जो चालू की जायगी ।

कोआॅपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के मातहत जो रूल्स बनने थे वे भी बना दिये गये हैं और पब्लिक ओपीनियन के लिए प्रेस में से छप कर चले जायेंगे और उसके बाद फाइनल हो जाएंगे ।

जोधपुर को हमने लेबर सोसाइटीज के लिए सिलेक्ट किया है क्योंकि, वहां पर लेबर सोसाइटी पहले से ही ज्यादा है । वहां पर लेबर को इन्सेन्टिव देकर कोआॅपरेटिव के माध्यम से काम कराये जायं यह स्कीम एडॉप्ट की गई है ।

हमारे जोधपुर और बीकानेर डिवीजन के अन्दर हम फर्टीलाइजर का डिस्ट्रीब्यूशन

(श्री मथुरादास माथुर)
अपेक्स मार्केटिंग सोसाइटी के थ्रू करते हैं, उसमें हमें काफी कामयाबी मिली है।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : - कहां की ?

श्री मथुरादास माथुर : जोधपुर और बीकानेर।

श्री गिरधारीलाल व्यास : अजमेर बीकानेर।

श्री मथुरादास माथुर : जोधपुर और बीकानेर। मैंने डिवीजन के लिए कहा है।

जो जूनियर कोआॅपरेटिव ट्रेनिंग सेन्टर हैं, वह हमने कोआॅपरेटिव यूनियन को देने का फैसला कर दिया है। वह ट्रेनिंग हम यूनियन के जरिये करवाना चाहते हैं-यह फैसला है सरकार का।

यह सीड, आइरन कोटा और पेस्टीसाइड्स-यह अपेक्स सोसाइटी के माध्यम से करने का फैसला किया गया है, जो हो रहा है।

यह कन्ज्यूमर्स कोआॅपरेटिव स्टोर जो हैं उनका स्टेट फेडरेशन बनाने के लिए फैसला किया गया है, जिसकी वजह से स्टेट फेडरेशन जो बाकी के एन्टरप्राइज हैं उनसे निगोसियेट करके सस्ती कीमत पर सप्लाई कर सकें कामोडिटिज, ये सक्सेसफुली स्टोर्स चल सकेंगे इससे।

जो खास-खास मुद्दों पर इस साल में डिसीजन लिया गया है प्रगति के लिए और जो प्रगति हुई है वह सूक्ष्म में मैंने रखने की कोशिश की है माननीय सदस्यों के एक-दो पोइन्ट और मैं कह देता हूं।

विरोधी दल के नेता ने ध्यान आकर्षित किया था फार्मिंग कोआॅपरेटिव सोसाइटी के बारे में और फार्मिंग कोआॅपरेटिव सोसाइटीज के बारे में उनके विचार की डीडवाना से आने वाले मा० सदस्य ने सराहना की थी कि स्वतंत्र पार्टी के नेता भी जांइन्ट फार्मिंग के ऊपर विश्वास करने लगे हैं। उन्होंने कहा कि एक सोसाइटी रजिस्टर नहीं हो पाई है- उसकी ओर उन्होंने ध्यान आकर्षित किया और उसकी ओर विभाग का ध्यान आकर्षित किया था। वह तो इस समय यहां हैं नहीं इसलिए में ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : आप परिणाम दिखाइये। सब विश्वास करने लगेंगे।

श्री मथुरादास माथुर : तो उन्होंने जो प्रार्थना-पत्र दिया था, उसमें दो तीन बातें हैं। एक तो प्रावधान यह है कि एक फेमिली का एक ही मेम्बर हो सकता है, लेकिन उसमें एक फेमिली के सभी मेम्बर थे, उसमें २१ टोटल मेम्बर हैं उसमें से आठ एक फेमिली के थे। एक तो यह था। दूसरा प्रावधान यह है....

श्री गिरधारीलाल व्यास : सब जागीरदार थे।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) अब जागीदार हैं ही नहीं।

श्री गिरधारीलाल व्यास : यह बैठे हैं सामने। यह कोआॅपरेटिव सोसाइटी सीलिंग से बेचने के लिए बनाई जा रही है।

श्री मथुरादास माथुर : तो एक यह भी कारण था ।

श्री विजयसिंह झाला : जागीरदारों को सीलिंग से बचाने के लिए कर रहे हैं ।

श्री मथुरादास माथुर : एक तो सीलिंग से बचने के लिए, यह महसूस हुआ. एक फेमिली के उसमें मेम्बर थे दूसरे जो जमीन पूल की जा रही हैं, उसमें नियम है कि पूरी को पूरी जमीन पूल करनी पड़ेगी । और वह इसके लिए तैयार नहीं हैं । हमने उसके लिए पत्र लिखा है, यह यह आप ठीक कीजिये ताकि पुर्नविचार किया जा सके । लेकिन उनको ठीक करने का उत्तर अभी नहीं आया है । मुझे खेद है कि इस कारण वह रजिस्टर नहीं हो सकी है । हमारे जो विभागीय ऑफिसर काम कर रहे हैं उनका इसमें दोष नहीं है ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने करीब करीब, जो माननीय सदस्यों ने....

श्री गिरधारीलाल व्यास : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया ।

श्री मथुरादास माथुर : व्यक्तिगत मेम्बरों ने जो कट मोशन्स रखे हैं उनका जवाब में लिखित रूप में भिजवा दूंगा । आपको भी भेज देंगे ।

श्री गिरधारीलाल व्यास : यह तो जबानी कह सकते हैं कि शीप एण्ड वूल और कोऑपरेटिव के एक अधिकारी हैं इसकी वजह से दिक्कत है....

श्री मथुरादास माथुर : मैं उस पर आ रहा हूं ।

श्री गिरधारीलाल व्यास : इससे विभाग का काम सुचारु रूप से नहीं चल रहा है । इन्हें अलग कीजिये ।

श्री मथुरादास माथुर : मैं निवेदन कर रहा हूं । शीप एण्ड वूल और कोऑपरेटिव का रजिस्ट्रार एक व्यक्ति है । मैं बताऊं कि शीप एण्ड वूल की जो स्कीम है वह फिलहाल कोऑपरेटिव बायस्ड बनाना चाहते हैं । जैसा डींडवाने से आने वाले सदस्य ने पोइन्ट उठाया था, जो वूल प्रोड्यूसर्स हैं, जो लोग वूल पैदा करते हैं. वह जो लोग शीप रखते हैं वह इन्डीविजुअल रखते हैं वह उनको आठ आना एडवान्स दे आते हैं और समय पर वूल काट कर ले आते हैं । इसलिए हम चाहते हैं कि कोऑपरेटिव बननी चाहिए, ताकि जो रीअरिंग और शीअरिंग हो वह कोऑपरेटिव बायस्ड हो । यह काम कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार को करना पड़ेगा, यह होने से सुभीता मिलता है । यह काम चल रहा है और जरूरत पड़ेगी और काम बढ़ जायगा तो सोचा जा सकता है...

श्री गिरधारीलाल व्यास : कोऑपरेटिव का काम बढ़ा हुआ है, ध्यान नहीं दिया जाता है....

श्री मथुरादास माथुर : फिलहाल उनके साथ एडीशनल रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव है, जोइन्ट है, डिप्टी है, काफी अमला है । और काम बढ़ता जाता है, तब जरूरत होगी तो और बढ़ायेंगे । आपकी सहानुभूति इस विभाग के साथ है तो हम जरूर सोचेंगे ।

(५.०० म. प.)

मगर काम ठीक तरह से चलाने की कोशिश हो रही है । जरूरत पड़ेगी तो हम

Page No. 134

(श्री मथुरादास माथुर)

इस पर भी चिन्तन करेंगे । उपाध्यक्ष महोदय, इन शब्दों के साथ में यह निवेदन करूंगा कि हमारी सहकारिता की मांग है इसको स्वीकार किया जावे ।

श्री श्रवणलाल (हिन्डोन-मु०) : हिन्डोन में । चार हजार के करीब सदस्य संख्या है, काफी शेयर पूंजी सेन्ट्रल बैंक में है····

श्री मथुरादास माथुर : यह मामला मेरे विचाराधीन है । इसको जल्दी ही तय कर देंगे ।

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : मोटर वर्क कोम्रापरेटिव सोसाइटी है । उस पर भी एडमिनिस्ट्रेटर बिठाने वाले हैं और गाड़ियां बिकने वाली हैं ...

श्री मथुरादास माथुर : मेरा विचार है कि हमारा एडमिनिस्ट्रेटर वहां काम कर रहा है और मामला अदालत में चल रहा है, वही मोटर वर्क कोम्रापरेटिव सोसाइटी है ।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : वही मोटर वर्क कोम्रापरेटिव सोसाइटी है ।

श्री मथुरादास माथुर : सिविल सूट चल रहा है और इसलिये एडमिनिस्ट्रेटर कायम किया है । वरना हमारी कोई इसके लिये दिलचस्पी नहीं है एडमिनिस्ट्रेटर कायम करें ।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : इस वक्त तो मेरे पास डिटेल्स नहीं है और मैं नहीं दे सकता । आपस में झगड़ा हुआ है । दो एग्जिक्यूटिव बनाई थी उनके । अदालत में केस चला गया है ।

श्री मथुरादास माथुर : इसके बारे में आप मेरेसे मिल ले । अपने बैठ कर बात कर लेंगे । हम बाध्य हैं और आप भी कानून से बाध्य हैं । इसलिये हमें यह करना पड़ा है ।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : पोइन्ट ओफ ओर्डर, सर, बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे मुख्य मंत्री जी पधार गये हैं । मैं आपसे एक खास बात पूछना चाहता हूँ कि जो क्रय-विक्रय संघ के मामले में आपने आश्वासन दिया था और आश्वासन देकर उसको विजिलेन्स कमिश्नर को सौंपा था, अब सदन का समय खत्म होने वाला है, इसलिये तीन महीनों में आप सदन को सूचना देंगे कि क्रय-विक्रय संघ में घोटाले के मामलों में, सदन में रेफर किया था उसके बारे में कुछ बता दें । या इसी तरह से हम आकाश में हवा में उड़ते रहेंगे यह आप बता दें । यही बात मैं निवेदन करना चाहता हूँ । पहले तो माथुर साहब ने कहा था कि रिपोर्ट आ गई····

श्री मथुरादास माथुर : मैंने यह नहीं कहा कि विजिलेन्स कमेटी की रिपोर्ट आ गई । विजिलेन्स कमेटी की रिपोर्ट आने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता । वह रिपोर्ट आने वाली नहीं ।

श्री मानसिंह महार : मुख्य मन्त्री जी ने आश्वासन दिया था कि इसको रेफर किया जावेगा इसलिये मैं चीफ मिनिस्टर

(श्री मथुरादास माथुर)

से इसके लिये निवेदन करूंगा कि वे इस सम्बन्ध में बताने की कृपा करें।

श्री मोहनलाल सुखाडिया (मुख्य मन्त्री) इस सम्बन्ध में अभी सहकारिता मंत्री हैं उन्होंने काफी प्रकाश डाल दिया है और आप भी जानते हैं विजिलेन्स कमीशन की रिपोर्ट आवे तो उसमें भय क्या है? जो कानूनी एक्शन होगा लेंगे। उसको एक्शन लेने के पहले भेजी थी। कुछ एक्शन हमने लिये हैं और कुछ गिरफ्तारियां की हैं, वे सभी माननीय सदस्य जानते हैं। विजिलेन्स कमीशन यहां रिपोर्ट भेजे यह आवश्यक नहीं है।

श्री मानसिंह महार (आमेर): आप तो जानकारी करके सदन को अवगत करा सकते हैं। अगर कोई बात हो तो आप उनसे जानकारी करके सदन को अवगत करा सकते हैं। सदन को अवगत कराना आपकी जिम्मेदारी है। विजिलेन्स कमीशन हमको रिपोर्ट न भेजे न सही। आप तो रेफर करें और सदन को बताइये।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : उनकी तरफ से जो कार्यवाही की जा रही है वह सदन के माननीय सदस्यों को जानकारी है। अब और कोई जानकारी होगी तो मैं बता दूंगा।

श्री मान्धातासिह (महुआ) : पोइन्ट ओफ ओर्डर, सर, उपाध्यक्ष महोदय, विजिलेन्स कमीशन किसी डिपार्टमेंट के थ्रू इन्क्वायरी कराता है, या वह खुद इसकी इन्क्वायरी करेगा।

श्री मोहनलाल सुखाडिया : विजिलेन्स कमीशन के पास इसके लिये एजेन्सी है, जिसके जरिये वे जांच करते हैं।

श्री मान्धातासिह : सदन की यह मंशा थी की इसकी इन्क्वायरी विजिलेन्स कमीश्नर खुद करे। अगर इसके बजाय कोई दूसरा अफसर तहकीकात करता है तो इस मामले की अहमियत को देखते हुए उसकी तहकीकात करना वाजिब नहीं होगा। इसलिये इसकी जांच विजिलेन्स कमीश्नर को करनी चाहिये।

श्री मोहनलाल सुखाडिया : इस सम्बन्ध में विजिलेन्स कमीश्नर कार्यवाही कर सकता है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मांग संख्या २० मुख्य शीर्षक ३४ (सहकारिता के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६७ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ८९,२४,००० रु० तक की राशि प्रदान की जाये।

(स्वीकृत)

माग संख्या २० स्वीकार की गई।

(विराम)

मांग संख्या ३२

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : उपाध्यक्ष महोदय, कट मोशन्स थे उनके बारे में एक शब्द भी नहीं कहा है मंत्री महोदय ने।

श्री मथुरादास माथुर : बड़ी मुश्किल से १५ या १६ कट मोशन्स आये होंगे। वे सब जनरल हैं और एक भी पोईन्ट ऐसा

(श्री मथुरादास माथुर)

नहीं है, जनरल तरीके से माननीय सदस्यों को लिख कर भेज दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मांग संख्या ३२, मुख्य शीर्षक ६८ लेखन सामग्री तथा मुद्रण के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६७ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ७९.५२,००० रु० तक की राशि प्रदान की जाये।

(स्वीकृत)

मांग संख्या ३२ स्वीकार की गई।

(विराम)

मुख्य मन्त्री।

(५.६ म. प.)

राजस्थान सीमा में पाकिस्तान की गतिविधियों विषयक मुख्य मंत्री का वक्तव्य

श्री मोहनलाल सुखाडिया : माननीय उपाध्यक्ष जी, जो अभी इस सदन में बोर्डर के सम्बन्ध में एड्जोर्नमेंट मोशन के सम्बन्ध में चर्चा हो रही थी तो मुझे यह बताया गया कि कुछ माननीय सदस्यों की तरफ से यह कहा गया कि जैसलमेर में पाकिस्तान ने इन्फिलट्रेशन किया है और कुछ टेरीटरी ओक्युपाई की है और हमारी टेरिटरी में पाकिस्तान की फोर्सेज देखी गयी हैं। मैंने कुछ दिन पहले इस सम्बन्ध में भी जब यह प्रश्न आया था तो स्पष्ट कर चुका था कि यह सही नहीं हैं और आज भी जो पूरी जानकारी मैंने की है, मैं निश्चयपूर्वक सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि पाकिस्तान का कोई भी व्यक्ति राजस्थान की टेरीटरी में नहीं हैं, कोई फोर्स देखा गया हो या कोई ओक्युपाई की हो यह बात बिल्कुल गलत है।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की बैठक दिनांक २४ मार्च, १९६६ के ११ बजे म. पूर्व तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म. प. ५ बज कर ८ मिनट पर कल दिनांक २४ मार्च, ६६ को म. पू. ११ बजे तक के लिए स्थगित हुई)

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ४४६ का उत्तर देखिये)

जयपुर-कोटा मार्ग पर पीने के पानी की व्यवस्था निम्न स्थानों पर है:—

१.	जयपुर	स्थाई
२,	चाकसू	,,
३.	निवाई	,,
४.	टोंक	,,
५.	देवली	,,
६.	बूंदी	,,
७.	कोटा	,,
८.	हिंडौली	गर्मी में
९.	तालेड़ा	,,

सर्दी, गर्मी, व वर्षा से बचने की व्यवस्थाः—

१. जयपुर
२. चाकसू
३. टोंक
४. देवली

निकट भविष्य में व्यवस्था किये जाने वाले स्थानः—

१. कोटा
२. निवाई

शुद्धि-पत्र

(बुधवार, दिनांक २३ मार्च, १९६६)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	१०	स्वास्थ्य विभाग	स्वास्थ्य-विभाग
२	१०	उद्योग	उद्योग
४	६	नहीं।	नहीं ?
४	१५	लीड	लेड
४	अंतिम से ५व८	बाट	बांट
४	अंतिम से ५	कीलो	किलो
५	८	पीनल	पैनल
५	५,१३,१४,१८ २१,२४व अंतिम	बाट	बांट
६	३, ८, १८	बाट	बांट
६	२३	थी	थीं
७	१, ६ व ९	बाट	बांट
७	अंतिम से ११	सोनार	सुनार
८	अंतिम से ९	बाट	बांट
८	अंतिम से ४	अव्यवस्था।	अव्यवस्था है।
८	अंतिम	अनुपस्थिक्कृपया	अनुपस्थित-कृपया
९	३	अनुपस्थितकृ-पया	अनुपस्थित-कृपया
१०	६	सिफ	सिर्फ
१०	१६	न्हीं	नहीं।
१०	अंतिम से २	वगैरा	वगैरह
११	११	त्तेत्र	क्षेत्र
११	अंतिम से ५	उपमन्त्री	उप-मन्त्री
१२	अंतिम से २	हाग ?	होंगे ?
१३	५	चाजशीट वगैरा	चार्जशीट वगैरह
१३	अंतिम से ७	यद	यदि
१४	७	कतनी	कितनी
१४	११	जायगा।	जायगा ?

१	२	३	४
१४	अंतिम से ६ व ५	[द्वारा पूछा गया] श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई):	[श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) द्वारा पूछा गया]:
१५	७	नि र्षो	निर्दोष
१६	अंतिम से ८	पाटन)	(पाटन)
१८	अंतिम से ६	२२६	२२६
१६	१२	अर्फम	अफीम
१६	अंतिम से ८	नही	नहीं
१६	अंतिम से २	उसपे	उससे
२०	१३	गौयल	गोयल
२३	१८	स्घ्टैंड	स्टैण्ड
२५	५	पवकी	पक्की
२६	अंतिम से १५	उपाध्यक्ष	उपाध्यक्ष
२७	१	अब्दुल	अब्दुल
२८	४	इतनीं	इतनी
२८	अंतिम से ६	इर्नडस्ट्रियल	इन्डस्ट्रियल
२६	१०	भैरोंसिह्	भैरोंसिह
३०	५	सजेक्ट	सब्जेक्ट
३०	७	चाहना	चाहता
३०	११	उद्योगमंत्री: श्री हरिश्चन्द्र :	उद्योग मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र) :
३०	अंतिम से ३	चन्दममल	चन्दनमल
३०	अंतिम से ३	क्मा	क्या
३१	७	इकानामिकस	इकानामिक्स
३१	१२	इम	इस
३१	१६	उपांध्यल	उपाध्यक्ष
३१	१७	सड्क	सड़क
३४	१६	कों	को
३४	अंतिम से ४	जायेगां	जायेगा
३५	अंतिम से ३	काँटन	कॉटन
३६	१	जीं	जी
३६	१६	भैरोंसिह	भैरोंसिह

१	२	३	४
३६	अंतिम से ३	है।	है ?
३८	२	४५८,	४५८.
३८	३	निवाई:	(निवाई) :
३९	शीर्ष	श्री चन्द्रसिह वर्मा)	(श्री चन्द्रसिह वर्मा)
३९	४	(लिक्वडिशन)	(लिक्वीडेशन)
४०	९	व्यक्ती	व्यक्ति
४१	४	Next	Next.
४३	६	छुड़ने	छुड़ाने
४३	१३	लुड़ाने	छुड़ाने
४४	१२	रिजर्व्ज	रिज़वर्ड
४४	२०	कुठारधात	कुठाराघात
४५	१०	कीं	कि
४५	अंतिम से ८	गांव	गांव
४६	५	बिलकुल	बिल्कुल
५०	७	स्वस्थय	स्वास्थ्य
५१	अंतिम से २	बत	बात
५२	अंतिम से १०	मैं	में
५२	अंतिम से ५	महोदय,	महोदय
५३	१	होश्यार	होशियार
५४	८	ज नकारी	जानकारी
५७	शीर्षक	अनुपस्थित सदस्यो के	अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नतोर
५७	शीर्ष	(श्री विजयपाल कटारा)	(श्री यातायात मंत्री)
५७	१५	(बांदीकुई)	(बांदीकुई) :
५७	अंतिम से ४	वर्षिक	वार्षिक
५८	१	आंडिटेड	ऑडिटेड
५८	७	निर्माण	निर्माण
५८	१४	कार्य	कार्य
५८	अंतिम से ८	पंचापों	पंचायतों
५८	अंतिम से ७	(निम्बाहेड़ा)	(निम्बाहेड़ा) :
५८	अंतिम से ४	पंचायत सगिति	पंचायत समिति

१	२	३	४
६०	२	कार्यो	कार्यो
६०	अंतिम से ३	(सिवाना मु.)	(सिवाना-मु.)
६१	१	राहन	राहत
६१	अंतिम से ४	ईलाकों	इलाकों
६१	१८	स्थिपित	स्थगित
६२	८	स्थिापत	स्थापित
६३	१५	मंहगाई	मंहगाई
६३	६	फलस्वरुप	फलस्वरूप
६३	१७	१६६६,६७	१६६६-६७
६४	२०	बहत	बहुत
६४	२४	कारनमें	कारनामे
६४	अंतिम से ७	त्यौं त्यौं	त्यों त्यों
६४	शीर्ष	(श्री रामप्रसाद लड्ढा)	(श्री भैरोंसिंह)
६५	२	भस्ते	भत्ते
,,	२५	अप्रल	अप्रैल
६६	शीर्ष	(श्री रामप्रसाद लड्ढा)	(श्री भैरोंसिंह)
६७	२०	भता	भत्ता
,,	२६	स्वपष्टीकरण	स्पष्टीकरण
७१	३०	जायया	जायगा
७४	२४	प्रकार विघटन	विघटन
७५	२५	स राजय में	प्रकार से राज्य में
,,	१२	ऊतर	उत्तर
७६	३३	इतला	इत्तिला
७७	१	दघे	देने
७८	३	फाइनेन्सिल	फाइनेन्शियल
,,	२५	मता	भत्ता
,,	१६	को	के
८०	२२	चल	चले
८१			

१	२	३	४
८४	१३	इन्फेलशन	इंनफ्लेशन
८६	४	हिसव	हिसाव
८६	२२	एंप्रीस्शियेट	एप्रीशियेट
९२	६	सन्सडाईज्ड	सब्सीडाइज्ड
९३	१७	बद	बाद
१०१	७	में	में
१०५	११	adjourent	adjournment
,,	१५	निवेदक	निवेदन
१०७	२९	प्रक्षम	अक्षम
,,	३०	रीकसीड़र	रिकंसीडर
११०	२७	शी	की
११४	शीर्षक	गतिविफियां	गतिविधियां
११६	२	तैदा	पैदा
११९	शीर्षक	गतिविवयां	गतिविधियां
,,	२२	जाएगा	जाएगा
१२०	स्कम्भ	२२०	१२०
१२०	२९	व्यवल्था	व्यवस्था
१२३	६	परिक्षा	परीक्षा
१२३	१०	काडं	कार्ड
१२४	१४	garntid	granted
१२६	१०	हाजारी	हाजरी
१२६	१३	हाजारी	हाजरी
१२७	१७	मुगालने	मुगालते
,,	२७	इतल्ला	इत्तिला
१२८	१५	एठेंन्डेन्स	एटेंन्डेन्स
१२९	४	इमर्जेन्सो	इमर्जेन्सी
,,	८	शमां	शर्मा
१३०	१४	वृजसुन्दर	बृजसुन्दर
,,	अंतिम	लडफों	लड़को
१३२	अंतिम से ४	डेश	देश
१३३	अंतिम	जिम्होंने	जिन्होंने

१	२	३	४
१३६	अंतिम से ४	स्पोटसं	स्पोट्र्स
१३७	३	श्र्मा	शर्मा
१३८	६	सदस्यो	सदस्यों
,,	६	उदारता पूर्षक	उदारतापूर्वक
,,	: ११	वंचित	वंचित
१४२	३	।	।
,,	अंतिम से ६	जंगलों	जंगलों
१४४	अंतिम से ३	सिनिट	मिनिट
१४७	१२	लस्मणसिंह	लक्ष्मणसिंह
१५१	१	कायों	कार्यों
१५३	अंतिम से ८	मांग १०	मांग संख्या २०
१५४	अंतिम से १५	मुच्य	मुख्य
१५५	अंतिम से १४	(अर्टरू)	(अटरू)
१५६	अंतिम से ५	३४	३४–
१५७	१४ और २१	३४	३४–
१५८	अंतिम से ४	?४	३४–
,,	अंतिम से ७	(बूंदी	(बूंदी)
,,	८	जाथ	जाय
१६१	६	काम	कम
१६६	५	को	की
,,	६	हो ो	होंगे ।
,,	अंतिम से १०	को	विलोप
१६७	अंतिम से १६	सम्भवत	सम्भवत :
१६८	११	,,	,,
१७०	२	डिसीजन	डिसीजन
१७२	१३	खेत	खेती
१७६	अंतिम से ४	है	विलोप
१७७	१	(श्री मथुरा दास मांथुर :)	(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)
१७७	१७	समनता	समानता
१७८	१७	उल्ल	उल्लू
१७६	शीर्ष	(महारावम	(महारावल

१	२	३	४
१८४	अंतिम से १३	योजनाएं	योजनाएं
१९१	अंतिम से १७	अन्दर में	अन्दर
१९२	अंतिम से २	मथुरेशीविहारी	मथुरेशबिहारी
१९३	६	चाहुंगा	चाहूंगा
"	१०	अभीअ मी	अभी-अभी
१९४	१४	से ड़ा	उसे विड़ा
"	अंतिम से ११	बहत	बहुत
१९५	८	"	"
१९८	अंतिम से १०	डिक्शन	प्रोडक्शन
"	अंतिम	योजना	योजना में
१९९	" ७	आपगो	आपको
"	" २	सोसोइटीज	सोसाइटीज़
२००	२	लीडर्रशिप	लीडर्रशिप
२०१	४	वीं	की
"	८	यदि हमें....	यदि हमें खाद चाहिए
"	११	मिलता नहीं है	तो वह हमें मिलता नहीं है
,	अंतिम से ७	राजस्तान	राजस्थान
२०२	७	ओीर	और
"	१२	व त	वहुत
"	१८	पलिक	पब्लिक
"	२२	वासे	वाले
"	"	कोइ	कोई
२०३	२	हे	है
"	१३	किनानों	किसानों
"	१७	जो खाद- जो कारखाने- ———————— गवर्नमेंट का	जो खाद के जो कारखाने खाद के हैं उनकी खाद को किसानों को देने के पहले उसे चैक करने के लिए गवर्नमेंट का
२०३	अंतिम से ६	घली	चली
२०४	८	जिए	लिए

१	२	३	४
२०४	६	करने ने लिए	करने के लिए
,,	१६	सब्रा	सारा
,,	अंतिम से २	वैंक	वैंक
,,	,, ,,	निगोनियेवल	निगोशियेबल
,,	अन्तिम	इन्सट्रमेंट	इन्सट्रूमेंट
२०७	शीर्ष	चोहान)	चौहान)
,,	१	निवेदव	निवेदन
२०८	अन्तिम से ८	घ्यवस्था	व्यवस्था
२०६	७	आदश्री	आदमी
,,	अंतिम से ७	ओर	और
२१०	,, १२	हे	है
,,	,, ७	बसूल	वसूल
२१२	४	मन मान	मन माने
२१३	शीर्ष	श्री	(श्री-
२१४	६	मीना	मीणा
२१६	७	श्री गिरधरीलाल	श्री गिरधारीलाल
२१७	शीर्ष	(श्री चौसरसिंह बावेल)	——————
,,	५	सैशस	सैशन्स
,,	१३	वेगू	बैंगू
,,	अन्तिम से ३	,,	,,
२१६	,, २	कतना	कितना
२२०	,, ४	बुढ़पे	बुढ़ापे
२२१	शीर्षक	सख्य	संख्या
,,	६	दे दो	दे दी
,,	१७	अदर	अन्दर
२२३	अन्तिम से ११	कोआॅपरेटिव	कोआॅप्ररेटिव
२२५	अन्तिम	समानेतृ	समानेत्री
२२७	अन्तिम से १४	देश से लिये	देश के लिए
२२८	,, १०	सब्सिडि	सब्सिडी
,,	,, ७	अलौटमेंट	अलॉटमेंट
२२६	७	उस्थित	उपस्थिति

(६)

१	२	३	४
२२६	अंतिम से १०	श्री राधाकृष्ण (गोयल)	श्री राधाकृष्ण गोयल
२३२	अन्तिम	परन्तु पर	परन्तु इस पर
२३३	१६	श्रीमती सभापति	श्रीमती सभानेत्री
२३४	४	कुछ	कुल
२३५	५	जी	जो
,,	१४	समाप्ती	समाप्ति
२३८	अन्तिम से ६	उध	उन
२३६	५	संघ	संघ
२३६	८	रेल्वे	रेल्वे
,,	अन्तिम से ६	वह	वह
२४०	१	प्रासीडिंग्स	प्रोसीडिंग्स
,,	३	,,	,,
,,	१६	mihute	minute
,,	८	मैं	में
२४२	२०	गुजारा है	गुजरा है
२४३	६, १६	पंचशाला	पंचसाला
,,	अन्तिम से ४	रेगिस्थानी	रेगिस्तानी
२४५	,, ३	अण्डरर्सटेंडग	अन्डरस्टेंडिग
२४७	अन्तिम	आ़ ो	आगे
२४८	,, से ८	आननीत	माननीय
२५१	६	श्री राधाकृष्ण	श्री राधाकृष्ण
,	अन्तिम से ३	मोंगेज	मोर्टगेज
२५२	११	पहूंच	पहुंच
२५३	१७	हीती है	होती है
,	अन्तिम से ६	किर	फिर
२५४	३	उपाध्वक्ष	उपाध्यक्ष
२५८	६	जाॅच	जांच
	१२	स्थिती	स्थिति
२५६	शीर्ष	....	(श्री मथुरादास माथुर)
	१५	ओडिट	ऑडिट
२६०	४	,,	,,
	अन्तिम से ४	कुछ	कुछ
२६१	११	importan	important

१	२	३	४
२६२	१०	फॉमिन्स	पर्फोमिंस
२६३	५	श्रोर	श्रौर
२६४	१४	में	मैं
„	अन्तिम से २	सीसाइटी	सोसाइटी
२६५	११	यह यह	यह
२६८	५	अपने बेठ कर	अपन बैठकर
२६६	शीर्ष	(श्री मथुरादास माथुर)	(श्री मानसिंह महार)
„	अन्तिम से ७	श्रोर	श्रौर
„	„ ३	थू	थ्रू
„	„ २	इन्क्वाायरी	इन्क्वायरी
२७०	१५	उपाध्क्ष	उपाध्यक्ष
„	अन्तिम	पोईन्ट	पोइन्ट

—०—